दश माला, खंड 20, अंक 1

सोमवार, 19 नवम्बर, 2001
28 कार्तिक, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

सतेन्द्र सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 20, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 1, सोमवार, 19 नवम्बर, 2001/28 कार्तिक, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	(iii)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xiii)
मंत्रिपरिषद	(xiii)
राष्ट्रगान	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
मंत्रियों का परिचय	1
निधन सम्बन्धी उल्लेख और भारत और विश्व के अन्य भागों में आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों का उल्लेख	2–12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	12–42
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230	42–348

तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा (बुलढाना)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी. (कन्नानौर)

अमीर आलम, श्री (कैराना)

अम्बरीश, श्री (माण्डया)

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत (अकोला)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मयिलादुतुरई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अलवी, श्री राशिद (अमरोहा)

अहमद, श्री ई. (मंजेरी)

अहमद, श्री दाऊद (शाहाबाद)

आ

आंग्ले, श्री रमाकांत (मारमागाओ)

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री कीर्ति झा (दरभंगा)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधी नगर)

आदि शंकर, श्री (कुड्डालोर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता (करोलबाग)

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट (कनारा)

इ

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार (सिरसा)

ई

ईडन, श्री जार्ज (एर्णाकुलम)

उ

उमा भारती, कुमारी (भोपाल)

उराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम (बारपेटा)

ए

ए. नरेन्द्र, श्री (मेडक)

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी. (नामनिर्दिष्ट)

एम. मास्टर मथान, श्री (नीलगिरि)

एलानगोवन, श्री पी.डी. (धर्मपुरी)

ओ

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनूं)

ओवेसी, श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन (हैदराबाद)

क

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कटारिया, श्री रतन लाल (अम्बाला)

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कन्नप्पन, श्री एम. (तिरुचेन्गोड़े)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

करुणाकरन, श्री के. (मुकुन्दपुरम)

कलिअप्पन, श्री के.के. (गोबिचेट्टिपालयम)

कश्यप, श्री बली राम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कानूनगो, श्री त्रिलोचन (जगतसिंहपुर)

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव (उस्मानाबाद)

किन्डिया, श्री पी.आर. (शिलांग)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्री अरुण (जहानाबाद)

कुमार, श्री वी. धनंजय (मंगलौर)

कुमारासामी, श्री पी. (पलानी)

कुरुप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (दमोह)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्णदास, श्री एन.एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्णमराजू, श्री (नरसापुर)

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम (ओंगोले)

कृष्णमूर्ति, श्री के.ई. (कुरनूल)

कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरुमबुदुर)

कौर, श्रीमती प्रेनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

ख

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री अबुल हसनत (जंगीपुर)

खां, श्री मनसूर अली (सहारनपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खांदोकर, श्री अकबर अली (सेरमपुर)

खान, श्री हसन (लद्दाख)

खाबरी, श्री बृजलाल (जालौन)

खुराना, श्री मदन लाल (दिल्ली सदर)

खूंटे, श्री पी.आर. (सारंगढ़)

खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)

गढ़वी, श्री पी.एस. (कच्छ)

गमांग, श्रीमती हेमा (कोरापुट)

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (अमेठी)

गाड्डे, श्री राम मोहन (विजयवाड़ा)

गामलिन, श्री जारबोम (अरुणाचल पश्चिम)

गालिब, श्री जी.एस. (लुधियाना)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गावीत, श्री रामदास रूपला (धुले)

गिलुवा, श्री लक्ष्मण (सिंहभूम)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)

गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, प्रो. चमन लाल (उधमपुर)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोयल, श्री विजय (चांदनी चौक)

गोविन्दन, श्री टी. (कासरगौड़)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी (हसन)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत (खजुराहो)

चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.)

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया, उत्तर प्रदेश)

चिन्नासामी, श्री एम. (करूर)

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई (जूनागढ़)

चेन्नितला, श्री रमेश (मवेलीकारा)

चौटाला, श्री अजय सिंह (भिवानी)

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम (बाड़मेर)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल)

चौधरी, श्री ए.बी.ए. गनी खां (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पद्मसेन (बहराइच)
चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई (बलसाड़)
चौधरी, श्री राम टहल (रांची)
चौधरी, श्री राम रघुनाथ (नागौर)
चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)
चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)
चौधरी, श्रीमती रीना (मोहनलालगंज)
चौधरी, श्रीमती रेणूका (खम्माम)
चौधरी, श्रीमती सन्तोष (फिल्लौर)
चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)
चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)
चौहान, श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर)
चौहान, श्री बालकृष्ण (घोसी)
चौहान, श्री शिवराजसिंह (विदिशा)
चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगतरक्षकन, डा. एस. (अर्कोनम)
जगन्नाथ, डा. मन्दा (नगर कुरनूल)
जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)
जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)
जय प्रकाश, श्री (हरदोई)
जयशीलन, डा. ए.डी.के. (तिरुचेंदूर)
जहेदी, श्री महबूब (कटवा)
जाधव, श्री सुरेश रामराव (परभनी)
जाफर शरीफ, श्री सी.के. (बंगलौर उत्तर)
जायसवाल, डा. मदन प्रसाद (बेतिया)
जायसवाल, श्री जवाहरलाल (चन्दौली)
जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद (वाराणसी)
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)
जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)
जालप्पा, श्री आर.एल. (चिकबलपुर)
जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)
जावीया, श्री जी.जे. (पोरबंदर)
जीगाजीनागी, श्री रमेश सी. (चिक्कोड़ी)
जैन, श्री पुष्प (पाली)
जोशी, डा. मुरली मनोहर (इलाहाबाद)
जोशी, श्री मनोहर (मुम्बई उत्तर-मध्य)
जोस, श्री ए.सी. (त्रिचूर)

झ

झा, श्री रघुनाथ (गोपालगंज)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वड़ोदरा)
ठाकुर, डा. सी.पी. (पटना)
ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई (भंडारा)
ठाकुर, श्री रामशेठ (कुलाबा)

ड

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स (नामनिर्दिष्ट)
डूडी, श्री रामेश्वर (बीकानेर)
डोम, डा. राम चन्द्र (बीरभूम)

ढ

ढिकले, श्री उत्तमराव (नासिक)

त

तिरुनावकरसू, श्री (पुडुक्कोट्टई)
तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)
तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)
तिवारी, श्री सुन्दर लाल (रीवा)
तुड़, श्री तरलोचन सिंह (तरनतारन)
तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)
तोमर, डा. रमेश चंद (हापुड़)
त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि (देवरिया)
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर (पुरी)
त्रिपाठी, श्री रामनरेश (सिवनी)

थ

थामस, श्री पी.सी. (मुवत्तुपुजा)

द

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू (बापतला)

दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)

दलित इजिलमलाई, श्री (तिरूचिरापल्ली)

दास, श्री नेपाल चन्द्र (करीमगंज)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दाहाल, श्री भीम (सिक्किम)

दिनाकरन, श्री टी.टी.वी. (पेरियाकुलम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी (चिमूर)

दीपक कुमार, श्री (उन्नाव)

दुराई, श्री एम. (वन्डावासी)

दूलो, श्री शमशेर सिंह (रोपड़)

देलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नगर हवेली)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवी, श्रीमती कैलाशो (कुरुक्षेत्र)

न

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागमणि, श्री (चतरा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री अली मोहम्मद (अनंतनाग)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)

प

पटनायक, श्रीमती कुमुदिनी (आस्का)

पटवा, श्री सुन्दर लाल (होशंगाबाद)

पटेल, डा. अशोक (फतेहपुर)

पटेल, श्री आत्माराम भाई (मेहसाना)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी (खरगौन)

पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई (दमन और दीव)

पटेल, श्री दिन्शा (कैरा)

पटेल, श्री दीपक (आनंद)

पटेल, श्री धर्मराज सिंह (फूलपुर)

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (बालाघाट)

पटेल, श्री मानसिंह (मांडवी)

पण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा (काकीनाड़ा)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पवैया, श्री जयभान सिंह (ग्वालियर)

पांजा, डा. रंजीत कुमार (बारासाट)

पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)

पांडियन, श्री पी.एच. (तिरुनेलवेली)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव (बेलगाम)

पाटिल, श्री आर.एस. (बागलकोट)

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड (बीजापुर)

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के. (इरन्दोल)

पाटील, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़ (बीड)

पाटोल, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री भास्करराव (नांदेड़)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री शिवराज वि. (लातूर)

पाटील, श्री श्रीनिवास (कराड़)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)
पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)
पायलट, श्रीमती रमा (दौसा)
पार्थसारथी, श्री बी.के. (हिन्दुपुर)
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)
पासवान, डा. संजय (नवादा)
पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)
पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसेड़ा)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पासी, श्री राजनारायण (बांसगांव)
पासी, श्री सुरेश (न्यायल)
पुगलिया, श्री नरेश (चन्द्रपुर)
पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)
पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)
प्रधान, डा. देवेन्द्र (देवगढ़)
प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)
प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)
प्रमाणिक, प्रो. आर.आर. (मथुरापुर)
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराजनगर)
प्रेमाजम, प्रो. ए.के. (बडागरा)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)
फारूक, श्री एम.ओ.एच. (पांडिचेरी)

ब

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)
बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)
बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)
बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वारस)
बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह (जलेसर)
बचदा, श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)
बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा)
बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)
बनातवाला, श्री जी.एम. (पोन्नानी)
बब्बन राजभर, श्री (सलेमपुर)
बब्बर, श्री राज (आगरा)
बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह (हिसार)
बराड़, श्री जे.एस. (फरीदकोट)
बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)
बलिराम, डा. (लालगंज)
बसवनागौड़, श्री कोलुर (बेल्लारी)
बसवराज, श्री जी.एस. (तुमकुर)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बालयोगी, श्री जी.एम.सी. (अमालापुरम)
बालू, श्री टी.आर. (मद्रास दक्षिण)
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)
बिश्वास, श्री आनन्द मोहन (नवद्वीप)
बुन्देला, श्री सुजानसिंह (झांसी)
बेगम नूर बानो (रामपुर)
बेहरा, श्री पद्मनाव (फूलबनी)
बैंदा, श्री रामचन्द्र (फरीदाबाद)
बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री (जबलपुर)
बैस, श्री रमेश (रायपुर)
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)
बोचा, श्री सत्यनारायण (बोम्बिली)
बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)
बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)
ब्रह्मनैया, श्री ए. (मछलीपटनम)

भ

भगत, प्रो. दुखा (लोहरदगा)
भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)
भडाना, श्री अवतार सिंह (मेरठ)
भाटिया, श्री आर.एल. (अमृतसर)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
भूरिया, श्री कांतिलाल (झाबुआ)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)
मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)
मकवाना, श्री सवशीभाई (सुरेन्द्रनगर)
मलयसामी, श्री के. (रामनाथपुरम)
मलिक, श्री जगन्नाथ (जाजपुर)
मल्याला, श्री राजैया (सिद्दीपेट)
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी. (दावणगेरे)
मल्होत्रा, डा. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)
महंत, डा. चरणदास (जांजगीर)
महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)
महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)
महतो, श्रीमती आभा (जमशेदपुर)
महरिया, श्री सुभाष (सीकर)
महाजन, श्री वाई.जी. (जलगांव)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर (मालेगांव)
मांझी, श्री रामजी (गया)
माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)
मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)
मान, श्री सिमरनजीत सिंह (संगरूर)
माने, श्री शिवाजी (हिंगोली)
माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)
मायावती, कुमारी (अकबरपुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)
मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)
मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)
मिस्त्री, श्री मधुसूदन (साबरकांठा)
मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)
मीणा, श्रीमती जसकौर (सवाई माधोपुर)
मुखर्जी, श्री एस.बी. (कृष्णनगर)
मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)
मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)
मुनिलाल, श्री (सासाराम)
मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)
मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)
मुरुगेसन, श्री एस. (तेनकासी)
मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)
मुर्मू, श्री सालखन (मयूरभंज)
मूर्ति, श्री ए.के. (चेंगलपट्टू)
मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस. (विशाखापत्तनम)
मेघवाल, श्री कैलाश (टौंक)
मेहता, श्रीमती जयवंती (मुम्बई दक्षिण)
मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)
मोहन, श्री पी. (मदुरै)
मोहले, श्री पन्नू लाल (बिलासपुर)
मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)
मोहोल, श्री अशोक ना. (खेड़)

य

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)
यादव, डा. (श्रीमती) सुधा (महेन्द्रगढ़)
यादव, डा. जसवंतसिंह (अलवर)
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)
यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री देवेन्द्र सिंह (एटा)
यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)
यादव, श्री भालचन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मुलायम सिंह (सम्भल)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)

येरननायडू, श्री के. (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डा. जयंत (स्वशासी जिला असम)

रमण, डा. (राजनंदगांव)

रमैया, डा. बी.बी. (एलूरू)

रवि, श्री शीशराम सिंह (बिजनौर)

राजवंशी, श्री माधव (मंगलदाई)

राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री (पूर्णिया)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

राधाकृष्णन, श्री सी.पी. (कोयम्बटूर)

राधाकृष्णन, श्री पोन (नागरकोइल)

राम सजीवन, श्री (बांदा)

राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन. (टिंडिवनाम)

रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)

रामुलू, श्री एच.जी. (कोप्पल)

रामैया, श्री गुनीपाटी (राजमपेट)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री विष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

राय, श्री सुबोध (भागलपुर)

राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण (राजामुन्दरी)

राव, श्री गंता श्रीनिवास (अनकापल्ली)

राव, श्री डी.वी.जी. शंकर (पार्वतीपुरम)

राव, श्री वाई.वी. (गुंटूर)

राव, श्री सीएच. विद्यासागर (करीमनगर)

राव, श्रीमती प्रभा (वर्धा)

रावत, प्रो. रासासिंह (अजमेर)

रावत, श्री प्रदीप (पुणे)

रावत, श्री रामसागर (बाराबंकी)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण-मध्य)

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण (पाटन)

रिजवान जहीर, श्री (बलरामपुर)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रूडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एन.आर.के. (चित्तूर)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर (नालगोंडा)

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश (हनमकोण्डा)

रेड्डी, श्री जी. गंगा (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री बी.वी.एन. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री वाई.एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेनु कुमारी, श्रीमती (खगड़िया)

ल

लाहिड़ी, श्री समीक (डायमंड हार्बर)

लेपचा, श्री एस.पी. (दार्जिलिंग)

व

वंग्चा, श्री राजकुमार (अरुणाचल पूर्व)

वनगा, श्री चिंतामन (दहानू)

वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)
वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह (शाहजहांपुर)
वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)
वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)
वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर. (मैसूर)
विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)
विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम. (भद्राचलम)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा (नेल्लौर)
वेंकटस्वामी, डा. एन. (तिरूपति)
वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी (तेनाली)
वेंकटेस्वरलु, श्री बी. (वारंगल)
वेणुगोपाल, डा. एस. (आदिलाबाद)
वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुपत्तूर)
वेत्रिसेलवन, श्री वी. (कृष्णागिरि)
वैको, श्री (शिवकाशी)
व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)

श

शर्मा, कैप्टन सतीश (रायबरेली)
शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त (जम्मू)
शशि कुमार, श्री (चित्रदुर्ग)
शहाबुद्दीन, मोहम्मद (सिवान)
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम (शिमला)
शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)
शान्ता कुमार, श्री (कांगड़ा)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)
शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)
शिवकुमार, श्री वी.एस. (तिरुअनन्तपुरम)
शुक्ल, श्री श्यामाचरण (महासमुन्द)
शेरवानी, श्री सलीम आई. (बदायूं)
श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी. (चिकमंगलूर)
श्रीनिवासन, श्री सी. (डिंडीगुल)
श्रीनिवासुलु, श्री कालवा (अनन्तपुर)

ष

षणमुगम, श्री एन.टी. (वेल्लौर)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़ उत्तर)
संखवार, श्री प्यारे लाल (घाटमपुर)
संगमा, श्री पूर्णो ए. (तुरा)
संघाणी, श्री दिलीप (अमरेली)
सईद, श्री पी.एम. (लक्षद्वीप)
सईदुज्जमा, श्री (मुजफ्फरनगर)
सनदी, प्रो. आई.जी. (धारवाड़ दक्षिण)
सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)
सरकार, डा. बिक्रम (पंसकुरा)
सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)
सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)
सरोज, श्रीमती सुशीला (मिसरिख)
सरोजा, डा. वी. (रासीपुरम)
सांगतम, श्री के.ए. (नागालैंड)
सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)
साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)
सामन्तराय, श्री प्रभात (केन्द्रपाड़ा)
साय, श्री विष्णुदेव (रायगढ़)
साहू, श्री अनादि (बरहामपुर, उड़ीसा)
साहू, श्री ताराचन्द (दुर्ग)
सिंह, कुंवर अखिलेश (महाराजगंज, उ.प्र.)
सिंह, कुंवर सर्वराज (आंवला)
सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र (रोहतक)
सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)
सिंह, डा. रामलखन सिंह (भिण्ड)
सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री अजित (बागपत)
सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप (सिधी)
श्री चन्द्र भूषण (फर्रुखाबाद)
सिंह, श्री चन्द्र विजय (मुरादाबाद)
सिंह, श्री चन्द्रनाथ (मछलीशहर)
सिंह, श्री चरनजीत (होशियारपुर)
सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)
सिंह, श्री जयभद्र (सुल्तानपुर)
सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद (कोडरमा)
सिंह, श्री टीएच. चाओबा (आंतरिक मणिपुर)
सिंह, श्री दिग्विजय (बांका)
सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)
सिंह, श्री बलबीर (जालन्धर)
सिंह, श्री बहादुर (बयाना)
सिंह, श्री बृज भूषण शरण (गोंडा)
सिंह, श्री महेश्वर (मंडी)
सिंह, श्री राजो (बेगुसराय)
सिंह, श्री राधा मोहन (मोतिहारी)
सिंह, श्री राम प्रसाद (आरा)
सिंह, श्री रामजीवन (बलिया, बिहार)
सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)
सिंह, श्री रामानन्द (सतना)
सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)
सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)
सिंह, श्री साहिब (बाहरी दिल्ली)
सिंह, श्रीमती कान्ति (बिक्रमगंज)
सिंह, श्रीमती श्यामा (औरंगाबाद, बिहार)
सिंह, सरदार बूटा (जालौर)
सिंह देव, श्री के.पी. (ढेंकानाल)
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)
सिकदर, श्री तपन (दमदम)
सिन्हा, श्री मनोज (गाजीपुर)
सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)
सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती) (पेद्दापल्ली)
सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम. (शिवगंगा)
सुधीरन, श्री वी.एम. (अलेप्पी)
सुनील दत्त, श्री (मुम्बई उत्तर-पश्चिम)
सुब्बा, श्री एम.के. (तेजपुर)
सुमन, श्री रामजीलाल (फिरोजाबाद)
सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)
सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)
सेनगुप्ता, डा. नीतिश (कोन्टाई)
सेल्वागनपति, श्री टी.एम. (सेलम)
सोमैया, श्री किरीट (मुम्बई उत्तर-पूर्व)
सोराके, श्री विनय कुमार (उदुपी)
सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह (गोधरा)
स्वाइं, श्री खारबेल (बालासोर)
स्वामी, श्री ईश्वर दयाल (करनाल)
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (जौनपुर)

ह

हंसदा, श्री थामस (राजमहल)
हक, मोहम्मद अनवरुल (शिवहर)
हमीद, श्री अब्दुल (धुबरी)
हसन, श्री मोइनुल (मुर्शिदाबाद)
हान्दिक, श्री विजय (जोरहाट)
हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (किशनगंज)
हौकिप, श्री होलखोमांग (बाह्य मणिपुर)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री जी.एम.सी. बालयोगी

उपाध्यक्ष

श्री पी.एम. सईद

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री पी.एच. पांडियन

श्री श्रीनिवास पाटील

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

श्री के. येरननायडू

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमंडल के सदस्य

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रधान मंत्री तथा ऐसे मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी जिनका प्रभार विशिष्ट तौर पर किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है अर्थात्:

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन,

(2) योजना

(3) परमाणु ऊर्जा

(4) अंतरिक्ष

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : गृह मंत्री

श्री अनन्त कुमार : शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री

श्री टी.आर. बालू : पर्यावरण और वन मंत्री

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : रसायन और उर्वरक मंत्री

श्री जगमोहन : पर्यटन और संस्कृति मंत्री

श्री जार्ज फर्नान्डीज : रक्षा मंत्री

श्री वेद प्रकाश गोयल : पोत परिवहन मंत्री

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : नागर विमानन मंत्री

श्री अरुण जेटली : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री

डा. सत्यनारायण जटिया : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

श्री मनोहर जोशी : भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

डा. मुरली मनोहर जोशी : मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री

श्री प्रमोद महाजन : संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री

श्री मुरासोली मारन : वाणिज्य और उद्योग मंत्री

श्री कड़िया मुण्डा : कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री

श्री एम. वैंकय्या नायडू : ग्रामीण विकास मंत्री

श्री राम नाईक : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

श्री नीतीश कुमार : रेल मंत्री

श्री जुएल उराम : जनजातीय कार्य मंत्री

श्री राम विलास पासवान : कोयला और खान मंत्री

श्री सुरेश प्रभु : विद्युत मंत्री

श्री काशीराम राणा : वस्त्र मंत्री

श्री अर्जुन सेठी : जल संसाधन मंत्री

श्री शांता कुमार : उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

श्री अरुण शौरी : विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

श्री अजित सिंह : कृषि मंत्री

श्री जसवन्त सिंह : विदेश मंत्री

श्री यशवन्त सिन्हा : वित्त मंत्री

श्रीमती सुषमा स्वराज : सूचना और प्रसारण मंत्री

डा. सी.पी. ठाकुर : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

कुमारी उमा भारती : युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री

श्री शरद यादव : श्रम मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्रीमती मेनका गांधी : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री

प्रो. चमन लाल गुप्त : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री

श्री एम. कन्नप्पन : अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री

श्रीमती वसुन्धरा राजे : लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री रमेश बैस : सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री बंडारू दत्तात्रेय : शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री संतोष कुमार गंगवार : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री विजय गोयल : प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री

डा. वल्लभभाई कथीरिया : भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री कृष्णमराजू : रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री वी. धनंजय कुमार : वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री सुभाष महरिया : ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्रीमती जयवंती मेहता : विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री मुनि लाल : श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री श्रीपाद येसो नाईक : पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री उमर अब्दुल्ला : विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री हरिन पाठक : रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री अशोक प्रधान : उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री रवि शंकर प्रसाद : कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री पोन राधाकृष्णन : युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री ए. राजा : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री ओ. राजगोपाल : संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री

डा. रमण : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन : वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री सीएच. विद्यासागर राव : गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री बची सिंह रावत "बचदा" : विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री

श्री राजीव प्रताप रूडी : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री तपन सिकदर : संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री दिग्विजय सिंह : रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

प्रो. रीता वर्मा : मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री बालासाहिब विखे पाटील : वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री हुक्म देव नारायण यादव : कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

सोमवार, 19 नवम्बर, 2001/28 कार्तिक, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

राष्ट्र गान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री मधुसूदन देवराम मिस्त्री (साबरकांठा)

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

मंत्रियों का परिचय

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कुछ नए साथियों का आपकी अनुमति से आपसे और सदन से परिचय कराना चाहता हूँ:

श्री जार्ज फर्नान्डीज, रक्षा मंत्री *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: अब निधन संबंधी उल्लेख किया जायेगा।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

निधन संबंधी उल्लेख
और
भारत और विश्व के अन्य भागों में आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों का उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आज हम लगभग तीन माह के अंतराल के बाद मिल रहे हैं, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को अपने दो वर्तमान प्रतिष्ठित सहयोगियों, सर्वश्री समर चौधरी तथा माधवराव सिंधिया और अपने दस भूतपूर्व सम्माननीय सहयोगियों, सर्वश्री वाई.एस. महाजन, पुंडलिकराव रामजी गवली, के. विजयभास्कर रेड्डी, सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, पी.के. देव, बी. देवराजन, श्रीमती मारगथम चन्द्रशेखर, सर्वश्री पी.के. कोडियान, श्याम धर मिश्र और श्रीमती कमला बहुगुणा के निधन की सूचना देनी है।

श्री समर चौधरी वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे और वे त्रिपुरा के त्रिपुरा पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वह वर्ष 1998-99 में भी इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोक सभा के सदस्य रहे।

एक सक्रिय संसदविद, श्री चौधरी ने सदन की कार्यवाही में अत्यधिक रुचि ली। उन्होंने गृह कार्य संबंधी समिति तथा नियम समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वह उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

इससे पूर्व, श्री चौधरी 1972 से 1998 तक पांच बार त्रिपुरा विधान सभा के सदस्य भी रहे। एक कुशल प्रशासक के रूप में, उन्होंने 1986 से 1988 तक राज्य सरकार में उद्योग, स्वास्थ्य, श्रम और पशु संसाधन विकास मंत्रालयों में कैबिनेट मंत्री तथा वर्ष 1993 से 1998 तक गृह एवं राजस्व मंत्रालय में मंत्री के रूप में कार्य किया।

श्री समर चौधरी एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता-सेनानी थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

एक प्रख्यात सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता, श्री समर चौधरी किसानों के कल्याण तथा उत्थान से संबंधित अनेक संगठनों

से संबद्ध थे। उनकी मृत्यु हमारे देश में किसान आन्दोलन के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

कुछ समय बीमार रहने के पश्चात् श्री समर चौधरी का 71 वर्ष की आयु में 10 सितम्बर, 2001 को नई दिल्ली में निधन हो गया।

श्री माधवराव सिंधिया लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे और वह मध्य प्रदेश के गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वह 1971 से 1999 तक पांचवीं से बारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने मध्य प्रदेश के गुना और ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सिंधिया एक कुशल प्रशासक थे और उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में रेल, नागर विमानन और पर्यटन तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों जैसे अनेक महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला।

श्री सिंधिया एक सक्रिय सांसद थे और उन्होंने 1990-91 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के सभापति के रूप में कार्य किया और वह अन्य अनेक संसदीय और परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे। वह वर्तमान लोक सभा में कांग्रेस दल के उपनेता थे। संसदीय प्रक्रियाओं में उनका योगदान अविस्मरणीय रहा।

श्री सिंधिया शिक्षा और खेलों के संवर्धन में गहन रुचि लेते थे इसलिए वह अनेक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेल संबंधी संगठनों से जुड़े थे। 1990 से 1993 तक वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे, अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस खेल के प्रति नया उत्साह पैदा किया।

श्री सिंधिया एक सक्रिय और दूरदर्शी नेता थे, उन्होंने भारतीय उद्योग तथा उदारीकरण के सामाजिक-आर्थिक आयामों को सही परिप्रेक्ष्य में समझा। उन्होंने अपने तीन दशकों के राजनीतिक जीवन के दौरान राजनीति, सरकार अथवा क्रिकेट प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी।

श्री सिंधिया ने अनेक देशों की यात्रा की थी। वह विभिन्न भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों के सदस्य थे और कुछ शिष्टमंडलों का उन्होंने नेतृत्व भी किया। 1989 में उन्होंने "मिनिस्टर-इन-वेटिंग" के रूप में तत्कालीन राष्ट्रपति के साथ पश्चिम जर्मनी और सेसेल्स का दौरा किया था। 1995 में श्री सिंधिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ कोपेनहेगन में आयोजित "सबके लिए शिक्षा संबंधी सम्मेलन" में भाग लिया। 1995 में इंडोनेशिया में बाली में "ई-नौ देशों की मंत्रिमंडलीय बैठक" की उन्होंने अध्यक्षता की थी।

हालांकि, श्री सिंधिया ग्वालियर के राजघराने से संबंध रखते थे, लेकिन सही अर्थों में वह जन नेता थे। उन्होंने जनता के उत्थान और कल्याण के लिए अथक कार्य किया।

श्री सिंधिया के निधन से हमने एक महान सांसद और देश ने भारतीय सार्वजनिक जीवन में अत्यधिक सक्रिय और करिश्माई व्यक्तित्व खो दिया है। जिनकी कमी संसद और पूरे राष्ट्र में अत्यधिक महसूस की जाएगी।

श्री माधवराव सिंधिया के अकस्मात और असामायिक निधन से स्तब्ध राष्ट्र आघात एवं वेदना की स्थिति से गुजर रहा है। उनका निधन भाग्य की क्रूर विडम्बना थी। उनका व्यक्तित्व हमारी राजनैतिक व्यवस्था में सकारात्मक और विश्वसनीय स्वरूप का प्रतीक था। उन्होंने संसद में अनेक विवादास्पद मुद्दों के समाधान में एक महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका अदा की। उनका निधन 56 वर्ष की अल्प आयु में 30 सितम्बर, 2001 को उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में विमान दुर्घटना में हुआ जिसके फलस्वरूप एक प्रतिभावान और उदीयमान राजनैतिक जीवन का अन्त हो गया।

श्री वाई.एस. महाजन 1970 से 1977 तथा 1980 से 1991 के दौरान चौथी, पांचवीं और सातवीं से नौवीं लोक सभा के सदस्य रहे, उन्होंने महाराष्ट्र के बुलढाना तथा जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री महाजन एक योग्य सांसद थे और वह विभिन्न संसदीय एवं परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे।

वह पेशे से शिक्षाविद् थे और विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों से संबद्ध रहे। श्री महाजन एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने गंदी बस्तियों में रहने वालों की स्थिति सुधारने तथा छोटा परिवार के सिद्धान्त का प्रचार करने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने सामाजिक समानता लाने, आर्थिक नियोजन तथा पर्यावरण संबंधी जागरूकता का प्रसार करने में गहन रुचि ली। वह महाराष्ट्र राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के लिए गठित समिति तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त भूमिहीन मजदूरों से संबंधित अध्ययन दल के भी सदस्य थे।

एक विद्वान लेखक, श्री महाजन ने तीन पुस्तकें "इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कर्नाटक; इन्ट्रोडक्शन ऑफ इकॉनामिक्स तथा स्टडीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड फैमिली प्लानिंग" लिखी।

श्री महाजन ने अनेक देशों की यात्रा की और वह अफगानिस्तान तथा यूगोस्लाविया गए शिष्टमंडल के सदस्य थे।

श्री वाई. एस. महाजन का निधन 90 वर्ष की आयु में 27 अगस्त, 2001 को जलगांव, महाराष्ट्र में हुआ।

श्री पुंडलिकराव रामजी गवली 1996-97 के दौरान महाराष्ट्र के वाशिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री गवली एक योग्य सांसद थे, उन्होंने 1997 के दौरान ऊर्जा संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री गवली पेशे से एक कृषक थे, उन्होंने किसानों को उनकी पैदावार के लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए अथक कार्य किया।

श्री गवली एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे, उन्होंने निर्धनों एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने मूल्य वृद्धि आदि जैसे मुद्दों, जोकि आम आदमी को प्रभावित करते हैं, के संबंध में आंदोलन करने में कभी संकोच नहीं किया।

श्री पुंडलिकराव रामजी गवली का निधन 60 वर्ष की आयु में 13 सितम्बर, 2001 को वाशिम, महाराष्ट्र में हुआ।

श्री के. विजयभास्कर रेड्डी, 1977 से 1984; 1989 से 1993 और 1996 से 1999 के दौरान आंध्र प्रदेश के कुरनूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के प्रतिनिधि के रूप में छठी, सातवीं और नौवीं से बारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री के. विजयभास्कर रेड्डी एक योग्य प्रशासक थे वह 1983-84 के दौरान नौवहन और परिवहन, उद्योग और कंपनी कार्य तथा 1991-92 के दौरान विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री के रूप में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे।

श्री रेड्डी एक सक्रिय सांसद थे, उन्होंने विभिन्न संसदीय और परामर्शदात्री समितियों के सदस्य के रूप में योग्यतापूर्वक कार्य किया।

इससे पूर्व, श्री रेड्डी 1955 से 1961 तक आंध्र प्रदेश विधान सभा और 1967 से 1972 तक आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। वह 1993 में पुन: आंध्र प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने लोक लेखा समिति के सभापति के रूप में और राज्य विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री रेड्डी एक उत्कृष्ट राजनयिक थे और उन्होंने 1982-83 तथा 1992 से 1994 के दौरान दो बार आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उनका नाम सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और निष्ठा का पर्याय बन गया था। उन्हें 'विकास का प्रतिनिधि मुख्य मंत्री' माना जाता था। वह अपने राज्य के लोगों को एक रुपये नब्बे पैसे प्रति किलोग्राम की दर से चावल और किसानों को भारी रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने में विशेष रूप से सक्रिय रहे। उन्होंने अपने राज्य में देसी शराब (अरक) पर प्रतिबंध लगाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

उन्होंने दो दशकों से अदालत में लम्बित मामलों का लोक अदालत के अंतर्गत निपटान करके श्रीसेलम परियोजना के विस्थापित परिवारों के लिए 40 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि जारी करवाने का भी प्रयास किया। उन्होंने नलकूपों को बिजली उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जिससे कृषक समुदाय को अत्यधिक सहायता मिली।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, श्री रेड्डी ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई।

श्री रेड्डी का संबंध कृषक परिवार से था, उन्होंने गांवों में बड़ी संख्या में हाई स्कूलों और प्रारम्भिक विद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना आरम्भ की। प्यार से 'पेड्डायना' कहे जाने वाले अस्सी वर्षीय इस नेता ने विभिन्न पदों पर राष्ट्र तथा राज्य की सेवा की और विशेष रूप से रायलसीमा में सिंचाई विकास के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण था।

श्री रेड्डी ने अपने कालेज के दिनों में खेलकूद में गहरी रुचि ली। उन्होंने 1967-69 के दौरान खेलकूद परिषद, आंध्र प्रदेश के चेयरमैन के रूप में कार्य किया।

कुछ समय बीमार रहने के पश्चात् श्री के. विजयभास्कर रेड्डी का 81 वर्ष की आयु में 27 सितम्बर, 2001 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में निधन हो गया।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी 1957 से 1970 तक दूसरी से चौथी लोक सभा के सदस्य रहे, उन्होंने उड़ीसा के केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व 1952 से 1956 तक वह राज्य सभा के सदस्य थे।

श्री द्विवेदी एक कुशल संसदविद थे और उन्होंने तीसरी लोक सभा के दौरान सभापति तालिका तथा 1964 से 1967 तक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री द्विवेदी ने 1991 से 1993 तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल पद को भी सुशोभित किया।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, श्री द्विवेदी को 'भारत छोड़ो' आंदोलन तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में भाग लेने के कारण सात वर्ष कारावास में रहना पड़ा।

व्यवसाय से पत्रकार, श्री द्विवेदी एक सक्रिय समाज सेवक थे। वह उड़ीसा के विभिन्न किसान, युवा और अन्य आंदोलनों से जुड़े थे। वह 1948 से 1951 तक एक सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान संस्थान 'खोज परिषद' के गवर्नरों में से एक थे।

श्री द्विवेदी ने काफ़ी भ्रमण किया, वह एशियाई समाजवादी सम्मेलन, रंगून के प्रथम सत्र में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की थी।

साहित्यिक रुझान वाले व्यक्ति, श्री द्विवेदी उड़िया साप्ताहिक 'कृषक' के संस्थापक थे और अनेक वर्षों तक वे उसके सम्पादक रहे। उन्हें अंग्रेजी और उड़िया, दोनों भाषाओं में कई प्रकाशन निकालने का श्रेय प्राप्त था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी का निधन 88 वर्ष की आयु में 1 अक्तूबर, 2001 को राउरकेला, उड़ीसा में हुआ।

श्री पी.के. देव ने 1957 से 1979 तक दूसरी से छठी लोक सभा में उड़ीसा के कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सक्रिय सांसद के रूप में, श्री देव विभिन्न संसदीय और परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे।

पूर्व कालाहांडी रियासत के महाराजा के रूप में, श्री देव ने 1939 से 1947 तक शासन किया। एक कुशल प्रशासक के रूप में श्री देव ने कई प्रशासनिक सुधार किए जिनमें विधान सभा और लोकप्रिय मंत्रिमंडल वाली उत्तरदायी सरकार की स्थापना तथा कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने जैसे सुधार थे।

श्री पी.के. देव 1952-56 की अवधि के दौरान उड़ीसा विधान सभा के सदस्य रहे।

एक सुविख्यात समाज सेवक के रूप में, श्री देव ने आदिवासियों के कल्याण, क्षय-रोगी रोध कार्य के संवर्धन और अस्पृश्यता के उन्मूलन में गहरी रुचि ली। वह राष्ट्रीय एकता के संवर्धन में गहराई से जुड़े थे। उन्होंने शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहित किया और पुस्तकालयों की स्थापना में सहायक रहे। उन्होंने इन्द्रावती पनबिजली परियोजना की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने राज्य के विभिन्न भागों में सड़क परिवहन सुविधाओं में सुधार करने में विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने राज्य में पुरातत्व विभाग भी स्थापित किया।

श्री देव एक विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने तीन पुस्तकें, अर्थात् ''माई हम्बल कन्ट्रीब्यूशन्स'', ''टर्ब्यूलेंट फाइव ईयर्स'' और ''द फॉरगोटन फोर्टस ऑफ कालाहांडी'' भी लिखीं।

उन्होंने उच्च कोटि के साहित्य, प्राचीन उड़िया साहित्य तथा ऐतिहासिक अनुसंधान और विभिन्न देशों के संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन में भी गहन रुचि दिखायी।

अनेक देशों की यात्रा कर चुके, श्री पी.के. देव ने लागोस, नाइजीरिया में हुए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था।

कुछ समय बीमार रहने के पश्चात् श्री पी.के. देव का निधन 82 वर्ष की आयु में 8 अक्तूबर, 2001 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री बी. देवराजन 1977 से 1996 तक छठी से दसवीं लोक सभा के सदस्य थे, उन्होंने तमिलनाडु के राशीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

एक सक्रिय संसदविद्, श्री देवराजन ने लोक सभा की विभिन्न परामर्शदात्री समितियों तथा संसदीय समितियों में सदस्य के रूप में भी कार्य किया था।

व्यवसाय से अधिवक्ता, श्री देवराजन एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता भी थे। उन्होंने 1972 में 'सेलम डिस्ट्रिक्ट डिप्रेस्ड क्लासेस लीग' के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। वह समाज के, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए अनवरत कार्यरत रहे।

खेल-कूद को बढ़ावा देने में गहन रुचि रखने वाले श्री देवराजन 1978-79 के दौरान अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् के सदस्य भी थे।

कुछ समय बीमार रहने के पश्चात् श्री बी. देवराजन का निधन 65 वर्ष की आयु में 23 अक्तूबर, 2001 को कोयम्बटूर, तमिलनाडु में हुआ।

श्रीमती मारगथम चन्द्रशेखर, 1952 से 1957, 1962 से 1967 और 1984 से 1996 के दौरान पहली, तीसरी और आठवीं से

दसवीं लोक सभा की सदस्य रहीं तथा उन्होंने तत्कालीन मद्रास राज्य के तिरूवल्लूर और मयूरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह 1970 से 1984 तक राज्य सभा की सदस्य भी रहीं।

एक कुशल प्रशासक, श्रीमती चन्द्रशेखर ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल में उपमंत्री के रूप में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में कार्य किया। उन्होंने 1984-85 के दौरान राज्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया और महिला तथा समाज कल्याण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार संभाला।

एक सक्रिय संसदविद्, श्रीमती चन्द्रशेखर विशेषाधिकार समिति और 1990 के दौरान पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की सलाहकार समिति तथा 1991 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति की सदस्य रहीं।

एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, श्रीमती चन्द्रशेखर ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया।

श्रीमती चन्द्रशेखर ने अनेक देशों की यात्रा की। वह 1954 में रूस, तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया और पोलैण्ड गए भारतीय सांस्कृतिक शिष्टमंडल, 1957 में श्रीलंका गए भारतीय मजदूर संघ शिष्टमंडल और 1985 में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला, फिलीपीन्स की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गए भारतीय शिष्टमंडल की सदस्य थीं। वह 1964 में काबुल में विकासशील देशों में मानवाधिकार विषय पर संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी और 1966 में वाशिंगटन में आयोजित 13वें अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्य सम्मेलन तथा 1985 में मंगोलिया और नैरोबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में गए शिष्टमंडल की सदस्य थीं।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता, श्रीमती चन्द्रशेखर राष्ट्रीय आन्दोलन से संबद्ध थीं और उन्होंने 1946 से 1950 तक इंडियन लीग, लन्दन में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार करने के लिए अथक कार्य किया। उन्होंने 1959-61 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और 1967-70 के दौरान भारतीय भाषायी अल्पसंख्यक आयोग के सभापति के रूप में भी कार्य किया।

व्यवसाय से शिक्षक, श्रीमती चन्द्रशेखर विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के साथ सम्बद्ध रहीं। विद्वान लेखिका, श्रीमती चन्द्रशेखर ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में अनेक लेख लिखे।

श्रीमती मारगथम चन्द्रशेखर का निधन, 26 अक्तूबर, 2001 को चेन्नई, तमिलनाडु में 84 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री पी.के. कोडियान ने 1957 से 1962, 1977 से 1979 और 1980 से 1984 के दौरान दूसरी, छठी और सातवीं लोक सभा में केरल के क्वीलोन और अडूर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। एक सक्रिय सांसद, श्री कोडियान 1977 से 1978 के दौरान लोक लेखा समिति के सदस्य थे।

विख्यात समाज सेवक, श्री कोडियन ने जनजातियों तथा समाज के गरीब तबके के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। वह सामाजिक सुधारों के प्रति वचनबद्ध थे तथा उन्होंने जातिगत भेदभाव और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने 1946-47 के दौरान तत्कालीन कोचीन राज्य में समाज के गरीब वर्गों के लोगों के अधिकारों के लिए पलियम सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। मजदूर संघ के नेता श्री कोडियान ने विभिन्न मजदूर संघों का प्रतिनिधित्व किया।

कुछ समय बीमार रहने के पश्चात् श्री पी.के. कोडियान का निधन, 78 वर्ष की आयु में 28 अक्तूबर, 2001 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री श्याम धर मिश्र ने 1962 से 1967 के दौरान तीसरी लोक सभा में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री मिश्र 1952 से 1962 तथा 1968 से 1974 तक राज्य सभा के भी सदस्य रहे।

इसके पूर्व, श्री मिश्र 1943 से 1949 के दौरान तत्कालीन बनारस राज्य के विधान सभा के सदस्य थे तथा वह 1949 के दौरान राज्य के वित्त, राजस्व और पुलिस विभाग के मंत्री भी थे।

एक कुशल प्रशासक, श्री मिश्र ने 1962 से 1967 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में विभिन्न विभागों के उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

एक सक्रिय संसदविद्, श्री मिश्र ने 1956 से 1958 तक लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य किया।

व्यवसाय से व्यापारी और कृषक, श्री मिश्र ने बनारस और उसके निकवर्ती क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई।

एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता, श्री मिश्र ने छुआछूत के खिलाफ अभियान में भी सक्रिय भूमिका निभाई।

श्री मिश्र ने अनेक सामाजिक संगठनों और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। एक विद्वान लेखक, श्री मिश्र ने विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में अनेक लेख लिखे।

श्री श्याम धर मिश्र का निधन 2 नवम्बर, 2001 को गोपीगंज, उत्तर प्रदेश में 83 वर्ष की आयु में हुआ।

श्रीमती कमला बहुगुणा, 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा की सदस्य थीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। एक सक्रिय संसदविद्, श्रीमती बहुगुणा 1978-79 के दौरान याचिका समिति की सदस्य थीं।

एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, श्रमती बहुगुणा ने अनेक शैक्षिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों को स्थापित किया। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा पददलितों के उत्थान में काफी रुचि ली।

एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, श्रीमती बहुगुणा ने 1942 के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।

अनेक देशों की यात्रा कर चुकीं, श्रीमती बहुगुणा ने बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में कांग्रेस महिला शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व किया था।

कुछ समय बीमार रहने के पश्चात् श्रीमती कमला बहुगुणा का निधन 6 नवम्बर, 2001 को 77 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि यह सभा, शोकसंतप्त परिवारों को हमारी संवेदनाएं व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब, सभा भारत तथा विश्व के अन्य भागों में आतंकवाद के शिकार लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। भारत में हमारे लिए आतंकवाद एक विशेष अर्थ रखता है, क्योंकि हम एक दशक से आतंकवाद के शिकार रहे हैं और हम जानते हैं कि निरंकुश आतंकवादी हमले में किसी प्रियजन को खोना कितना दर्दनाक होता है। इसी कारण भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल के उन आतंकवादी हमलों, जिनमें हताहतों में कई भारतीय भी थे, की निंदा करने में जरा भी देरी नहीं की। हम दिल से हताहतों के परिवारों के साथ हैं, जो अभी भी इस दुर्घटना से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।

यद्यपि ऐसा प्रत्येक हमला स्वतंत्रता और प्रजातंत्र पर प्रहार है, तथापि, न्यूयार्क और वाशिंगटन में 11 सितम्बर के हमलों, 1 अक्तूबर को श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर विधान सभा भवन पर हुए हमले ने विश्व को यह दिखा दिया है कि आतंकवाद की जड़ें कितनी दूर-दूर तक फैल गई हैं तथा आतंकवादियों के पास कितने संसाधन और संगठन हैं जिससे वे न केवल सीमा पार, बल्कि दूसरे महाद्वीपों पर भी हमला कर सकते हैं।

आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर आया है। वैश्विक आतंकवाद नेटवर्क को समाप्त करने के लिए विश्व समुदाय का एकजुट होकर लड़ना आवश्यक हो गया है।

मुझे विश्वास है कि संपूर्ण सभा, घृणा और आतंक के इस अमानवीय और बर्बरतापूर्ण कृत्य की भर्त्सना करने में मेरे साथ है।

सभा इस संबंध में अपना गहरा शोक व्यक्त करती है।

जैसाकि आज दल के नेताओं की बैठक में निर्णय लिया गया कि अध्यक्षपीठ ने यह उल्लेख सभी दलों के नेताओं, समूहों और समस्त सभा की ओर से किया है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.31 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

जेनेटिक रूप से आशोधित भिन्न प्रकार के बी.टी. कपास के फसल की खेती

***1. श्रीमती रेनु कुमारी:**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में जेनेटिक रूप से आशोधित भिन्न प्रकार के बी. टी. कपास की खेती की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में इसकी खेती की गई और कुल कितना उत्पादन हुआ तथा कितने क्षेत्रफल में इस फसल की खेती की गई;

(ग) क्या सरकार ने बी.टी. कपास फसल की खेती को अपनी स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और किसानों को उक्त फसल के बीज देने के लिए जिम्मेदारी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जी. ई. ए. सी.) ने इस फसल को जलाने के लिए संबंधित राज्यों को किसानों के कपास की खड़ी फसल खरीदने के निर्देश दिए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और उन निर्देशों पर विभिन्न राज्यों की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(छ) प्रभावित होने वाले किसानों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) जेनेटिक रूप से आशोधित भिन्न प्रकार के बी. टी. कपास की फसल के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू.): (क) से (ज) सरकार ने देश में जेनेटिक रूप से आशोधित बी.टी. कपास की वाणिज्यिक खेती के लिए अभी अनुमोदन नहीं दिया है। जून, 2001 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अर्न्तगत अधिसूचित परिसंकटमय सूक्ष्मजीवों/आनुवांशिक रूप से जन्मे जीवों या सेलों के विनिर्माण, उपयोग आयात, निर्यात तथा भंडारण नियम 1989 के नियम 4 के अन्तर्गत गठित जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जी ई ए सी) ने महाराष्ट्र हाईब्रिड सीड कम्पनी (एम ए एच वाई सी ओ) को आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तथा तमिलनाडु राज्यों में लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों के खेतों में अपने तीन बी.टी. कपास हाईब्रिड (एम ई सी एच 12, एम ई सी एच 162, एम ई सी एच 184) को बड़े पैमाने पर फील्ड परीक्षण पुन: करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) भी अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना के अपने वृहत विभिन्न परीक्षणों के अन्तर्गत महाराष्ट्र हाईब्रिड सीड कम्पनी के बी.टी. कपास का फील्ड परीक्षण कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् मध्य क्षेत्र अर्थात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में तथा दक्षिणी क्षेत्र में आन्ध प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में लगभग 7.5 हेक्टेयर में इन परीक्षणों को कर रहा है।

सितम्बर, 2001 में सरकार के ध्यान में लाया गया कि नवभारत सीड्स प्राईवेट लिमिटेड अहमदाबाद ने परम्परागत रूप से विकसित हाईब्रिड के रूप में नवभारत के ब्रांड नाम से हाईब्रिड कपास के बीजों का विपणन किया है जिस पर कपास का कीड़ा नहीं लगता। नवभारत-15 के सीलबंद पैकेट से बीजों पर किए गए परीक्षण और अहमदाबाद के पास छह खेतों, जहां इस हाईब्रिड की खेती की जा रही है, के मौके पर किए गए निरीक्षण से पता चला कि नवभारत-151 में क्राई 1ए(सी) जीन है जिससे यह पता चलता है कि यह एक ट्रान्सजनिक किस्म है न कि एक परम्परागत हाईब्रिड।

1989 के नियमों में पर्यावरण में बड़ी मात्रा में किसी भी वस्तु को छोड़ने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदन लिए जाने की व्यवस्था है जिसमें ट्रॉन्सजेनिक जीवों को पर्यावरण में जानबूझकर छोड़ना भी शामिल ही। कंपनी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का अनिवार्य अनुमोदन लिए बिना नवभारत-151 ट्रान्सजेनिक हाईब्रिड का विपणन किया है। गुजरात में 19 जिलों नामत:, खेड़ा, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, जूनागढ़, अमरेली, सुरेन्द्रनगर, कच्छ, जामनगर, राजकोट, भावनगर, बन्सकंठा, मेहसाना, पाटन, आनंद, गांधीनगर, साबरकांठा, भरूच तथा नर्मदा में नवभारत-151 किस्म की खेती लगभग 11,000 एकड़ में की जा रही है। इसने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में भी नवभारत-151 बीजों की थोड़ी मात्रा में विपणन किया है। इसके अलावा कंपनी आन्ध्र प्रदेश के नांदयाल और कुर्नूल जिलों में 365 हेक्टेयर में ट्रान्सजेनिक कपास के बीजों का उत्पादन कर रही है। चूंकि फसल की कटाई अभी नहीं हुई है इसलिए उपज के सही आंकड़ों का पता नहीं लगा पाया है।

महाराष्ट्र हाईब्रीड कंपनी पर्यावरणीय खतरों के मूल्यांकन के लिए 1989 के नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का सावधानी पूर्वक अनुपालन करते हुए ट्रांसजेनिक बी.टी. कपास के अनुसंधान, विकास और परीक्षण में जुटी हुई है। महाराष्ट्र हाईब्रीड कंपनी ने जून, 2001 में ट्रांसजेनिक बी टी कपास की वाणिज्यिक खेती के लिए पर्यावरणीय मंजूरी के लिए जैनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति से अनुरोध किया है। चूंकि जैनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्व में किए गए फील्ड परीक्षणों में बी टी कपास की खेती की संभावनाओं का उपयुक्त मूल्यांकन नहीं हो पाया था इसलिए महाराष्ट्र हाईब्रीड कंपनी को पुन: फील्ड परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए पहली ट्रांसजेनिक फसल को ध्यान में रखते हुए जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने बी टी कपास के संभावित लाभों और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सावधानी बरतने के साथ-साथ व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। महाराष्ट्र हाईब्रीड कंपनी के इस समय बी टी कपास की बड़ी मात्रा में फील्ड परीक्षण चल रहे हैं।

नवभारत सीड्स प्रा. लि. ने 1989 के नियमों में जैवसुरक्षा के मूल्यांकन के लिए निर्धारित जैव सुरक्षा नियमों का अनुपालन न करते हुए ट्रांसजेनिक बी टी कपास सीड्स का विपणन किया है जिससे इन नियमों और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने

गुजरात राज्य जैव-प्रौद्योगिकी समन्वय समिति को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

- किसानों से नवभारत-151 फसल के कपास के बीजों को उपयुक्त समर्थन मूल्य पर खरीदना।
- लिन्ट और सीड को अलग करना।
- सीड को नष्ट करने और लिन्ट को जैनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति से अगला आदेश प्राप्त होने तक सुरक्षित रखना।
- खेतों में पौधों को जड़ से उखाड़ना, जलाना और खेतों की सफाई करना जिससे फसल के अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके।

इन कार्यों को करने के लिए गुजरात सरकार ने गुजरात को-आपरेटिव काटन फेडरेशन से समझौता किया है।

आंध्र प्रदेश सरकार को नवभारत कंपनी के ट्रांसजैनिक सीड उत्पादन और संवर्धन कार्यक्रम को गुजरात सरकार को दिए गए निर्देशों के अनुरूप तत्काल रोकने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। महाराट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा राज्यों को उनके संबंधित राज्यों में नवभारत-151 काटन सीड की खेती के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए कहा गया है।

सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के लिए नवभारत कंपनी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए 12.11.2001 को अहमदाबाद में मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में शिकायत भी दर्ज कराई है।

सरकार ने गुजरात सरकार को उपयुक्त समर्थन मूल्य पर कपास खरीदने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

सरकार मामला दर मामले आधार पर ट्रांसजेनिक खेती के अनुमोदन की एक नीति अपना रही है। किसी नई प्रौद्योगिकी को शुरू करने के लिए सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और दीर्घावधिक सतत लाभ अपेक्षित हैं। पर्यावरणीय समस्याओं के दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। सतर्क दृष्टिकोण अपनाए बिना इस नई प्रौद्योगिकी से प्राप्त लाभ अल्पकालिक होंगे और इससे अपरिवर्तनीय हानि हो सकती है। पर्यावरणीय मूल्यांकन और जेनेटिकली आशोधित जीवों के स्वास्थ्य सुरक्षा पहलुओं पर व्यापक नियम और दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। जैनेटिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के प्रयोग में शामिल किसी भी कंपनी को जैव प्रौद्योगिकी विभाग में प्रयोगशाला परिस्थितियों और फील्ड परिस्थितियों में परीक्षण करने के लिए 1989 के नियमों के अन्तर्गत गठित जेनेटिक मैनीपुलेशन पुनरीक्षण समिति का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इसके बाद बड़े पैमाने पर फील्ड परीक्षण और पर्यावरण में इसे लाने के लिए जैनेटिक इंजीनयरिंग अनुमोदन समिति का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

बाजरे का समर्थन मूल्य

*2. **श्री शीश राम ओला:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजरे के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाजरे के समर्थन मूल्य की घोषणा के बावजूद राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली आदि में आज की तारीख तक इसकी समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बाजरे की खरीद कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) सरकार ने 2001-02 मौसम के लिए अच्छी औसत क्वालिटी के बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 485 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

(ग) से (ङ) बाजरा सहित मोटे अनाजों की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम नामजद केन्द्रीय शीर्ष एजेन्सी है। अब तक कुल 4718 मीटरी टन बाजरा की खरीद की जा चुकी है और राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार हैं:

(मीटरी टन में आंकड़े)

राज्य	बाजरा की खरीद
मध्य प्रदेश	1523
महाराष्ट्र	175
राजस्थान	3020
कुल	4718

सूखा प्रभावित राज्य

*3. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जो चालू वर्ष के दौरान सूखे से प्रभावित हुए हैं;

(ख) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार फसल, पशुओं और जन-जीवन की अनुमानत: कितनी हानि और क्षति हुई;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कितनी सहायता मांगी गई और उक्त अवधि के दौरान वास्तविक रूप में उन्हें कितनी सहायता राशि प्रदान की गई;

(घ) केन्द्रीय दल द्वारा इस प्रयोजनार्थ किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया गया;

(ङ) केन्द्रीय दल द्वारा दी गई रिपोर्टों के आधार पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई; और

(च) सूखा प्रभावित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उक्त अवधि के दौरान कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं।

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) दक्षिण-पश्चिमी मानसून, 2001 के प्रथमार्ध में निम्नलिखित राज्यों में वर्षा कम रही।

आंध्र प्रदेश	–	(12 जिले)
बिहार	–	(9 जिले)
कर्नाटक	–	(18 जिले)
महाराष्ट्र	–	(12 जिले)

इन राज्यों ने फसल को हुई क्षति की सूचना दी है, जो इस प्रकार है:

राज्य	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हैक्टे. में)
आंध्र प्रदेश	56.91
बिहार	3.00
कर्नाटक	16.22
महाराष्ट्र	राज्य सरकार से सूचना प्राप्त नहीं हुई

इन राज्यों द्वारा मनुष्यों तथा पशुओं की मरने की कोई सूचना नहीं दी गई है।

सभी चार राज्यों ने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता मांगी और क्षति का जायजा लेने के लिए इन चारों राज्यों में केन्द्रीय दल भेजे गए ।

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को गए दलों की रिपोर्टों पर सक्षम निकायों द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष स्कीम के अधीन सहायता की मदों और खर्च के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया। चूंकि राज्यों के पास उनके आपदा राहत कोष में शेष राशि उपलब्ध है अत: यह फैसला किया गया कि आरम्भिक रूप से वे अपने आपदा राहत कोष में उपलब्ध धन का इस्तेमाल पहले कर लें और स्थिति की समीक्षा बाद में की जाएगी। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों को उचित रूप से सूचित कर दिया गया।

बिहार और महाराष्ट्र का दौरा करने वाले केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है वर्षा में आरम्भिक कमी के कारण मजदूरी रूपी रोजगार में आई कमी को पूरा करने के लिए इन राज्यों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार सुलभ कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उन्हें नि:शुल्क अनाज आवंटित किया गया जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

राज्य	आवंटित खाद्यान्न (लाख मीटरी टन में)	आपदा
आंध्र प्रदेश	6.00	सूखा
बिहार	1.00	बाढ़
कर्नाटक	1.00	सूखा
महाराष्ट्र	1.00	सूखा (संस्तुत)

इसके अलावा, कर्नाटक को 2 लाख मीटरी टन गौपशु ग्रेड का आहार भी आबंटित किया गया है।

वर्ष 2001-02 के लिए इन राज्यों को आपदा राहत कोष का केंद्रीय अंश इस प्रकार जारी किया गया:

राज्य	राशि (करोड़ रुपये में)	टिप्पणी
आंध्र प्रदेश	155.97	पूरा
कर्नाटक	58.72	पूरा
महाराष्ट्र	123.80	पूरा
बिहार	26.36	केंद्रीय अंश का आधा

बिहार के लिए, निर्धारित मानदण्डों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आपदा राहत कोष लेखा स्थापित होने तक केन्द्रीय अंश का 50 प्रतिशत अंश 26.36 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए।

30 सितंबर, 2001 के पश्चात इन राज्यों में बहुत अच्छी वर्षा होने के कारण सूखे से प्रभावित जिलों की संख्या में भी भारी कमी आई है।

मध्य प्रदेश सरकार से भी 13 नवंबर, 2001 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ हैं जिसमें 15 जिलों में कम वर्षा होने की सूचना दी गई है और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता की मांग की गई है। इस ज्ञापन पर आगे कार्यवाई की जा रही है।

(च) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार देने के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं क्योंकि यथासंभव अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देना ही लक्ष्य होता है तथापि वर्ष 2000-2001 में जिन कुछेक राज्यों में सूखे का प्रभाव पड़ा उनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन द्वारा सृजित कुल कार्यदिवस इस प्रकार हैं:

राज्य	सृजित कार्य दिवस (करोड़ों में)
गुजरात	15.98
मध्य प्रदेश	12.44
उड़ीसा	2.28
राजस्थान	11.59

कोयला खानों में सुरक्षा प्रबंध

*4. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
डा. एम. वेंकटस्वामी:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटी खुले मुहाने वाली कोयला खानों में सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी हेतु कोई तंत्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) इन कोयला खानों में सुरक्षा प्रबंधों हेतु वर्ष 2000-2001 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) प्रत्येक राज्य में कंपनी-वार अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) छोटी खानों सहित सभी ओपनकास्ट खानों में सुरक्षा प्रबंधनों को मॉनीटर करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड का तन्त्र है।

(ख) ऊपर भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) छोटी ओपनकास्ट खानों के लिए ब्यौरे पृथक तौर पर तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। कोल इंडिया लि. की सभी खानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) ओपनकास्ट खानों की सुरक्षा तथा बचाव कार्यों के प्रयोजन के लिए आवंटित धनराशि परिवहन व्यवस्था के सुरक्षा संघटकों, रोशनी, संचार, सर्वे उपकरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, आग नियंत्रण और अग्निशमन, धूल दमन उपायों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा के लिए सुरक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण, आंतरिक सुरक्षा संगठन, आपात स्थिति से निपटने के लिए उपकरण, जलाप्लावन के खतरे को रोकने के उपायों आदि पर खर्च की जाती है।

विवरण

कोल इंडिया लिमिटेड में 2000-01 में सुरक्षा तथा बचाव कार्य के लिए बजटीय आवंटन एवं व्यय

(लाख रुपयों में)

कंपनी	राज्य	सुरक्षा				बचाव			
		बजट		व्यय		बजट		व्यय	
		पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ईसीएल	पश्चिम बंगाल/ झारखंड	751.96	4316.00	567.21	4310.00	22.54	246.30	12.23	421.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बी.सी.सी.एल.	पश्चिम बंगाल/ झारखंड	943.00	12549.00	592.00	10700.00	1.36	264.55	1.12	268.50
सी.सी.एल.	झारखंड	141.00	793.00	141.00	684.00	4.70	181.31	5.30	185.50
एन.सी.एल.	मध्य प्रदेश/ उत्तर प्रदेश	131.00	332.00	31.00	327.54	0	0	0	0
डब्ल्यू.सी.एल.	महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश	400.00	4000.00	136.04	3879.00	300.00	400.00	3.76	261.79
एस.ई.सी.एल.	मध्य प्रदेश/ छत्तीसगढ़	1966.00	7171.00	1256.00	5435.00	160.00	48.00	73.00	50.0
एम.सी.एल.	उड़ीसा	300.00	1149.00	150.00	710.00	23.00	85.00	21.00	84.00
एन.ई.सी.	असम	149.00	250.50	81.40	220.00	10.00	10.00	0	0.76
सी.आई.एल.		4781.96	30560.50	2954.65	26265.54	521.60	1235.16	116.41	1272.25

पर्यटन उद्योग पर आतंकवाद का प्रभाव

***5. श्रीमती जयश्री बैनर्जी:**
श्री पदमसेन चौधरी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका में 11 सितम्बर, 2001 के आतंकवादी हमले के कारण भारतीय पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप विदेशी पर्यटकों की संख्या में कितनी कमी आई है और इससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में कितनी गिरावट आई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय पर्यटन नीति के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए हाल ही में दिल्ली में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का एक सम्मलेन आयोजित किया गया था।

(घ) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है, जिन पर चर्चा हुई और सम्मेलन में कौन-कौन से निर्णय लिए गए; और

(ङ) सरकार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। सितम्बर और अक्तूबर, 2001 के दो महीनों में वर्ष 2000 के इन्हीं दो महीनों की तुलना में विदेशी पर्यटक आगमन में 20% की कमी तथा विदेशी मुद्रा आय में 16% की कमी आयी है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय पर्यटन नीति के प्रारूप केन्द्रीय वित्तीय सहायता संबंधी दिशानिर्देशों को नया रूप देने, पर्यटन ईकाइयों पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों में एकरूपता लाने और उन्हें तर्कसंगत बनाने, पर्यटन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने और उत्पाद विकास तथा विपणन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए मुख्यमंत्रियों तथा पर्यटन मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ङ) सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने तथा भारत के लिए विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, वे इस प्रकार हैं: पर्यटक सुविधाओं का विकास और सुधार, विदेश स्थिति पर्यटन कार्यालयों के मध्य से विदेशों में प्रचार-प्रसार तथा पर्यटन-विपणन, मानव संसाधन विकास संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए निजी क्षेत्र तथा होटलों को प्रोत्साहित किया जाना।

विश्व भर के देशों को यह संकेत देने के भी प्रयास किया जा रहे हैं कि भारत एक सुरक्षित पर्यटक गंतव्य स्थल है। दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र से पर्यटकों को आकृष्ट करने के प्रयास के साथ-साथ घरेलू पर्यटन के महत्व पर भी बल देते हुए विपणन प्रयासों का नवीनीकरण भी किया जा रहा है।

गेहूं की खरीद

*6. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू मौसम के दौरान गेहूं की खरीद हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है और लक्ष्य प्राप्त करने हेतु विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितना वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) सरकार द्वारा पूरा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) गेहूं का लाभकारी मूल्य निर्धारित करने के संबंध में राज्य सरकारों और किसान संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अब तक उन पर क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) खरीद संबंधी कार्य स्वैच्छिक किस्म के होते हैं और किसानों को अपने उत्पाद राज्य सरकार, भारतीय खाद्य निगम अथवा खुले बाजार में, जहां कहीं भी उन्हें अधिक लाभ मिलता हो, बेचने की छूट है, इसलिए गेहूं की खरीद के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। तथापि, गेंहूं के अनुमानित उत्पादन और उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक विपणन मौसम के आरम्भ होने से पूर्व राज्य सरकारों द्वारा खरीद संबंधी अनुमान दिए जाते हैं। वर्तमान रबी विपणन मौसम 2001-02 के दौरान गेहूं की अनुमानित खरीद 192 लाख मीटरी टन थी। दिनांक 12-11-2001 की स्थिति के अनुसार, गेहूं की 206.30 लाख मीट्रिक टन मात्रा की खरीद पहले ही कर ली गई है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न राज्यों को कोई वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) कृषि लागत तथा मूल्य आयोग ने राज्य सरकारों और विभिन्न अन्य लोक संस्थाओं तथा इसमें हित रखने वाले अन्य संबंधित लोगों से परामर्श करने की पद्धति विकसित की है। कृषि लागत तथा मूल्य आयोग, राज्य सरकारों और किसानों, व्यापार तथा उद्योग सहित इसमें हित रखने वाले अन्य सभी संबंधितों के विचार जानने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा करता है और नई दिल्ली में आयोग के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न संगठनों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करने संबंधी निर्णय लेते समय सरकार राज्य सरकारों के विचार प्राप्त करती है और न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करते समय अन्य सम्बद्ध घटकों के साथ उन पर भी विचार करती है। सामान्यतया, राज्य सरकारें विभिन्न कृषि जिन्सों के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्यों का सुझाव देती हैं और वर्ष 2001-02 में विपणित की जाने वाली 2000-01 की गेहूं की फसल के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य 610 से 1244 रुपये प्रति क्विंटल के बीच थे। सभी राज्य सरकारों के साथ हमेशा सहमत होना संभव नहीं होता। क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करते समय कई अन्य महत्वपूर्ण घटकों को भी ध्यान में रखते हुए एक समग्र दृष्टिकोण बनाना पड़ता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान

*7. **डा. संजय पासवान:** क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (सी.एम.आर.आई.) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई नई प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (सी.एम.आर.आई.) द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय खान अनुसंधान संस्थान (सी.एम.आर.आई.) द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विकसित की गई नई प्रौद्योगिकियों और उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	प्रौद्योगिकियां	उपलब्धि
1	2	3
1.	केबल बोल्टों वाले मोटी कोयला सीम का मैकेनाइज्ड डिपिलरिंग	खनन कंपनियों द्वारा टैक्नोलाजी का प्रयोग किया जा रहा है।
2.	खान भरावक के रूप मे फ्लाई ऐश का प्रयोग	प्रौद्योगिकी का प्रयोगशाला में सफल प्रदर्शन किया जा चुका है।

1	2	3
3.	मोटी सतत सीमों की डिपिलरिंग हेतु अंडर-पिनिंग आधारित पद्धति	तकनीक को चिरीमिरी, नौरोजाबाद खानों में अपनाया जा रहा है।
4.	पिलर निष्कर्षण के लिए उच्च घनत्व वाले सीमेंट के भरावक सहित ओपन स्टाप्स का विलंबित बल्क भराव	तकनीक का प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक परीक्षण
5.	धंसाव अनुसंधान	सी.एम.आर.आई. को बाह्य वित्तपोषित परियोजनाएं प्राप्त हो रही हैं।
6.	भारतीय बहु-सीम खनन परिस्थिति हेतु धंसाव पूर्वानुमान मॉडल	तकनीक का कोयला कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।
7.	आंशिक निष्कर्षण हेतु रेत भराई के बगैर वाईड स्टाल पद्धति	तकनीक का चिरीमिरी, उमरिया खानों में प्रयोग किया जा रहा है।
8.	एयर-डैक ब्लास्टिंग हेतु लकड़ी के स्पेसरों का विकास	खनन कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।
9.	नये स्पेसिंग तथा बर्डन सूत्र का विकास	-वही-
10.	दवाब तकनीक का डायनेमिक सन्तुलन तथा क्रायोजनिक तकनीक का अनुप्रयोग	कोयला कंपनियों को परामर्शी परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकें प्रदान की जा रही हैं।
11.	अनुमेय विस्फोटकों के उद्दहन विशेषताओं का आंकलन करने हेतु कार्यविधि	पद्धति को इन-हाउस गुणवत्ता जांच के लिए अपनाया गया है।
12.	कैप संवेदनात्मक व्यावसायिक विस्फोटकों द्वारा जनित विषैले धुएं के निर्धारण हेतु कार्यविधि	-वही-
13.	विस्फोटकों का विकास	''इन्डोबूस्ट'' तथा ''इन्डोजैल'' ब्रांड नाम से विनिर्मित किए जा रहे हैं।
14.	अग्नि रोधक लेप	विस्तृत रूप से प्रयोग किया जा रहा है।
15.	भूमिगत खानों के लिए ''आन-लाईन'' पर्यावरणीय प्रबोधन प्रणाली	व्यावसायीकरण हेतु एस.एस.आई. के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।
16.	जल से संखिया को हटाना	पेटैन्ट के लिए आवेदन कर दिया है। वाणिज्यिकीकरण हेतु विचार-विमर्श चल रहा है।
17.	अनुरूपक परित्यक्त खान परिस्थिति में मशरूम की खेती करना	विकसित

1	2	3
18.	स्टील आर्क सैटिंग यंत्र	विकसित
19.	उन्नत प्रकार का स्टील कौग	-वही-
20.	अग्निरोधक लेप के छिड़काव हेतु मशीनीकृत यंत्र	व्यवसायीकरण किया जा रहा है।
21.	परत गतिशीलता चेतावनी तंत्र	तंत्र को प्रयोगात्मक आधार पर एक भूमित खान में रखा गया है तथा यह अच्छी तरह कार्य कर रहा है।
22.	रूफ बौल्टिंग मशीन	पहले ही पेटैन्ट करवाया जा चुका है।
23.	कोयला स्लैशर	-वही-
24.	कोयला सैम्पलर	-वही-
25.	खतरनाक पर्यावरण में तापमान मापन हेतु उन्नत यंत्र	बनाया तथा कोयला खानों को आपूर्तित किया जा रहा है।
26.	उपकरण की स्थिति के प्रबोधन का कम्प्यूटरीकृत पैकेज	फील्ड परीक्षण के लिए प्रयोगशाला मॉडल/प्रोटो टाईप विकसित।
27.	सार्वभौमिक अवाधित शक्ति पैक	फील्ड परीक्षण के लिए प्रोटो टाईप विकसित।

[हिन्दी]

कपास की फसल

***8. श्री अजय सिंह चौटाला:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में इस बार की कपास की फसल नष्ट हो गई है और किसानों को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी हां। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में कापस में अमरीकी बालवार्म के हमले के कारण फसल को क्षति पहुंची है। मई और जून, 2001 के महीने में वर्षा के शीघ्र आ जाने के कारण इस कीट का शीघ्र बनना शुरू हुआ। बाद में बीच-बीच में हुई वर्षा और बादलों से घिरे मौसम के कारण इस कीट के बहुलीकरण में मदद मिली और इससे छिड़काव कार्यों में भी रुकावट हुई जिससे कपास की फसल को नुकसान हुआ।

इन राज्यों द्वारा अनुमानित कपास के फाहों की हानि निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	कपास फाहे की हानि (प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की लाख गांठें)
1.	पंजाब	4.33
2.	हरियाणा	7.78
3.	राजस्थान	3.39
	योग	15.50

(ग) और (घ) केन्द्र तथा राज्य सरकारों, दोनों ने कपास की फसल को हुई क्षति की मात्रा के सर्वेक्षण के लिए दल भेजे हैं।

पंजाब में 4.53 लाख हैक्टेयर क्षेत्र, राजस्थान में 2.85 लाख हैक्टेयर क्षेत्र और हरियाणा में 3.55 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को नुकसान हुआ है। कीटनाशकों के उचित उपयोग के बारे में किसानों के मार्गदर्शन कीटनाशकों की गुणवता की जांच करने, परचों के वितरण, किसान गोष्ठियों के आयोजन आदि द्वारा कीटों के नियंत्रण के लिए राज्यों ने उपयुक्त उपाय किए हैं।

(ङ) से (छ) किसानों को फसल हानि के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की जाती है। तथापि, केवल उन्हीं किसानों को नियमों/मानदण्डों के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाती है जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा किया है। तथापि, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य इस स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं हैं क्योंकि इन राज्यों ने बीमा स्कीम का विकल्प नहीं चुना है।

कृषि क्षेत्र में निवेश

*9. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले पूंजी निवेश में भारी कटौती की है; और

(ख) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र में वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान कितनी राशि का पूंजी निवेश किया गया और इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा दिए गए कुल पूंजी निवेश का यह कितने-कितने प्रतिशत है।

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के तीन वर्षों के दौरान पशुपालन, वानिकी और मात्स्यिकी सहित कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए पूंजी निवेश, सकल पूंजी सृजन के अनुसार आकलित, इस प्रकार है:

सारिणी

वर्ष	पशुपालन, वानिकी तथा मात्स्यिकी सहित कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र का सकल पूंजी सृजन (रुपये करोड़ में)
1997-98	6920
1998-99	7550
1999-2000	9485

जैसा कि उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है, उक्त तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा कृषि में पूंजी निवेश में कोई कमी नहीं आई है।

विदेश भेजे गए कृषि वैज्ञानिक

*10. **डा. बलिराम:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कई कृषि वैज्ञानिकों को मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के बहाने विदेश भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कुल कितना व्यय किया गया;

(ग) इस योजना के अंतर्गत शैक्षिक कार्यकलापों में लगे विद्यार्थियों को क्या लाभ प्राप्त हुए; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिकों के चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया/नियमों का ब्यौरा क्या है।

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिकों को अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार कार्य में नवीनतम् कौशलों को हासिल करने के लिए कृषि मानव संसाधन विकास के अधिदेश के तहत विदेश भेजा गया।

(ख) 1,230,041 अमेरिकी डालर।

(ग) जिन वैज्ञानिकों को विदेश भेजा गया, उन्होंने अपने अनुभवों को अन्य वैज्ञानिकों के साथ बांटकर उन्हें भी और ज्ञान सम्पन्न किया है। वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त नये कौशलों से छात्रों को भी लाभ पहुंचा है।

- कोर्स पाठ्यचर्या में संशोधन किया गया और सामयिक जरूरतों के अनुसार नये पाठ्यक्रम तैयार किए गए।
- प्रयोगात्मक अध्यापन पर अधिक बल दिया गया।
- छात्रों द्वारा अध्यापन और शिक्षकों के मूल्यांकन पर अधिक जोर दिया गया।
- अन्त:विषयी पाठ्यक्रमों का पता लगाया गया तथा उनका कार्यान्वयन किया गया।
- व्याख्यान देने वाले संकाय के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।

– वैज्ञानिक साहित्य खोज के लिए इन्टरनेट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इससे कृषि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही नई प्रगतियों की जानकारी मिलती है। छात्र भी अपनी अनुसंधान परियोजनाओं के नियोजन के लिए साहित्य की खोजने हेतु इन्टरनेट का प्रयोग करने की ओर प्रेरित होते हैं।

– मूल्यांकन प्रणाली में कक्षा में परिचर्चा, वस्तु-स्थिति अध्ययन आदि को शामिल करने से छात्रों की कार्यक्षमता में सुधार हुआ है।

– प्रयोगशाला मैनुअलों और व्याख्यान के नोट्स अधिक संख्या में तैयार किए जा रहे हैं।

(घ) विदेशी दौरों हेतु वैज्ञानिकों के चयन की प्रक्रिया/नियमों को भली-भांति परिभाषित किया गया है। दौरे के लिए देश और प्रयोगशाला का अन्तिम चयन खाद्य एवं कृषि संगठन की सहायता से किया जाता है। वैज्ञानिकों के चयन में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है:

– देश की जरूरतों तथा सक्षमता में अन्तर के आकार पर कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना की विदेश नामांकन जांच समिति द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। नामांकन समिति के गठन को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

– संभाग/विभाग स्तर पर वैज्ञानिकों का चयन अध्ययन बोर्डों को शामिल करके किया जाता है।

– संस्थान स्तर पर डीन/निदेशक द्वारा नामांकन की सिफारिश की जाती है।

– नामांकन की स्वीकृति कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना की विदेशी नामांकन जांच समिति द्वारा की जाती है।

– केन्द्रीय कृषि मंत्री की स्वीकृति के लिए डेयर द्वारा नामांकनों की जांच करके अगली कार्रवाई की जाती है।

विवरण

कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना के अंतर्गत विदेशों में नामांकनों को अंतिम रूप देने हेतु जांच समिति के सदस्य

उपमहानिदेशक (शिक्षा)	–	अध्यक्ष
संबंधित उप-महानिदेश	–	सदस्य
सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	–	सदस्य
वित्तीय सलाहकार, डेयर	–	सदस्य
अवर सचिव, डेयर	–	सदस्य
सहायक महानिदेशक (शिक्षा)	–	सदस्य सचिव

[अनुवाद]

भुखमरी से मौतें

***11. श्री के.पी. सिंह देव:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों, विशेषकर उड़ीसा में भुखमरी से हुई मौतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या भुखमरी और करीब-करीब भुखमरी से संबंधित मौतें केवल उड़ीसा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी किसानों, नकदी फसल उगाने वालों और बुनकरों द्वारा आत्महत्या और कुपोषण से हुई मौतों जैसे विभिन्न रूपों में भी देखने में आई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे किसी राज्य में कोई अध्ययन दल भेजा है या इस मामले में कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(च) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निदेशों का कार्यान्वयन करने में असफल रही है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) 31 अक्टूबर, 2001 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न सरकारी भण्डागारों और भंडारों में कुल कितना खाद्यान्न सड़ रहा है; और

(झ) समुचित रूप से खाद्यान्न भंडार का उपयोग करने, काम के बदले अनाज और स्वरोजगार कार्यक्रम जैसी सभी रोजगार सृजन योजनाओं के विलय और समेकन एवं भविष्य में भूख से होने वाली ऐसी मौतों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क), (ख), (च) और (छ) उड़ीसा सरकार ने "भूखा से मौत" के आरोप को जोरदार तरीके से अस्वीकार किया है। यह मामला वर्तमान में जनहित

याचिका, नागरिक स्वायत्तता हेतु लोक संघ बनाम भारतीय संघ एवं अन्य, 2001 के रिट पेटीशन (सिविल) सं. 196 के तहत न्यायाधीन है, जहां इस तरह के आरोप राज्यों द्वारा अस्वीकृत किए गए हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग जो इस मामले में भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करता है, माननीय न्यायालय के अंतरिम निर्देशों के अनुपालनार्थ एक विवरण पहले ही प्रस्तुत कर चुका है।

(ग) से (ङ) भूख के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या आदि का कोई मामला अन्य राज्यों द्वारा भी सूचित नहीं किया गया है।

(ज) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 1.10.2001 को भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य अभिकरणों के पास खाद्यान्नों का 582.80 लाख मी. टन का भंडार था। विभिन्न सूखा/बाढ़ प्रभावित राज्यों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम हेतु 27.65 लाख मी. टन खाद्यान्न नि:शुल्क आबंटित किए गए हैं।

(झ) हाल ही में अनुमोदित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में भी मजदूरी रोजगार सुलभ (नगद एवं खाद्यान्न घटकों के साथ) करने का प्रस्ताव है और इस उद्देश्य हेतु राज्यों को 50 लाख मी. टन खाद्यान्न की मात्रा नि:शुल्क प्रदान किए जाने हेतु नियत हैं। इस स्कीम में रोजगार सृजन की संभावना वाली विभिन्न स्कीमों को मिलाने की परिकल्पना है।

एलायंस एयरलाइन्स विमान के अपहरण का नाटक

*12. **श्री सी. श्रीनिवासन:**
श्री शिवाजी माने:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 3 अक्टूबर, 2001 को मुंबई-दिल्ली वायुमार्ग पर एलायंस एयर के बोईंग-737 विमान के कथित अपहरण की सूचना बाद में गलत पायी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपहरण की घोषणा की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है;

(घ) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा क्या सिफारिशें/टिप्पणियां की गई है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा यात्री विमान के अपहरण के खतरे से निपटने के लिए तैयार किए गए विभिन्न उपायों और तरीकों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (च) दिनांक 3.10.2001 को 23.22 बजे एलायंस एयर की सीडी-7444 उड़ान जो कि मुम्बई-दिल्ली सेक्टर पर प्रचालित होती है, के अपहरण के बारे में एक अज्ञात टेलीफोन आया। यह संदेश उस वक्त प्राप्त हुआ जब हवाई जहाज उड़ान भर रहा था। उस संदेश को हवाई जहाज में भेज दिया गया और उन्हें अनिवार्य बचाव के उपाय करने के निर्देश दिए गए। तथापि, किसी गलतफहमी के कारण पायलट-इन-कमांड ने यह निष्कर्ष निकाला कि हवाई जहाज का अपहरण हो चुका है और लगभग 12 बजे अपहरण का सिगनल एक्टीवेट कर दिया। हवाई जहाज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 00.50 बजे उतरा।

हवाई जहाज में प्राप्त संदेश के आधार पर सभी संबंधितों को सचेत कर दिया गया। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भूमि पर विमान सुरक्षा में अवैध हस्तक्षेप को हैंडल करने के लिए अनिवार्य उपाय किए गए। अपहरण की वास्तविकता का केवल तभी पता लग सका जब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो कॉकपिट में घुसे और बाद में केबिन में घुसे तब यह स्पष्ट हुआ कि विमान में हथियार लिए कोई अपहरणकर्ता नहीं था और अपहरण की यह खबर झूठी थी।

विशेष सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया जो मुम्बई-दिल्ली सेक्टर पर प्रचालित उड़ान संख्या सीडी-7444 के अपहरण के संबंध में अज्ञात टेलीफोन से उत्पन्न घटनाओं के क्रम से उत्पन्न स्थितियों की कुल मिला कर जांच करेगी। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की सिफारिश की है:

(1) कंटीजेन्सी प्लान में संशोधन, संबंधित मैनुअल और मार्गदर्शी सिद्धांत जो कि उड़ान क्रू और भूमि कार्मिकों के बीच मिसमैच को समाप्त करेगी।

(2) भ्रम को दूर करने के लिए मानक वाक्यों और शब्दों का विकास।

(3) उड़ान क्रू और केबिन क्रू की ब्रीफिंग के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था का समुचित विकास।

(4) कॉकपिट/यात्री केबिन में समुचित स्थलों में क्लोज सर्किट टीवी कैमरों को फिट करना।

(5) महत्वपूर्ण टेलीफोनों पर कॉलर-आइडेंटिफिकेशन के साथ-साथ रिकार्डिंग सिस्टम प्रदान करना।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और महानिदेशक नागर विमान नए सुरक्षा उपायों को प्रारंभ करेंगे जो कि आइसीएओ और हवाई जहाज विनिर्माताओं द्वारा विचार किए गए हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसे सरकार ने स्वीकर कर लिया है।

अपहरण के खतरों से बचने के लिए बहुत से बचाव उपाय किए गए हैं जिसमें सीआईएसएफ, स्काई मार्शलों की तैनाती, लैंडर प्वाईंट चैकिंग, सख्त पहुंच नियंत्रण, इत्यादि शामिल है।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति

*13. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या पर्यटन को समवर्ती सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इससे क्या लाभ मिलने की सम्भावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) राष्ट्रीय पर्यटन नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

(ख) पर्यटन नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) पर्यटन विकास तथा पर्यटन से होने वाले लाभ में जनता की भागीदारी,

(2) पर्यटन उद्योग में निजी क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाना,

(3) भारत को एक पर्यटन मैत्रेयी देश बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों तथा अभिकरणों के प्रयासों के मध्य समन्वय स्थापित करना तथा आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराना,

(4) मितव्ययी पर्यटकों के लिए सुवधाओं के संवर्धन द्वारा घरेलू पर्यटन को सुगम बनाना,

(5) निजी क्षेत्र तथा सभी अवसंरचनात्मक विभाग/राज्य सरकारों को शामिल कर विनिर्दिष्ट पर्यटक गंतव्य स्थलों का समेकित विकास,

(6) आर्थिक विकास की समग्र रणनीति के एक भाग के रूप में पूर्वोत्तर, हिमालयी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह क्षेत्र में पर्यटन का विकास,

(7) अवसंरचना तथा छवि निर्माण के लिए परिव्यय में वृद्धि,

(8) पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए यात्रा व्यवसाय/पर्यटक पुलिस संबंधी उपयुक्त विधान अधिनियमित करना,

(9) वीजा-प्रणाली को उदार बनाना,

(10) कर-प्रणाली/ढांचा में एकरूपता तथा तर्कसंगतता लाना,

(11) सशक्त एवं लागत प्रभावी विपणन रणनीति,

(ग) जी, हां।

(घ) संविधान की समवर्ती सूची में पर्यटन को शामिल करने पर पर्यटन क्षेत्र को संवैधानिक पहचान प्राप्त हो सकेगी तथा पर्यटन के क्रमबद्ध विकास को सही दिशा देने में भी सहायता मिल सकेगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि नीति

*14. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि नीति कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नई नीति में लघु और सीमान्त किसानों की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पुरानी परिभाषा की तुलना में किसानों की इन श्रेणियों को नई परिभाषा से लाभ होने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) कृषि संगणना संबंधी अखिल भारत रिपोर्ट के अनुसार छोटे तथा मार्जिनल किसानों और अन्य श्रेणियों की परिभाषा इस प्रकार है:

मार्जिनल	1.0 हैक्टेयर और उससे कम
छोटे	1.0 हैक्टेयर से 2.0 हैक्टेयर
अर्ध-मध्यम	2.0 हैक्टेयर से 4.0 हैक्टेयर
मध्यम	4.0 हैक्टेयर से 10.0 हैक्टेयर
बड़े	10.0 हैक्टेयर और इससे अधिक।

यह परिभाषा 1971 से चल रही है और तबसे इस परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सुरक्षा

***15. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री विजय हान्दिक:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका में 11 सितम्बर, 2001 को हुए आतंकवादी हमलों के बाद सरकार ने सुरक्षित विमान यात्रा के लिए विमानपत्तनों पर तथा उनके पास-पास और विमानों में सतर्कता और सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमानपत्तनों पर किए जा रहे विभिन्न सुरक्षा उपायों के बावजूद सुरक्षा में चूक संबंधी मामले बढ़ रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं घटी हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.ए.एस.) को सुरक्षामानकों के बारे में फैसला लेने के लिए शक्ति संपन्न नियामक के रूप में काम करने के लिए कहा गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विमानपत्तनों पर त्रुटि रहित सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) चालू प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, नागर विमान सुरक्षा प्रबंध-व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जाती है और उनको उचित रूप से अपग्रेड किया जाता है। अमेरिका में दिनांक 11 सितम्बर, 2001 को हुए आतंकवादी हमले से विमानन सुरक्षा के प्रति एक नया आयाम जुड़ गया है। इस हमले को देखते हुए मौजूदा सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई है और अन्य बातों के साथ-साथ, विमानन सुरक्षा प्रबंध-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के वास्ते निम्नलिखित कार्रवाई की गई है/निर्णय लिए गए:

(1) इंडियन एयरलाइंस के साथ-साथ सभी अनुसूचित प्राइवेट एयरलाइनों की सुरक्षा कवरेज के लिए सभी मार्गों पर विमानों में स्काई मार्शलों की तैनाती कर दी गई है।

(2) एकरूप हवाई अड्डा सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सभी आपरेशनल हवाई अड्डों पर सी आई एस एफ जवानों के इंडक्शन और तैनाती संबंधी समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है।

(3) प्रमुख हवाई अड्डों पर क्विक रिएक्शन टीमें तैनात की गई हैं।

(4) पहुंच नियंत्रण को तथा यात्रियों और उनके हैंड बैगेज की लैडर प्वाइंट पर सुरक्षा जांच को कड़ा किया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) यद्यपि किसी बड़ी घटना संबंधी कोई चूक नहीं घटी है, तो भी जब कभी कोई चूक देखी जाती है, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तत्काल उपचारी उपाय किए जाते हैं।

(छ) और (ज) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) को नागर विमानन सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए उपयुक्त अथोरिटी तथा रेगुलेटर नामित किया गया है और इसे इकाओ द्वारा निर्धारित मानकों और सिफारिशशुदा प्रेक्टिसों के संदर्भ में सुरक्षा मानकों के बारे में निर्णय लेने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन मानकों को लागू करके हवाई अड्डों की पक्की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं और संभावित खतरे से निपटारा के लिए सुरक्षा उपायों को और सुदृढ़ कर दिया गया है।

कोयले पर दी जाने वाली रायल्टी में संशोधन

*16. **श्री सनत कुमार मंडल:**
श्रीमती कुमुदिनी पटनायक:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोयले पर दी जाने वाली रायल्टी में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) कोयले की रायल्टी दरों में संशोधन करने पर विचार करने के लिए अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है। समिति द्वारा शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधान

*17. **श्री रामदास आठवले:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बीड़ी उद्योग, भवन निर्माण, ईंट भट्टा और ऐसे अन्य असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिकों के लिए कोई विधान अधिनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) सरकार ने बीड़ी तथा निर्माण कर्मकारों के लिए अलग-अलग विधान अधिनियमित किए हैं। ईंट-भट्ठों और असंगठित कर्मकारों की इसी प्रकार की अन्य श्रेणियों में लगे कर्मकारों के लिए अलग-अलग विधान अधिनियमित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचारार्थ विषयों में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संरक्षण का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ''व्यापक'' विधान तैयार किये जाने का सुझाव भी शामिल है।

राष्ट्रीय पर्यटन परामर्शदात्री परिषद

*18. **डा. जसवंत सिंह यादव:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन परामर्शदात्री परिषद गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परिषद को कब तक गठित किये जाने की संम्भावना है; और

(घ) इस परिषद द्वारा देश में किस सीमा तक पर्यटन का संवर्धन किए जाने की सम्भावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) राष्ट्रीय स्तर की एक पर्यटन परामर्शदात्री परिषद् गठित किए जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, संसद सदस्य, पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधि तथा विशिष्ट जन शामिल होंगे। यह परिषद् पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न हस्तियों के मध्य विचारों के आदान-प्रदान को सुगम बनाएगी। इस अवस्था में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

जोखिम वाले उद्योगों में बाल श्रमिक

*19. **श्री सुरेश चन्देल:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कालीन उद्योग और कांच उद्योग में अब भी बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं जो इस संबंध में बनाए गए अनेक नियमों और कानूनों का उल्लंघन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश से बाल श्रम प्रथा का कब तक उन्मूलन किये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) देश में बाल श्रमिकों के बारे में तथ्यात्मक आंकड़े दस-वर्षीय जनगणना के आधार पर तैयार किए जाते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में कामकाजी बच्चों की संख्या 11.28 मिलियन है। 2001 की जनगणना के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं। कामकाजी बच्चों के उद्योग-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) बाल श्रम एक जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्या है। इसके उन्मूलन के लिए लम्बे समय तक निरन्तर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। समस्या की प्रकृति और व्यापकता को देखते हुए बच्चों को काम से निकाले जाने और उनके पुनर्वास का एक क्रमिक तथा उत्तरोत्तर मार्ग अपनाया गया है। जनवरी, 2001 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बाल श्रम सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया था कि बाल श्रम के समूल उन्मूलन के लिए समस्त प्रयास किए जाएंगे।

[अनुवाद]

गांवों में खाद्यान्न बैंकों की स्थापना

***20. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री सहिब सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी आदिवासी गांवों में 1100 करोड़ रुपये की लागत से अनाज बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कुल कितने गांवों को शामिल किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने फसलों का विविधीकरण करने और खाद्यान्न निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ठोस उपाय किये है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौता तथा खाद्य प्रबंधन से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 21 मई, 2001 को मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन की कार्यवाही का समापन करते हुए प्रधामंत्री ने कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौता के आलोक में कृषि कार्यनीतियों, खाद्य प्रबंधन तथा कृषि निर्यातों के सवंर्धन से संबंधित मामलों पर विचार करने हेतु खाद्य प्रबंधन तथा कृषि निर्यात पर केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की एक स्थाई समिति के गठन की घोषणा की। नई दिल्ली में 31 अक्टूबर, 2001 को आयोजित तीसरी बैठक के दौरान, स्थाई समिति ने विस्तारित अन्न बैंक स्कीम के कार्यान्वयन की सिफारिश की। यह महसूस किया गया कि स्कीम का विस्तार सभी प्रकार की आपदाओं के लिए होना चाहिए और पहचान किए गए क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को कवर किया जाना चाहिए। प्रथम चरण के दौरान, स्कीम को सभी जनजातीय गांवों में विस्तारित करने का प्रस्ताव है और इसमें करीब 1100 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। लाभार्थियों से अन्न ऋण की वापसी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्कीम को मजदूरी रोजगार प्रदान करने हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना द्वारा अनुपूरित किया जायेगा।

स्थायी समिति ने फसल विविधीकरण तथा कृषि निर्यात में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। समिति ने इस बात पर सहमति दी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है तथा विशेषकर तिलहन एवं दलहन में, विविधीकरण को सुकर बनाने के लिए इसे युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। समिति ने फार्म संसाधन के कुशल उपयोग तथा किसानों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने हेतु पशुधन, मात्स्यिकी तथा फसलों के एकीकरण पर जोर दिया। समिति ने कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एवं मूल्य में वृद्धि के द्वारा उनके निर्यात को बढावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि उनमें प्रतिस्पर्द्धा बढ़े। कृषि उत्पादों के निर्यात पर मात्रात्मक तथा अन्य प्रतिबंधों को क्रमिक रूप से हटाया जाना चाहिए। सरकार चावल, गेंहू और गेहूं उत्पादों, अन्न, मक्खन तथा दलहनों से पहले ही प्रतिबंध हटा रही है। स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु आगे की आवश्यक कार्रवाई संबंधित विभाग एवं मंत्रालय करेंगे।

खनन के लाइसेंस के लिए लंबित-आवेदन

1. श्री सुबोध मोहिते: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास खनन पट्टे और पूर्वेक्षण स्थल की लाइसेंस प्राप्ति के लिए राज्यवार कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कुल आवेदनों में से राज्यवार कितने आवेदनों का निपटारा किया गया; और

(ग) शेष आवेदनों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 10(3) के तहत संबंधित राज्य सरकार द्वारा टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे प्रदान किए जाते हैं। उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित खनिजों के लिए खनिज रियायतें देने हेतु केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन

के लिए प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारें भेजती हैं और केंन्द्र सरकार द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है और उनका निपटान किया जाता है। केंन्द्र सरकार का अनुमोदन, कम से कम समय में प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण मिलते हैं जिसके फलस्वरूप ऐसे मामलों में राज्य सरकारों से मामलों के शीघ्र निपटान हेतु पूर्ण सूचना/अतिरिक्त सूचना देने के लिए कहा जाता है।

दिनांक 15.11.2001 की स्थिति के अनुसार केंन्द्र सरकार के पास टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे की मंजूरी के लिए 130 आवेदन-पत्र लंबित पड़े हैं। वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान खनिज रियायतों के लिए 901 आवेदन-पत्रों का निपटान किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	1998-2001 के दौरान निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या	15.11.2001 तक लंबित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	164	7
2.	बिहार	30	-
3.	गोवा	05	04
4.	गुजरात	50	01
5.	हरियाणा	09	01
6.	हिमाचल प्रदेश	10	-
7.	जम्मू और कश्मीर	06	-
8.	कर्नाटक	51	40
9.	केरल	18	10
10.	मध्य प्रदेश	125	04
11.	महाराष्ट्र	49	05
12.	मेघालय	01	-
13.	उड़ीसा	95	32
14.	राजस्थान	124	09
15.	सिक्किम	01	-
16.	तमिलनाडु	149	04
17.	उत्तर प्रदेश	09	-
18.	झारखंड	05	08
19.	छत्तीसगढ़	-	-
	कुल	901	130

सहकारी ऋण ढांचा (को-ऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर)

2. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सहकारी ऋण ढांचा (को-आपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर) को पुनर्जीवित करने के लिए एक पुनर्वास पैकेज को अंतिम रूप दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कपूर समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है;

(ग) यदि हां, तों तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सहकारी ऋण ढांचा (कोआपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर) को मजबूती प्रदान करने और इसके पुनर्संरचना करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन डिप्टी गवर्नर श्री जगदीश कपूर की अध्यक्षता में एक कृतक बल गठित किया जिसमें सहकारी ऋण प्रणाली के कामकाज का अध्ययन करके उसे मजबूत बनाने/उसके पुनर्गठन के लिए सुझाव देने थे। उस कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है और वित्त राज्य मंत्री (व्यय, बैंकिंग और बीमा) की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति गठित की है जो इसके कार्यान्वयन की विधियां सुझाएगी।

कर्नाटक की सहकारी योजनाएं

3. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की सहकारी योजनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक के सहकारी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार देश में सहकारी स्कीमों को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य सरकारों को कोष प्रदान करती रही हैं। भारत सरकार देश में सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद को तथा सहकारी शिक्षा को गहन बनाने के लिए विशेष घटक के क्रियान्वयन के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ को 100 प्रतिशत वित्तीय अनुदान भी प्रदान कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ को सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अन्य अनुमोदित क्रियाकलापों के लिए 20% अनुदान भी दिया जाता है। सहायता राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान मुख्यत: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कर्नाटक को दी गई सहायता निम्नलिखित है:

(रु. लाख में)

1998-99	–	3254.25
1999-2000	–	4582.37
2000-2001	–	8762.10

[हिन्दी]

कृषि तकनीक सूचना केन्द्र

4. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के किन-किन क्षेत्रों में कृषि तकनीक सूचना केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने में उक्त केन्द्रों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों तथा अन्य उपभोक्ताओं को प्रौद्योगिकी उत्पादों, नैदानिक सेवाओं तथा प्रौद्योगिकी सूचना प्रदान करने के लिए एक ही स्थान पर जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवम्बर, 1999 में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र की स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी है।

(ख) परिषद ने राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के लिए 43.325 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है।

(ग) कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर द्वारा किये गये कार्य में गन्ना, आम, लीची, नीम्बू, अमरूद, सपोटा, अनार, कटहल तथा कठबेल (वुड एप्पल) के लिए रोपण सामग्रियां देने के अलावा 1490 मृदा नमूनों की जांच की है और 5710 किसानों को परामर्श सेवाएं उपलब्ध करायी हैं।

हंसदेव बांगो सिंचाई परियोजना से जल की आपूर्ति

5. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ के कोरबा में हंसदेव बांगो बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना में नहर के बाएं तटबंध के निर्माण के लिए कोई सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नहर के निर्माण पर कितनी लागत आने का अनुमान है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केन्द्र सरकार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत हंसदेव बांगों परियोजना के साथ-साथ आर.डी. 32 कि.मी. तक बायां तटबंध नहर को केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान कर रही है। अभी तक इस परियोजना को 34.78 करोड़ रुपया केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई है।

(ग) इस परियोजना की अद्यतन लागत 1020 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

चंदन की लकड़ी की आपूर्ति

6. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक वन विभाग से चंदन की लकड़ी की अपर्याप्त आपूर्ति के मद्देनजर राज्य हस्तशिल्प विकास निगम ने राज्य और केन्द्र सरकार से तमिलनाडु को पर्याप्त मात्रा में चंदन की आपूर्ति करने के लिए राजी करने का आग्रह किया है।

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले को तमिलनाडु सरकार के साथ उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कर्नाटक को चंदन की लकड़ी की आपूर्ति के लिए अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) केन्द्र सरकार को अब तक कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम से इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषक समुदाय

7. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषक समुदाय के फायदे के लिए पौधों में वायरस से होने वाले रोगों के निदान और गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कोई एजेंसी स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कृपि बागवानी, पुष्पोत्पादन के लिए प्रतिवर्ष संभवत: कितनी कृपि सामग्री की मांग है; और

(घ) प्लांट टिस्सु कल्चर कार्य विश्वस्तर पर व्यवसायीकरण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने खेतिहर समुदाय के लाभार्थ विषाणु-मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली जांच की गई ऊतक संवर्धन पादप सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बहु-संस्थागत नेटवर्क परियोजना के रूप में ऊतक संवर्धन की विधि से विकसित रोपण सामग्री के गुणवत्ता नियंत्रण और विषाणु निदान के लिए राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र की स्थापना की है। प्रमुख केन्द्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में स्थित हैं जिसके 5 उपग्रहीय केन्द्र हिमालयी जैव-संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, राष्ट्रीय केमिकल लेबोरेटरी पुणे, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और दक्षिणी पेट्रो व औद्योगिक रसायन विज्ञान संस्थान, चेन्नई में स्थित हैं।

(ग) कृषि, बागवानी और पुष्पकृषि के क्षेत्र में ऊतक संवर्धन एक विकासशील प्रौद्योगिकी है। इसकी सम्भावित मांग में वृद्धि होने की सम्भावना है।

(घ) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग पादप ऊतक संवर्धन के वाणिज्यिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए समेकित प्रयास कर रहा है। दो सूक्ष्म कायिक प्रवर्धन प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए गए हैं जो शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सम्पर्क कराने का काम करेंगे। सूक्ष्म-कायिक प्रवर्धन प्रौद्योगिकी पार्क सिद्ध प्रौद्योगिकियों को उद्योग को अन्तरित करने के लिए प्रभावी मंच के रूप में भी काम करते हैं और टर्न-की आधार पर यूनिटों की स्थापना के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण इस क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। विषाणु निदान और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र उत्पादित रोपण सामग्री के प्रमाणन के माध्यम से उद्योग को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से भी कार्य करता है।

केन्द्रीय भंडार में अनियमितताएं

8. श्री रामजी मांझी: क्या **कृषि मंत्री** 30 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5625 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच केन्द्रीय भंडार में जांच कराई गई है और जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम/ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) केन्द्रीय भंडार को चलाने में इसके अधिकारियों की जवाबदेही और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय गिए गए हैं/ उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) निरीक्षण अधिकारी ने निरीक्षण कार्य लगभग पूरा कर लिया है। निरीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भण्डार के कर्मचारियों की जवाबदेयता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने वाले उपायों का निर्णय निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही किया जा सकता है।

कृषि सेवा केन्द्र की स्थापना

9. **राजकुमारी रत्ना सिंह:**
श्री रामटहल चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में झारखंड और उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में किसानों के लिए कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं;

(ख) इन केन्द्रों के कार्य क्या हैं; और

(ग) उनके कार्य-निष्पादन के आंकलन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंगरेनी कोलफील्ड्स लिमिटेड

10. **श्री गुनीपाटी रामैया:** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से श्रमिकों की हड़ताल के कारण बंद पड़ी सिंगरेनी कोलफील्ड्स लिमिटेड को चालू करने के लिए 500 करोड़ रुपए की बकाया राशि को मंजूर करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

इस्को (आई.आई.एस.सी.ओ.) का आधुनिकीकरण

11. **श्री सुनील खां:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कम्पनी का आधुनिकीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों का पहले ही आधुनिकीकरण किया जा चुका है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ग) सेल/इस्को के लिए 1081 करोड़ रुपए का पुनरुद्धार प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है, जिसमें इसकी नगद हानि को पूरा करने के प्रावधानों के अलावा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) और बर्नपुर वर्क्स और इसकी खानों एवं कोयला खानों में निवेश हेतु धनराशि शामिल है। इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण इकाई

12. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में सार्वजनिक क्षेत्र और सरकार के संयुक्त उद्यम में कार्यरत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) फायदे में और घाटे में चल रही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ग) प्रसंस्कृत खाद्य के किन-किन आइटमों का निर्यात किया जा रहा है और इनके प्रमुख आयातकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में आयात का लक्ष्य रखा गया और कितना हासिल किया गया?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन लिमिटिड (नेरामक) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र उपक्रम है। नेरामक के पास अगरतला में एक काजू प्रसंस्करण यूनिट और नलकटा में एक फल रस सांद्रण संयंत्र है। नलकटा स्थिति फल रस सांद्रण संयंत्र फिलहाल काम नहीं कर रहा है। माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड इस समय हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के पास माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड की 74% इक्विटी शेयर पूंजी है। माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड डबलरोटी और पूरक पोषक आहार बनाने और बेचने का काम करता है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन लिमिटेड और माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड घाटे में चल रहे हैं।

(ग) शून्य

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न का उत्पादन

13. **श्री महबूब जहेदी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-01 के दौरान 212 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को हासिल कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सिंचाई के क्षेत्र में कम निवेश, राजसहायता को समाप्त करने और विद्युत के कम उपयोग से खाद्यान्नों का पैदावार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। वर्ष 2000-01 के लिए 212 मिलियन मी. टन खाद्यान्न के लक्ष्य की तुलना में, 29.6.2001 को जारी किए गए अग्रिम अनुमानों के अनुसार, उत्पादन 196.07 मिलियन मी. टन होने की संभावना है।

(ख) और (ग) लक्ष्यों की प्राप्ति वित्तीय संसाधनों के आबंटन, मानसून के निष्पादन, प्रौद्योगिकीय विकास, किसानों की प्रबंधकीय कुशलता, गुणवत्ता वाले आदानों के समय पर उपयोग, विभिन्न कृषि उत्पादों की मांग आदि जैसे बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। मानसून, 2000 के दौरान कुल वर्षा 8% कम थी। किन्तु, बाद के मौसमों में कमी की स्थिति और बिगड़ गई। भारत के पश्चिमी भागों, विशेषकर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में वर्षा की अत्यधिक कमी की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके परिणामस्वरूप व्यापक क्षेत्रों में नमी की दबाव की स्थिति बन गई। अपर्याप्त वर्षा से सिंचाई की क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। निवेश और राजसहायता की स्थिति की नियमित मानीटरिंग की जाती है और इस क्षेत्र की आवश्यकता, उपलब्ध संसाधनों तथा संबंधित पहलुओं पर उचित रूप से ध्यान देते हुए निर्णय लिया जाता है।

(घ) देश के विभिन्न भागों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने नवंबर, 2000 से राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए पारम्परिक स्कीम परक प्रणाली से हटकर बृहत प्रंबध प्रणाली को अपनाया। इस स्कीम में 27 स्कीमों को एक बृहत प्रबंध स्कीम में समेकित किया गया है ताकि उन कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों को पूरित/ अनुपूरित किया जा सके जो राज्यों को उनके समक्ष आने वाली विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने, विभिन्न स्कीमों के विषयवस्तु में दोहरापन से बचने और कृषि के समग्र विकास के उद्देश्य से काम करने के लिए शिथिलता प्रदान करती हैं।

इसके अलावा, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम, मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन, सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा अधिप्राप्ति और व्यापार के साधनों के उपयोग जैसे विभिन्न उपायों को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों को भी प्रोत्साहित करती है।

प्रदूषण नियंत्रण

14. **श्री मोइनुल हसन:**
श्री वसुदेव आचार्य:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ख) प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना के बाद वायु, जमीन और जल पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए अब तक किए गए सुधार का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए उपायों के पहले और इनके बाद प्रदूषण की विद्यमान के संदर्भ में राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) वायु प्रदूषक उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाकर, उत्सर्जन मानक निर्धारित करके तथा वायु प्रदूषक उद्योगों अर्थात् थर्मल पावर संयंत्रों आदि के प्रमुख क्षेत्रों में धुले हुए कोयले का प्रयोग करके प्रदूषण नियंत्रित किया गया है और पर्यावरण में सुधार किया गया है। परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ईंधन क्वालिटी विशिष्टियां निर्धारित की गई हैं और ईंधन की क्वालिटी के सुधार के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए जल प्रदूषक उद्योगों को इस बात के लिए राजी किया गया है कि वे अपने यहां बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करें। बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों ने ऐसे बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित किए हैं । राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजन के अन्तर्गत, नदी किनारों पर स्थित शहरों को मलजल शोधन संयंत्र स्थापित करने हेतु शामिल किया गया है। जल गुणवत्ता की बहाली के लिए प्रदूषित नदी क्षेत्रों का पता लगाया गया है। भूमि पर व्याप्त प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भूमि के अपशिष्ट जल के निपटान संबंधी मानक निर्धारित किए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- विभिन्न स्रोतों से बहिस्रावों, उत्सर्जनों व ठोस अपशिटों के डिस्चार्ज के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

- परिवेशी जल एवं वायु गुणवत्ता के मानक निर्धारित किए गए हैं।

- प्रदूषक उद्योगों की पहचान की गई हैं और उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे समयबद्ध ढंग से प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अपेक्षाओं का पालन करें।

- ईंधन गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं।

(ख) प्रदूषण नियंत्रक उपाय किए जाने के कारण विभिन्न राज्यों के औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से उत्पन्न बायो-केमीकल ऑक्सीजन डिमांड के सन्दर्भ में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। प्रदूषण का यह स्तर क्रमश: 9478 टन/प्रतिदिन से घटकर 1776 टन/प्रतिदिन और 4200 टन/प्रतिदिन से घटकर 3350 टन/प्रतिदिन हो गया है।

नारियल गिरी का एकत्रित किया जाना

15. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाजार से नारियल गिरी को एकत्रित किए जाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो बाजार से अब तक कुल कितनी मात्रा में नारियल गिरी एकत्रित किया गया है और इस काम को किन-किन एजेंसियों ने किया है; और

(ग) बाजार में इस समय कुल कितनी मात्रा में नारियल गिरी उपलब्ध है?

कृषि मंत्रालय में राज्य (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। भारत सरकार नारियल उगाने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किसानों से मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत खोपरे की खरीद कर रही है।

(ख) मौसम 2000 और 2001 में अब तक भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) ने एक केन्द्रीय नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकारी संघों के माध्यम से 2.39 लाख मीटरी टन खोपरे की खरीद की है।

(ग) खोपरा नारियल से मिलने वाला उत्पाद है, जो एक बारामासी फसल है। इसलिए, वर्तमान में मण्डी में उपलब्ध खोपरे की सही मात्रा बताना मुश्किल है।

सरदार सरोवर परियोजना

16. श्री मोहन रावले: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश और गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के कारण कितने परिवार प्रभावित हुए हैं;

(ख) उन राज्यों में अब तक कितने परिवारों को पुनर्वासित किया जा चुका है; और

(ग) शेष परिवारों को अब तक पुनर्वासित किए जाने की संभावना है;

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) मध्य प्रदेश और गुजरात में सरदार सरोवर बांध के 138.68 मी. के पूर्ण जलाशय स्तर पर जलमग्नता से प्रभावित होने वाले परिवारों की कुल अनुमानित संख्या क्रमश: 33014 और 4684 है। संबंधित राज्य सरकारों से 31.10.2001 को प्राप्त सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश में कुल 3490 परिवारों तथा गुजरात में 9568 परिवारों (महाराष्ट्र से 781 तथा मध्य प्रदेश से 4166 सहित) को पुन: बसा दिया गया है।

(ग) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने चार चरणों अर्थात् 100 मी. ई एल, 110 मी. ई एल, 121 मी. ई एल और 138.68 मि ई एल मे परियोजना प्रभावित परिवारों को पुन: बसाने के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना कार्य योजना अनुमोदित की है। इस योजना के अनुसार, इन परिवारों को चार चरणों में दिसंबर, 2004 तक अर्थात् क्रमश: 100 मी. की ऊंचाई में दिसबर, 2001 तक, 110 मी. ऊंचाई में दिसंबर, 2002 तक, 121 मी. ऊंचाई में दिसंबर, 2003 तक और 138.68 मी. की ऊंचाई में दिसंबर, 2004 तक पुन: बसा लिए जाने की संभावना है।

पवनहंस हेलीकॉप्टर कंपनी

17. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पवन हंस हेलीकॉप्टर कंपनी की सेवा किन-किन क्षेत्रों में है;

(ख) क्या पवन हंस कंपनी का विचार अन्य राज्यों के दुर्गम क्षेत्रों में,जहां वर्तमान में इसकी सेवाएं नहीं चल रही हैं, में सेवाएं चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. तेल सेक्टर में 11 हेलीकॉप्टर प्रचालित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, पंजाब, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, झारखंड राज्य सरकारों तथा लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा एक-एक हेलीकॉप्टर

की प्रचालन सेवा प्रदान की जा रही है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. माता वैष्णो देवी के दर्शनार्थ तीर्थ-यात्रियों को लाने-ले-जाने के लिए जम्मू-कटरा-सांझी छत सेक्टर पर भी हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया करा है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. के अन्य ग्राहकों में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. तथा गृह मंत्रालय शामिल है।

(ख) जी, हां।

(ग) पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ने त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम तथा उत्तरांचल राज्य सरकारों को तथा राज्य सरकार की एजेंसियों को दीर्घावधिक पट्टा आधार पर हेलीकॉप्टरों की तैनाती संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। केवल अरूणाचल प्रदेश सरकार ने ही सिद्धांत रूप से पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. के एक एमआई-172 हेलीकॉप्टर के प्रयोग के संबंध में अपनी स्वीकृति दी है।

कृषि उत्पादों का आयात

18. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिनकी देश में कमी है और जिनका देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात किया जा रहा है;

(ख) इन उत्पादों की देश में कब से कमी है;

(ग) इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार पाम आयल सीड की खेती को लाभकारी बनाने का है ताकि किसानों को इस नई फसल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार दलहनों की बार-बार आयात पर रोक लगाने हेतु दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना की समीक्षा करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) खाद्य तेलों और दालों के उत्पादन में मानसून की विषमता के कारण उतार-चढ़ाव आता रहा है। देश को 1998-99 में तिलहन उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। तथापि, वर्ष 1999-2000 और 2000-01 में प्रमुख तिहलन उत्पादक राज्यों में सूखे की स्थिति के कारण तिलहन के उत्पादन में गिरावट आई। जहां तक दालों का संबंध है, दीर्घावधि से मांग और घरेलू उत्पादन के बीच अंतर रहा है। उसका कारण यह तथ्य है कि दालों की खेती वर्षा सिंचित क्षेत्रों में और मार्जिनल और उप-मार्जिनल भूमि पर की जाती है।

(ग) से (ङ) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तिलहन व दलहन प्रौद्योगिकी मिशन, कृषि तथा सहकारिता विभाग के अधीन निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं:

(1) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

(2) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना

(3) आयल पाम विकास कार्यक्रम।

देश में तिलहन, आयल पाम और दालों की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करके उपर्युक्त केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत तिलहनों/खाद्य तेलों और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीजों के उत्पादन व वितरण, बीज मिनीकिटों, उन्नत पार्म उपकरणों, स्प्रिंकलर सेटों, जिप्सम/पाइराइट्स, सूक्ष्म-पोषक तत्वों, राइजोबियम कल्चर आदि के लिए सहायता दी जाती ही।

आयल पाम विकास कार्यक्रम स्कीम के तहत रोपण सामग्री, खेती के आदानों और ड्रिप सिंचाई प्रणाली की अधिष्ठापना पर किसानों को सहायता दी जाती है। आयल पाम विकास कार्यक्रम के तहत 8.2.2000 से डीजल पम्प की अधिष्ठापना के लिए आयल पाम के किसानों को सब्सिडी प्रदान करने संबंधी एक नया घटक भी शुरू किया गया है।

तिलहनों के मामले में क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हुई है। दालों के मामले में उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हुई है।

किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार आयल पाम को छोड़कर विभिन्न तिलहनों के मूल्य समर्थन प्रचालन के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी, नैफेड के माध्यम से मण्डी समर्थन स्कीम क्रियान्वित कर रही है। आयल पाम के ताजे फलों के गुच्छों की अधिप्राप्ति के लिए भारत सरकार आयल पाम उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए मण्डी हस्तक्षेप योजना क्रियान्वित कर रही है। इसके अलावा, खाद्य तेलों के घरेलू मूल्यों पर खाद्य तेल के आयात के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और तिलहन,

आयल पाम व नारियल उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 1.4.2001 से खाद्य तेलों के विभिन्न वर्गों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है।

(च) और (छ) दलहन संबंधी विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना स्कीम की पहले ही समीक्षा की है तथा दलहन संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को नौवीं योजना में 2000-01 से संशोधित स्कीम में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

गोलियों का पता लगाने में विमानपत्तन पुलिस की असफलता

19. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न विमानपत्तनों में विभिन्न सुरक्षोपाय किए जाने के बावजूद सुरक्षा में कमियां बढ़ी हैं जैसाकि दिनांक 19 सितम्बर, 2001 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन माह के दौरान ऐसे कितने मामले पाए गए हैं जिनमें पहली जांच में पुलिस कर्मी हथियारों का पता नहीं लगा पाए थे;

(ग) क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध ऐसी सुरक्षाकर्मियों के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विमानपत्तनों में त्रुटिरहित सुरक्षा उपायों के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, अथवा उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में समुद्री दीवार

20. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में "समुद्री दीवार" के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में समुद्री दीवार के निर्माण के लिए दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। महाराष्ट्र सरकार से केन्द्र प्रायोजित स्कीम अर्थात "तटीय तथा गंगा बेसिन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य" में शामिल किए जाने के लिए जुलाई, 2001 में 4.53 करोड़ रुपये की लागत से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसे अभी पूर्ण योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त होना है। इस प्रस्ताव की जांच केन्द्रीय जल आयोग में की गई थी और जुलाई, 2001 में राज्य सरकार को टिप्पणियां भेज दी गई जिसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

238.50 करोड़ रुपये की प्रस्ताविक अनुमानित लागत वाला दूसरा प्रस्ताव मार्च, 2001 में प्राप्त हुआ था। इसमें राष्ट्रीय तटवर्ती सुरक्षा परियोजना में शामिल किए जाने के लिए 72.36 कि.मी. के समुद्र कटावरोधी कार्य शामिल हैं। इस प्रस्ताव की जांच केन्द्रीय जल आयोग में की गई थी और इस प्रस्ताव में और संशोधन करने के लिए टिप्पणियां मई, 2001 में राज्य सरकार को भेज दी गई थीं। राज्य से इन टिप्पणियों का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

कृषि श्रमिकों का कल्याण

21. **श्री मानसिंह पटेल:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात और उड़ीसा में कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी है और संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या में से इनकी संख्या की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) केन्द्र और राज्य सरकार के स्तर पर उनके कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान क्या उपलब्धि रही?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुपि लाल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

यात्रियों पर बीमा अधिभार

22. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितम्बर, 2001 में आतंकवादी हमले के बाद बढ़ी हुई बीमा प्रीमियम लागत को पूरा करने हेतु प्रति यात्री अधिभार लगाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एअर इंडिया ने बकाया राशि के संबंध में तीसरी पार्टी को लाभ दिलाने के लिए सरकार से आग्रह किया है कि और उसने इस संबंध में वित्त मंत्रालय से भी संपर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने अपने घरेलू/अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों पर निम्नानुसार बीमा प्रभार लागू किया है:

घरेलू

पहली अक्तूबर, 2001 से प्रभावी रुपया किराए पर प्रति सेक्टर 100/- रु. से बढ़ाकर पहली नवम्बर, 2001 से प्रति सेक्टर 250/- रु. कर दिया है।

पहली अक्तूबर, 2001 से प्रभावी अमेरिकी डॉलर किराए पर प्रति सेक्टर 2 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर पहली नवम्बर, 2001 से प्रति सेक्टर 5 अमेरिकी डॉलर कर दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं

भारत से होकर यात्रा के लिए पहली अक्तूबर, 2001 से प्रभावी प्रति सेक्टर 2 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर पहली नवम्बर, 2001 से प्रति सेक्टर 5 अमेरिकी डॉलर कर दिया है।

अन्य देशों से भारत में यात्रा हेतु संबंधित देश की राष्ट्रीय विमान-कंपनियों की प्रेक्टिस का अनुसरण किया जा रहा है।

एयर इंडिया पहली नवम्बर, 2001 को अथवा उसके बाद से जारी सभी टिकटों पर प्रति सेक्टर प्रति यात्री 3.50 अमेरिकी डॉलर (अथवा स्थानीय मुद्रा में इसके समतुल्य) बीमा सरचार्ज के बतौर चार्ज कर रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार ने एयर इंडिया को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर इन्डेमनिटी मुहैया की है जो कि अपेक्षित तीसरी पार्टी को कवर करने में आई कमी के बराबर है। यह कवर केवल 30.11.2001 तक ही वैध है।

[हिन्दी]

किसानों की आर्थिक स्थिति

23. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नई कृषि नीति अपनाने के बाद किसानों की आर्थिक स्थिति बदतर हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) अब तक पहली राष्ट्रीय कृषि नीति जुलाई, 2000 में घोषित की गई। तब से अधिक समय नहीं बीता है कि किसानों की आर्थिक स्थिति के बदतर होने या अन्यथा के संबंध में आकलन किया जाये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) "भारतीय किसानों की अवस्था -एक शदी अध्ययन" नामक अध्ययन शीर्षक के भाग के रूप में किसानों के व्यावसायिक एवं आर्थिक वातावरण पर एक देशव्यापी परिस्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। सर्वेक्षण का समय अभी तक नियत नहीं किया गया है।

बिहार में चावल उत्पादन

24. श्री राजो सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार विशेषकर बिहार में चावल के उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया और उपलब्धि कितनी रही;

(ख) उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्यवार चावल का उत्पादन बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों विशेषकर बिहार राज्य को कितनी राशि की विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर चावल के लिए लक्ष्य और उत्पादन इस प्रकार है:

(लाख मी. टन)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1997-98	830.00	825.34
1998-99	860.00	860.77
1999-2000	860.00	894.75

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि चावल का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक है, 1997-98 को छोड़कर, जब कुछ राज्यों में प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण इसमें मामूली गिरावट आई थी।

चावल उत्पादन के वर्षवार और राज्यवार लक्ष्य और अनुमान विवरण-I में दिये गये हैं।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम—चावल तथा केन्द्रीय क्षेत्रीय चावल मिनिकिट कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार सहित राज्यों को दी गयी केन्द्रीय वित्तीय सहायता दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं।

विवरण-I

1997-98 से 1999-2000 के दौरान चावल उत्पादन के लक्ष्यों और उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख मीटरी टन)

क्र.सं.	राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	110.00	85.10	110.00	118.78	110.00	104.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.50	1.30	1.50	1.14	1.50	1.35
3.	असम	33.00	33.83	34.00	32.55	34.00	38.61
4.	बिहार	68.00	71.33	71.00	67.69	68.50	77.42
5.	गोवा	1.40	1.48	1.50	1.51	1.50	1.40
6.	गुजरात	9.00	10.42	9.50	10.16	9.50	9.85
7.	हरियाणा	20.00	25.56	24.50	24.25	24.50	25.94
8.	हिमाचल प्रदेश	1.30	1.20	1.30	1.18	1.30	1.20
9.	जम्मू और कश्मीर	6.50	5.49	6.50	5.89	5.50	3.91
10.	कर्नाटक	30.00	32.13	31.50	36.57	32.00	36.35
11.	केरल	11.30	7.65	11.00	7.27	8.50	7.71
12.	मध्य प्रदेश	60.00	45.28	64.00	50.61	64.00	63.77
13.	महाराष्ट्र	28.00	23.95	26.00	24.68	25.00	25.36
14.	मणिपुर	3.40	3.52	3.50	3.82	3.50	3.65

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मेघालय	1.30	1.50	1.55	1.50	1.55	1.57
16.	मिजोरम	0.70	1.10	1.00	1.09	1.00	0.88
17.	नागालैण्ड	1.75	1.87	1.80	2.10	1.80	2.20
18.	उड़ीसा	66.50	62.05	66.50	53.91	66.00	51.87
19.	पंजाब	74.00	79.04	77.00	79.40	77.00	87.16
20.	राजस्थान	1.50	1.90	1.60	2.06	1.60	2.53
21.	सिक्किम	0.25	0.21	0.25	0.22	0.25	0.23
22.	तमिलनाडु	71.00	68.94	75.00	81.41	75.00	72.25
23.	त्रिपुरा	5.13	5.36	5.00	4.91	5.00	4.91
24.	उत्तर प्रदेश	101.00	121.65	108.00	113.87	115.00	129.12
25.	पश्चिम बंगाल	122.00	132.37	125.00	133.16	125.00	139.51
26.	अ. नि. द्वीप समूह	0.30	0.30	0.30	0.26	0.30	0.26
27.	दा. नगर हवेली	0.20	0.22	0.20	0.17	0.20	0.17
28.	दिल्ली	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
29.	दमण और दीव	0.05	0.03	0.05	0.03	0.05	0.03
30.	पाण्डिचेरी	0.87	0.52	0.90	0.52	0.90	0.58
	अखिल भारत	830.00	825.00	860.00	860.77	860.00	894.75

विवरण-II

1997-98 से 1999-2000 के दौरान समेकित अनाज विकास कार्यक्रम—चावल के अन्तर्गत जारी किए केन्द्रीय धन दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	719.00	749.74	614.60
2.	अरूणाचल प्रदेश	36.00	21.10	37.45
3.	असम	0.00	0.00	45.00
4.	बिहार	34.00	0.00*	0.00*

1	2	3	4	5
5.	गोवा	7.00	10.00	22.75
6.	केरल	134.00	131.00	111.64
7.	मध्य प्रदेश	29.00	203.00	170.00
8.	मणिपुर	46.00	42.86	63.00
9.	मेघालय	17.00	8.00	32.00
10.	मिजोरम	36.00	28.00	29.27
11.	नागालैण्ड	41.00	41.50	58.00
12.	उड़ीसा	998.00	740.00	750.00
13.	तमिलनाडु	628.00	651.44	469.69
14.	त्रिपुरा	30.00	22.00	65.05
15.	उत्तर प्रदेश	1195.00	821.66	698.70
16.	पश्चिम बंगाल	144.00	80.00	90.00
17.	पाण्डिचेरी	20.00	20.00	20.61
18.	आई.सी.ए.आर.	27.00	25.00	11.52
	कुल	4141.00	3595.30	3290.11

*इस वर्ष के दौरान बिहार राज्य सरकार ने इस स्कीम को लागू नहीं किया।

विवरण-III

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रीय चावल बीज मिनिकिट कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार वित्तीय आबंटन और वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000	
		आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.28	8.25	12.45	12.05	13.10	13.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.61	0.62	0.90	0.90	0.99	0.99
3.	असम	22.11	22.11	47.80	30.00	45.00	45.00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	6.21	एन.आई.	7.40	एन.आई.	6.00	एनआई
5.	गोवा	0.50	0.20	1.20	0.54	1.50	0.24
6.	गुजरात	3.00	1.20	178	1.25	2.00	1.79
7.	हरियाणा	2.26	-	22.50	26.06	30.00	30.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2.50	एन.आई.	6.00	4.25	5.10	4.05
9.	जम्मू और कश्मीर	0.50	0.08	0.03	0.13	0.03	0.75
10.	कर्नाटक	5.63	5.36	30.00	28.62	22.00	20.40
11.	केरल	5.75	5.75	6.82	एन.आई.	6.90	11.45
12.	मध्य प्रदेश	19.08	12.16	47.8	25.8	45.00	7.10
13.	महाराष्ट्र	0.55	0.03	15.00	0.15	21.00	1.55
14.	मणिपुर	0.38	0.75	0.60	0.20	0.60	0.12
15.	मेघालय	0.87	एन.आई.	0.60	0.87	0.60	1,20
16.	मिजोरम	0.25	-	0.30	0.30	0.30	-
17.	नागालैण्ड	0.62	0.77	0.68	0.56	0.69	0.60
18.	उड़ीसा	22.17	10.85	19.00	10.09	19.00	16.08
19.	पंजाब	12.50	एन.आई.	30.00	26.88	27.00	-
20.	राजस्थान	0.50	0.24	1.00	0.5	0.99	-
21.	सिक्किम	1.88	1.88	4.50	4.50	4.50	4.50
22.	तमिलनाडु	10.03	10.01	15.00	15.02	20.80	20.80
23.	त्रिपुरा	5.80	1.36	1.16	1.16	1.40	-
24.	उत्तर प्रदेश	6.42	4.55	10.91	5.35	8.90	6.75
25.	पश्चिम बंगाल	0.41	0.37	4.11	2.76	4.20	1.82
26.	अ. नि. द्वीपसमूह	0.25	0.02	0.30	0.08	0.30	-
27.	दा. नगर हवेली	0.25	एन.आई.	0.30	-	0.30	-
28.	दमन और दीव	0.25	-	2.30	0.25	0.30	-

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	पाण्चिेरी	0.63	0.57	1.50	एन.आई.	1.50	0.90
	कुल आर.एल.डी.एन.	140.19	87.16	289.94	198.27	290.00	189.34
	एस.एल.टी.पी.	7.00	4.30	7.00	3.09	7.00	6.50
	सकल योग	147.19	91.46*	296.94	201.36	297.00	196.84

*बकाया बिलों के निपटान के लिये 5.50 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की रकम सहित।
**बिलों के निपटान के लिए प्रतिपूर्ति दी गई।
एन.आई: कार्यान्वयन नहीं हुआ।
आर. एम. डी. पी. चावल मिनिकिट प्रदर्शन कार्यक्रम
एस.एल.टी.पी.: राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

पश्चिम बंगाल में जल स्तर बढ़ाना

25. **श्री बीर सिंह महतो:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से राज्य में भू-जल स्तर बढ़ाने के हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना को अन्य राज्यों में भी कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में भूजल स्तर के पुनर्भरण के लिए छः परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव राज्य के हुगली, 24 परगना, पुरूलिया, मिदनापुर/साल्ट लेक नगर तथा बोलपुर जिलों में विभिन्न पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण से संबंधित हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर अध्ययनों" सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र की एक प्रायोगिक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के लिए लगभग 25.00 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की है। यह स्कीम 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयनाधीन है और 136 क्षेत्रों में कार्य चल रहा है। अनुमोदित प्रस्तावों को एक से दो वर्षों के बीच कार्यान्वित कर लिए जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

झूम खेती के लिए प्रौद्योगिकी

26. **श्री. एम.के. सुब्बा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाफलांग मृदा संरक्षण डिविजन, असम ने झूम खेती पर रोक लगाने हेतु कोई प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है और विशेषकर वनों और मृदा के संरक्षण के संबंध में इससे क्या संक्षित लाभ होने की संभावना है; और

(ग) इस प्रौद्योगिकी को अधिक बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। झूम खेती पर काबू पाने के लिए हॉफलांग मृदा संरक्षण प्रभाग द्वारा "परिष्कृत वैज्ञानिक झूम खेती प्रौद्योगिकी (मासकल्ट)" का विकास किया गया है। यह निम्निकृत मृदा के पोषक तत्वों को फिर से स्थापित करने वाली प्रौद्योगिकी से सज्जित है। प्रथमतया यह कतारों में लगाए गए ऐसे फलीदार पौधों की मदद से वातावरणीय नाइट्रोजन स्थापित करके किया जाता है जिनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाला नोड्यूल बैक्टीरिया होता है। दूसरे, बांस के बने परंपरागत वाहकों द्वारा खेतों में चरने

वाले मवेशियों जनित जैविक खाद डाली जाती है। इस विधि से मृदा और जल का संरक्षण होता है और इससे प्राचीन रीति-रिवाजों को बनाए रखा जाता है अर्थात् इससे झूम जैसी खेती वैज्ञानिक रूप से हो पाती है क्योंकि फलीदार पौधों की कतारों के एक भाग को नियंत्रित विधि से जलाया जाता है।

पनधाराओं के रिज पर व्यवहारिक स्वदेशी प्रजातियों के पेड़-पौधे लगाकर उसे प्राकृतिक वन द्वारा आबंटित किया जाता है और उससे निचले क्षेत्र इधर-उधर चरने वाले मवेशियों के लिए हैं तथा उससे निचले क्षेत्र धान उगाने, नकदी फसलों बागवानी के लिए हैं। निम्नतम क्षेत्र में (घाटी की तलहटी में), मात्स्यिकी और बतख पालन के लिए तालाब खोदे जाते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में भी जिन स्थानों पर संभव हो इसी प्रकार के तालाब और छोटे-छोटे तालाब खोदे जाते हैं ताकि फसल रक्षक सिंचाई सुविधाजनक हो सके और पेयजल का प्रयोजन सिद्ध हो सके। संभावना है कि इस प्रौद्योगिकी से विशाल बंजर झूम क्षेत्र में एन.पी.के. और अन्य अनिवार्य पोषक तत्व स्थापित होंगे जिससे सतत आधार पर बेहतर उत्पादन होगा और झूमियां लोगों में पर्वतीय खेती में स्थायित्व की भावना उत्पन्न होगी।

(ग) एन.सी. पहाड़ियों के अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रौद्योगिकी को आरंभ करने का प्रस्ताव किया है।

नाल्को घोटाला

27. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने हैदराबाद स्थित पन्नार ग्रुप आफ कम्पनीज को स्पष्टतया ऋण के तौर पर धातु की बिक्री में शामिल कथित नेशनल अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्कों) की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या जांच के निष्कर्षों के कारण कम्पनी के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करनी पड़ी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पौधों की खरीद

28. **श्री अरूण कुमार:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में केन्द्र सरकार की हरित क्षेत्र परियोजनाओं के लिए खरीदे गए पौधों की तुलना करने हेतु भातीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए.आर.आई) और बागवानी विभाग के निदेशक से पौधों के कीमतों की रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या आई.ए.आर.आई. और बागवानी विभाग के निदेशक ने न्यायालय को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य द्वारा दायर सिविल याचिका संख्या 574/2000 के संबंध में दिनांक 1.8.2001 को दिए गए निर्णय से यह देखने में आया है कि माननीय न्यायालय ने तमिलनाडु हरित पट्टी परियोजना में पौध उगाने और पौधरोपण करने संबंधी लागत की व्यवहार्यता के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, (आई.ए.आर.आई.) दिल्ली की विशेषज्ञ रिपोर्ट पर विचार किया है। रिपोर्ट पर विचार करने तथा याचिकाकर्ता और अभिसाक्षी पक्ष के वकीलों को सुनने के पश्चात् माननीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मामले में कोई योग्यता नहीं है अत: इसे खारिज कर दिया गया।

उत्तरांचल में पर्यटन विकास

29. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल सरकार ने कोई कार्य योजना प्रस्तुत की है और राज्य में पर्यटन से संबंधित कार्यकलापों को बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ प्रतिवर्ष विचार-विमर्श कर प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन परियोजनाओं का निर्धारण करता है तथा उनके लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान

करता है। उत्तरांचल राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श कर इस राज्य की पर्यटन परियोजनाओं को भी प्राथमिकता प्रदान की गयी है।

(ख) और (ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तरांचल की अनुमानत: 968.19 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता वाली 43 परियोजनाएं प्राथमिकता निर्धारण हेतु विचारार्थ सूची में शामिल की गई हैं।

[हिन्दी]

ड्रिप सिंचाई प्रणाली

30. श्री महेश्वर सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ड्रिप सिंचाई योजना को लागू करने के लिए किसानों को राजसहायता उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्यवार विशेषकर हिमाचल प्रदेश में कुल कितने क्षेत्र की ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सिंचाई की जाती है;

(घ) क्या इससे केवल बड़े किसान ही लाभान्वित हो रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले में तथ्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) सरकार द्वारा कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के. कृषि-सम्पूरण/अवलोकन की केन्द्रीय प्रायोजित वृहत प्रबन्धनों स्कीम के अन्तर्गत लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और महिला किसानों को ड्रिप सिंचाई पद्धति की कुल लागत का 50 प्रतिशत की राशि की सब्सिडी और अन्य वर्ग के किसानों की कुल लागत का 35 प्रतिशत की राशि की सब्सिडी दी जा रही है।

(ग) वर्ष 2000-01 तक ड्रिप सिंचाई के अन्तर्गत कवर किए गए क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। स्कीम के अन्तर्गत सभी वर्गों के किसान लाभान्वित होते हैं। तथापि, लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के किसानों को और अधिक सब्सिडी सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रति लाभानुभोगी परिवार को अधिकतम चार हैक्टेयर क्षेत्र तक सीमित सहायता दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय सहायता के माध्यम से 2000-01 तक ड्रिप सिंचाई के अन्तर्गत कवर किया गया राज्यवार क्षेत्र

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

राज्य	ड्रिप सिंचाई के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र (हे.)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	36330
अरुणाचल प्रदेश	295
असम	38
बिहार	0
गोवा	407
गुजरात	7558
हरियाणा	2234
हिमाचल प्रदेश	375
जम्मू और कश्मीर	162
कर्नाटक	66343
केरल	5472
मध्य प्रदेश	2658
महाराष्ट्र	94116
मणिपुर	341
मेघालय	16
मिजोरम	124
नागालैंड	816
उड़ीसा	1948
पंजाब	1759
राजस्थान	6054
सिक्किम	162
तमिलनाडु	55859
त्रिपुरा	0

1	2
उत्तर प्रदेश	2543
पश्चिम बंगाल	9
दादर व नगर हवेली	3
दमन और दीव	24
दिल्ली	4
लक्षद्वीप	0
चंडीगढ़	0
अण्डमान व निकोबार	0
पांडिचेरी	60
कुल	285710

[अनुवाद]

सहकारी समितियां

31. श्री रघुनाथ झा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने सहकारी स्टोर/समितियां कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितने एकक घाटे में चल रहे हैं;

(ग) इनमें अलग-अलग कितना राजस्व अंतर्ग्रस्त है और ये कब से घाटे में चल रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार सहकारी स्टोर/समितियों के पंजीकरण पर आगे रोक हेतु सहकारी अधिनियम में संशोधन/समीक्षा करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सहकारी स्टोरों (समितियों) की कुल संख्या 27,150 है।

(ख) इनमें से लगभग 16,779 स्टोर घाटे में चल रहे हैं।

(ग) इन सहकारी स्टोरों में सरकारी साम्य सहभागिता 18,463,05 लाख रुपये है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विकलांगों के लिए आरक्षित पद

32. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार उनके मंत्रालय के अंतर्गत सभी विभागों में नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने पद आरक्षित किए गए;

(ख) 31 अक्तूबर, 2001 तक की स्थिति के अनुसार वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार ऐसे कितने पद रिक्त पड़े रहे;

(ग) ऐसे पदों पर वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार कितने नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया; और

(घ) रिक्त पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जायेगी।

विकलांगों को आरक्षण

33. श्री अमर राय प्रधान: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय/विभाग में अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की वर्ष-वार/पद-वार/श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) 31 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्त पड़े पदों की वर्ष-वार/पद-वार/श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष-वार/पद-वार/श्रेणी-वार कितने अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है;

(घ) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली दुग्ध योजना (डी.एम.एस.) में भर्ती पर प्रतिबंध

34. **श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना (डी.एम.एस.) में कर्मचारियों की भर्ती पर कोई प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से लागू है और किस श्रेणी के कर्मचारियों पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया;

(ग) क्या कर्मचारियों की कमी डी.एम.एस. के बढ़ते घाटे का एक प्रमुख कारण रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों की कमी को पूरा करने और इस घाटे से उबरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली दुग्ध योजना में कर्मचारियों की भर्ती में सरकार की निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। क्षतिपूर्ति के लिए दिल्ली दुग्ध योजना ने थोक दूध की खरीद; होम डिलीवरी कार्डों को जारी करने संबंधी प्रक्रिया के सरलीकरण; दुग्ध बूथों को खोलने तथा बंद करने के समय को बढ़ाने आदि के लिए कई पहलकदमियां/प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, दिल्ली दुग्ध योजना विपणन, ढुलाई तथा संयंत्र संचालनों जैसे विभिन्न संचालनात्मक क्षेत्रों में व्यावसायिक दृष्टिकोण अपना रही है।

आई.टी.डी.सी. द्वारा कार्मिकों को मुफ्त भोजन दिए जाने पर प्रतिबंध

35. **श्री भीम दाहाल:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) को कार्मिकों को मुफ्त भोजन देने पर रोक लगाने हेतु निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.टी.डी.सी. के कुछ कार्मिक बिना किसी पात्रता के होटलों में रह रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी औचित्य क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) लिखित आदेश के बिना, मौखिक आदेश पर ही सेवाएं उपलब्ध कराने पर रोक लगाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। होटलों में कुछ अधिकारियों के अनाधिकृत रूप से ठहरने के कुछ मामलों की जानकारी मिली है। ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई की जा चुकी है।

छोटे शहरों के लिए एयर टैक्सी सेवाएं

36. **श्री दिनशा पटेल:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में छोटे शहरों को जोड़ने हेतु एयर टैक्सी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु देश में राज्यवार विशेषकर गुजरात में पहचान किए गए ऐसे छोटे नगरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सेवाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) एयरलाइन ऑपरेटर अपने वाणिज्य विवेक के आधार पर किसी स्थान को हवाई मार्ग से जोड़ने/किसी रूट पर विमान सेवा प्रचलित करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि वे हवाई मार्गों की विनिर्दिष्ट श्रेणी में कतिपय न्यूनतम प्रचालन सेवाओं, जिनकी व्यवस्था मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों में की गई है, का समुचित अनुपालन करें।

नारियल पेड़ों को कुटकी (माइट) का खतरा

37. **श्री एच.जी. रामुलू:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में कुटकी (माइट) के कारण कितने नारियल पेड़ प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) कर्नाटक में कुटकीग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना करने, रोविंग सर्वेक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा विशेषज्ञ दल का गठन

किया गया और राज्य में कुटकी प्रभावित 185 लाख नारियल पाम की सूचना दी गई।

(ख) और (घ) कर्नाटक सरकार ने नारियल कुटकी के नियंत्रण के लिए 336.37 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की। भारत सरकार ने 1998-99 से 2000-01 तक की अवधि में कर्नाटक सरकार को नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से कुल 8.90 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए।

[हिन्दी]

एएआई द्वारा निजी विमान कंपनियों से वार्षिक प्रभार की वसूली

38. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:**
श्री अनन्त गंगाराम गीते:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) निजी विमान कंपनियों से किसी वार्षिक प्रभार की वसूली करती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रभार के बदले निजी विमान कंपनियों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप सरकार को अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निजी एयरलाइनों से कोई वार्षिक शुल्क नहीं वसूला जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कोयले का अवैध खनन

39. **श्री अधीर चौधरी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के अक्तूबर महीने में पश्चिम बंगाल की परित्यक्त खान में बड़ी संख्या में लोग फंस गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की कोयला खानों में कोयले के अवैध खनन में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और माफियाओं द्वारा कोयले के ऐसे अवैध खनन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) यह घटना किसी परित्यक्त खान में नहीं घटी। आसनसोल नगर से लगभग 15 कि.मी. दूर लालबंध में ईसीएल की खान की सीमा से परे निजी भूमि के नीचे अवैध खनन कार्य किया जा रहा था। चूंकि उक्त स्थल ईसीएल/सीआईएल के नियंत्रणाधीन नहीं है, अत: फंसे व्यक्तियों की संख्या की पुष्टि करना संभव नहीं है।

(ग) परित्यक्त/बंद/गलत ढंग से प्रयुक्त खान से या भूमि से उभरे कोयले के अंश वाले (आउटक्राप) क्षेत्रों से अवैध खनन गतिविधियों के मामलों की मुख्य रूप से ईसीएल/बीसीसीएल तथा सीसीएल से सूचना मिली है, जिनकी पश्चिमी बंगाल, बिहार/झारखंड में कोयला खानों में ऐसी गतिविधियां होती हैं। चूंकि उक्त गतिविधियां चोरी-छिपे चलाई जाती है, अत: सही संख्या बताना संभव नहीं है। तथापि, अवैध खनन के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई आरंभ करने का पुलिस अधिकार राज्य पुलिस के पास होता है। अवैध खनन के बारे में सूचना मिलने पर उसे संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है।

(घ) अवैध खनन को नियंत्रित रखने/रोकने हेतु सीआईएल द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

1. परित्यक्त भूमिगत खानों के प्रवेश मार्गों को बंद करना।
2. जहां कहीं संभव हो, अवैध खनन स्थलों की डोजिंग करके भराई करना।
3. अपने स्वयं के सुरक्षा बलों तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा गश्त लगाना।
4. गुप्त सूचना एकत्र करना तथा जिला प्राधिकारी के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करना।
5. छापों के दौरान जहां कहीं भी अवैध रूप से खनित कोयला और अवैध खनन के उपकरण पकड़े जाते हैं, उसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है।

कालीकट हवाई अड्डे पर धावनपट्टी (रनवे) का विस्तार

40. श्री के. मुरलीधरन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालीकट हवाई अड्डे पर धावनपट्टी (रनवे) का विस्तार कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा विस्तार कार्य को शीघ्रता से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास कालीकट हवाई अड्डे से हज यात्रियों के लिए उड़ानों के परिचालन हेतु कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जी, हां। रनवे का विस्तार क्षेत्र 6000 फुट से बढ़ाकर 9380 फुट तक कर दिया गया है और यह कार्य अप्रैल, 2001 में पूरा हो चुका है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) कालीकट हवाई अड्डे को हज-2002 के लिए उड़ान-स्थल के रूप में नामित कर दिया गया है।

बकाया पड़े आरक्षित पद

41. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4)ख के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों के भरे जाने वाले विशेष अभियान आदि की समाप्ति पर इस्पात मंत्रालय में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96- स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार सुनिश्चित समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में निर्धारित बकाया आरक्षित रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए बने नए रिक्त पदों/दिए गए पदों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी हां। आरक्षित रिक्तियों को भरने की 50% की सीमा केवल उन्हीं आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी जो चालू वर्ष में रिक्त हुई हों और पिछले वर्षों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पिछला बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों को अलग और भिन्न समूह का माना जाएगा और वे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.7.2000 के का.ज्ञा. सं. 36012/5/97-स्था.(आरक्षण)-खण्ड-II के अनुसार किसी सीमा के अधीन नहीं होंगी। तथापि, यह अन्य पिछड़े वर्गों पर लागू नहीं होगा।

(ख) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 2.7.1997 का कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/2/96-स्था. (आरक्षण) का पैरा (5) केवल नए पद आधारित रोस्टरों के अंतर्गत मौजूदा नियुक्तियों के समायोजन और इन रोस्टरों के प्रचालन के लिए अन्य दिशा-निर्देशों के संबंध में है। 29.8.1997 की स्थिति के अनुसार इस्पात मंत्रालय में रिक्तियों के पिछली बकाया रिक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

पद समूह	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह क	-	-
समूह ख	-	1
समूह ग	1	-
समूह घ	-	-

संबद्ध कार्यालय, विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात का कार्यालय, कोलकाता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का कोई पिछला बकाया नहीं है।

(ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित रिक्तियों का निर्धारण पद आधारित संशोधित रोस्टरों के

आधार पर नए सिरे से किया जाना है और इन्हें भविष्य में किए जाने वाले समायोजन के लिए अग्रेनीत किया जाएगा।

(घ) पद आधारित रोस्टरों के अनुसार 1997 से 2000 तक के 4 वर्षों के दौरान, पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित समूहों की नई रिक्तियों/बकाया पदों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

इस्पात मंत्रालय

क्र.सं.	पद समूह नाम	1997	1998	1999	2000
1.	समूह क	-	-	-	-
2.	समूह ख	1 (पिछड़ा वर्ग)	-	1 (पिछड़ा वर्ग)	1 (अनुसूचित जनजाति)
3.	समूह ग	1 (अनुसूचित जाति)		2 (1 अनुसूचित जनजाति और 1 पिछड़ा वर्ग	
4.	समूह घ	4 (अनुसूचित जाति)	4 (3 अनुसूचित जाति और 1 पिछड़ा वर्ग)		4(3 अनुसूचित जाति और 1 पिछड़ा वर्ग)

जहां तक इस्पात मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय, विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात का कार्यालय, कोलकाता का संबंध है, इस संगठन में की जा रही जनशक्ति में कमी के कारण कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त पड़े बकाया पद

42. सरदार बूटा सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4)ख के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान आदि की समाप्ति पर उनके मंत्रालय में डी ओ पी टी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. दिनांक 2 जुलाई 1997 के अनुसार सुनिश्चित समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में निर्धारित बकाया आरक्षित रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान आज की तारीख तक प्रतिवर्ष ऐसे कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए बने नए रिक्त पदों/दिए गए पदों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फरक्का बराज परियोजना

43. श्री अबुल हसनत खां: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2000-01 में फरक्का बराज परियोजना हेतु कटावरोधी कार्य के लिए लगभग 17.5 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) क्या उक्त कार्य में कोई प्रगति हुई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है;

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) फरक्का बराज की निचली धारा के कटावरोधी कार्यों के लिए वर्ष 2001-02 में 3 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। इस निधि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग करने की संभावना है।

नकदी फसल की पैदावार को युक्तिसंगत बनाया जाना

44. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नकदी फसल की पैदावार प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने और विपणन को सुगम बनाने हेतु देश के विभिन्न राज्यों के चुनिंदा जिलों में एक नई योजना लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या मौसम और मिट्टी की गुणवत्ता पर पैदावार संबंधी मानदंड निर्धारित करने हेतु कोई रणनीति तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो यह रणनीति किस सीमा तक नकदी फसलों के लिए लाभदायक साबित हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मछुआरों की हालत में सुधार

45. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मछुआरों के कल्याण हेतु देश में स्थापित अग्रिम चेतावनी केन्द्रों (एडवांस वार्निंग सेन्टर) का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये केन्द्र समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाने वाले मछुआरों को समय पर चेतावनी देते हैं; और

(ग) मछुआरों की बिगड़ती स्थिति में सुधार हेतु क्या उपाय किए गए हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) महासागर विकास विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार किसी चक्रवातयुक्त तूफान, खराब मौसम, मत्स्यन यानों आदि की क्षति संबंधी भावी खतरों की स्थिति में समुद्र में गए तथा समुद्री तट पर मछुआरों के बीच संवाद सम्पर्क स्थापित करने के लिए 1991 में तट से मत्स्यन जलयान संचार परियोजना की शुरूआत की गई थी। इसके अलावा, चुनिन्दा मछुआरों को हाथ में पकड़े जाने वाले वी एच एफ सेट प्रदान किए जाने थे। यह परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की गई है। परियोजना के चरण-1 के अंतर्गत तमिलनाडु, आंध्र प्रेदश, कर्नाटक तथा गोवा राज्यों में तट केन्द्रों की स्थापना की गई है चरण-2 के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा (प्रत्येक में दो-दो केन्द्र) तथा पांडिचेरी, गोवा, अंडमान एवं निकोबार, द्वीपसमूह, लक्षद्वीप (प्रत्येक में एक-एक केन्द्र) में 10 तट केन्द्रों में उपकरणों की आपूर्ति, उनकी स्थापना, उनको चालू करने, उनके रख-रखाव तथा संचालन के लिए काम शुरू किया गया था। महाराष्ट्र जैसे राज्य में ये केन्द्र समुद्र में मछली पकड़ने जा रहे मछुआरों को समय पर संकेत देते रहते हैं। इसके अलावा, तटवर्ती राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के माध्यम से चेतावनी संदेश का भी प्रसारण किया जाता है।

(ग) मछुआरों के लिए कई कल्याण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि मछली न पकड़ने वाले महीनों के दौरान मछुआरों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए परम्परागत यानों के मोटरीकरण तथा बचत सह राहत के लिए राज्य से प्राप्त अंशदान के अलावा उन्हें गृह निर्माण, पेय जल तथा बीमा कवर जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

कृषक संगठनों द्वारा संघर्ष

46. श्री बी.वी.एन. रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों के कतिपय संगठनों ने कृषक समुदाय के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान हेतु संघर्ष शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक के दिशा-निर्देशों को लागू करने से किसानों की दशा बदतर हो गई है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, हां। ऐसी कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि किसानों के कुछ संगठन कृषक समुदाय द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान हेतु विरोध प्रकट कर रहे हैं।

विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर से, भारत अत्याधिक अनुकूल राष्ट्र (एम.एफ.एन.) का दर्जा प्राप्त करने तथा अपने निर्यात हेतु विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों से राष्ट्रीय व्यवहार पाने का हकदार हो गया है। कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौते पर चल रहे अधिदेशाधीन वार्तालाप के अन्तर्गत, भारत ने विश्व व्यापार संगठन को प्रस्तुत अपने प्रस्तावों में अपनी घरेलू सहायता के कार्यान्वयन में लचीलापन, निर्यात राजसहायता को समाप्त करने, टैरिफ की उच्च दर तथा टैरिफ के उतार-चढ़ाव के उन्मूलन सहित टैरिफ में पर्याप्त कटौती की मांग की है ताकि विकासशील देश की मंडियों में अपने कृषि उत्पादों हेतु सार्थक बाजार पहुंच प्राप्त कर सके।

मात्रात्मक प्रतिबंध हटने के परिणामस्वरूप, जो भुगतान संतुलन के आधार पर रखे जाते थे, संवेदनशील मदों के आयात के मानीटरन हेतु सरकार ने एक उपयुक्त तंत्र की स्थापना की है और विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न अनुकूल उपायों को लागू करके घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, जिसमें शामिल हैं बद्ध टैरिफ के भीतर लागू की जाने वाली टैरिफ का उचित अंशाकन, एंटी-डम्पिंग तथा सुरक्षात्मक कार्रवाई, कुछ विशेष परिस्थितियों में काउन्टरवेलिंग ड्यूटी लगाना आदि।

समूह ''क'' और समूह ''ख'' सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

47. **श्री ए.के.एस. विजयन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह ''क'') में अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिशत केवल 10.68 है (अनुसूचित जातियां 8.41 प्रतिशत और अनूसूचित जनजातियां 2.27 प्रतिशत) और द्वितीय श्रेणी (समूह ''ख'') में यह केवल 13.20 प्रतिशत (अनुसूचित जातियां 09.68 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां 3.52 प्रतिशत) है जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5 प्रतिशत (अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत) है;

(ख) यदि हां, तो इनके मंत्रालय के सभी—(1) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों, (2) सांविधिक संगठनों/निगमों, (3) स्वायत्तशासी संगठनों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में - (i) प्रथम श्रेणी (समूह ''क'') और (ii) द्वितीय श्रेणी (समूह ''ख'') और इनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012-2-96 स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन पदों पर - (1) सामान्य, (2) अनुसूचित जातियों, (3) अनुसूचित जनजातियों, और (4) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यटन विकास हेतु परियोजनाएं

48. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1992-97 के दौरान पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 159 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शुरू कर दी गई हैं;

(ग) शेष परियोजनाओं में राज्यवार क्या प्रगति हुई है और इनके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) कितनी परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हुई हैं, उनकी लागत बढ़ गई है और इनमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ङ) क्या पहले पूरी और शुरू हो चुकी कुछ परियोजनाओं को अन्य उद्देश्य हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श कर वर्ष 1992-1997 के दौरान पर्यटन अवसंरचना

विकास से जुड़ी 158.90 करोड़ रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता वाली 948 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

(ख) इन 948 परियोजनाओं में से 422 परियोजनाएं पूरी कर ली गयी हैं तथा 67 बंद कर दी गयीं हैं।

(ग) शेष 459 परियोजनाओं के शीघ्र पूरा हो जाने की संभावना है।

(घ) से (च) राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन ही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। पर्यटन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं को 30 माह की निर्धारित अवधि के दौरान पूरा किया जाना होता है। परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के कारण लागत में हुई वृद्धि की भरपाई सम्बद्ध राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा की जानी होती है। राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन ही परियोजनाओं के संचालन और उनके रख-रखाव के लिए भी जिम्मेदार होता है पर्यटन विकास से जुड़ी परियोजनाओं के संचालन और रख-रखाव के संदर्भ में उन्हें पर्यटन विभाग के साथ एक प्रबंध समझौते पर हस्ताक्षर भी करना होता है।

[हिन्दी]

मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी

49. श्री रामेश्वर डूडी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आने के कारण कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या देश में उर्वरकों के अपर्याप्त और असंतुलित प्रयोग के कारण मिट्टी की उर्वरता में लगातार गिरावट आ रही है क्योंकि भारतीय किसान अपनी मर्जी और संसाधन के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न प्रदान करने में भी मुश्किल आने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) कृषि उत्पादन बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण उपायों, सिंचाई/वर्षा तथा फसल प्रबन्धन के प्रचलन आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। उर्वरक कृषि उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है जो (कृषि उत्पाद) उर्वरक की खपत में वृद्धि के समतुल्य धीरे-धीरे बढ़ रहा है। वर्ष 1998-99 के दौरान 203.61 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन प्रति हेक्टेयर औसतन 88.05 किलोग्राम पोषक तत्वों की खपत से प्राप्त किया गया। वर्ष 1999-2000 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन 208.87 मिलियन मीटरी टन और पोषक तत्वों की खपत 94.70 कि.ग्राम प्रति हेक्टेयर थी। वर्ष 2000-2001 के दौरान कई राज्यों में सूखे जैसी स्थिति के कारण, खाद्यान्न उत्पादन तथा उर्वरक की खपत दोनों में गिरावट आयी। तथापि, देश के कुछ भागों में उर्वरकों के अपर्याप्त एवं असंतुलित उपयोग से मृदा की स्थिति में एवं उत्पादकता में कमी के उदाहरण हैं। उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने कुछ निम्नलिखित कदम उठाये हैं।

(1) मृदा की पोषक तत्व की अवस्था के अनुसार उर्वरक के व्यवहार की सिफारिश करने हेतु मृदा परीक्षण कार्यक्रम को अवाधिक रूप से सुदृढ़ किया गया है।

(2) विनियंत्रित फॉस्फेट तथा पोटाश उर्वरकों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि उनके खपत में वृद्धि हो सके तथा एम.पी.के. खपत में संतुलन लाया जा सके।

(3) रासायनिक उर्वरकों तथा जैविक स्रोतों यथा जैव उर्वरकों, कम्पोस्ट/कृमि कम्पोस्ट के माध्यम से समेकित पोषक तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि मृदा की उर्वरता का रखरखाव हो तथा फसलों के लिए पौध पोषकों का सस्ता साधन उपलब्ध हो सके।

सरकारी प्रयास ने पोषक तत्वों की खपत के अनुपात के सुधार में मदद की है जो 1992-93 के दौरान 9.5:3.2:1 था और 1999-2000 के दौरान घटकर 6.9:2.7:1 हो गया। बढ़ती हुई आबादी के लिए भोजन प्रदान करने में आशातः कोई समस्या नहीं होगी।

पशु चिकित्सालय

50. श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्यों में पशु चिकित्सालयों की स्थापना हेतु ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) महाराष्ट्र और उत्तरांचल में कितने पशु चिकित्सालय हैं;

(ङ) क्या उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के पिपना गांव में कोई पशु चिकित्सालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) केन्द्र सरकार की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत पशुचिकित्सा अस्पताल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। पशुचिकित्सा अस्पताल खोलने का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(घ) महाराष्ट्र में पशुचिकित्सा संस्थानों की संख्या इस प्रकार है: पोलिक्लीनिक-31, पशुचिकित्सा डिस्पेंसरियां (ग्रेड-1)-1221, पशुचिकित्सा डिस्पेंसरियां (ग्रेड-2)-2075, मोबाईल पशुचिकित्सा क्लीनिक-61, उत्तरांचल में पशुचिकित्सा संस्थानों की संख्या इस प्रकार है—पशुचिकित्सा अस्पताल-291, "डी" श्रेणी के पशुचिकित्सा अस्पताल-14, स्टाकमैन केन्द्र-584, मोबाइल पशुचिकित्सा डिस्पेंसरियां-11

(ङ) और (च) उत्तरांचल सरकार ने सूचित किया है कि अल्मोड़ा जिले के पिपना गांव में पशुचिकित्सा अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पर्यटन विकास के लिए महाराष्ट्र को निधियां

51. **श्री वाई.जी. महाजन:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव विशेषरूप से महाराष्ट्र सहित, पूरे देश में कुछ नए पर्यटन स्थलों की पहचान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में, विशेषत: महाराष्ट्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशी आवंटित की गई है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र भ्रमण पर आए घरेलू/विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है;

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य को इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है; और

(च) राज्य सरकार द्वारा उससे उक्त अवधि में कुल कितनी आय अर्जित की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) पर्यटक स्थलों को विकसित करने की जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकार की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय प्रतिवर्ष राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श कर प्राथमिकता के लिए निर्धारित परियोजनाओं तथा नए स्थलों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष 2001-2002 में कुल 26 परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गयी है जिनके लिए 810.00 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गयी है। ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) योजना आयोग ने 9वीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन विभाग के लिए 485.75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। महाराष्ट्र राज्य के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र भ्रमण पर आये विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	घरेलू	विदेशी
1998	7183687	980850
1999	7542781	1033816
2000	8297158	1075169

(ङ) पर्यटन विभाग के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान के बजट आवंटन को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(च) पर्यटन से होने वाली आय का राज्य-वार निर्धारण करने के लिए तंत्र नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पर्यटन से हुई विदेशी मुद्रा आय का अनुमानित ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	करोड़ रुपयों में	मिलियन अमेरिकी डालर में
1998	12150.00	2948.00
1999	12951.00	3009.00
2000	14475.43	3295.54

विवरण

वर्ष 2001-2002 के लिए महाराष्ट्र राज्य की प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राथमिकता प्रदत्त राशि (केन्द्रीय वित्तीय सहायता)
1	2	3
1.	रायगढ़ जिला स्थित एलिफेंटा द्वीप का सुन्दरीकरण	75.00
	- घाटों का सुन्दरीकरण	
	- पैदल पथों पर पारम्परिक प्रश्रय स्थलों का प्रावधान	
	- पैदल पथों का सुन्दरीकरण और विश्राम सुविधा का प्रावधान	
	- मार्ग संकेतक	
	- शौचालय जैसी जन सुविधा का प्रावधान।	
2.	सतारा जिला स्थित महाबलेश्वर पर्वतीय स्थल के व्यू प्वाइंटों, सुरक्षात्मक रेलिंग, संकेतकों और अन्य पर्यटक सुविधाओं का विकास	50.00
3.	रायगढ़ जिले के मथेरान पर्वतीय स्थल पर व्यू प्वाइंट, सुरक्षात्मक रेलिंग, संकेतकों और अन्य पर्यटक सुविधाओं का विकास	50.00
4.	अमरावती जिला स्थित गाँविंगढ़ किले का सुन्दरीकरण और पर्यटक सुविधाओं का प्रावधान	50.00
5.	अमरावती जिला स्थित चिखलदारा पर्वतीय स्थल पर व्यू प्वाइंट, सुरक्षात्मक रेलिंग संकेतकों, माल रोड़, बाल उद्यान, भीमकुण्ड प्वाइंट का विकास	50.00
6.	सिन्धुदुर्ग जिले के कलावल और तरकरली नामक संकरी खाड़ियों में कोकनी हाउस बोट का संचलन शुरू किया जाना	50.00
7.	रत्नगिरि जिले के संगमेश्वर-संकरी खाड़ी स्थल पर एक रेस्तरां तथा हाउस बोट का संचालन शुरू किया जाना	50.00
8.	रत्नगिरि जिले के वेलनेश्वर में कोंकणी कुटीर का विकास	50.00
9.	सिन्धुदुर्ग जिले के तरकरली खाड़ी में जल पर्यटन सुविधाएं	40.00
10.	जयगढ़ खाड़ी में जल पर्यटन सुविधाएं	40.00
11.	प्रौद्योगिकी उन्नयन और कम्प्यूटरीकरण	90.00
	- महाराष्ट्र पर्यटन का प्रवेश द्वार (पोर्टल) बनाया जाना	
	- वीडियो, एनीमेशन, पिक्चर्स आदि	

1	2	3
12.	मुम्बई स्थित हैरिटेज स्थलों का विकास - पैदल यात्रा को बढ़ावा देना, पट्टिका और मार्ग संकेतक लगाया जाना और अन्य सुन्दरीकरण कार्य आदि	50.00
13.	कोलवां घाटी का समेकित विकास—मार्ग संकेतक, जन सुविधाएं तथा एक रेस्तरां आदि	50.00
14.	सिन्धुदुर्ग जिले में सावन्तवाडी का विकास, चिवाड़ टेकड़ी का भू-सुन्दरीकरण, मोती तलाब के निकट जन सुविधाएं, पर्यटक परिसर आदि	50.00
15.	कोयना घाटी विकास योजना	10.00
16.	येऊर विकास योजना	10.00
17.	जलगांव जिले स्थित उनाप्डेव के गर्म जल के झरनों का सुन्दरीकरण	25.00
18.	नागपुर जिले में पाराडसिंगा में पेय जल, शौचालय आदि जैसी पर्यटक सुविधाओं का प्रावधान	10.00
19.	मेले और पर्व (क) एलोरा पर्व (5.00 लाख रुपए) (ख) एलीफेंटा पर्व (5.00 लाख रुपए)	10.00
	कुल जोड़	810.00

[अनुवाद]

भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य प्राधिकरण की स्थापना

52. श्री प्रबोध पण्डा:
श्री वाई. वी. राव:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में खाद्य गुणवत्ता मानकों के निर्धारण के लिए भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्राधिकरण के मुख्य कार्यकलाप क्या होंगे;

(घ) क्या इस प्राधिकरण द्वारा उन कार्यों को किए जाने की भी संभावना है जो कुछ वर्तमान संगठनों द्वारा अभी किए जा रहे है; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए नए प्राधिकरण की स्थापना की क्या आवश्यकता है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रस्तावित प्रसंस्कृत खाद्य विकास विधेयक के प्रारूप की रूपरेखा तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रसंस्कृत खाद्यों के वास्ते मानकों की स्थापना के लिए एक प्रसंस्कृत खाद्य विकास प्राधिकरण की स्थापना का भी उल्लेख है। यह प्रस्ताव अभी प्रारंभिक अवस्था में है इसलिए ब्यौरे अभी तैयार नहीं हैं।

दादर और नगर हवेली में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

53. **श्री मोहन एस. देलकर:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) केन्द्रीय दल ने दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का दौरा उन प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का अध्ययन करने के लिए किया है जो दादर और नगर हवेली के गांवों में वायु और जल प्रदूषण फैला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन उद्योगों की संख्या क्या है जिन्हें इस संबंध में कानूनी नोटिस दिए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए अंतिम निर्णय का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक दल ने 1 से 8 नवम्बर, 2001 के दौरान दादरा और नागर हवेली केन्द्र शासित प्रदेश का दौरा किया और अनेक औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। अपने दौरे के दौरान दल ने प्रदूषण की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए औद्योगिक एककों से वायु और जल के नमूने एकत्र किए हैं। दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) और (ङ) रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही दल की सिफारिशों पर कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

अफगान नागरिकों द्वारा एअर इंडिया के विमान से बिना टिकट यात्रा

54. **श्री उत्तमराव पाटील:**
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री मोहन रावले:
श्री कमलनाथ:
डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री सईदुज्जमा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 अक्तूबर, 2001 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार शीर्षक "नो टिकट नो पासपोर्ट नो प्रोब्लम" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या हाल में दो अफगान नागरिकों ने बिना टिकट, पासपोर्ट या वीसा के एअर इंडिया के ए.आई.-3 द्वारा लंदन तक की यात्रा की;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एअर इंडिया के अधिकारियों की इस गंभीर सुरक्षा लापरवाही की जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच के क्या निष्कर्ष निकले;

(च) इस गंभीर सुरक्षा लापरवाही के लिए एयर इंडिया के अधिकारियों के विरुद्ध की-गई-कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(छ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (छ) जी, हां। मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव (सुरक्षा) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन दिनांक 28.10.2001 को मुम्बई-दिल्ली-लंदन सेक्टर पर प्रचालनरत एअर इंडिया की उड़ान एआई-3 में हाल ही में घटित स्टोवावेज घटना के बारे में जांच करने के उद्देश्य से किया गया है। समिति को अपनी जांच रिपोर्ट 20 नवम्बर, 2001 तक पूरी करनी होगी। एअर-इंडिया के चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

एअर इंडिया द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो पाए।

(1) बोर्डिंग कार्ड में घरेलू यात्रियों के फोटो लगाया जाना, (2) घरेलू यात्रियों के लिए अलग रंग का बोर्डिंग कार्ड होना, (3) घरेलू यात्रियों के लिए पृथक काउंटर, (4) घरेलू यात्रियों की प्रोफाइलिंग (5) केबिन क्रू हैड काउंट व्यवस्था करेगा, और (6) आव्रजन अधिकारी ट्रांजिट फ्लाइट की चेकिंग करेंगे।

श्रम शक्ति

55. प्रो. दुखा भगत: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 2000 में श्रम शक्ति में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुमानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार के पास कुल श्रम शक्ति में बेरोजगार श्रम शक्ति के प्रतिशत अंश के संबंध में क्या अनुमान है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से रोजगार, बेरोजगारी एवं श्रम बल संबंधी अनुमान प्राप्त किए जाते हैं। 1993-94 तथा 1999-2000 के दौरान किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार सामान्य प्रमुख एवं गौण स्थिति दृष्टिकोण (यूपीएसएस) के अनुसार अनुमानित रोजगार जो कि 1993-94 में 382 मिलियन था, 1999-2000 में बढ़कर 406 मिलियन हो गया। 1999-2000 के दौरान श्रम बल के प्रतिशत के रूप में अनुमानित बेरोजगारी दर 2.23% के लगभग थी।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में संकट

56. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में संकट की स्थिति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी इकाइयों द्वारा कर छूट हेतु किए गए लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में संकट के बारे में कोई रिपोर्ट ध्यान में नहीं लाई गई है पर उद्योग के समक्ष पेश आने वाली कठिनाइयों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, कम लाभ, मौसमी स्वरूप का होना, जल्दी खराब होना, अनेक कानूनों की मौजूदगी, कर-ढांचा, विपणन विकास आदि शामिल हैं।

कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाना एक सतत प्रक्रिया है और सरकार इस बारे में समय-समय पर उपाय कर रही है। प्रसंस्कृत फल तथा सब्जियों पर लगने वाले 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को मौजूदा वित्तीय वर्ष में घटाकर 0 प्रतिशत कर दिया है।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाने के लिए कार्यवाही शुरू की है। इसके लिए नीति का प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुरूप माहौल तैयार करना, बुनियादी सुविधा का विकास, खेत-स्तर पर संपर्क बनाना, कर-ढांचे को युक्तिसंगत बनाना आदि शामिल हैं।

विमानों में स्काई मार्शल नियुक्त करना

57. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:
श्री पी.डी. एलानगोवन:
श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी:
श्री के. येरननायडू:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में सरकारी और निजी विमान कंपनियों द्वारा प्रचालित सभी उड़ानों में स्काई मार्शल नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन सुरक्षा कार्यों में होने वाले कुल अनुमानित व्यय सहित इन उपायों के लिए आवंटित और वितरित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय बोझ को देखते हुए निजी विमान कंपनियों के मालिकों ने स्काई मार्शलों की नियुक्ति का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) सभी उड़ानों, विशेषकर निजी विमान कंपनियों की उड़ानों पर स्काई मार्शलों की अनिवार्य नियुक्ति सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(च) उड़ानों पर स्काई मार्शलों की नियुक्ति से विमान अपहरण की घटनाओं पर किस हद तक नियंत्रण पाये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) इंडियन एलरलाइन्स और निजी एयरलाइनों के सभी मार्गों पर रेंडम आधार पर स्काई मार्शलों को पहले ही तैनात कर दिया गया है।

(ख) इस उद्देश्य के लिए अलग से किसी फंड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्काई मार्शल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और उनके दैनिक भत्ते और यात्री व्यय संबंधित एयरलाइनों द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा निर्धारित की गई अनुसूचियों के अनुसार स्काई मार्शलों को निजी एयरलाइनों में तैनात किया गया है।

(च) स्काई मार्शलों को विमान में अपहरण की स्थितियों से निपटने के लिए लगाया गया है। उनकी तैनाती इस उम्मीद से की गई है कि वे विमान अपहरण के प्रयासों को निष्फल कर दें और वे उड़ान में किसी भी तरीके के अपहरण की स्थिति से निपटने में भी काबिल हों।

[हिन्दी]

विमानों को उतारने के लिए आधुनिक तकनीक

58. **श्री रामशकल:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खराब मौसम में भी विमानों को उतारने के लिए किसी आधुनिक तकनीक पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) खराब मौसम में लैंडिंग ऐड के रूप में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आई एल एस) को कई देशों में लागू किया गया है। भारत में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को 33 एयरपोर्टों में लगाया गया है और इसे 5 और एयरपोर्टों पर भी लगाने की योजना है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा

59. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री रमेश चेन्नितला:
डा. एन. वेंकटस्वामी:
श्री वी. एम. सुधीरन:
श्री कोडीकुनील सुरेश:
श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी:
श्री पी.सी. थामस:
श्री टी. गोविन्दन:
श्री वाई.वी. राव:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा से प्राकृतिक आपदाओं और हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्यों को कोई दल भेजा है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ङ) उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बाढ़ों/अचानक आने वाली बाढ़ों के कारण केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए इन राज्यों से प्राप्त ज्ञापनों के प्रत्युत्तर में स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीम को प्रतिनियुक्त किया गया था।

(घ) और (ङ) वर्ष 2001-02 के लिए आपदा राहत कोष की सम्पूर्ण केन्द्रीय अंशपूंजी को निर्मुक्त करने के अतिरिक्त उड़ीसा को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से 100 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी। केरल के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि प्रारम्भ में राज्य को सी आर एफ की निधि को प्रयुक्त किया जाए और बाद में स्थिति की पुनरीक्षा की जाए। राज्य सरकार को समुचित रूप से सूचित कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश का अनुरोध विचाराधीन है।

कामगारों की बकाया भविष्य निधि

60. **श्रीमती मिनाती सेन:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की 'नेशनल हेराल्ड' और 'शमा' पत्रिकाओं की संपत्तियां कामगारों के भविष्य निधि बकाए के भुगतान न होने के कारण जब्त कर ली गई थीं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भविष्य निधि की बकाया राशियों की पूर्णरूपेण वसूली कर ली गई है तथा कामगारों को भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है/किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी हां।

(ख) से (घ) नेशनल हेराल्ड द्वारा देय भविष्य निधि राशि 1,76,69,844/रु. है, जिसमें से 7,81,098/रु. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विभिन्न वसूली कार्रवाइयां करके वसूल कर लिए गए हैं। 'शमा' पत्रिका द्वारा चूक की राशि 4,74,957/-रु. है। सभी राशियों की वसूली के लिए कदम उठाए गए हैं और दोनों प्रतिष्ठानों की सम्पत्तियां और बैंक खाते कुर्क/जब्त कर लिए गए हैं। इसके साथ-साथ, कामगारों के भविष्य निधि खातों का निपटान किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा घटिया गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति

61. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने शिकायत की है कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.) उसके चन्द्रपुर स्थित सुपर ताप विद्युत संयंत्र को घटिया गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति करता रहा है;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने डब्ल्यू.सी.एल. की बकाया राशि में से कुछ राशि की कटौती की है क्योंकि घटिया गुणवत्ता वाले कोयले के प्रयोग से उक्त संयंत्र की कुछ मशीनों को नुकसान पहुंचा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मामले को लेकर उक्त राज्य विद्युत बोर्ड न्यायालय में भी गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या महाराष्ट्र के अन्य बिजली संयंत्रों को भी डब्ल्यू.सी.एल. से घटिया गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति हो रही है;

(छ) क्या सरकार का विचार डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा घटिया गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति के मामले की जांच कोल इंडिया लिमिटेड के अतिरिक्त किसी अन्य स्वतंत्र अभिकरण से कराने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन (सी.टी.पी.एस.) को अलग-अलग तरीकों से प्रतिमाह लगभग 10 लाख टन कोयले की आपूर्ति करता है। भारी वर्षा के दौरान गीले और चिपचिपा कोयले के बारे में कुछ शिकायतें मिली थी और इन शिकायतों पर डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा तत्परता से ध्यान दिया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ऊपर भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(च) डब्ल्यू.सी.एल. को एम.एस.ई.बी. के दूसरे बिजली गृहों से कोयले की गुणवत्ता के बारे में कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, मानसून के मौसम में कोयले के चिपचिपे स्वरूप के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी और संभव सीमा तक सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

(छ) और (ज) कोयला और खान मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तिलहनों और दलहनों का उत्पादन

62. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दलहनों, खाद्यान्नों और तिलहनों के उत्पादन और उनकी आवश्यकता का राज्यवार और संघ-राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त मदों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग-अलग क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मदों से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों और उनकी उपलब्धियों का राज्यवार और संघ-राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त मदों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त मदों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी सहायता दी गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक के पिछले 3 वर्षों के दौरान दलहनों, अनाजों और तिलहनों के उत्पादन का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। इन जिंसों की आवश्यकता, राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार नहीं निकाली जाती बल्कि इसे पूरे देश के लिए निकाला जाता है जिसके लिए पूरी जनसंख्या और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) दलहनों, अनाजों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में दलहनों के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई सी डी पी चावल), समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई सी डी पी-गेहूं), समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई सी डी पी)-मोटे अनाज, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम और तिलहन उत्पादन कार्यक्रम नामक विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त सहायता के रूप में किसानों को विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ताकि वे बड़े पैमाने पर इन जिंसों की खेती करने के लिए प्रेरित हो सकें।

(ग) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक के पिछले 3 वर्षों के लिए दलहनों, अनाजों और तिलहनों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का राज्य/संघ शासित प्रदेशवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। इन लक्ष्यों के मुकाबले प्राप्तियां विवरण-I में पहले ही दी जा चुकी हैं।

(घ) और (ङ) उक्त अवधि के दौरान दलहनों और तिलहनों का समग्र उत्पादन इन फसलों के लिए निर्धारित लक्ष्यों से कम रहा है क्योंकि देश में सूखे की गंभीर स्थितियां बनी हुई थीं और इन फसलों पर कुछ रोगों का प्रकोप भी बना रहा। वैसे 1997-98 में अनाजों का समग्र उत्पादन लक्ष्य से कम रहा, 1998-99 में लक्ष्य के निकट रहा और 1999-2000 में निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा।

(च) पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अतंर्गत इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गयी सहायता का विवरण-III पर है।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक के पिछले 3 वर्षों के दौरान दालों, अनाजों और तिलहनों के कुल उत्पादन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(हजार मी. टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दलहन			अनाज			तिलहन		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	515.7	827.0	761.1	10306.6	14078.0	12662.8	1424.1	2465.8	1470.4
अरुणाचल प्रदेश	6.6	6.8	4.9	203.2	181.1	205.3	23.0	23.9	25.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	64.5	69.2	64.7	3513.1	3364.8	3977.9	173.9	154.2	147.9
बिहार	665.7	792.3	713.1	13427.5	12833.6	13848.0	166.5	189.8	191.4
गोवा	7.8	9.5	9.0	150.6	154.9	141.8	2.5	2.5	2.2
गुजरात	613.3	633.5	405.6	5096.4	4933.2	3646.1	3834.0	3883.2	1733.3
हरियाणा	374.7	353.2	76.5	10973.0	11770.0	12990.0	423.2	714.3	640.7
हिमाचल प्रदेश	12.6	12.9	18.1	1428.6	1477.8	1323.1	9.1	9.9	9.3
जम्मू व कश्मीर	18.4	18.2	26.4	1401.6	1501.4	1244.7	47.1	51.0	51.0
कर्नाटक	496.6	746.9	838.0	7550.3	9249.7	9095.2	1198.6	1671.3	1243.6
केरल	27.6	22.9	19.1	770.0	731.6	775.2	10.1	8.1	6.3
मध्य प्रदेश	3282.2	3618.8	3796.9	14079.7	15882.4	17218.7	5687.8	5675.9	5591.5
महाराष्ट्र	1187.8	2254.9	2188.4	8476.2	10497.9	10418.6	1682.4	2573.0	2642.2
मणिपुर	-	-	-	364.8	392.3	375.7	1.0	1.0	1.2
मेघालय	2.5	3.5	3.4	184.1	184.3	190.3	5.9	6.1	5.5
मिजोरम	6.7	9.3	7.0	126.8	125.7	98.1	12.3	7.5	7.1
नागालैण्ड	12.5	12.5	15.0	224.4	269.5	292.1	24.8	35.4	43.3
उड़ीसा	286.5	249.3	245.8	6351.3	5543.8	5354.4	191.2	160.6	155.1
पंजाब	60.0	50.7	44.8	21053.2	22856.2	25153.0	218.6	170.5	112.5
राजस्थान	2634.9	2444.4	904.2	11414.0	10500.1	9795.8	3299.9	3815.4	3578.5
सिक्किम	5.9	5.6	11.1	97.2	85.1	95.4	7.6	5.1	8.0
तमिलनाडु	244.2	304.3	368.9	7859.6	9114.4	8488.5	1476.7	1644.0	1511.5
त्रिपुरा	5.4	4.1	4.1	542.0	495.3	495.3	7.2	5.5	5.5
उत्तर प्रदेश	2285.2	2323.5	2599.2	39304.0	38093.7	42639.2	1006.4	1088.7	1301.4
पश्चिम बंगाल	151.6	126.3	216.8	14201.6	14241.1	14850.8	387.7	382.5	383.7
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.7	0.5	0.5	30.0	26.2	26.2	-	-	-
दादर व नगर हवेली	5.6	3.2	3.2	26.4	19.8	19.8	0.1	0.1	0.1
दमन व दीव	0.2	1.0	1.3	2.9	3.3	3.3	-	-	-
दिल्ली	1.0	0.1	0.1	38.0	40.2	40.4	0.7	0.7	0.7
पाण्डिचेरी	2.0	3.1	3.0	52.3	52.2	58.7	2.3	2.2	2.0
अखिल भारत	12979.3	14907.3	13350.2	179279.4	188699.6	195524.6	21324.7	24748.2	20871.6

विवरण-II

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक पिछले 3 वर्षों के लिए दलहनों, अनाजों और तिलहनों के लिए निर्धारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लक्ष्य और उपलब्धियां

(लाख मी. टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दलहन						अनाज						तिलहन					
	1997-98		1998-99		1999-2000		1997-98		1998-99		1999-2000		1997-98		1998-99		1999-2000	
	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.	ल.	उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
आन्ध्र प्रदेश	7.5		7.8		7.8		130.60		131.81		131.09		29.61		30.50		30.50	
अरुणाचल प्रदेश	0.06		0.05		0.05		2.30		2.46		2.96							
असम	0.6		0.65		0.65		34.20		35.40		35.40		1.85		1.35		1.35	
बिहार	8.4		8.37		8.37		136.50		137.00		137.02		4.32		4.55		4.55	
गोवा	0.1		0.05		0.05													
गुजरात	6.2		6.95		6.95		43.36		45.45		50.98		31.85		33.70		33.70	
हिमाचल प्रदेश	0.14		0.15		0.15		13.99		14.03		15.26		-		-		-	
हरियाणा	5.05		5.35		5.35		104.46		110.96		115.13		9.70		10.20		10.20	
जम्मू व कश्मीर	0.24		0.25		0.25		15.09		15.98		15.05		0.50		0.50		0.50	
कर्नाटक	7.8		7.45		6.96		83.00		84.75		87.42		17.50		18.05		18.05	
केरल	0.3		0.4		0.4		11.38		11.38		8.50		-		-		-	
मध्य प्रदेश	35.0		36.95		35.95		160.77		165.99		169.99		52.90		58.35		58.35	
महाराष्ट्र	22.0		23.99		24.49		116.95		116.05		123.90		25.48		26.85		26.85	
मणिपुर	0.12		0.12		0.12		3.60		3.70		3.70		-		-		-	
मेघालय	0.03		0.03		0.04		1.39		1.64		1.55		-		-		-	
मिजोरम	-		-		0.03		0.03		1.05		1.35		-		-		-	
नागालैण्ड	0.13		0.04		0.04		2.00		2.08		2.05		-		-		-	
उड़ीसा	7.0		5.2		5.2		69.09		69.10		67.75		6.06		6.20		620	
पंजाब	0.95		0.95		0.95		214.80		118.82		223.76		3.33		3.35		3.35	
राजस्थान	17.5		17.5		17.5		102.20		105.75		113.16		32.15		34.30		34.30	
सिक्किम	0.1		013		0.13		0.98		0.98		0.75		-		-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
तमिलनाडु	3.55		6.06		6.04		84.10		88.15		86.80		18.00		18.70		18.70	
त्रिपुरा	0.06		0.04		0.04		5.25		5.07		5.02		16.15		17.00		17.00	
उत्तर प्रदेश	25.25		24.9		25.9		381.72		391.38		413.94		4.70		4.80		4.80	
पश्चिम बंगाल	1.7		1.5		1.5		131.60		135.10		134.45		-		-		-	
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.04		0.02		-		-		-		-		-		-		-	
दिल्ली	0.01		0.02		0.02		1.56		0.24		0.05		-		-		-	
अन्य	0.18		0.20		0.05		0.95		0.98		1.89		0.80		0.90		0.90	
योग्य	150.00		155.00		155.00		1845.00		1894.00		1985.85		255.00		270.00		270.00	

ल. - लक्ष्य

उ - उपलब्धि

*इन लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

विवरण-III

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक के पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम और अनाज संबंधी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गई वित्तीय सहायता

(रुपये लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दलहन			अनाज			तिलहन		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	221.00	245.00	105.00	751.50	8000.04	651.93	1502.00	1200.00	976.81
अरुणाचल प्रदेश	6.00	5.00	43.88	78.36	51.10	69.95	40.00	40.00	118.88
असम	-	10.00	44.43	38.82	50.00	55.00	-	200.00	142.00
बिहार	-	-	-	38.00	-	-	-	-	-
गोवा	1.00	1.00	3.00	7.00	10.00	22.75	-	-	-
गुजरात	90.00	208.00	108.22	140.44	136.27	75.25	1142.00	1030.00	1130.00
हिमाचल प्रदेश	15.00	15.00	-	111.75	111.13	146.19	-	40.00	23.00
हरियाणा	60.00	35.00	68.00	533.00	279.10	485.57	296.36	280.00	328.65
जम्मू व कश्मीर	30.00	30.00	20.00	40.75	-	34.16	-	80.00	47.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कर्नाटक	130.00	150.00	150.00	243.05	326.10	239.35	653.14	700.00	580.81
केरल	12.00	12.00	12.00	134.00	131.00	111.64	50.00	50.00	50.00
अध्य प्रदेश	555.00	485.00	369.00	630.00	686.24	441.30	1249.00	1241.50	1054.80
महाराष्ट्र	412.00	430.00	430.00	544.32	1034.00	409.65	1050.00	1100.00	1030.43
मणिपुर	25.00	35.00	89.96	94.11	79.86	73.83	110.00	100.00	224.90
मेघालय	5.00	5.00	77.33	24.10	8.00	38.31	20.00	25.00	80.00
मिजोरम	–	–	30.00	48.10	39.05	36.58	–	–	120.00
नागालैण्ड	18.00	30.00	100.00	53.10	52.00	63.00	–	–	–
उड़ीसा	45.00	180.00	180.00	1029.50	803.00	785.18	500.00	500.00	500.00
पंजाब	25.00	22.00	14.73	–	248.49	367.56	100.00	100.00	20.00
राजस्थान	684.00	525.00	474.90	867.83	808.43	885.64	1650.00	1230.00	1140.15
सिक्किम	15.00	15.00	15.00	20.12	21.50	34.14	55.00	60.00	60.00
तमिलनाडु	1650.00	150.00	150.00	642.99	675.59	488.49	832.00	625.00	624.66
त्रिपुरा	25.00	25.00	100.00	37.10	31.00	70.05	35.00	58.50	140.00
उत्तर प्रदेश	877.25	630.00	281.39	2225.87	1718.80	1373.51	921.00	704.00	458.00
पश्चिम बंगाल	13.75	25.00	54.16	151.20	80.00	108.89	250.00	246.00	246.00
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.00	1.00	1.00	–	–	–			
दिल्ली	1.00	1.00	1.00						
अन्य				31.80	21.63	20.61			

चालू सिंचाई परियोजनाएं

63. **श्री वी. वेद्रिसेलवन:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रही सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवंटित, वितरित और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा, नौवीं योजना में आबंटित निधियों तथा गत तीन वर्षों में किया गया उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	नौवीं योजना परिव्यय	नौवीं योजना में व्यय		
				1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	12	3197.12	405.6	432.3	495
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3.	असम	4	85.1	17.98	23.1	24.69
4.	बिहार	8	840.50	75.78	106.4	170.01
5.	झारखंड	7	323.00	70.71	123.5	121.69
6.	गोवा	1	232.27	22.6	18.06	56.7
7.	गुजरात	9	14080.09	58.1	38.79	7.15
8.	हरियाणा	5	187.76	2.86	8.25	34.19
9.	हिमाचल प्रदेश	1	24.25	8.4	9.31	12.9
10.	जम्मू व कश्मीर	1	12.8	2.1	2.85	3.42
11.	कर्नाटक	14	2517	1174	1401	1874.77
12.	केरल	2	480	94.29	97.61	110
13.	मध्य प्रदेश	19	1396.01	210.8	265.6	302.91
14.	छत्तीसगढ़	5	579.00	39.95	42.2	48.18
15.	महाराष्ट्र	44	7150.07	830.7	710.5	863.79
16.	मणिपुर	2	326.63	27.13	23.45	48.51
17.	मेघालय	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	6	1631.22	336.1	286	273.6
21.	पंजाब		18	3.05	3.5	2.2
22.	राजस्थान	6	1709.64	144.3	157.7	195.93
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
26.	उत्तरांचल	2	206.00	17.8	6.95	6.72
27.	उत्तर प्रदेश	15	2004.54	367	364.7	731.33
28.	पश्चिम बंगाल	3	724.03	87.71	71.34	72.5
	कुल	171	37703.02	3997	4213	5458.39

तमिलनाडु के खेतों में नाली का निर्माण

64. **श्री एन.टी. षणमुगम:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु के खेतों से अधिशेष जल के निकास के लिए खेतों में नाली के निर्माण के संबंध में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2001-2002 के लिए कावेरी कमान तथा तम्बीरापरानी नदी बेसिन परियोजना में तमिलनाडु के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी के वास्ते 64.50 लाख रुपये की लागत से 6450 हेक्टेयर क्षेत्र में खेत नालियों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

[हिन्दी]

सी.पी.सी.बी. द्वारा किया गया निर्माण कार्य

65. **श्रीमती शीला गौतम:**
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों में चालू निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का किसी भी राज्य में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड

66. **योगी आदित्यनाथ:** क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को निजी क्षेत्र को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में श्रमिकों के सभी पक्षों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी हां। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एक ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जिसकी विनिवेश के लिए पहचान की गई है।

(ख) सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की 26 प्रतिशत इक्विटी को हटाने (डाइवेस्ट) और एक रणनीतिक भागीदार को इसका प्रबंध नियंत्रण सौंपने का प्रस्ताव किया है। हिन्दुस्तान जिंक

लिमिटेड की विनिवेश के लिए पहचान इस कारण से की गई है कि यह 'रणनीति' श्रेणी में नहीं आता है।

(ग) और (घ) जैसाकि वित्त मंत्री ने वर्ष 2000-2001 के बजट भाषण में घोषित किया था, सरकार कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। विनिवेश के समय हस्ताक्षरित किये जाने वाले सौदा दस्तावेजों में उपयुक्त उपबंधों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है।

[अनुवाद]

गाद जमा होना

67. मोहम्मद शहाबुद्दीन:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या जल संसाधन मंत्री गाद के जमाव के बारे में 13.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3210 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कमला नदी पर कमला बहु-उद्देशीय परियोजना और बागमती नदी पर बागमती बहु-उद्देश्यीय परियोजना से संबंधित जलाशय निर्माण के लिए बिहार सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए कुल कितना परिव्यय किया गया है तथा उसमें केन्द्र एवं राज्य का हिस्सा कितना है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) कमला नदी में कमला बहुउद्देशीय परियोजना तथा बागमती नदी में बागमती बहुउद्देशीय परियोजना का प्रस्ताव बिहार सरकार द्वारा किया गया है। इन पर अभी भी नेपाल सरकार के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऑन-लाइन रोजगार कार्यालय

68. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार लोगों को रोजगार के अवसरों की अद्यतन सही स्थिति से अवगत कराने के लिए ऑन-लाइन रोजगार कार्यालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुमानों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) 31.8.2001 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर रोजगार चाहने वालों की राज्यवार कुल संख्या, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	31.8.2001 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या (हजार में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3222.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	23.28
3.	असम	1471.23
4.	बिहार	1809.85
5.	छत्तीसगढ़	811.95
6.	दिल्ली	1013
7.	गोवा	104.58
8.	गुजरात	1094.55
9.	हरियाणा	720.38
10.	हिमाचल प्रदेश	907.28
11.	जम्मू और कश्मीर	168.85
12.	झारखंड	1511.40
13.	कर्नाटक	2037.95
14.	केरल	4365.05

1	2	3
15.	मध्य प्रदेश	1880.37
16.	महाराष्ट्र	4461.00
17.	मणिपुर	398.53
18.	मेघालय	38.61
19.	मिजोरम	86.35
20.	नागालैण्ड	38.03
21.	उड़ीसा	929.33
22.	पंजाब	539.17
23.	राजस्थान	795.23
24.	सिक्किम*	–
25.	तमिलनाडु	4904.71
26.	त्रिपुरा	317.65
27.	उत्तरांचल	311.59
28.	उत्तर प्रदेश	1937.98
29.	पश्चिम बंगाल	6087.17
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	33.60
31.	चंडीगढ़	90.80
32.	दादर व नगर हवेली	5.15
33.	दमन व दीव	7.60
34.	लक्षद्वीप	10.94
35.	पांडिचेरी	142.44
	योग	42272.1

टिप्पणी: *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है। हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खायें।

हवाई अड्डों के निकट अतिक्रमण

69. **श्री वाई.वी. राव:**
श्री किरीट सोमैया:
श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ऐसे हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है जिनकी परिधि में सघन आबादी के कारण खतरे की आशंका है;

(ख) क्या सरकार हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सघन आबादी वाली इन बस्तियों को हटाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से स्थानों से बस्तियां हटाये जाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार भविष्य में हवाई अड्डों की परिधि में सघन आबादी को बसने से रोकने, अतिक्रमण रोकने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) किसी हवाई अड्डा क्षेत्र के आस-पास जनसंख्या घनत्व स्वयं में विमान प्रचालनों हेतु किसी खतरे का कारण नहीं बनता है। तथापि, हवाई अड्डा क्षेत्र के आस-पास में उच्च निर्माण हवाई अड्डा की प्रयोज्यता में रुकावट का कारण बन सकता है।

(ख) से (ङ) संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विमान यात्रियों और विमानों की सुरक्षा हेतु हवाई अड्डा के आस-पास अवैध बस्तियों को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसके अलावा, हवाई अड्डों के आस-पास उच्च निर्माण कार्य अनुबंध-14 में उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन मार्गदर्शी सिद्धांतों के उपाबंधों तथा भारत सरकार के सांविधिक आदेश 1988 द्वारा विनियमित किये जाते हैं। हैदराबाद हवाई अड्डे पर इनका उल्लंघन करने वाले निर्माणों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खानों से दुर्घटनाएं

70. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:**
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री अमर राय प्रधान:

क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खानों और अन्य खानों में दुर्घटनाएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1 जनवरी, 2001 से 31 अक्तूबर, 2001 के दौरान विभिन्न राज्यों की कोयला खानों में कितने व्यक्ति घायल हुए/मारे गए और गत तीन वर्षों के आंकड़ों की तुलना में इनके आंकड़े क्या हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितनी संपत्ति की हानि हुई;

(ङ) ऐसे मामलों में घायल व्यक्तियों और मृत व्यक्तियों के परिवारों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(च) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) कोल इंडिया लि., सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. की खानों में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई दुर्घटनाओं के विवरण निम्नानुसार हैं:

		1998	1999	2000	2001 (जनवरी-अक्तूबर)
घातक दुर्घटनाएं	सीआईएल	91	94	79	57 + 1
	एससीसीएल	31	25	26	19
	एनएलसी	2	2	3	4
गंभीर दुर्घटनाएं	सीआईएल	416	419	447	345
	एससीसीएल	101	93	87	74*
	एनएलसी	3	6	2	4

*अवधि जनवरी-सितम्बर 2001

टिप्पणी: सी.आई.एल. में 2000 तथा 2001 की अवधि के लिए घातक दुर्घटनाओं के आंकड़े डी.जी.एम.एस. के साथ समाधान के अध्यधीन है।

+बागडिगी आपदा

(ग) कोल इंडिया लि. एस.सी.सी.एल. तथा एन.एल.सी. की कोयला खानों में 1998 से 2001 (अक्तूबर 2001 तक) की अवधि के दौरान जख्मी/मृत व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:

		1998	1999	2000	2001 (जन.-अक्तूबर)
सांघातिकताएं	सीआईएल	104	103	99	63 + 29*
	एससीसीएल	36	27	33	19
	एनएलसी	2	2	3	4
गम्भीर चोटें	सीआईएल	432	447	471	372
	एससीसीएल	103	106	90	93
	एनएलसी	3	6	2	4

टिप्पणी: सी.आई.एल. में 2000 तथा 2001 की अवधि के लिए सांघातिकताओं के आंकड़े डी.जी.एम.एस. के साथ समाधान के अध्यधीन है।

+बागडिगी आपदा

(घ) सी.आई.एल. तथा एन.एल.सी. में दुर्घटना के कारण सम्पत्ति का नुकसान नगण्य है। तथापि एससीसीएल में छत गिरने की दुर्घटनाओं तथा बाद में जी.डी.के-8 इन्क्लाइन के स्वत: तापन के कारण बी.जी.-II/II पेनल तत्काल सील कर दिया गया। सील किए गए पैनल में 5.51 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री छूट गई है।

(ङ) सांघातिकताओं के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा संलग्न-I विवरण में दिया गया है।

(च) कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कम्पनियों और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. के आन्तरिक सुरक्षा संगठन द्वारा की गई जांच में घातक दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ की-गई-कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. प्रत्येक मानसून से पूर्व, प्रत्येक खान में सतह से तथा जल के भूमिगत स्रोतों से जलाप्लावन के खतरे की जांच की जाती है तथा जहां कहीं भी आवश्यक होता है उसके संबंध में निवारक उपायों की कार्य-योजनाएं तैयार की जाती हैं तथा कार्यान्वित की जाती हैं।
2. अनुभवी खनन तथा विद्युतीय/मैकेनिकल इंजीनियरों द्वारा खानों के नियमित आवधिक सुरक्षा आडिट किये जाते हैं और उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता है।
3. भूमिगत खानों में विकास खदानों में रॉक-मास, रेटिंग अध्ययनों पर आधारित वैज्ञानिक सपोर्ट प्रणाली द्वारा रूफ सपोर्ट प्रणाली का डिजाइन बनाना।
4. भूमिगत खानों में स्टील सपोर्टों का उत्तरोत्तर प्रयोग करना।
5. भूमिगत खानों में विकास खदानों में सपोर्ट के लिए क्विक-सैटिंग सीमेन्ट केपसूल ग्राउटिड रूफ बोल्टों का अधिकाधिक प्रयोग करना।
6. भूमि के नीचे की खानों में एस.डी.एल. तथा एल.एच.डी. के बढ़ते प्रयोग द्वारा लोडिंग प्रचालनों के यान्त्रीकरण द्वारा श्रमिकों पर खनन के खतरों को कम से कम प्रभाव होना।
7. श्रमिकों की सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने के लिए श्रमिकों सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण पर जोर देना।
8. ओपनकास्ट खानों में तथा खानों की सतह पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है।

विवरण-I

कम्पनी	तिथि	खान	प्रभावित का नाम	मुआवजा (रु. में)	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
			2001		
बीसीसीएल	1/21/01	5/6 पिट के बी	सदन कुम्हार	156290	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	मोहन घटवार	184170	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	अनूप यादव	131950	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	शान्त राज प्रसाद	213570	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	छोटू मिया	121050	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	सेव धरन तांती	194170	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	मनोज कुमार जैसवारा	218910	

1	2	3	4	5	6
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	श्याम लाल कोरा	205950	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	चन्द्र देव हरिजन	172520	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	स्वामी नाथ नौनिया	121050	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	राजेन्द्र प्रसाद यादव	170490	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	घूरा सिंह	146200	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	ब्रज मोहन सिंह	188400	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	दशरथ भुइया	128330	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	रामबद पासवान	197060	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	प्रीतम सिंह	199400	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	गुल्जार	142680	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	जैनुल अवैधीन	142680	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	अशोक कुमार मंडल	192140	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	अब्दुल हमीद	156470	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	जगमोहन गोपे	135560	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	श्यामापाद बाउरी	175540	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	काला रविदास	178490	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	लोखन सोरन	197060	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	सीतू मैहतो	128330	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	नारायण बरी	135560	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	बंशी बरी	139130	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	अरविन्द कुमार	199400	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	ए.के. उपाध्याय	75540	
बीसीसीएल	2/2/01	बागडिगी	पी.आर. सिंह	114560	
बीसीसीएल	2/9/01	कतरा चोइटडीह	रामचन्द्र मैहतो	121050	
बीसीसीएल	3/15/01	बासुदेबपुर	मंगर मंडल	159800	
बीसीसीएल	3/17/01	धानूडीह	बरसाती चौहान	139000	
बीसीसीएल	4/21/01	आकाश किनारी	राम प्रताप सिंह	149670	

1	2	3	4	5	6
बीसीसीएल	5/7/01	पी.बी. परियोजना	बिसुन देव गहलौत	159800	
बीसीसीएल	5/26/01	कतरा चोटूडीह	सुदाम चन्द राय	128330	
बीसीसीएल	8/1/01	नाद खुरकी ओ.सी.पी.	विजय रवि दास	159800	
बीसीसीएल	7/10/01	लोया बाद	हीरामन मिया	166290	
बीसीसीएल	9/1/01	उत्तरी टिसरा परियोजना	प्रभात बनर्जी		प्रक्रियाधीन
सीसीएल	6/4/01	सौन्दा डग	राममम हरक अहीर	149570	
सीसीएल	8/9/01	रोहिणी	तारा सिंह-2		प्रक्रियाधीन
सीसीएल	3/23/01	सैन्ट्रल सौन्दा	दीपक शर्मा		प्रक्रियाधीन
ईसीएल	2/8/01	पुरे सीयरसोल	सोना लाल माझी	48424	
ईसीएल	3/22/01	चोरा दस पिट	सागर घोष**		प्रक्रियाधीन
ईसीएल	4/5/01	शंकर पुर	ब्रज मोहन गोरई	149670	
ईसीएल	4/27/01	क्वारडीह 13/14 पिट	रामधर यादव	142680	
ईसीएल	4/29/01	झांझरा 1 तथा 2 इंकलाइन	ओम प्रकाश कोरी		प्रक्रियाधीन
ईसीएल	3/9/01	मधु जोहड़	नारायण साह	139130	
ईसीएल	6/4/01	राजमहल ओसीपी	दोस्त मोहम्मद	153090	
ईसीएल	6/9/01	काली पहाड़ी (जीएम घोषिक)	रामेश्वर गोपे	124700	
ईसीएल	6/15/01	कुमार डीह	घूरा प्रकाश बीपी	163070	
ईसीएल	7/19/01	पारस कोल ईस्ट	भोला गिरी	128330	
ईसीएल	7/19/01	पारस कोल ईस्ट	पारेश मुखर्जी	146200	
ईसीएल	3/20/01	सिदूली	एस.के. सिंह	219930	
ईसीएल	9/27/01	श्याम सुन्दर पुर	दीपन महतो	124700	
ईसीएल	9/29/01	बोन्जे मेहरी ओसीपी	श्याम लाल चौहान		प्रक्रियाधीन
ईसीएल	10/14/01	बन्सरा	सुखई भुइया		प्रक्रियाधीन
ईसीएल	10/29/01	निमचा	जग्गू यादव		प्रक्रियाधीन
एमसीएल	2/18/01	लखनपुर	दिनेश प्रसाद सिंह	189580	
एमसीएल	6/2/01	देउल बेरा	आर.सी. पांडा	163770	

1	2	3	4	5	6
एमसीएल	7/5/01	लिंग राज ओसीपी	श्रीकान्त चौधरी	221370	
एनसीएल	3/19/01	निगाही परियोजना	मधुसूदन मंडल	172520	
एनसीएल	6/20/01	बीना	कासिम	247397	
एनसीएल	7/3/01	निगाही	शिव प्रसाद सिंह	146200	
एनसीएल	8/31/01	अमलोहरी	वीरेन्द्र कुमार	159800	
एनसीएल	10/23/01	अमलोहरी	जगन्नाथ चौवे		प्रक्रियाधीन
एसईसीएल	1/18/01	जमना 9 तथा 10	रामचन्द्र	222710	
एसईसीएल	1/31/01	धानपूरी ओसीएम	राजेन्द्र सिंह	159800	
एसईसीएल	3/15/01	कुसमुण्डा	श्री गणेश मारबी	211790	
एसईसीएल	3/17/01	उमरिया	प्रमोद तिवारी	205958	
एसईसीएल	3/19/01	गेवरा परियोजना	सदाशिव नायडू	198950	
एसईसीएल	5/30/01	कोरिया	बलीराम		न्यायाधीन
एसईसीएल	6/12/01	पाली	सुखदेव प्रसाद	214188	
एसईसीएल	6/17/01	बीरसिंह पुर	गोविन्द कोटवार	181370	
एसईसीएल	7/19/01	धानपुर ओसीएम	ध्रुव चरण महतो	419840	
एसईसीएल	7/24/01	गोविन्द	सिद्ध गोपाल	319600	
एसईसीएल	10/10/01	दीप्का ओसीपी	बिनोद सिंह		प्रक्रियाधीन
डब्ल्यूसीएल	2/19/01	हिन्दुस्तान लालपेठ नं. 1	रामदास अंकलू अरदारी	201660	
डब्ल्यूसीएल	3/1/01	बावनेर खान नं..3	मोहम्मद जफरखान	225220	
डब्ल्यूसीएल	3/5/01	दुर्गापुर रायतवाड़ी	डी प्रकाश राव	135508	
डब्ल्यूसीएल	3/5/01	दुर्गापुर रायतवाड़ी	प्रदीप कुमार बाबू लाल	215280	
डब्ल्यूसीएल	3/5/01	दुर्गापुर रायतवाड़ी	सीता राम कल्लू	153090	
डब्ल्यूसीएल	3/5/01	दुर्गापुर रायतवाड़ी	वासुदेव दीकाजी श्रीरामे	181370	
डब्ल्यूसीएल	3/5/01	दुर्गापुर रायतवाड़ी	चन्दरिया रायमल्लू आमटे	153090	

1	2	3	4	5	6
डब्ल्यूसीएल	3/5/01	दुर्गापुर रायतवाड़ी	राज्य रम्मेया नेथरू	135660	
डब्ल्यूसीएल	3/20/01	टान्डसी 3 तथा 4 इंकलाइन	भागवत	169440	
डब्ल्यूसीएल	5/7/01	पदमपुर ओ.सी.	बसन्तराव दशरथ धा	194640	
डब्ल्यूसीएल	7/19/01	बातपुर-2	केसरी रतन	169440	
डब्ल्यूसीएल	7/31/01	सावनेर खान नं. 1	रेवन्त मारूति दुरबाडे	186900	
डब्ल्यूसीएल	8/29/01	कोलार पिंपरी ओ.सी.	जीवा रायदास		प्रक्रियाधीन
डब्ल्यूसीएल	8/17/01	ए.बी. इन्कलाइन	ताराचन्द धनलाल ठाकरे		प्रक्रियाधीन
डब्ल्यूसीएल	10/11/01	मथानी	राधे श्याम देहरिया		प्रक्रियाधीन

**प्रबन्धक

विवरण II

की-गई-अनुशासनात्मक कार्यवाही के ब्यौरे-2001

	कर्मचारी का प्रकार	कुल जिम्मेवार	परिनिन्दित	सचेत/ चेतावनी दी गई	निलम्बित	वेतन वृद्धि रोकी गई	पदोन्नति रोकी गई	पदावनत किया गया	निष्काषित किया गया	बरी	की गई कुल कार्यवाहियां	प्रशासकीय कार्यवाही प्रगति पर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ईसीएल	अधिकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	पर्यवेक्षक	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	श्रमिक	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
बीसीसीएल	अधिकारी	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	पर्यवेक्षक	5	0	0	4	0	0	0	0	0	4	1
	श्रमिक	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
सीसीएल	अधिकारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पर्यवेक्षक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	श्रमिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एनसीएल	अधिकारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पर्यवेक्षक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	श्रमिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डब्ल्यूसीएल	अधिकारी	12	0	6	0	1	0	0	0	0	7	5
	पर्यवेक्षक	8	0	0	0	3	0	0	0	0	3	5
	श्रमिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डब्ल्यूसीएल	अधिकारी	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	पर्यवेक्षक	5	0	1	3	1	0	0	0	0	5	0
	श्रमिक	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
एमसीएल	अधिकारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पर्यवेक्षक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	श्रमिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एनईसी	अधिकारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पर्यवेक्षक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	श्रमिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अधिकारी	22	1	6	0	1	0	0	0	0	8	14
सीआईएल	पर्यवेक्षक	20	0	1	7	4	0	0	0	0	12	8
	श्रमिक	6	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4
एससीसीएल		0	0	4	2	0	0	0	0	0	6	0

तिरूवनन्तपुरम हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का निर्माण

71. **श्री वी.एस. शिवकुमार:**
श्री कोडीकुनील सुरेश:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष जुलाई में तिरूवनन्तपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस पर कब तक काम शुरू हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार नए टर्मिनल के निर्माण संबंधी व्यय को पूरा करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को राज्य सरकार की ओर से तिरूवनन्तपुरम हवाई अड्डे के विस्तार/आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) टर्मिनल के लिए फाउंडेशन स्टोन दिनांक 11 जून, 2000 को रखा गया।

(ख) से (छ) नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के निर्माण और त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के चक्काई कैनाल की तरफ वाले संबंधित काम के लिए सरकार ने 25 जुलाई, 2001 को केरल राज्य सरकार को सिद्धान्त रूप में मंजूरी दे दी है और केरल राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगा है और अंतिम अनुमोदन के लिए विस्तृत प्लान का अनुमान लगाने का अनुरोध किया है।

शहद का उत्पादन

72. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में शहद उत्पादन क्षमता कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तमिलनाडु में 31 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार शहद उत्पादन का जिले-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। केरल में शहद के उत्पादन का मूल्य 1994-95 के 132.21 लाख रुपये से बढ़कर 1999-2000 में 320.10 लाख रु. हो गया है। शहद उत्पादन के बारे में जिलावार सूचना संकलित नहीं की जा रही है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता। वैसे, कृषि मंत्रालय कृषि में वृहद प्रबंध कार्ययोजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/संपूरण नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत केरल राज्य बागवानी उत्पाद विकास निगम को मधुमक्खी छतों के उत्पादन और वितरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और शहद उत्सवों जैसे कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

(घ) वर्ष 2001 के लिए तमिलनाडु में शहद उत्पादन संबंधी जिलावार सूचना संकलित नहीं की गयी है।

कुक्कुट पालन उद्योग

73. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन समझौते के लागू होने के कारण कुक्कुट पालन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुक्कुट मदों के आयात के समय देश के विभिन्न पत्तनों पर सीमा शुल्क के संबंध में कतिपय अनियमितताएं विद्यमान हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विश्लेषण किया गया है; और

(ङ) इस अस्वास्थ्यकर वातावरण को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गन्ने की खेती का क्षेत्र

74. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने क्षेत्रफल में गन्ने की खेती हो रही है और अधिकतम और न्यूनतम गन्ना उत्पादक राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या सरकार देश में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में चीनी मिलें स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) देश में गन्ने की खेती के अंतर्गत कुल लगभग 40.67 लाख हैक्टेयर क्षेत्र है जबकि गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम उत्पादन होता है, न्यूनतम उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है।

(ख) और (ग) राज्यों द्वारा कृषि के वृहद् प्रबंध विधि के अधीन गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों के सतत विकास की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) से (च) दिनांक 11 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना के माध्यम से गन्ना उद्योग को लाइसेंसमुक्त किया गया है। अब उद्यमी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों सहित देश के किसी भी भाग में अपनी परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार चीनी मिलें स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

राष्ट्रीय जल प्रबंधन के अधीन परियोजनाएं

75. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जल प्रबंधन के तहत राजस्थान और महाराष्ट्र में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना को अब तक अलग-अलग कितनी राशि आबंटित की गई है और कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद कुल कितने क्षेत्र की सिंचाई संभव हो जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) इस समय इस प्रकार की किसी स्कीम का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बारगी जलाशय योजना की नहर का निर्माण

76. श्री रामानन्द सिंह : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश को नर्मदा नदी की बारगी जलाशय योजना की वर्षों से लंबित पड़ी दायीं ओर की नहर के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए विशेष सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता और दिशानिर्देश क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) बार्गी बांध पहले ही तैयार हो गया है तथा बार्गी दायां तट नहर अनुमोदित परियोजना है। यदि राज्य सरकार इसे समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान करती है तथा यह परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्य मापदण्ड पूरा करती है तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता इस नहर कार्य के लिए प्रदान करने के वास्ते विचार किया जा सकता है।

एक-तिहाई भूमि को वन भूमि में परिवर्तित करना

77. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुल भू-क्षेत्र के एक-तिहाई भाग को वन क्षेत्र में परिवर्तित करने के संबंध में आवश्यक सुझाव देने के लिए श्री ए.के. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने रिपोर्ट को क्रियान्वित करने की दिशा में क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं। तथापि, देश के एक-तिहाई भौगोलिक क्षेत्र को वन/वृक्ष आवरण के तहत लाने के लिए एक क्रियान्वयन योग्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया था जिसके श्री ए.के. मुखर्जी सदस्य थे।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति की सिफारिशों में नीति एवं कानूनी सुधारों के साथ-साथ सांस्थानिक पुन:संरचना, वन प्रबंधन में समुदायों की

सहभागिता, वानिकी उद्यमों का संतुलित विकास, सहायता सेवाएं, प्रोत्साहन प्रणाली एवं उन्नत प्रबंधन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। समिति ने सभी स्रोतों से संसाधन जुटा कर वनों और वृक्षारोपण के समस्त विकास हेतु एक एकीकृत पद्धति की भी सिफारिश की है।

(घ) योजना आयोग द्वारा दसवीं योजना में वानिकी के संबंध में गठित कार्यकारी दल ने अवक्रमित भूमियों पर वनीकरण और पुनरुद्धार, वन क्षेत्रों के बाहर वन/वृक्ष आवरण बढ़ाने, वानिकी संबंधी गतिविधियों में लोगों की सहभागिता को बल प्रदान करने, वन विकास एजेंसियों के सृजन, ढांचागत विकास आदि के लिए कार्यनीतियां प्रतिपादित की हैं।

[अनुवाद]

हज यात्रियों के परिवहन के लिए एअर इंडिया को ठेका

78. श्री ई. अहमद :
श्री जे.एस. बराड़ :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हज यात्रियों के परिवहन के लिए एअर इंडिया को ठेका देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या एअर इंडिया अन्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों की सेवाओं को प्रभावित किए बिना इस कार्य को कर पाएगी;

(ग) क्या एअर इंडिया इस कार्य के लिए अतिरिक्त विमान खरीद रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका में 11.9.2001 की घटना के बाद से ही नागर विमानन सेक्टर में यात्रियों की मांग में कमी आई है और एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस को भी उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता सृजित करने के प्रति आघात लगा है। अब यह निर्णय लिया गया है कि एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस भारत से जेद्दाह के लिए लगभग 40,000 हज यात्रियों को ले जाने-लाने की व्यवस्था करेगी। इसके अलावा, सऊदी अरब एयरलाइंस भी हज-2002 यात्रा में हिस्सा ले रही है और वह भारत से जेद्दाह के लिए लगभग 30500 हज यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करेगी।

(ग) और (घ) ऐसी आशा है कि हज-2002 यात्रा शुरू होने से पूर्व एअर इंडिया अपने विमान-बेड़े में पट्टे पर एक अतिरिक्त ए-301 विमान शामिल करेगी। विमान की यह प्राप्ति केवल हज यात्रा के लिए ही नहीं है वरन यह उनकी अनुसूचित प्रचालन सेवा के लिए दीर्घावधिक योजना के अनुसार भी है।

बीड़ी कामगारों का कल्याण

79. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीड़ी पर लगाए गए उपकर से सरकार को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान इस कुल राशि में से बीड़ी कामगारों के कल्याण की विभिन्न गतिविधियों पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) सरकार ने बीड़ी कामगारों के लिए कितने क्षयरोग अस्पतालों की स्वीकृति दी है और ये किन-किन स्थानों पर हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) बीड़ी पर 4/1998 से 3/2001 तक लगाए गए उपकर से सरकार को प्राप्त राशि 118.07 करोड़ रुपये है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी कामगारों को विभिन्न कल्याण कार्यकलापों के लिए इस कुल राशि में से व्यय की गयी राशि निम्नवत है:-

(रु. करोड़ों में)

उप-शीर्ष	1998-99	1999-2000	2000-2001
1. प्रशासन	2.05	2.46	2.58
2. स्वास्थ्य	15.26	17.93	21.35
3. शिक्षा	10.61	12.81	19.82
4. मनोरंजन	0.17	0.17	0.27
5. आवास	3.33	4.47	8.04
कुल योग	31.42	37.84	52.06

(ग) बीड़ी कामगारों के लिए करमा, झारखण्ड में एक 50 बिस्तरों वाले क्षयरोग अस्पताल की स्वीकृति दी गयी है।

नदियों का राष्ट्रीयकरण

80. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् के कार्य दल की बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केन्द्र सरकार से नदियों के राष्ट्रीयकरण का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विमान यात्रियों को बीमा सुरक्षा

81. श्री किरीट सोमैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूयार्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना के बाद उनके मंत्रालय द्वारा विमान यात्रियों को विशेष सीमा सुरक्षा के लिए बाध्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में मंत्रालय या विमानपत्तन प्राधिकरण या एयरलाइन्स प्राधिकरण ने प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां आमंत्रित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इससे पूर्व भी कोई बीमा सुरक्षा मौजूद थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के शहरों में आतंकवादी हमले के पश्चात् बीमा कंपनियों ने प्रतियात्री अधिभार लगाया है और बीमा प्रीमियम को बढ़ा दिया है। इसके फलस्वरूप इंडियन एयरलाइंस ने घरेलू/अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्रों में बीमा प्रभार लगाया है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

घरेलू : दिनांक 1 अक्तूबर, 2001 से लागू 100 रु. प्रति सैक्टर किराए को 1 नवम्बर, 2001 से बढ़ाकर 250 रु. प्रति सैक्टर कर दिया गया है।

अमेरिकी डालर के रूप में दिनांक 1 अक्तूबर, 2001 से लागू 2 अमेरिकी डालर को 1 नवम्बर, 2001 से बढ़ाकर 5 डालर प्रति सैक्टर कर दिया गया है।

अन्तरराष्ट्रीय सेवाएं : भारत से होकर यात्रा करने के लिए दिनांक 1 अक्तूबर, 2001 से लागू 2 अमेरिकी डालर प्रति सैक्टर को दिनांक 1 नवम्बर, 2001 से बढ़ाकर 5 अमेरिकी डालर प्रति सैक्टर कर दिया गया है।

दूसरे देशों से भारत में यात्रा करने के लिए संबंधित देश की राष्ट्रीय एयरलाइनों की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।

दिनांक 1 नवम्बर, 2001 को अथवा उसके बाद जारी सभी टिकटों के लिए एअर इंडिया प्रति सैक्टर में प्रति यात्री 3.50 अमेरिकी डालर (अथवा स्थानीय मुद्रा में इसके समतुल्य राशि) का बीमा प्रभार वसूल रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) इंडियन एयरलाइंस अपनी अपेक्षाओं के अतिरिक्त ऋणदाता/पट्टाकर्त्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए 500 करोड़ अमेरिकी डालर की बीमा के लिए तीसरे पक्ष की संभाव्यता कवर (आतंक के आक्रोश सहित) का वरण कर रही है। दिनांक 1.10.2001 से एअर इंडिया के पुन: निविदाकर्त्ताओं ने आतंकवाद तथा इससे जुड़ी गतिविधियों के कारण हुई क्षति के लिए 150 करोड़ अमरीकी डालर का कवर वापिस ले लिया। इस उद्देश्यार्थ एअर इंडिया ने मात्र 50 करोड़ अमेरिकी डालर लिया। बाकी 1450 करोड़ अमेरिकी डालर की हानि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार की निधि से की गई। आतंकवाद तथा इससे संबद्ध गतिविधियों के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए 1000 करोड़ अमेरिकी डालर की बीमा उपलब्ध थी। यह 1 नवम्बर, 2001 से प्रभावी है। 30 नवम्बर, 2001 तक भारत सरकार द्वारा शेष 500 करोड़ अमेरिकी डालर को कवर किया गया है।

[हिन्दी]

छोटे विमानों में ब्लैक बॉक्स की व्यवस्था

82. डा. अशोक पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा के लिए प्रयुक्त होने वाले छोटे सरकारी विमानों में ब्लैक बॉक्स की व्यवस्था नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन विमानों में ब्लैक बॉक्स उपलब्ध कराने का है क्योंकि ब्लैक बॉक्स नहीं होने के कारण विमान दुर्घटनाओं के कारणों का पता नहीं चलता;

(घ) यदि हां, तो इन विभागों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) अनुबंध-6 में इकाओ द्वारा विनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार ऐसे हवाई जहाजों, जिनका कुल भार 5700 कि.ग्रा. से कम है, उनमें कॉकपिट वायस रिकार्डर (सी.वी.आर.) और फ्लाइट डाटा रिकार्डर (एफ.डी.आर.) लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) से (ङ) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

आरक्षित बकाया पद

83. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों के भरे जाने वाले विशेष अभियान आदि की समाप्ति पर नागर विमानन मंत्रालय में डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार यथा अभिनिश्चित समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में निर्धारित बकाया आरक्षित रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान आज की तारीख तक प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए बने नए रिक्त पदों/दिए गए पदों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बाढ़ और सूखे के कारण नुकसान

84. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ और सूखे के कारण फसलों के तबाह होने, घरों के ढहने और पशुओं की मौत से हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को इस कारण राज्य-वार कितनी निधियां दी गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1998 और 1999 के दौरान और वर्ष 2000-01 के लिए राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारी वर्षा और बाढ़ के कारण जान और माल को हुई क्षति का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1998-99 से 2000-01 के दौरान सूखे के कारण हुई क्षति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) बाढ़ और सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं के आने पर वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से से निर्मुक्त राशि और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष/ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

1998 के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ के कारण हुई क्षति का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	मृतकों की की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	क्षतिग्रस्त मकान (लाख में)	क्षतिग्रस्त सस्यगत क्षेत्र (लाख है. में)
1.	आंध्र प्रदेश	276	155	1.64	16.75
2.	असम	125	86224	2.20	4.78
3.	बिहार	381	187	2.00	12.84
4.	गुजरात	153	4668	0.23	–
5.	हिमाचल प्रदेश	71	221	0.05	2.78
6.	केरल	244	उ. नहीं	0.38	1.90
7.	महाराष्ट्र	31	36	0.01	0.05
8.	मेघालय	4	2609	नगण्य	नगण्य
9.	उड़ीसा	34	61	0.73	4.37
10.	पंजाब	18	34	नगण्य	0.13
11.	राजस्थान	31	8248	0.09	0.97
12.	उत्तर प्रदेश	1390	3385	3.85	14.15
	योग	2758	105828	11.18	58.72

1999 के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ के कारण हुई क्षति का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	मृतकों की की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	क्षतिग्रस्त मकान (लाख में)	क्षतिग्रस्त सस्यगत क्षेत्र (लाख है. में)
1.	असम	3	992	नगण्य	0.59
2.	बिहार	230	37	0.61	2.87
3.	गुजरात	73	36	उ.न.	उ.न.
4.	हिमाचल प्रदेश	30	129	0.02	2.42
5.	राजस्थान	28	3650	0.07	0.20
6.	तमिलनाडु	103	628	0.37	0.01
7.	उत्तर प्रदेश	17	9	0.01	0.41
8.	पश्चिम बंगाल	79	3272	5.57	10.95
	योग	563	8753	6.65	17.45

2000-01 के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ के कारण हुई क्षति का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	मृतकों की की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	क्षतिग्रस्त मकान (लाख में)	क्षतिग्रस्त सस्यगत क्षेत्र (लाख है में)
1.	आंध्र प्रदेश	257	5368	1.04	4.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	26	9131	नगण्य	0.04
3.	असम	32	सू.न.	सू.न.	2.24
4.	बिहार	274	1861	3.12	3.92
5.	गुजरात	116	406	0.24	सू.न.
6.	हिमाचल प्रदेश	149	सू.न.	सू.न.	सू.न.
7.	कर्नाटक	152	690	0.55	0.57
8.	केरल	75	सू.न.	0.09	सू.न.
9.	मध्य प्रदेश	13	147	0.03	नगण्य
10.	पंजाब	7	सू.न.	नगण्य	0.25
11.	सिक्किम	11	सू.न.	नगण्य	सू.न.
12.	उत्तर प्रदेश	462	888	0.34	4.35
13.	पश्चिम बंगाल	1320	83630	21.95	19.20
	योग	2894	102121	27.36	34.79

सू.न. - सूचित नहीं

विवरण-II

वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान सूखे से प्रभावित जिलों, मनुष्यों और पशुओं आदि का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	प्रभावित जिला	प्रभावित आबादी		प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख है.)
			मनुष्य	पशु (लाख में)	
1	2	3	4	5	6
1998-99					
1.	केरल	14	सू.न.	सू.न.	0.81
2.	मध्य प्रदेश	7	43.75	43.84	11.85
3.	उड़ीसा	19	12.33	सू.न.	10.66

1	2	3	4	5	6
4.	राजस्थान	17	199.86	281.73	61.57
5.	पश्चिम बंगाल	10	25.24	सू.न.	1.20
1999-2000					
1.	आंध्र प्रदेश	18	413.00	125.00	26.52
2.	गुजरात	17	250.00	71.33	सू.न.
3.	हिमाचल प्रदेश	12	सू.न.	सू.न.	2.87
4.	जम्मू व कश्मीर	6	सू.न.	सू.न.	2.96
5.	कर्नाटक	21	220.00	49.52	18.48
6.	मध्य प्रदेश	7	26.64	34.28	9.53
7.	मणिपुर	5	सू.न.	सू.न.	0.71
8.	मिजोरम	3	सू.न.	सू.न.	0.51
9.	राजस्थान	26	262.00	345.60	78.18
10.	त्रिपुरा	4	सू.न.	सू.न.	0.20
11.	पश्चिम बंगाल	10	सू.न.	सू.न.	1.20
2000-01					
1.	आंध्र प्रदेश	22	सू.न.	सू.न.	18.54
2.	छत्तीसगढ़	12	94.08	32.40	11.36
3.	गुजरात	23	291.00	107.00	13.50
4.	हिमाचल प्रदेश	12	46.64	सू.न.	0.88
5.	जम्मू व कश्मीर	6	सू.न.	37.98	सू.न.
6.	मध्य प्रदेश	32	127.10	85.78	39.52
7.	महाराष्ट्र	26	454.99	2.58	45.00
8.	उड़ीसा	28	119.50	65.54	11.00
9.	राजस्थान	31	330.41	399.69	89.47

उत्तरांचल में एक जिले में जलाभाव की स्थिति थी।
सू.न. - सूचित नहीं।

विवरण-III

1998-99 से 2000-01 के दौरान आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से से निर्मुक्त राशि और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आ.रा.कोष के केन्द्रीय हिस्से को निर्मुक्त राशि			एन.एफ.सी.आर./एन.सी.सी.एफ. से प्रदान की गई सहायता		
		1998-99	1999-2000	2000-01	1998-99 (एनएफसीआर)	1999-2000 (एनएफसीआर)	2000-01 (एनसीसीएफ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	103.30	107.69	148.54	26.50	75.36	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.86	6.10	9.02	13.47	–	2.00
3.	असम	41.60	43.37	76.12	59.90	–	–
4.	बिहार	43.22	33.79	50.22	11.45	38.18	29.67
5.	छत्तीसगढ़	–	–	20.60	–	–	40.00
6.	गोवा	0.89	0.93	0.47	–	–	–
7.	गुजरात	116.12	121.05	131.14	55.35	54.58	585.00
8.	हरियाणा	20.84	21.73	60.98	13.27	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	22.42	23.37	32.61	–	–	8.29
10.	जम्मू व कश्मीर	16.39	17.09	26.18	–	73.42	–
11.	झारखंड	–	–	42.52	–	–	–
12.	कर्नाटक	34.81	36.29	55.93	49.98	17.09	–
13.	केरल	46.08	48.04	17.34	–	–	–
14.	मध्य प्रदेश	42.49	44.29	46.98	35.00	38.86	35.00
15.	महाराष्ट्र	56.73	44.36	117.90	–	–	–
16.	मणिपुर	2.06	1.61	1.56	–	4.93	–
17.	मेघालय	2.32	2.42	2.95	–	–	1.00
18.	मिजोरम	1.05	1.10	1.12	–	6.00	–
19.	नागालैंड	1.41	1.47	0.53	–	–	–
20.	उड़ीसा	40.77	42.50	103.65	–	828.15	35.00
21.	पंजाब	45.04	46.96	92.04	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	148.92	155.25	196.00	21.98	102.93	85.00
23.	सिक्किम	3.92	4.08	2.95	7.67	–	–
24.	तमिलनाडु	49.37	51.47	76.98	–	–	–
25.	त्रिपुरा	3.74	3.90	1.41	5.05	5.34	–
26.	उत्तरांचल	–	–	7.10	–	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	104.07	108.50	32.08	131.15	16.68	–
28.	पश्चिम बंगाल	42.69	44.50	75.83	66.33	29.52	103.25

[अनुवाद]

कृषि भूमि की मिट्टी की उर्वरता

85. डा. वी. सरोजा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि भूमि की मिट्टी की उर्वरता पर विशेषकर कृषि आधारित राज्यों में कोई अध्ययन शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में इस संबंध में कोई कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) देश के विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित 18 केन्द्रों में ''दीर्घावधिक उर्वरक परीक्षणों'' पर अपनी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता पर उर्वरक प्रयोग के दीर्घकालीन प्रभावों का मूल्यांकन कर रही है। अध्ययन में पाया गया है कि अधिक आदानों और अधिक उत्पादक किस्मों से की जाने वाली सघन खेती के परिणामस्वरूप कुछ वृहत (मैक्रो) और सूक्ष्म (माइक्रो) घटकों की कमी के कारण मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता में कमी आ जाती है। ये कमियां पोषक तत्वों के इतनी अधिक मात्रा में निकल जाने से आती हैं जितनी कि उनकी भरपाई नहीं हो सकती। परिषद मृदा उर्वरकता पुन: प्राप्त करने के लिए पौध पोषकों के जैव और अजैव दोनों स्रोतों के संयुक्त प्रयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और समेकित पोषण प्रबंध की सिफारिश कर रही है। इसके अतिरिक्त फसलन अनुक्रमों में फलियों को शामिल करने का भी समर्थन किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) लागू नहीं।

गहन कपास विकास कार्यक्रम संबंधी योजना

86. श्री जी.जे. जावीया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में गहन कपास विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.) संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना केन्द्रीय आबंटन किया गया और योजना में राज्य सरकारों का कितना हिस्सा है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान गुजरात में क्या उपलब्धि हासिल की गई;

(ङ) क्या इस योजना का गैर-परम्परागत लेकिन सक्षम राज्यों तक भी विस्तार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो राज्यों के नाम क्या हैं और योजना के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II के अंतर्गत गहन कपास विकास कार्यक्रम की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम गुजरात सहित कपास उगाने वाले 13 राज्यों में चलाई जा रही है। इस स्कीम में भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच धन वहन करने का स्वरूप अधिकांशतया 75 : 25 है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य कपास का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है। उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के अंतरण, समेकित कृमि प्रबंध और किसानों/विस्तार कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, किसानों को बीजों, छिड़काव यंत्रों, जैव एजेन्टों, फिरोमोन ट्रैप्स और छिड़काव सैटों तथा टपका सिंचाई प्रणाली जैसी जल रक्षक युक्तियों जैसे आदान भी रियायती दरों पर सप्लाई किए जाते हैं।

(ग) पिछले 2 वर्षों के दौरान गुजरात राज्य के लिए इस स्कीम में केन्द्रीय आबंटन और राज्य का हिस्सा इस प्रकार है:-

(रुपये लाखों में)

वर्ष	केन्द्रीय हिस्सा	राज्यीय हिस्सा
1999-2000	300.00	100.00
2000-2001	642.00	214.00

(घ) पिछले 2 वर्षों के लिए प्रमुख घटकों की भौतिक उपलब्धि संलग्न विवरण-I में देखी जा सकती है।

(ङ) और (च) इस स्कीम में त्रिपुरा पश्चिम बंगाल, असम और जम्मू एवं कश्मीर नामक चार गैर-परंपरागत राज्य सम्मिलित किए गए हैं और यह मिशन 2000-01 में चालू हो गया। असम और जम्मू एवं कश्मीर ने इसे कार्यान्वित नहीं किया है।

वर्ष 2000-01 के दौरान त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में घटकवार भौतिक उपलब्धि संलग्न विवरण-II में देखी जा सकती है।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 तथा 2000-01 के दौरान गुजरात में समेकित कपास विकास कार्यक्रम के अंतर्गत घटकवार भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां

घटक का नाम	1999-2000		2000-2001	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
खेतों में उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन (है.)	384	284	600	538
किसानों का प्रशिक्षण (सं.)	75	57	100	89
फेरोमोट ट्रेप्स (है.)	550	539	2000	1681
समेकित कृमि प्रबंध प्रदर्शन और प्रशिक्षण (सी)	187	182	100	100
पौध संरक्षण उपकरण	9156	9355	21800	27065

विवरण-II

वर्ष 2000-2001 के दौरान त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में समेकित कपास विकास कार्यक्रम के अधीन गैर-परम्परागत राज्यों संबंधी प्रगति

घटक का नाम	त्रिपुरा		पश्चिम बंगाल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5
प्रमाणित बीज का वितरण (क्विं)	150	शून्य	100	40
खेतों में प्रदर्शन (है.)	500	1511	1000	800

1	2	3	4	5
विस्तार कर्मचारियों का प्रशिक्षण (सं.)	6	2	10	8
किसानों का प्रशिक्षण (सं.)	10	14	25	15
समेकित कृमि प्रबंध प्रदर्शन और प्रशिक्षण (सं.)	8	1	10	शून्य
पौध संरक्षण उपकरण	500	463	600	शून्य

[हिन्दी]

कृषि स्नातक

87. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि स्नातकों को प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का कृषि स्नातकों का किस तरह से उपयोग करने का विचार है ताकि कृषि पर विशेष जोर दिया जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) "कृषि क्लिनिकों और कृषि व्यापार केन्द्रों के नेटवर्क की स्थापना" की एक नई स्कीम तैयार की गई है जिसमें सभी पात्र कृषि स्नातकों को पणधारियों के रूप में आर्थिक रूप से व्यवहार्य उद्यमों के माध्यम से कृषि विकास में सहायता देने के लिए एक तरफ बैंक से वित्त पोषण कराते हुए इस प्रयोजनार्थ अति आवश्यक पूंजी उपलब्ध करवाकर और दूसरी तरफ उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से अवसर देने की मांग की गई है ताकि सूचना क्यास्क्स, टिश्यु कल्चर प्रयोगशालाओं, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, जल परीक्षण प्रयोगशालाओं, कृषि क्लिनिकों, कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना की जा सके और अन्य संबद्ध कार्यकलाप शुरू किए जा सकें जिसके लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और लघु किसान, कृषि व्यापार संघ द्वारा आदर्श स्कीमें तैयार की जा रही हैं।

प्रारम्भ में स्कीम का लक्ष्य प्रति वर्ष स्नातकों द्वारा वैयक्तिक तौर पर अथवा संयुक्त/सामूहिक आधार पर चलाए जाने वाले 5000 उद्यमों को सहायता देना है। संयुक्त उद्यमों में 5 उद्यमी भागीदार हो सकते हैं जिसमें से एक व्यापार विकास और प्रबंध में अनुभव वाला गैर-कृषि स्नातक हो सकता है। प्रत्येक वैयक्तिक उद्यम की औसत लागत लगभग 5 लाख रुपए होगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए तक हो सकती है।

लाभानुभोगियों को अपने उद्यम स्थापित करने से पूर्व स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण की प्रकृति और अवधि को उनके पसंदीदा कार्यकलाप से जोड़ा जाएगा। सामान्यतया प्रशिक्षण की अवधि 3-4 महीनों की होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में दक्षता सुधार और पसंदीदा कार्यकलाप के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी उन्नत, उद्यमशीलता और व्यापार प्रबंध को अद्यतन बनाना, प्रस्तावित उद्यमों द्वारा सेवित किए जाने वाले क्षेत्रों में योजनाओं की कृषि विकास समस्याएं और योजनाएं शामिल होंगी। इस प्रयोजनार्थ पूरे देश में कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कई केन्द्र अभिज्ञात किए जाएंगे।

इस स्कीम को चालू वर्ष अर्थात् 2001-02 में कार्यान्वित किया जाएगा।

[अनुवाद]

निजी/सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को वानिकी संबंधी मंजूरी

88. श्री अनन्त नायक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लौह अयस्क, मैंगनीज और बॉक्साइट निकालने हेतु वानिकी संबंधी मंजूरी के लिए कुछ सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कम्पनियों के आवेदन लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक कंपनी को कुल कितनी वन भूमि पट्टे पर दी गई;

(घ) इन कम्पनियों को वानिकी स्वीकृति देने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए;

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी ऐसी कम्पनी को स्वीकृति दी गई; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (च) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999, 2000 और 2001 के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत लौह अयस्क, मैगनीज और बॉक्साइट के खनन के लिए 20 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए, वानिकी स्वीकृति हेतु प्राप्त मुख्य प्रस्तावों की सूची उनकी वर्तमान स्थिति के साथ संलग्न विवरण में दे दी गई है।

वन भूमि की वनेतर उद्देश्यों के लिए आवश्यकता के प्रस्ताव पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है और यदि वनेतर प्रयोग आवश्यक और अपरिहार्य हैं तब क्षेत्र की पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त शर्तों के साथ अनुमति दी जाती है।

विवरण

क्र.सं.	व्यक्ति/कंपनी का नाम	वन (हैक्टेयर)	राज्य	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स के.जे.एस. आहलूवालिया, क्योंझर	476.205	उड़ीसा	23.10.01 को अपेक्षित विवरण मांगे गए
2.	मैसर्स डोडानावर ब्रदर्स बेलगांव	43.30	कर्नाटक	20.6.01 को अनुमोदित
3.	मैसर्स गविअप्पा, बैलरी	32.00	कर्नाटक	4.7.01 को अपेक्षित विवरण मांगे गए
4.	मैसर्स रायपुर स्टील लिमिटेड राजनन्दगांव	100.00	छत्तीसगढ़	1.5.01 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
5.	मैसर्स ए.एम.टी.सी. लिमिटेड	244.327	उड़ीसा	10.10.00 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
6.	मैसर्स एस. शारदा और एम. शारदा	947.046	उड़ीसा	29.6.01 को अनुमोदित
7.	मैसर्स डी.सी. जैन, क्योंझर	97.084	उड़ीसा	अपेक्षित सूचना न मिलने के कारण 2.11.01 को बंद किया गया
8.	मैसर्स ओ.एम.सी. लिमिटेड	50.802	उड़ीसा	4.5.01 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
9.	थीमापानागुड़ी में मैसर्स एम.एम.एल.	295.00	कर्नाटक	18.4.01 को अनुमोदित
10.	मैसर्स बालाजी माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड	22.66	कर्नाटक	10.7.00 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
11.	मैसस एम.एम.एल. बैलरी	38.45	कर्नाटक	28.6.01 को अपेक्षित विवरण मांगे गए
12.	मैसर्स तुंगभद्रा मिनरल्स	47.66	कर्नाटक	9.1.01 को अनुमोदित
13.	मैसर्स भारतमाइन्स, बैलरी	26.20	कर्नाटक	20.3.01 को अनुमोदित
14.	मैसर्स श्रीनिवासालु, होसपेट	60.00	कर्नाटक	अपेक्षित सूचना न मिलने के कारण 16.7.01 को बंद किया गया
15.	मैसर्स वेंगापट्टी, होसपेट	123.84	कर्नाटक	28.6.01 को अपेक्षित विवरण मांगे गए
16.	मैसस रामेश्वर जूटमिल्स, प. सिंहभूम	23.233	झारखण्ड	स्थल निरीक्षण के लिए आर.सी.सी.एफ. द्वारा आवश्यक विवरण मांगा गया

1	2	3	4	5
17.	मैसर्स रंगटा कम्पनी, क्योंझर	61.53	उड़ीसा	2.6.00 को अनुमोदित
18.	मैसर्स नागपुर एलॉय कंपनी, जगदलपुर	192.25	छत्तीसगढ़	30.11.1999 को अस्वीकृत
19.	मैसर्स नदीम मिनरल्स, बैलरी	52.20	कर्नाटक	17.11.99 को राज्य को लौटाया गया
20.	मैसर्स के.आई.ओ.सी.एल., चिकमंगलूर	4605	कर्नाटक	मामला न्यायालय में होने के कारण 24.10.2002 तक कार्य करने की अस्थायी अनुमति प्रदान की गई
21.	मैसर्स होथूर ट्रेडर्स	38.38	कर्नाटक	21.9.00 को अनुमोदित
22.	मैसर्स गोगा गुरू शान्तिया	42.90	कर्नाटक	23.12.99 को राज्य को लौटाया गया
23.	मैसर्स रामगढ़ मिनरल्स, संधूर	20.23	कर्नाटक	11.1.00 को अस्वीकृत
24.	मैसर्स रंगटा कम्पनी, पूर्वी सिंहभूम	131.081	झारखण्ड	18.6.01 को अनुमोदित
25.	मैसर्स उड़ीसा एम.एम.एल., सिंहभूम	141.447	झारखण्ड	अपेक्षित सूचना न मिलने के कारण 2.11.01 को बंद किया गया
	बॉक्साइट			
1.	मैसर्स ए.पी.एम.डी.सी., विजाग	54.66	आन्ध्र प्रदेश	30.7.01 को राज्य को लौटाया गवा
2.	मैसर्स ए.पी.एम.डी.सी., चित्तानगोण्डिया	250.48	आन्ध्र प्रदेश	3.5.01 को अस्वीकृत
3.	मैसर्स बाल्को, डिन्डोरी	35.885	मध्य प्रदेश	16.3.00 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
4.	मैसर्स वाल्को, डिन्डोरी	101.00	मध्य प्रदेश	3.7.00 को अस्वीकृत
5.	मैसर्स आई.एन.डी.ए.एल., कोल्हापुर	210.99	महाराष्ट्र	3.10.01 को अनुमोदित
	मैगनीज			
1.	मैसर्स वी.एन.के. मेनन, बैलरी	22.45	कर्नाटक	22.8.01 को राज्य को लौटाया गया
2.	मैसर्स जे.के. मिनरल्स, बालाघाट	33.00	मध्य प्रदेश	15.2.00 को अनुमोदित
3.	मैसर्स रंगटा माइन्स, सुन्दरगढ़	33.799	उड़ीसा	6.2.01/21.6.01 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
4.	मैसर्स एम.ओ आई.एल., भण्डारा	34.43	महाराष्ट्र	18.6.01 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
5.	मैसर्स एम.ओ.आई.एल., भण्डारा	59.21	महाराष्ट्र	9.8.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
6.	मैसर्स एम.ओ.आई.एल., भण्डारा	70.67	महाराष्ट्र	24.10.00 को अनुमोदित
7.	मैसर्स एम.ओ.आई.एल. नागपुर	37.82	महाराष्ट्र	20.7.99 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित

[हिन्दी]

बच्चों को रोजगार

89. **श्री हरिभाई चौधरी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बच्चों के रोजगार संबंधी विधिक स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बच्चों के रोजगार कानून में किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु से कम के किसी भी बच्चे को अनुसूची के भाग-क में दिए गए किसी भी व्यवसाय में अथवा अनुसूची के भाग-ख में दी गई प्रक्रियाओं को चलाने वाली किसी भी कर्मशाला में नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। अन्य व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों की रोजगार दशाओं को अधिनियम के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

तकनीकी सलाहकार समिति की सलाह पर अनुसूची में व्यवसाय और प्रक्रियाएं जोड़े जाते हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में वर्ष 1986 में व्यवसाय और 11 प्रक्रियाएं थीं। 1994 में इसमें 7 व्यवसाय और 18 प्रक्रियाएं थीं। 1999 में 6 व्यवसाय और 33 प्रक्रियाएं तथा 2000 में 6 प्रक्रियाएं जोड़ी गयी थीं जिससे व्यवसायों और प्रक्रियाओं की कुल संख्या क्रमश: 13 और 57 हो गयी है।

बिहार में फसलों को हानि

90. **श्री सुबोध राय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में प्रति वर्ष भारी एवं अल्प वर्षा के कारण भारी मात्रा में फसलों, फलों, सब्जियों और पशु धन की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में इस तरह की कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों की स्थिति सुधारने और उन्हें क्षतिपूर्ति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) बिहार राज्य अधिकतर बाढ़ से प्रभावित होता है। वर्ष 2001-02 में राज्य के कुछ हिस्सों में सूखे की सूचना मिली है। उपलब्ध सूचना के अनुसार सन 1999 में 3.49 लाख है. और सन 2000 में 1.63 लाख है. के फसलगत क्षेत्र को बाढ़ से क्षति पहुंची। वर्ष 2001 में फिर से बाढ़ आई जिससे 1.01 लाख है. क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ। मानसून 2001 के आरंभिक काल में सूखा पड़ा जिससे 1.72 लाख है. फसलगत क्षेत्र की हानि हुई। बाद में हुई वर्षा से सूखे की स्थिति में काफी सुधार हुआ। केन्द्रीय सरकार ने आपदा राहत कोष में अपने अंश के 1999-2000 में 45.05 करोड़ रुपये, 2000-01 के दौरान 52.73 करोड़ रु. और वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 26.36 करोड़ रु. का अंशदान दिया।

इसके अलावा 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 38.18 करोड़ रु. और 2000-01 के दौरान राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (जिसने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का स्थान लिया था) के अन्तर्गत 29.67 करोड़ रु. भी स्वीकृत किए गए थे।

वर्तमान वर्ष में आई बाढ़ के लिए एक लाख मी. टन चावल निशुल्क जारी किया गया ताकि काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया जा सके।

किसानों को दीर्घकालिक लाभ सुलभ कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय की अनेक स्कीमें और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने वाले विकलांग लोगों के लिए विशेष योजना

91. **श्री पी.आर. खुंटे** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शारीरिक रूप से विकलांग लोग आसानी से पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने में समर्थ हो सकें, इसके लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) भारत सरकार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सेवा मुहैया-कर्ताओं को प्रोत्साहित करती है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

92. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नवगठित झारखंड राज्य के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने का है ताकि राज्य कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में फल उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई विशिष्ट योजना शुरू करने का है;

(ग) यदि सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है और कृषि वैज्ञानिक नियुक्त किए जाते हैं तो क्या झारखंड राज्य में प्रचुर मात्रा में सभी प्रकार के फलों की खेती की जा सकती है;

(घ) यदि सरकार द्वारा इस संबंध में कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं तो क्या भारत प्रमुख फल उत्पादक देश बन सकता है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन्हें प्रतियोगी बनाने हेतु इनके उत्पादन के अलावा फलों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पहले ही पांच फार्म विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है जिन्हें झारखण्ड राज्य के पांच जिलों में सामान्य तौर पर कृषि विज्ञान केन्द्रों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केन्द्र के अतिरिक्त कार्यों को शुरू करने के लिए क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुमका को और सुदृढ़ किया गया है। परिषद का पलामू जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस समय शेष जिलों में और कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं। कृषि विकास नियोजन में राज्य की प्रमुखता को फिर से स्थापित करने हेतु विकेन्द्रीकरण लाने के लिए केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य द्वारा तैयार बागवानी संबंधी योजनाओं के साथ-साथ कृषि स्कीमों के वृहत प्रबंधन का दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है।

(ग) जी नहीं। आम, लीची, केला, आंवला, बेर, अनार, अमरूद, कटहल कुछ प्रमुख फल हैं जो राज्य में सफलतापूर्वक उगाये जा सकते हैं।

(घ) और (ङ) भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा फलों का उत्पादक है। प्रत्येक फल की आवश्यकता के अनुसार उनके कुछ गुणों जैसे कुल घुलनशील ठोस (टी.एस.एस.), गूदे की मात्रा बढ़ाने, अधिकतम फल भार तथा न्यूनतम बीज भार प्राप्त करने, फलों को अधिक रसदार बनाने जैसे गुणवत्ता पहलुओं पर और अधिक अनुसंधान प्रयास किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कक्कादाभू बांध

93. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा केरल केकसारागोड़ जिले में कक्कादाभू बांध को पूरा करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) बांध के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) सितंबर, 1974 में कक्कादाऊ बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त हो चुकी है। सितंबर, 1985 में इसे राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया है। अक्तूबर, 1996 में परियोजना प्राधिकारियों ने केन्द्रीय जल आयोग को सूचित किया कि राज्य सरकार ने यह परियोजना वापस ले ली है।

(ख) जल राज्य का विषय होने के कारण, संबंधित राज्य सरकार सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास स्कीमों की आयोजना, वित्तीय व्यवस्था तथा कार्यान्वयन आदि अपने संसाधनों से तथा अपनी प्राथमिकता के अनुसार करने के लिए मूल रूप से उत्तरदायी है।

[हिन्दी]

भैसों की नस्लों का विकास

94. श्री रामपाल सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने अधिक दुग्ध देने वाली भैसों की नस्लों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश में दुग्ध उत्पादन में कितनी अनुमानित वृद्धि होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का कार्य निष्पादन

95. श्री दिलीप संघाणी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्य निष्पादन की समीक्षा किस वर्ष की गई थी;

(ख) कार्य निष्पादन की अगली समीक्षा किस वर्ष की जानी है;

(ग) विश्व बैंक के अंतर्गत सहायता प्राप्त प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं को किन राज्यों में मजबूत किया जा रहा है; और

(घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मजबूत करने में राज्य-वार अब तक कितनी प्रगति हुई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा संघ शासित क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। पिछली समीक्षा 12.11.2001 को की गई थी तथा अगली समीक्षा आगामी वर्ष में की जाएगी।

(ग) और (घ) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रयोगशाला संबंधी बुनियादी सुविधाओं, प्रयोगशाला उपकरणों तथा कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिहाज से सुदृढ़ बनाया गया था ताकि वे अपना कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें।

वर्तमान राहत संहिता में संशोधन

96. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने वर्तमान राहत संहिता में संशोधन हेतु सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना प्रमुखतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। राज्य सरकारों ने राहत प्रबंधन के लिये अपने निजी राहत कोड और मैनुअल तैयार किये हैं। राज्य राहत कोड में किसी भी संशोधन के लिये केन्द्र सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पद

97. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96- स्थापना (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के व्याख्यात्मक टिप्पण पैरा 11 के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग जो योग्यता के आधार पर चयनित हुए हैं, उन्हें इन समुदायों की रिक्तियों/आरक्षित पदों के कोटे के विरुद्ध नहीं दर्शाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न वर्गों की सेवाओं में योग्यता के आधार पर चयनित/भर्ती/पदोन्नत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या कितनी है और उनके मंत्रालय के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके समुदायों के लिए रिक्तियों/पदों को आरक्षित कोटे में नहीं शामिल किया गया;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आवेदकों जिनकी योग्यता के आधार पर चयन किया गया है लेकिन उनके समुदायों के आरक्षित रिक्तियों/पदों के विरुद्ध दर्शाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के का.ज्ञा.सं. 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) में अन्तर्निहित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। योग्यता के आधार पर चयनित/भर्ती किए गए/पदोन्नत किए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) से संबंधित व्यक्तियों का विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को नामांकन कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त हुए नामांकन, इस मंत्रालय द्वारा सूचित आरक्षित श्रेणियों की रिक्तियों के लिए ही थे। तथापि, कोयला खान भविष्य निधि संगठन में, जोकि कोयला विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति के श्रेणी के 3 व्यक्तियों को अनारक्षित पदों पर पदोन्नत किया गया है। खान विभाग के दो अधीनस्थ कार्यालयों नामत: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा भारतीय खान ब्यूरो के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

भविष्य निधि में अंशदान

98. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 6500 रुपये या इससे कम मासिक आय तक सभी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि में कटौती अवश्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य निधि में अंशदान हेतु वर्तमान वित्तीय सीमा 5000 रुपये प्रति माह है;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय सीमा बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भविष्य निधि के दायरे में और कर्मचारियों के आने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भविष्य निधि के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की वर्तमान संख्या पूर्व वृद्धि दर के हिसाब से नहीं बढ़ रही है; और

(च) यदि हां, तो भविष्य निधि संख्या में इस स्थिरता के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत व्याप्ति की अधिकतम सीमा 1.6.2001 से 5000/- रु. से बढ़ाकर 6500/- रु. प्रतिमाह कर दी गयी है। वित्तीय सीमा में वृद्धि का कारण भविष्य निधि तंत्र का विस्तार करना तथा और अधिक पात्र अंशदाताओं को शामिल करना है।

(घ) और (ङ) वित्तीय वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में सदस्य संख्या में क्रमश: 14.18 लाख और 17.63 लाख की निवल वृद्धि हुई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खेतिहर किसानों के आत्महत्या के मामले

99. श्री वी.एम. सुधीरन :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से ऐसे कई समाचार आए हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान से आज की तिथि तक राज्य-वार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) वर्ष 1999-2000 की अवधि के लिए राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, किसानों द्वारा आत्महत्याओं के मामलों की संख्या निम्नानुसार थी:-

आन्ध्र प्रदेश	27
कर्नाटक	54

पंजाब के लिए एक गैर-सरकारी संगठन ने किसानों द्वारा आत्महत्या के कथित मामलों का प्रलेखन किया, यह मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। आत्महत्या के कारण वैयक्तिक तौर पर भिन्न-भिन्न होते हैं चाहे उनका व्यवसाय कोई भी हो और प्रत्येक ऐसे मामले की उपयुक्त एजेन्सी द्वारा उसकी जांच की जाती है। कर्नाटक सरकार ने ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के मामलों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है। केन्द्र सरकार ने भी 1998 में एक अध्ययन दल के माध्यम से मामले की जांच की थी जिसने किसानों के

लाभ के प्रावधान में सुधार करने के कई उपाय सुझाए थे। इन्हें राज्यों के ध्यान में लाया गया है।

[हिन्दी]

गौ-वध

100. श्री बहादुर सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले छः महीनों के दौरान राजस्थान के विभिन्न भागों में गौ-वध के मामले में किसी वृद्धि का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु राज्य में केन्द्रीय दल भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ङ) जी, नहीं। केन्द्र सरकार को ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। राज्य सरकार ने भी राजस्थान में गौवध के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई सूचना नहीं दी है। यह मामला राजस्थान बोवाइन पशु (गोवध निषेध तथा अस्थायी वहिर्गमन या निर्यात विनियमन) अधिनियम, 1995 की सीमा तथा दायरे में है।

[अनुवाद]

पर्यटन सुधार पर पेसिफिक-एशिया ट्रेवल एसोसिएशन की शिखरवार्ता

101. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 14 अप्रैल, 2002 से दिल्ली में तीन दिवसीय पेसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन की शिखर-वार्ता आयोजित होने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शिखरवार्ता के पहले ही पर्यटन क्षेत्र में सुधार करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे सुधार के लिए सरकार द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किस सीमा तक ये सुधार भारत की पर्यटन क्षेत्र में सहायता करेंगे?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां। प्रशान्त एशिया ट्रेवल एसोसिएशन (पाटा) का 51वां वार्षिक सम्मेलन 14 अप्रैल 2002 को दिल्ली में आयोजित किया जाना है।

(ख) से (ङ) पर्यटन विभाग ने प्रशान्त एशिया ट्रैवल एसोसिएशन (पाटा) के प्रतिनिधियों के लिए आवश्यक प्रबंध करने हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया है। प्रशान्त एशिया ट्रैवल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक की मेजबानी से, सम्मेलन में भाग लेने वाले शिष्टमंडल और अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा उद्योग के प्रतिनिधियों के मध्य भारत के पर्यटन आकर्षणों का प्रदर्शन करने से पर्यटन स्थलों को काफी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

[हिन्दी]

कृषि संबंधी टास्क फोर्स समिति

102. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गठित कृषि संबंधी उच्च स्तरीय कार्यदल समिति को भंग कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार किसी नई कार्य दल समिति के गठन पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार समिति द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) एक उच्च स्तरीय कृषि विषयक कार्य बल 12 सितम्बर, 2000 को गठित किया गया था। कृषि विषयक कार्य बल (टी.एफ.ए.) को प्रथमतया 28 फरवरी, 2001 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। तथापि, अध्यक्ष, टी.एफ.ए. के अनुरोध पर कार्यबल की अवधि चार महीनों अर्थात् जून, 2001 तथा इस निर्देश के साथ बढ़ा दी गई कि अन्तिम रिपोर्ट बढ़ाई गई अवधि के अंत

तक, अर्थात् 30 जून, 2001 तक प्रस्तुत की जाये। अध्यक्ष, टी.एफ.ए. के अनुरोध पर टी.एफ.ए. की अवधि को एक बार फिर एक महीने तक बढ़ा दिया गया ताकि यह अपनी रिपोर्ट जुलाई, 2001 तक प्रस्तुत करने में सक्षम हो सके। टी.एफ.ए. की दो बार बढ़ाई गई अवधि 31.7.2001 को समाप्त हो गई है और अध्यक्ष, टी.एफ.ए. ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नही।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विभाग ने सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए पहले ही बहुत से उपाय किये हैं।

[अनुवाद]

हैदराबाद-शारजाह के बीच इंडियन एयरलाइंस द्वारा उड़ान बंद करना

103. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने हैदराबाद-शारजाह-हैदराबाद-मस्कट-हैदराबाद के बीच सीधी उड़ान बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन उड़ानों को बहाल करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस नवम्बर, 1999 से हैदराबाद-शारजाह के बीच तथा नवम्बर, 1997 से हैदराबाद-मस्कट के बीच एक स्टॉप सेवा का प्रचालन कर रही है जिसमें यात्री विमान नहीं बदलते हैं।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार से हैदराबाद-शारजाह तथा हैदराबाद-मस्कट के बीच सीधी नॉन-स्टाप सेवा प्रचालन करने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुआ है। तथापि, इंडियन एयरलाइंस की इस समय कम यातायात संभाव्यता की वजह से ये सेवाएं प्रचालित करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन के लिए जल का समुचित उपयोग

104. श्री विष्णु पद राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में जल का उपयोग करने के लिए कोई उपयुक्त प्रबंध नहीं किया गया है क्योंकि कृषि के प्रयोजन से इस जल के उपयोग के लिए कोई सार्थक व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का हेवलॉक द्वीप-समूह के राधानगर में निर्मित तटबंध (चेकडैम) की तरह जल का उपयोग करने के लिए तटबंध निर्माण का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने जल के इन स्रोतों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण आयोजित किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किस सीमा तक वर्ष 2000-2001 की वार्षिक योजना में शामिल नालाओं पर तटबंध का निर्माण किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) एक अनुमान के अनुसार अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उपयोग योग्य भूजल की क्षमता 15000 हेक्टेयर है। इसमें से लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा चुका है।

(ङ) कृषि मंत्रालय अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह सहित सभी राज्यों में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्षा जल संचयन हेतु नालों के ऊपर छोटे-छोटे बांधों के निर्माण सहित विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

दमदम हवाई अड्डा से अंतरराष्ट्रीय उड़ान

105. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की दमदम हवाई अड्डे से नई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस शुरू करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कौन-कौन से कदम उठाए गए है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) चालू प्रक्रिया के अंग के रूप में यातायात मांग के आधार पर समय-समय पर विभिन्न हवाई अड्डों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन की समीक्षा की जाती है। फरवरी, 2000 में श्रीलंका के साथ पिछले आधिकारिक स्तरीय विमान सेवा विचार-विमर्श के दौरान, श्रीलंका की नामित विमान कंपनी को कोलकाता के लिए पहुंच संबंधी मंजूरी दे दी गई है तथापि, वास्तविक प्रचालन सेवाओं को उनके वाणिज्यिक विवेक पर छोड़ दिया जाता है। बंगलादेश विमान, ब्रिटिश एयरवेज, ड्रक एयर, के.एल.एम. एयरलाइंस, रोयल जॉर्डियन एयरलाइंस, रोयल ब्रुनेई एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस तथा थाई एयरवेज इस समय दमदम (कोलकाता) हवाई अड्डे से इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के अलावा अंतरराष्ट्रीय विमान-सेवाएं प्रचालित कर रही है।

समूह "क" और "ख" सेवाओं में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति

106. श्री के.ए. सांगतम : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1.1.1998 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के अंतर्गत एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व क्लास I (समूह क) सेवाओं में केवल 13.59 प्रतिशत (एससी-10.38% और एसटी-3.21%) तथा क्लास II (समूह ख) सेवाओं में केवल 14.41% (एससी-11.73% और एसटी-2.68%) है जबकि उनके लिए निर्धारित कोटा 22.5% (एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय के अंतर्गत (1) क्लास I (समूह-क) श्रेणी तथा (2) क्लास II (समूह-ख) श्रेणी और इसके समकक्ष में कुल कितने पद हैं; और

(ग) (1) सामान्य (2) एससी (3) एसटी और (4) अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों में 2 जुलाई 1997 के डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96-ईएसटीटी (आरइएस) के पैरा 5 में निहित अनुदेशों के मद्देनजर अभिनिर्धारित उनके संबंधित प्रतिशतता सहित ऐसे पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) 1.1.1998 तक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में क्लास I (समूह-क) की सेवाओं तथा क्लास II (समूह-ख) की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार है:

क्लास-I (समूह-क)-18.18%
क्लास-II (समूह-ख)-29.70%

(ख) समूह-क में पदों की कुल संख्या-286
समूह-ख में पदों की कुल संख्या-505

(ग) श्रेणीवार वितरण तथा प्रतिशतता

समूह-क

सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-234	81.82%
अनु. जा.-43	15.03%
अनु.ज.जा.-9	3.15%

समूह-ख

सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-355	70.30%
अनु.जा.-116	22.97%
अनु.ज.जा.-34	6.73%

श्रम सुधार

107. श्री राजैया मल्याला : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अक्टूबर, 2001 के स्टेट्समैन में "शरद जोल्ट टू लेबर रिफार्म्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों को शुरू करने के लिए आवश्यक श्रम सुधार से संबंधित मामलों के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में प्रबंधन को शक्ति प्रदान करने के लिए संगत अधिनियमों के संशोधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जैसा कि श्रम आयोग द्वारा सिफारिश की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) श्रम कानूनों को विद्यमान स्थिति और उभर रही आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से उनकी समीक्षा/ उन्हें अद्यतन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। उभर रही वैश्विक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से भारत

सरकार द्वारा 1991 में नई आर्थिक नीति के शुभारम्भ के बाद, कतिपय श्रम विधानों में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गयी है ताकि उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए घरेलू उद्योग को एक स्तरीय कार्य क्षेत्र प्रदान करने वाला बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाया जा सके। सरकार ने 15.10.1999 को द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग भी गठित किया है। आयोग अन्य बातों के साथ-साथ, तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों, अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण, व्यापार एवं उद्योग के उदारीकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर जोर जैसे उभर रहे आर्थिक माहौल तथा विद्यमान श्रम कानूनों को भावी श्रम बाजार की जरूरतों और मांगों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता पर भी विचार करेगा। आयोग की रिपोर्ट 15.2.2002 तक आने की संभावना है।

छोटे और मंझोले हवाई अड्डों का विकास

108. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जबलपुर जैसे छोटे और मंझोले हवाई अड्डों के विकास की घोषणा की है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या अधिक संभावनाओं वाले हवाई अड्डों को विकास निधि नहीं दी जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो मंझोले आकार के शहरों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हवाई अड्डों के विकास की पारदर्शी और स्पष्ट नीति निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) यातायात क्षमता, जनता की मांग, एयरलाइनों द्वारा उनके वाणिज्यिक व्यवहार्यता और फंड की उपलब्धता के आधार पर अनुभव की गई आवश्यकताओं के आधार पर एयरपोर्टों का विकास किया जाता है। जबलपुर एयरपोर्ट पर तदनुसार विकास कार्य किया जा रहा है।

भविष्य निधि के लम्बित मामले

109. श्री ए. कृष्णास्वामी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि के भुगतान संबंधी कई मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार-विशेषकर तमिलनाडु में आज की स्थिति के अनुसार ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) उनके लंबित होने के कारण क्या हैं; और

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) लम्बित भविष्य निधि दावों के बारे में 30.9.2001 के अनुसार क्षेत्र-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। हर तरह से पूर्ण भविष्य निधि दावों का संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर निपटान किया जाना अपेक्षित है। तथापि, कभी-कभी अपूर्ण आवेदन पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र फोटोग्राफ आदि के न होने के कारण भविष्य निधि दावों के निपटान में विलम्ब होता है। भविष्य निधि दावों के त्वरित निपटान के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम चलाया गया है। क.भ.नि. दावों के त्वरित निपटान को सहज बनाने के लिए प्रक्रियाओं और नियमों की समीक्षा की गई है और उन्हें सरल बनाया गया है। लोक शिकायत तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया है और उसे कम्प्यूटरीकृत किया गया है। भ.नि. दावों के निपटान में बदनीयति से किए जाने वाले विलम्ब पर नियंत्रण लगाने और उसे रोकने के लिए सतर्कता तंत्र को मजबूत और सक्रिय भी बनाया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं की शिकायतों का स्थल-पर समाधान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालयों में लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। अंशदाताओं को अद्यतन सूचना उपलब्ध करने के लिए सहायता केन्द्रों की स्थापना भी की गई है।

विवरण

क्षेत्र	30.9.2001 की स्थिति के अनुसार लम्बित भविष्य निधि दावे
1	2
आन्ध्र प्रदेश	2,540
बिहार	491
छत्तीसगढ़	567
दिल्ली	5,085
गोवा	38
गुजरात	12,600

1	2
हिमाचल प्रदेश	567
हरियाणा	4,679
झारखंड	655
कर्नाटक	15,886
केरल	6,195
महाराष्ट्र	28,937
मध्य प्रदेश	94
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	610
उड़ीसा	1,876
पंजाब	4,411
राजस्थान	2,702
तमिलनाडु	16,314
उत्तर प्रदेश	7,535
पश्चिम बंगाल	4,491
कुल	1,16,273

भारतीय हवाई अड्डों पर उतरने वाली विदेशी एयरलाइन

110. **श्री पी.सी. थामस:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी एयरलाइनों को भारतीय हवाई अड्डों पर उतरने की अनुमति दी जा रही है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान अनुमति दी गई एयरलाइनों और हवाई अड्डों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसी अनुमति के लिए और एयरलाइन सरकार से संपर्क कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान, ओमान एयर तथा सिल्क एयर को कोचीन के लिए विमान सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति दे दी गई है जबकि लुफ्थांसा और कैथे पैसिफिक को बंगलौर से जोड़ने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा, हैदराबाद को भी अमीरात एयरलाइंस के लिए एक अतिरिक्त अवतरण-स्थल के बतौर मंजूरी दे दी गई है।

(ग) और (घ) चालू प्रक्रिया के अंग के रूप में यातायात मांग के आधार पर समय-समय पर विभिन्न हवाई अड्डों से अतिरिक्त उड़ानें प्रचालित करने हेतु अनुमति प्राप्त विदेशी एयरलाइनों की समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल का कार्यकरण

111. **श्री निखिल कुमार चौधरी:** क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) की हालत बहुत दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से तत्व जिम्मेदार हैं; और

(ग) उनकी दशा और कार्यकरण में सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) तथा सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि. (सीसीएल) कोल इंडिया लि. की तीन सहायक कम्पनियां हैं जो लगातार घाटे में चल रही हैं। इन कम्पनियों का मामला इनके निवल-मूल्य के अत्यधिक क्षय के कारण, रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 के अंतर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजा गया है।

ईसीएल, बीसीसीएल तथा सीसीएल में घाटे के मुख्य कारण हैं: (1) अधिक संख्या में भूमिगत खानों का विद्यमान होना, जो व्यवहार्य प्रचालन के लिए अब सक्षम नहीं है। (2) मजदूरी में उत्तरोत्तर वृद्धियों की तुलना में भूमिगत खानों के लिए निम्न उत्पादकता (3) फालतू श्रम शक्ति (4) प्रतिकूल भू-खनन स्थितियां तथा (5) भूमि अधिग्रहण तथा भू-वंचितों के पुनर्वास की समस्या से कुछ बड़ी कोयला खानों से उत्पादन प्रभावित होता है।

कोल इंडिया लि. की पूंजीगत पुनर्संरचना के लिए फरवरी, 1996 में सरकार द्वारा एक पैकेज अनुमोदित किया गया था। जिससे 2,228.57 करोड़ रुपये की कोल इंडिया लि. की बहुत पहले की देनदारियों को, आंशिक रूप से तरजीही इक्विटी में तबदील करके तथा आंशिक रूप से पुनर्भुगतान और ब्याज राशि पर अस्थायी निलंबन आदेश द्वारा ब्याज की बकाया राशि को माफ करके ध्यान में रखा गया। ये लाभ, घाटे पर चल रही कंपनियों जैसे ईसीएल तथा बीसीसीएल को हस्तान्तरित कर दिए गए थे। इसके अलावा, घाटा उठाने वाली ईसीएल तथा बीसीसीएल कंपनियों के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए कोल इंडिया लि. ने अपनी सहायक कंपनियों के इक्विटी तथा ऋण ढांचे की आंतरिक पुनर्संरचना की, जिसके द्वारा ईसीएल के 994 करोड़ रुपये तथा बीसीसीएल के 1180.70 करोड़ रुपये के कर्जों को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था।

घाटे को रोकने तथा कोयला खानों को लाभप्रद बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

(1) जहां कहीं व्यवहार्य हो भूमिगत खानों को ओपन कास्ट खानों में परिवर्तन करना।

(2) एस.डी.एल., एल.एच.डी. तथा सतत खनिजों को लगाकर जहां कहीं सम्भाव्य हो भूमिगत खानों का यंत्रीकरण करना।

(3) श्रम शक्ति को कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को प्रोत्साहित करना तथा यन्त्रीकरण करने को सुकर बनाना।

(4) निकट मॉनिटरिंग तथा प्रोत्साहनों द्वारा उच्च उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए वर्तमान संसाधनों का प्रभावशाली उपयोग करना।

(5) सभी खानों में कोयले की गुणवत्ता सुधार अभियान चलाना।

[अनुवाद]

घटिया बीजों का प्रयोग

112. **श्री के. येरननायडू:**
श्री चन्द्र भूषण सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बीजों पर विधान लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता वाले बीजों को उपलब्ध करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) बीज व्यापार के संबंध में भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उन किसानों के सुरक्षोपाय के लिए उठाए गए कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है, जो संबंधित बीज कम्पनियों द्वारा आपूर्ति किए गए घटिया बीजों के उपयोग के कारण अपनी फसल गंवा चुके हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) भारत सरकार मौजूदा बीज अधिनियम, 1966 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करती है।

(ख) प्रस्तावित बीज अधिनियम की प्रमुख विशेषतायें और इसके उद्देश्य संलग्न विवरण में उल्लिखित हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीमें चला रही हैं:

1. बीजों पर परिवहन राजसहायता।
2. बीज फसल बीमा संबंधी मार्गदर्शी स्कीम।
3. बीज बैंक की स्थापना।
4. बीज संबंधी गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था।

इसके अलावा, राज्यों को बीज अधिनियम, 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने की सलाह दी गई है। बीज व्यापार के संबंध में भारतीय किसानों के हितों की और अधिक सुरक्षा करने के लिए संशोधित बीज अधिनियम में उचित प्रावधान शामिल किये जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) राज्य सरकारों से जानकारी मंगाई जा रही है।

विवरण

प्रस्तावित संशोधित बीज अधिनियम की मुख्य विशेषताएं और इसका उद्देश्य

- केन्द्रीय बीज समिति तथा केन्द्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड की जगह राष्ट्रीय बीज बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव है।

- केन्द्र सरकार केन्द्रीय बीज जांच प्रयोगशाला (सी.एस.टी.एल.) की स्थापना कर सकती है या कार्य हेतु किसी बीज प्रयोगशाला को केन्द्रीय बीज जांच प्रयोगशाला घोषित कर सकती है।

- बुवाई और रोपण हेतु किसी भी प्रकार या किस्म के बीज देश में तभी बेचे जाएंगे जब उक्त प्रकार या किस्म निर्धारित मानदंड के अनुसार राष्ट्रीय बीज बोर्ड द्वारा पंजीकृत कर ली गई हो।

- न्यूनतम 3 मौसमों की अवधि या अन्यथा वर्णित के लिए जोत एवं उपयोग हेतु मूल्य निर्धारण के वास्ते बहु-अवस्थिति जांच के आधार पर नई किस्मों का पंजीकरण किया जाएगा।

- बोर्ड पंजीकरण के उद्देश्य से जोत एवं उपयोग हेतु मूल्य (वी.सी.यू.) जांच के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और निजी संगठनों को प्रत्यायित करेगा।

- इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर राष्ट्रीय बीज बोर्ड द्वारा रखा जाएगा।

- लोक आदेश या लोक नैतिकता की रक्षा या मानव, पशु और पादप जीवन एवं स्वास्थ्य या पर्यावरण पर इसके गंभीर खतरनाक प्रभाव को रोकने हेतु सरकार को यह अधिकार होगा कि कुछ प्रकार या किस्म को पंजीकरण से बाहर कर दे।

- राष्ट्रीय बीज बोर्ड किसी भी पंजीकृत प्रकार या किस्म के बीज के संबंध में अंकुरण, आनुवांशिकी और भौतिक शुद्धता पर न्यूनतम मानक निर्धारित करेगा।

- बीज प्रेषण के चिह्न या लेबल पर यह इंगित होगा कि इस प्रकार का बीज यथानिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को पूरा करता है।

- पंजीकरण एक निश्चित अवधि के लिए होगा।

- राष्ट्रीय बीज बोर्ड को पहले दिये गये पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार होगा।

- बीजों की बिक्री के विनियमन हेतु कोई भी व्यक्ति या डीलर को किसी ऐसे भी बीज की बिक्री या आपूर्ति के व्यापार की अनुमति नहीं दी जायेगी, जो पंजीकृत प्रकार/किस्म का नाम हो।

- प्रत्येक डीलर अपेक्षित रिकार्ड रखेगा तथा बिक्री के विवरण की आवधिक विवरणी जमा करेगा।

- अगर यह लोक हित के लिए जरूरी समझा जाता है, राष्ट्रीय बीज बोर्ड डीलर को एक निर्धारित तरीके से बीज के बिक्री या वितरण का निर्देश दे सकता है।

- सभी डीलरों को बीज बिक्री के व्यवसाय के संबंध में विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाना है। किसानों को अपनी खेतों के बीज और पौध सामग्री के किसी प्रकार या किस्म को बचाने, व्यवहार करने, आदान-प्रदान करने, भागीदारी या बेचने के लिए पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार या राष्ट्रीय बीज बोर्ड, राज्य सरकार की सलाह से बीज के प्रमाणन से संबंधित कार्य हेतु राज्य के लिए एक या अधिक प्रमाणन अभिकरणों की स्थापना करेगा।

- राष्ट्रीय बीज बोर्ड या राज्य सरकार बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ति पर स्व-प्रमाणन सहित प्रमाणन का कार्य करने हेतु व्यक्तियों या संगठनों को प्रत्यायित करेगा।

- प्रमाण पत्र के निरस्त्रीकरण, अपील, बीज निरीक्षकों तथा बीज विश्लेषकों इत्यादि को पदनामित करने हेतु उपयुक्त प्रावधान हैं।

- बीजों के निर्यात एवं आयात पर नियंत्रण हेतु, उचित प्रावधान बनाए गए हैं जो पौध, फल एवं बीज (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 1989 के प्रावधानों के समतुल्य हैं।

- बिक्री के लिए बीज के आयात की अनुमति केवल पंजीकृत किस्मों के लिए दी जाएगी। ऐसी किस्मों का पंजीकरण भारत में न्यूनतम 3 मौसम अवधि के लिए किए गए परीक्षण के आधार पर किया जायेगा।

- एक अपंजीकृत किस्म को मूल देश में एक मौसम की जांच के आंकड़े के आधार पर अनुसंधान तथा जांच हेतु सीमित मात्रा में आयात की अनुमति दी जा सकती है।

- कोई व्यक्ति जो बीज या पौध सामग्री के आयात का इच्छुक होगा, उन्हें यह घोषित करना होगा कि इस प्रकार की सामग्री पर आनुवांशिक उत्क्रमण या आनुवंशिकी व्यवहार प्रतिबंध तकनीकी का उत्पाद है या नहीं है, जैसा भी मामला हो।

- बीज अधिनियम, 1966 के वर्तमान प्रावधानों की तुलना में दंड संबंधी प्रावधान ज्यादा कठोर बनाए गए हैं।

मध्य प्रदेश में बीना नदी परियोजना

113. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में बीना नदी परियोजना किस तारीख को शुरू की गई थी;

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है तथा सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ग) अब तक इस परियोजना की प्रगति क्या है; और

(घ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) बीना परिसर परियोजना की मोटे तौर पर केन्द्रीय जल आयोग में 1987 में जांच की गई थी और प्रारंभिक टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 1992 में 202 करोड़ रुपये की लागत से संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। इसकी संवीक्षा कर ली गई थी और अक्तूबर, 1993 में राज्य सरकार से संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था। यह रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

किसी परियोजना का पूरा होना विभिन्न कारकों जैसे इसके आकार, भूमि का अधिग्रहण, राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों से स्वीकृति प्राप्त करना, निर्माण, भौगोलिक स्थितियों आदि के साथ-साथ परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास उपायों के क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग परियोजनाओं को आवंटित निधियों का भी उतना ही महत्व है।

ई.एस.आई./ई.पी.एफ. की कवरेज

114. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) की कवरेज वर्तमान के 86 लाख से ढाई करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) को 2.6 करोड़ से पांच करोड़ बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भवन और अन्य निर्माण संबंधी कामगार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत कल्याण कोष बनाने के लिए दिशा-निर्देश बनाने हेतु राज्यों के अनुरोध के बावजूद अभी तक केवल तीन-चार राज्यों ने अनुपालन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त दिशा-निर्देश बनाने के लिए अन्य राज्य सरकारों पर दबाव बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कवरेज में वृद्धि एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत, राज्यों द्वारा राज्य नियम बनाना, राज्य सलाहकार समितियां तथा राज्य भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गठित किया जाना अपेक्षित है। केरल और असम सरकार ने कल्याण बोर्डों के अंतर्गत कल्याण निधियों की स्थापना कर ली है जबकि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकारों ने उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक आधारभूत कार्य पूरा करने संबंधी अधिकांश कार्यकलाप पूरे कर लिये हैं। अन्य राज्यों को उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी अपेक्षित प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गयी है।

बाघ परियोजना का विस्तार

115. **श्री आर.एल. जालप्पा:**
श्री कोलूर बसवनागौड:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क के लिए बाघ परियोजना के विस्तार हेतु कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बाघ परियोजना के लिए पार्क में भूमि विअधिसूचित करने के लिए अधिसूचना जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का नगरहाल पार्क में आश्रम स्थल विकसित करने के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो 2001-02 के दौरान उसके लिए स्वीकृत किये जाने वाली प्रस्तावित राशि कितनी होगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारतीय पारिविकास परियोजना के अंतर्गत नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को 473.90 लाख रुपए की धनराशि दी है जिसमें से लगभग 87.00 लाख रुपए पारिप्रणाली/वास स्थलों के पुनरुद्धार के लिए है।

[हिन्दी]

नदियों की सफाई

116. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा, यमुना, गोमती और घाघरा नदी में प्रदूषण के कारण गंदगी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां से इस संबंध में अधिकतम शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इसे रोकने हेतु राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा कौन से व्यापक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) गंगा, यमुना, गोमती और घाघरा नदियों में प्रदूषण अशोधित या आंशिक शोधित घरेलू एवं औद्योगिक बहिस्रावों के निस्तारण के कारण हुआ है। जिन राज्यों में से यह नदियां बहती हैं, उन राज्यों ने प्रदूषण उपशमन के प्रस्ताव भेजे हैं जिन पर गुण-दोष और निधियों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा इन नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए प्रदूषण उपशमन की निम्न स्कीमें आरम्भ की गई हैं:

- खुले नालों से इन नदियों में जाने वाले आशोधित मलजल को रोककर शोधन हेतु दिशा परिवर्तन कार्य।
- दिशा परिवर्तित मलजल के शोधन के लिए मलजल शोधन संयंत्र।
- नदी किनारों पर खुले में शौच को रोकने के लिए कम लागत के शौचालयों का निर्माण।
- काष्ठ के प्रयोग के संरक्षण और शवदाह घाटों पर लाए गए शवों के उपयुक्त दाह को सुनिश्चित करने के लिए काष्ठ आधारित उन्नत शवदाहगृह।
- स्नान घाटों को सुधार सहित नदी तटाग्र विकास कार्य।

औद्योगिक प्रदूषण का नियंत्रण एवं निगरानी मौजूदा पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत की जाती है।

विद्यालय स्तर पर कृषि विषय अनिवार्य करना

117. श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि पर भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए विद्यालय स्तर पर कृषि को अनिवार्य विषय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कृषि शिक्षा राज्य का विषय है तथा इस मुद्दे पर राज्य सरकार/बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जानी है।

नदियों द्वारा तबाही

118. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में नदियों द्वारा मचाई गई तबाही की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और इनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके निजी संसाधनों तथा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार तकनीकी, प्रोत्साहनात्मक और संवर्द्धनात्मक स्वरूप की सहायता प्रदान करती है।

तथापि, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन बाढ़ नियंत्रण आयोग ने उत्तर प्रदेश से होकर के बहने वाली नदियों सहित गंगा बेसिन की सभी 23 नदी प्रणालियों के बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की हैं और इन योजनाओं में की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए इसे राज्य सरकारों को भेजा गया है। इन योजनाओं में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों उपायों का सुझाव दिया गया है।

भारत सरकार ने देश में बाढ़ की समस्या का अध्ययन करने के लिए कई विशेषज्ञ समितियां गठित की हैं। वर्ष 1976 में गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने विस्तार से इस समस्या की जांच की और वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिश क्रियान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों को भेजी गई थी। जो कि उत्तर प्रदेश सहित देश में बाढ़ प्रबंधन कार्य नीति के लिए एक ढांचा प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, बाढ़ से संबंधित क्षेत्र/मंडल में विशेष समस्याओं की जांच करने के लिए एक अन्य बहुत-सी विशेषज्ञ समितियों/कार्य बलों का गठन किया गया था। इनकी सिफारिशें भी कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई थीं।

केन्द्र सरकार ने भी मुख्य अंतर्राज्यीय नदियों पर 159 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र की स्थापना की है जो कि बाढ़ से होने वाली क्षति में कमी करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को समय से पहले चेतावनी देते हैं।

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंभीर कटावरोधी समस्याओं की आकलन करने के लिए अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) की अध्यक्षता में दिसम्बर, 1999 में एक केन्द्रीय दल का गठन किया था। इस दल ने जोखिमपूर्ण स्थानों/खंडों की पहचान की और राज्य सरकारों द्वारा शीघ्र कटावरोधी उपायों की सिफारिश की थी। इन गंभीर खंडों में नदी कटावरोधी कार्यों को करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम अर्थात गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य तथा कोसी और गंडक नदियों के साथ लगे तटबंधों को ऊंचा उठाना और सुदृढ़ीकरण करना नौवीं पंचवर्षीय योजना में तैयार कर दी गई है और यह चलाई जा रही है। कटावरोधी कार्यों को शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को इस स्कीम के लिए अग्रिम रूप से अब तक 8.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

भारत-नेपाल सीमा के आस-पास के क्षेत्र में बाढ़ आप्लावन की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 1986 में भारत और नेपाल के बीच, बाढ़ आप्लावन समस्या संबंधी स्थायी समिति का गठन भी किया गया है जो दोनों देशों के बीच भारत-नेपाल सीमा के निकट बाढ़ समस्या की देखरेख करती हैं। अब तक, इस समिति की 11 बैठकें हुई हैं, इसमें भारत नेपाल सीमा के समीप बाढ़ आप्लावन समस्या से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर निर्णय लिये गये हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक द्वारा दूध का निर्यात

119. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में दूध का उत्पादन बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक दूध संघ (केएमएफ) ने बढ़े हुए दूध और उसके उत्पादों को पड़ोसी देशों को निर्यात करने के लिए सरकार से कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। कर्नाटक में दुग्ध उत्पादन अधिक है।

(ख) और (ग) पड़ोसी देशों को अधिशेष दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए कर्नाटक दुग्ध परिसंघ ने भारत सरकार से कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया है। इसके अलावा, उदारीकृत व्यापार व्यवस्था में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए कोई अनुमति अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

वैष्णों देवी तक विमान सेवा

120. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 2001 के राष्ट्रीय सहारा में ''वैष्णो देवी तक की हवाई सेवा में बदइंतजामी'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वैष्णो देवी तक विमान यात्रा की सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र में छपी शिकायतों का जायजा लिया जा रहा है और इस संबंध में समुचित कार्रवाई की जाएगी।

(ग) और (घ) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड कटरा-सांझीछत-कटरा सेक्टर पर दैनिक 15 उड़ानों के हिसाब से सप्ताह में छह दिन हेलीकॉप्टर सेवा प्रचालित करता आ रहा है। इसके साथ-साथ, जम्मू-सांझीछत-जम्मू सेक्टर पर भी रोजाना दो उड़ानें प्रचालित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

खनन और एसबेस्टस पर प्रतिबंध

121. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में खनन, आयात और एसबेस्टस फाइबरों और उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एसबेस्टस चादरों और पाइपों के उत्पादन में लगी वृहद और लघु उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन यूनिटों में रोजगार में लगे लोगों की संख्या क्या है;

(ङ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर से बचने के लिए एसबेस्टस के संपर्क का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है; और

(च) यदि हां, तो कर्मचारियों के स्वास्थ्य के सुरक्षोपाय के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय शुरू किये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, खनन और एसबेस्टस तथा एसबेस्टस आधारित उत्पादों का विनिर्माण पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाता है। क्रोसिडोलाइट (नीला एसबेस्टस) को वाणिज्य मंत्रालय, विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा अक्तूबर, 1994 में आयात की प्रतिबंधित सूची में रखा गया है। इसके अलावा, अपशिष्ट एसबेस्टस (बुरादा एवं फाइबर) का आयात दिनांक 1.10.1998 की राजपत्रित अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्राइसोटाइल एसबेस्टस के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य मानदण्ड (ई एच सी) पर जुलाई, 1996 में एक टास्क फोर्स गठित किया है और इसकी रिपोर्ट नामत: आई पी सी एस पर्यावरणीय स्वास्थ्य मानदण्ड 1998 का 203 में प्रकाशित किया है, कैंसरजन जोखिम के लिए कोई प्रारंभिक अभिनिर्धारण नहीं किया गया है।

(च) सरकार ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय किये हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 के अंतर्गत निर्धारित उपबंधों और प्रक्रियाओं के अनुसार निवेश का ध्यान किये बिना एसबेस्टस आधारित उद्योगों (नए एवं विस्तार/आधुनिकीकरण) के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी लेना शामिल है। मंजूरी देते समय चिकित्सा स्वास्थ्य देख-रेख, व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी का कड़ाई से पालन और विभिन्न बी आई एस मानक निर्धारित किये जाते हैं। इसके अलावा, क्राइसोटाइल एसबेस्टस के लिए 1.0 फाइबर/सी सी की ग्राह्य प्रभावन सीमा को सख्त बनाने के लिए सरकार ने फैक्टरी अधिनियम 1948 में अप्रैल, 2001 में संशोधन किया है।

सिंचाई योजनाएं

122. **डा. एन. वेंकटस्वामी:**
श्री ए. कृष्णास्वामी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में कोई नई सिंचाई योजनाएं शुरू करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जल राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों तथा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। तथापि परियोजनाओं का निर्माण शुरू करने से पहले योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित होता है।

(ख) विभिन्न राज्यों से तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नौवीं योजना की नई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता ब्लाक अनुदानों/ऋणों के रूप में दी जाती है और यह किसी स्कीम अथवा विकास के क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती है।

विवरण

राज्य	वृहद	मध्यम	ई.आर.एम.
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	8	9	3
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
असम	–	3	3
बिहार	2	–	–
गोवा	–	–	1
गुजरात	2	29	6
हरियाणा	4	1	–
हिमाचल प्रदेश	–	2	–
जम्मू व कश्मीर	–	11	–
कर्नाटक	5	8	2
केरल	–	–	2
मध्य प्रदेश	4	3	–
महाराष्ट्र	1	9	–
मणिपुर	–	–	–
मेघालय	–	–	–
मिजोरम	–	–	–
नागालैंड	–	1	–
उड़ीसा	3	3	9
पंजाब	–	–	3
राजस्थान	6	14	1
सिक्किम	–	–	–
तमिलनाडु	–	–	–

1	2	3	4
त्रिपुरा	–	–	–
उत्तर प्रदेश	1	–	2
पश्चिम बंगाल	6	12	3
संघ राज्य क्षेत्र	–	–	–
कुल	42	105	35

केला उत्पादन के संबंध में तकनीकी सहयोग परियोजना

123. डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केला उत्पादन में वृद्धि के संबंध में तकनीकी सहयोग परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने 231,000 डालर की कुल लागत पर खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ लघु पैमाने के उत्पादकों के लिए केले के उत्पादन को सुधारने की एक तकनीकी सहयोग परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रोगमुक्त रोपाई सामग्री के लिए एक कुशल प्रणाली का ढांचा तैयार करना तथा फसल कटाई के बाद की प्रबंध प्रणाली द्वारा छोटे किसानों के केला उत्पादन को बढ़ाना है। इस परियोजना की कुल अवधि पन्द्रह माह है। परियोजना के अपेक्षित निर्गत हैं:

- केले की अधिक उपज देने वाली तथा अनुकूलित किस्मों के स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता वाली ऊतक संवर्ध पौदों के स्थानीय तथा बाहरी स्रोतों से एक आण्विक भण्डार की स्थापना करना,
- परियोजना वाले क्षेत्रों में केले की उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्रियों के प्रवर्धन और वितरण के लिए एक संस्थापन प्रोटोकॉल,
- ऊतक संवर्ध पौदों की सार-संभाल करने, इलिसा किट का उपयोग करके विषाणु अनुक्रमणिका बनाने, रोपाई सामग्रियों का तीव्र बहुगुणन एवं अनुकूलन करने तथा किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए व्यावसायिक/तकनीकी स्टॉफ का एक सुप्रशिक्षित संवर्ग बनाना,
- उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए केला उत्पादन की प्रौद्योगिकियों में चुनिंदा किसानों के एक ग्रुप को प्रशिक्षित किया गया,
- फसल कटाई के बाद की सार-संभाल के लिए एक सुधरा मॉडल।

तेलुगु गंगा और श्रीसेलम परियोजनाओं को बंद करना

124. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार को कर्नाटक सरकार के एक अनुरोध पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कृष्णा नदी से अतिरिक्त पानी लेने के लिए तेलुगु गंगा और श्रीसेलम परियोजनाओं को बंद करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के पक्ष में निर्णय दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कृष्णा नदी

पर तेलुगु-गंगा और श्रीसेलम बायी तट नहर परियोजनाओं का निर्माण करने संबंधी कर्नाटक सरकार का आवेदन उच्चतम न्यायालय के सम्मुख दो न्यायधीश पीठ की सुनवाई के लिए 8.10.2001 को आया। इस खण्डपीठ ने आदेश दिया कि चूंकि इस आवेदन से संबंधित संविधान पीठ के निर्णय की व्याख्या की जांच करने की आवश्यकता है इसलिए यह मामला संविधानपीठ के सामने रखा जाए।

सी.आई.एल. को घाटा

125. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और अनुषंगी कम्पनियों को 2000-2001 के दौरान करोड़ो रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सी.आई.एल. को घाटे की स्थिति में इसके अधिकांश कर्मियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्मियों के स्थानान्तरण से सी.आई.एल. के घाटे पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) सी.आई.एल. के घाटे को रोकने के लिए कोई अन्य नीतियां अपनाई जा रही हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कम्पनियों को वर्ष 2000-2001 के दौरान हुआ लाभ (+) तथा (-) नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपयों में)

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.)	(-) 917.19
भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.)	(-) 1276.70
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.)	(-) 792.91
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एन.सी.एल.)	(+) 1025.05
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.)	(+) 28.33
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.)	(+) 116.92
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.)	(+) 641.35
सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि. (सी.एम.पी.डी.आई.एल.)	(-) 3.81
कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.)	(+) 280.21
कुल	(-) 898.85
सहायक कम्पनियों से लाभांश घटाएं	(-) 515.62
समग्र सी.आई.एल.	(-) 1414.47

(ग) और (घ) सी.आई.एल. के कुछ अधिकारियों को वर्ष 2000-2001 के दौरान, सीआईएल की सामान्य स्थानान्तरण नीति के अंग के रूप में स्थानान्तरित किया गया था।

(ङ) कोल इंडिया लि. की पूंजीगत पुनर्संरचना के लिए फरवरी, 1996 में सरकार द्वारा एक पैकेज अनुमोदित किया गया था। जिससे 2,228.57 करोड़ रुपये की कोल इंडिया लि. की बहुत पहले की देनदारियों को, आंशिक रूप से तरजीही इक्विटी में तबदील करके तथा आंशिक रूप से पुनर्भुगतान और ब्याज राशि पर अस्थायी निलंबन आदेश द्वारा ब्याज की बकाया राशि को माफ करके ध्यान में रखा गया। ये लाभ, घाटे पर चल रही कंपनियों

जैसे ईसीएल तथा बीसीसीएल को हस्तान्तरित कर दिए गए थे। इसके अलावा, घाटा उठाने वाली ईसीएल तथा बीसीसीएल कंपनियों के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए कोल इंडिया लि. ने अपनी सहायक कंपनियों के इक्विटी तथा ऋण ढांचे की आंतरिक पुनर्संरचना की, जिसके द्वारा ईसीएल के 994 करोड़ रुपये तथा बीसीसीएल के 1,180.70 करोड़ रुपए के कर्जों की इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था। 1982 से सी.आई.एल. भी घाटे में चल रही कम्पनियों के घाटे को कोयला मूल्य विनियम लेखा प्रणाली के तन्त्र के माध्यम से सहायता दी जा रही थी। इसे 1997 से समाप्त कर दिया गया है।

घाटे को रोकने तथा कोयला खानों को लाभप्रद बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

(1) जहां कहीं व्यवहार्य हो भूमिगत खानों को ओपनकास्ट खानों में परिवर्तन करना।

(2) एस.डी.एल., एल.एच.डी. तथा सतत खनिकों को लगाकर जहां कहीं सम्भाव्य हो भूमिगत खानों का यन्त्रीकरण करना।

(3) श्रम शक्ति को कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को प्रोत्साहित करना तथा यन्त्रीकरण करने को सुकर बनाना।

(4) निकट मॉनिटरिंग तथा प्रोत्साहनों द्वारा उच्च उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए वर्तमान संसाधनों का प्रभावशाली उपयोग करना।

(5) सभी खानों में कोयले की गुणवत्ता सुधार अभियान चलाना।

[हिन्दी]

भुंतर, कांगडा और शिमला हवाई अड्डों का विस्तार

126. श्री सुरेश चन्देल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भुंतर, कागंडा और शिमला हवाई अड्डों के विस्तार के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अनुमानित 10.34 करोड़ रुपये की लागत से कांगडा हवाई अड्डे पर रनवे विस्तार/पुनर्सतहलेपन, एप्रेन, टैक्सी पथ, टर्मिनल भवन, कार पार्किंग, सब स्टेशन, ड्रेनेड सिस्टम, दो कन्वेयर बेल्ट से संबंधित निर्माण कार्य तथा अन्य विविध कार्य को हाथ में लिया है। भुंतर हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नए टर्मिनल भवन, एप्रेन, टैक्सी पथ, कार पार्किंग से संबंधित निर्माण कार्य हाथ में लिया है जिस पर अनुमानत 747.03 लाख रुपए खर्च आएगा। शिमला हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 249.25 लाख रुपए की अनुमानित लागत से रनवे के विस्तार तथा उसके पुनर्सतहलेपन संबंधी कार्य को हाथ में ले लिया है।

[अनुवाद]

कृषक हितों की सुरक्षा

127. श्री महबूब जहेदी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां साधारण किसानों से कृषि-भूमि पट्टे पर ले रही हैं और सरकार खास जमीनों पर कब्जा कर रही हैं और बागवानी, पशुपालन, बीज उत्पादन और मात्स्यिकी के माध्यम से अधिक लाभ लेने हेतु निवेश कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इन गतिविधियों से किसानों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भूजल का स्तर

128. श्री मोइनुल हसन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान भूजल स्तर का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सिंचाई हेतु भूजल के उपयोग की राज्यवार मात्रा क्या है जिससे जल स्तर में प्रत्येक वर्ष कमी आ रही है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए

दीर्घावधि प्रेक्षणों से देश के विभिन्न भागों में भूजल के स्तर में गिरावट का पता चला है। विभिन्न राज्यों में स्थित जिलों के उन स्थानों के नाम, जहां भूजल स्तर में 4 मीटर से अधिक (1981-2000) गिरावट पाई गई है, संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

देश में प्रयोज्य सिंचाई क्षमता, सृजित क्षमता और भूजल से प्रयुक्त क्षमता की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और उनके कार्यान्वयन का दायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों का है। भारत सरकार भी विभिन्न स्कीमों के तहत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रही है। केन्द्र सरकार द्वारा जल संरक्षण और भूजल संसाधनों के संवर्धन संबंधी प्रारंभ किये गये विभिन्न उपायों का विवरण इस प्रकार है:

(1) भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भू जल प्राधिकरण का गठन।

(2) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को माडल विल परिचालित करना ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानन बना सकें।

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्र विशेष कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार करा सकें।

(4) 25.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से देश में ''भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययनों'' संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन करना। कुओं का पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन इस स्कीम का अभिन्न अंग है। इस स्कीम के परिणाम बहुत उत्साहजनक पाए गए हैं।

विवरण I

भूजल स्तर में 4 मीटर से अधिक गिरावट वाले स्थानों वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिलों के नाम (1981-2000)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिले
1	2
आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद, अनन्तपुर, चित्तूर, कुडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विजियानगरम, विशाखापट्टनम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी।
बिहार (झारखंड सहित)	धनवाद, पूर्व सिंहभूम, दरभंगा।
छत्तीसगढ़	दस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, रायपुर, राजनन्दगांव, सतना, सिधि।
गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, राजकोट, सूरत, सुरेन्द्रनगर।
हरियाणा	अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जीद, कैथल, करनाल, कुरक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर।
कर्नाटक	बंगलौर (ग्रामीण), वेल्लारी, बेलगाम, बीदर, बगलकोट, बीजापुर, चित्रदुर्ग, देवनगिरी, धारवाड़, गदग, गुलबर्गा, हवेरी, हासन, कोलार, मैसूर, चमराजनगर, रायचूर, शिमोगा, कपोल, तुमकुर, उत्तर कन्नड़।
मध्य प्रदेश	बेतुल, भिन्ड, छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, दामोह, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, इंदर, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, खरगौन, मंदसौर, मोरैना, नरसिंगपर, नीमच, पन्ना, रायसेन, रायगढ़, रतलाम, सागर, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन, विदिशा।
महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, वीद, बंबई, धुले, गदचिरौली, कोल्हापुर, नांदेड़, नासिक, ओसमानाबाद, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, बुलधाना, चंद्रपुर, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, परभनी, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सिंधुदुर्ग, थाने, सतारा, सोलापुर, वर्धा, यावतमल।

1	2
उड़ीसा	अंगुल, बालासौर, बारगढ़, बोलंगीर, धेनकनाल, गजपति, गंजम, जयपुर, कालाहांडी, क्योंझर, खुर्दा, कोरापुट, मल्कानगिरी, मयूरभंज, नावापांडा, नौरंगपुर, सुंदरगढ़, सुवर्णपुर।
पंजाब	अमृतसर, भटिन्डा, फतेहगढ़, फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, सावाशहर, पटियाला, रोपड़, संगरूर।
राजस्थान	अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, रामसमन्द, सीकर, उदयपुर।
तमिलनाडु	कोयम्बतूर, कुड्डालोर, धरमपुरी, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, मद्रास, पुदुकोट्टई, शिवगंगाई, तंजावुर, येनी, तिरुनेलवेली, तिरुवल्लूर, तिरुवन्नामलाई, तिरूवरूर, तूतीकोरीन।
उत्तर प्रदेश (उच्चरांचल सहित)	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूं, बिजनौर, बुलंदशहर। एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, हरदोई, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सराहनपुर, उन्नाव।
पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा, बर्दमान, मिदनापुर, उत्तर-24 परगना, पुरुलिया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	महरौली, नजफगढ़ और शहरी खंड।
पांडिचेरी	पांडिचेरी।

विवरण II

भूजल से सिंचाई क्षमता

(1996-97 तक)

क्र.सं.	राज्य	प्रयोज्य सिंचाई क्षमता मि. हेक्टेयर	सृजित क्षमता मि. हेक्टेयर	प्रयुक्त क्षमता मि. हेक्टेयर
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3.96008	1.77420	1.73910
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.01800	0.00240	0.00240
3.	असम	0.90000	0.20680	0.15180
4.	बिहार	4.94763	4.29180	3.81590
5.	गोवा	0.2928	0.00190	0.00170
6.	गुजरात	2.75590	1.77890	1.69370
7.	हरियाणा	1.46170	1.54490	1.49930
8.	हिमाचल प्रदेश	0.6850	0.01570	0.01150
9.	जम्मू व कश्मीर	0.70795	0.01160	0.01100
10.	कर्नाटक	2.57281	0.78010	0.76410

1	2	3	4	5
11.	केरल	0.87925	0.14060	0.12420
12.	मध्य प्रदेश	9.73249	1.62290	1.50630
13.	महाराष्ट्र	3.65197	1.63630	1.58840
14.	मणिपुर	0.36900	0.00060	0.00050
15.	मेघालय	0.06351	0.01020	0.01000
16.	मिजोरम		आकलित नहीं	
17.	नागालैण्ड		नगण्य	
18.	उड़ीसा	4.20258	0.71720	0.60070
19.	पंजाब	2.91715	3.41200	3.35300
20.	राजस्थान	1.77783	2.04840	2.01250
21.	सिक्किम		आकलित नहीं	
22.	तमिलनाडु	2.83205	1.31450	1.31190
23.	त्रिपुरा	0.08056	0.02120	0.02120
24.	उत्तर प्रदेश	16.79896	22.63400	20.35800
25.	पश्चिम बंगाल	3.31794	1.85520	2.41310
	कुल राज्य	64.04514	45.82140	41.99030
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.00504*	0.06240	0.06180
	कुल जोड़	64.05018	45.88380	42.05210

टिप्पणी–केवल दादरा और नगर हवेली से संबंधित।
मि. हेक्टे.–मिलियन हेक्टेयर।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

129. श्री मोहन रावले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम पर इसकी शुरुआत से लगभग 2195 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी है लेकिन सूखा और पारिस्थितिकीय स्थितियों में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) भू-संसाधन विभाग ने सूचित किया है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के प्रारंभ से 2593 करोड़ रुपये की एक धनराशि जारी की जा चुकी है और जिन लक्षित क्षेत्रों में यह कार्यक्रम कार्यान्वित

किया जा रहा है उनमें पानी और अन्य सापेक्ष पारिस्थितिकीय कारकों में स्पष्ट सुधार देखा गया है।

(ख) और (ग) उनके अनुसार इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, संबंधित राज्य सरकारों, अनुसंधान संस्थानों आदि से प्राप्त जानकारी के आधार पर पनधारा विकास के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।

बीड़ी कामगारों हेतु अस्पताल और औषधालय

130. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **श्रम मंत्री** 6 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2241 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीड़ी श्रमिकों की आवश्यकता और उनके बढ़ते रोगों की संख्या के दृष्टिगत बीड़ी कामगार कल्याण कोष के अंतर्गत स्थापित अस्पतालों और औषधालयों की संख्या अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो बीड़ी कामगारों हेतु अतिरिक्त औषधालयों/अस्पतालों को स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं का विस्तार, एक सतत् प्रक्रिया है, जो विशिष्ट जरूरतों तथा संगठन में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर शुरू की जाती है।

(ख) बीड़ी कामगारों को स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं प्रदान करने हेतु 30 बिस्तरों वाले तीन अस्पतालों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है।

विमानपत्तन सुरक्षा में के.औ.सु.ब. और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में समन्वय का अभाव

131. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 सितम्बर, 2001 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित समाचार "सी.आई.एस.एफ. इलइक्विप्ड टू हैंडिल एयरपोर्ट सिक्योरिटी" की तरफ आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय विमानपत्तन सुरक्षा के संबंध में के.औ.सु.ब. और भा.वि.प्रा. के बीच कोई समन्वय नहीं है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या विदेश मंत्रालय ने उनके मंत्रालय से विमानपत्तन की बेहतर सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण संचार तंत्र की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या के.औ.सु.ब. ने सुरक्षा हेतु आवश्यक दूरसंचार सैट और अन्य उपकरण खरीदने के मामले को उनके मंत्रालय के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सी आई एस एफ मुख्यालय और एएआई मुख्यालय के बीच नियमित समन्वय है तकि एयरपोर्टों पर सी आई एस एफ इंडकशन और फंक्शनिंग से संबंधित मुद्दों को हल किया जा सके। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सी आई एस एफ को वे सभी तर्कसंगत सुविधाएं/सहायता मुहैया करा रहा है जो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा सहमत गृह मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार है। छोटे हथियारों, लांग रेज के हथियारों तथा बेस सैट समेत 301 वॉकी-टाकीज संबंधी रिक्यूजिशन दे दी गई है और उन्हें खरीदे जाने संबंधी कार्रवाई चल रही है।

रसियाल खुर्दा लौतम बांध

132. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल सरकार ने भारत सरकार से उत्तर प्रदेश में लुम्बिनी के निकट दानव नदी पर बन रहे रसियाल खुर्दा लौतम बांध के निर्माण पर रोक लगाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) नेपाल सरकार ने इस वर्ष दानव नदी पर बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में तथाकथित जल आप्लावन संबंधी चिंता व्यक्त की है।

(ख) इस क्षेत्र में बाढ़ों की संभावित समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में लोटन एवं रसियावाल गांवों के बीच 12.5 कि.मी. लम्बे प्रस्तावित बांध के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवम्बर, 2000 में कार्य शुरू किया गया। इस

बांध की प्रस्तावित 12.5 कि.मी. की लंबाई, जिसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है, में से लगभग 1.8 कि.मी. कार्य पहले ही पूरा हो गया है। नेपाल की ओर अतिरिक्त जल इकट्ठा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इस बांध में छः नियामकों के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है।

(ग) यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया है जिनका विचार है कि इन छः नियामकों से नेपाली पक्ष की आशंका दूर हो जानी चाहिए। इस बीच भारत और नेपाल के संबंधित अधिकारियों की अब तक दो संयुक्त बैठकें आयोजित की गई हैं और उपयोगी तकनीकी सूचना का आदान-प्रदान किया गया है। यह विचार-विमर्श जारी रखा जाना है। बन्ध का निर्माण 10 जुलाई, 2000 से रोक दिया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में भूजल में क्लोरीन

133. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भूजल में भारी मात्रा में क्लोरीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नर्मदा योजना के साथ जुड़े राजस्थान के जिले

134. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नर्मदा योजना से जोड़े जा रहे राजस्थान के जिलों की संख्या क्या है;

(ख) क्या कार्य के नियत समय पर समाप्त होने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय द्वारा गंगा के अतिरिक्त जल को राजस्थान की दिशा में प्रवाहित करने संबंधी कोई योजना बनायी गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) राजस्थान की नर्मदा नहर परियोजना में नर्मदा जल विवाद अधिकरण द्वारा राजस्थान को आवंटित 0.5 मिलियन एकड़ फीट जल का इस्तेमाल करते हुए जालौर और बाड़मेर के सूखाग्रस्त जिलों में 73157 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने की योजना है। इस परियोजना के 2006 तक तैयार हो जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अध्ययनों को क्रियान्वित करने के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने सारदा-यमुना राजस्थान संपर्क का व्यावहारिकता पूर्व अध्ययन पूरा कर लिया है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा तैयार किये गये व्यावहारिकता पूर्व रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान को यमुना-राजस्थान संपर्क से 2.44 लाख हेक्टेयर, सिंचाई लाभ होने की योजना है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य शुरू कर दिए गए हैं और 2007 तक पूरा किये जाने का कार्यक्रम है।

बिहार में रोजगार कार्यालय

135. श्री राजो सिंह: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में स्थित रोजगार कार्यालयों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक रोजगार कार्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति आज की तारीख तक पंजीकृत हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) 31.12.1999 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, सहित बिहार के रोजगार कार्यालयों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जिला-वार सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण

क्रमांक	रोजगार कार्यालय का नाम	31.12.1999 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति के रोजगार चाहने वाले (हजार में)	31.12.1999 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वाले (हजार में)
1	2	3	4
1.	आरा (भोजपुर)	7.29	0.50
2.	औरंगाबाद	9.28	0.08
3.	बेगुसराय	14.8	0.98
4.	बतिया	4.31	0.63
5.	भागलपुर	15.67	0.82
6.	बिहारशरीफ (नालंदा)	15.10	0.02
7.	छपरा	13.69	0.24
8.	गया	21.33	0.41
9.	गोपालगंज	1.04	0.16
10.	कटिहार	6.79	8.71
11.	खगरिया	1.78	0.30
12.	दरभंगा	10.33	0.38
13.	मधुबनी	3.24	0.04
14.	मधेपुरा	2.37	0.13
15.	मुंगेर	11.18	1.59
16.	मोतीहारी	0.39	0.18
17.	मुजफ्फरपुर	3.56	0.85
18.	नवादा	5.05	0.09
19.	पटना	7.74	3.47
20.	पटना (पी एण्ड ई)	1.71	1.32
21.	पटना (पी एच)	0.39	0.12
22.	पटना (एससी)	26.59	शून्य
23.	पूर्णिया	2.98	0.38
24.	सहरसा	1.67	0.23
25.	सीवान	4.18	0.28
26.	सीतामढ़ी	6.40	0.27
27.	समस्तीपुर	4.16	2.89
28.	वैशाली (हाजीपुर)	8.79	0.25
29.	कहलगांव	5.98	1.96
	योग	217.79	27.28

[अनुवाद]

भारत और चीन के बीच विमान सेवाएं

136. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन के सुधरे संबंधों के मद्देनजर दोनों देशों के बीच पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत और चीन के बीच विमान सेवाएं प्रारंभ करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) भारत तथा जनवादी चीन के बीच हाल ही में पर्यटकों की आवाजाही में कोई खास वृद्धि नहीं देखी गई है। अभी तक भारत और चीन के बीच हुए विमान सेवा करार के अनुसार दोनों देशों की नामित विमान कंपनियों द्वारा सप्ताह में दो बार विमान सेवाएं प्रचालित करने की व्यवस्था। तथापि, इसकी वजह व्यवहार्य यातायात की कमी है। एअर इंडिया की इस समय चीन के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने की कोई योजना नहीं है। चीन की किसी भी विमानकंपनी ने भारत और जनवादी चीन के बीच प्रचालन सेवा शुरू करने की अपनी योजना का संकेत नहीं दिया है।

व्यय सुधार आयोग

137. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय में और इससे संबंधित विभागों में अपव्यय को कम करने हेतु सिफारिश देने हेतु उनके मंत्रालय में व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कौन-कौन से सदस्य है;

(ग) आयोग द्वारा अब तक की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जो उनके मंत्रालय या विभागों द्वारा अभी क्रियान्वित की जानी है और इनके अब तक क्रियान्वित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इनको कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) जी नहीं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किसी व्यय सुधार आयोग का गठन नहीं किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

व्यय सुधार आयोग

138. श्री अमर राय प्रधान: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'क्या मंत्रालय और इससे संबंधित विभागों में अपव्यय को कम करने हेतु उनके मंत्रालय में व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयोग द्वारा अब तक की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जो उनके मंत्रालय या विभागों द्वारा अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई है और इनके अब तक क्रियान्वित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इनको कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) नागर विमानन मंत्रालय में किसी प्रकार के व्यय सुधार आयोग का गठन नहीं किया गया है। तथापि, वित्त मंत्रालय द्वारा गठित व्यय सुधार आयोग ने अपनी 10वीं रिपोर्ट के भाग 4 में नागर विमानन मंत्रालय के संबंध में सिफारिशें की हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित किये गये व्यय सुधार आयोग का गठन इस प्रकार है:

(1) श्री के.पी. गीताकृष्णनन, अध्यक्ष

(2) श्री वी.एस. जफा, सदस्य

(3) श्री किरीट पारेख, सदस्य

(4) श्री सी.एम. वासुदेव, पदेन सदस्य

(5) श्री नारायण वैल्लुरी, सदस्य सचिव

(ग) नागर विमानन मंत्रालय से संबधित व्यय सुधार आयोग की सिफारिशें इस प्रकार है:

1. विमानन उद्योग के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सभी शक्तियों और विनियमों सहित नागर विमानन महानिदेशालय को नागर विमानन प्राधिकरण में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव पर कार्यवाही की जानी चाहिए और इसे शीघ्र प्रभावी होना चाहिए। ऐसा किये जाने तक, नागर विमानन महानिदेशालय पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अनुरूप वसूली के लिए कार्रवाई आरंभ होनी चाहिए।

2. नागर विमानन महानिदेशालय और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के संबंध में स्टाफ निरीक्षण यूनिट की सिफारिशों पर कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

3. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकारी बजटीय सहायता को कम करने के लिए साध्यता का पता लगाया जाना चाहिए।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिये कि योजना आवंटन का पूर्ण उपयोग हो।

5. हज चार्टरों के प्रचालन पर सब्सिडी को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में मोडालिटीज को अंतिम रूप दिये जाने तक, सब्सिडी को वर्तमान स्तर तक बनाए रखा जाना चाहिए।

6. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था में निजी भागीदारी की साध्यता का पता लगाया जाना चाहिए। यदि ये प्रयास सफल नहीं

होते, तो अकादमी को 1.4.2003 तक बंद कर दिया जाना चाहिए।

7. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो को बम्ब खोजी और निपटान और श्वान दस्ते जैसे कार्यकारी कार्यकलापों में नहीं लगाया जाना चाहिए। इन कार्यों को सी आई एस एफ, राज्य पुलिस आदि जैसी अन्य एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए।

8. इन प्रश्न का तुरन्त हल निकाला जाना चाहिए कि क्या रेल संरक्षा आयोग को नागर विमानन मंत्रालय के अधीन रखा जाये अथवा इसे रेल मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जाये।

9. पर्यटन मंत्रालय की नफरी से संबंधित संयुक्त सचिव के एक पद को, जिसकी पुन: तैनाती हुई थी, को तत्काल आधार पर समाप्त किया जाना चाहिए।

10. नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशकों के अतिरिक्त प्रभार सौंपने संबंधी वर्तमान व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए चूंकि विनिवेश प्रक्रिया में सरकार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और ऐसा किये जाने से विशेष स्तर पर होने वाली दखलंदाजी से बचा जा सकता है।

11. चूंकि इंडियन एयरलाइन्स में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद पर मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव पदासीन हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त सचिव के पद से संबंधित कार्यकलाप का निर्वाह सभार नहीं हो पाता है और इसलिए इस पद को समाप्त ही कर दिया जाना चाहिए।

(घ) और (ङ) व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है और इसमें निहित सिफारिशों पर कार्रवाई चल रही है और इस संबंध में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

139. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में कृषि उत्पादों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान प्रत्येक राज्य में स्थापना हेतु प्रस्तावित ऐसे उद्योगों की संख्या क्या है और वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) से (ग) विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। संभावनाओं के क्षेत्र अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। मंत्रालय ने अपनी योजना स्कीमों के तहत ऐसे अध्ययनों के लिए विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता भी दी है। मंत्रालय की योजना स्कीमें परियोजना विशेष होती हैं न कि राज्य विशेष। मंत्रालय स्वयं किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता।

एम.पी.एल.ए.डी. योजना हेतु धनराशि

140. श्रीमती रेनू कुमारी:
श्री पी.आर. खुंटे:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विकास कार्यों हेतु दी जा रही निधियों को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक बढ़ाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा में नहर का निर्माण

141. श्री शीश राम ओला: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में लोहारू से पीपली लड्डा से राजस्थान के झुनझुनू जिले तक प्रस्तावित नहर के निर्माण का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ख) सिंचाई हेतु राजस्थान को स्वीकृत यमुना जल को झुनझुनू जिले, चुरू जिले और राजगढ़ तहसील के कुछ भागों को नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस जल को वहां कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) हरियाणा और राजस्थान में प्रस्तावित नहरों में निर्माण का कार्य अन्य बातों के साथ-साथ हरियाणा की जलवहन प्रणाली के माध्यम से हरियाणा से राजस्थान को भेजे जाने वाले जल की मात्रा सहित हरियाणा और राजस्थान की सरकारों द्वारा संबंधित संशोधित परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने और तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए उन्हें केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत करने के पश्चात ही शुरू किया जा सकता है। तत्पश्चात्, परियोजना को तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाए जाने पर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं संबंधी समिति द्वारा परियोजना पर विचार किये जाने की आवश्यकता होगी, जिसे, परियोजना को स्वीकार्य पाए जाने पर निवेश स्वीकृति के लिए इस पर विचार किये जाने के लिए योजना आयोग को भेजना होगा। इस प्रकार, इस योजना का निर्माण कार्य योजना आयोग द्वारा इसे निवेश स्वीकृति दिये जाने के पश्चात ही शुरू किया जा सकता है।

लालबंध खदान का ढहना

142. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री मोइनुल हसन:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की लालबंध खदान अवैध खनन गतिविधियों के कारण ढह गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने लोगों के मरने की खबर है;

(ग) इस घटना के कारण कितना वित्तीय नुकसान हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी;

(च) क्या प्रशासन और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) ई.सी.एल. में इन खनन गतिविधियों को रोकने में असफल रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) रानीगंज आसनसोल कोयला क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु ई.सी.एल. क्या कदम उठाने का विचार कर रहा है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) में लालबंध नाम की कोई कोयला खान नहीं है। आसनसोल कस्बे से लगभग 15 कि.मी. दूरी पर ई.सी.एल. खान सीमा से परे लालबंध में एक निजी भूमि के नीचे अवैध खनन चल रहा था। जहां तक मारे गये व्यक्तियों की संख्या का प्रश्न है, ई.सी.एल./सी.आई.एल., जिला प्राधिकारी इसकी पुष्टि करने में समर्थ नहीं हुए हैं।

(ग) ई.सी.एल. को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(च) और (छ) ई.सी.एल. के नियंत्रण के बाहर के क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन को रोकने का कार्य जिला प्राधिकरण का है। अवैध खनन को रोकने के लिए ई.सी.एल. द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार है:

(1) परित्यक्त भूमिगत खानों के प्रवेश स्थलों को सील किया जाना।

(2) परित्यक्त ओपनकास्ट खानों को डोजिंग करके भरा जाना।

(3) अपने स्वयं के सुरक्षा बलों तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा गश्त लगाया जाना।

(4) आसूचना एकत्र करना तथा जिला प्राधिकारी के साथ निकट संपर्क रखना।

(5) अवैध खनन के मामलों की सूचना जिला प्राधिकारी को दिया जाना।

(6) जब भी छापों के दौरान अवैध रूप से खनित कोयला तथा अवैध खनन के औजार पकड़े जाते हैं, तो उन्हें स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है और एफ.आई.आर. दर्ज करा दी जाती है।

(ज) जहां महत्वपूर्ण सतही ढांचे विद्यमान होते हैं, वहां धंसाव को रोकने के लिए रेत भराई के साथ कोयले का खनन किया जाता है।

पूर्व की (भूतपूर्व मालिकों) कुछ ऐसी उथली, पुरानी भूमिगत खानें हैं, जो अब पानी से भरी हुई और अगम्य हैं। इनमें से कई अस्थिर हैं और इनसे अनियोजित धंसाव हो सकता है। अवैध खनन से भी धंसाव हो सकता है। हाइड्रो-न्यूमैटिक स्टोईंग तकनीक से पुरानी अस्थिर खदानों के स्थिरीकरण का कार्य रानीगंज कोलफील्ड में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में फतेपुर, बोराचाक, पलासबोन, गोवाला बस्ती, पोरारबंद, पोट्री, भुटडोबा, हरिपुर, अरुण टॉकीज तथा कुमार बाजार में ई.एम.एस.सी. तथा सी.सी.डी.ए. के अंतर्गत आरंभ किया गया है।

पशु अनुसंधान केन्द्र

143. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पशु अनुसंधान केन्द्रों की कमी है और क्या मौजूदा केन्द्र भी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ये केन्द्र राज्यवार किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(घ) इन केन्द्रों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन विभिन्न प्रजातियों का विकास किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

सिंचाई के अंतर्गत भूमि

144. **श्री रामजीलाल सुमन:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस समय खेती के अंतर्गत कुल भूमि से ऐसे भूमि क्षेत्र की संभावना का पता लगाया है, जिसे सिंचाई के अंतर्गत लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से सिंचाई के अंतर्गत उक्त भूमि को लाने के लिए योजनायें तैयार करने और प्रस्तुत करने को कहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) खेती योग्य भूमि में से सिंचाई के अंतर्गत लाई जा सकने वाले भूमि क्षेत्र की संभावनाओं का पता लगाते हुए भारत सरकार ने देश में चरम सिंचाई क्षमता 139893 हजार हेक्टेयर आंकी है। सिंचाई के विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते हुए आंकी गई चरम सिंचाई क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सिंचाई के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा राष्ट्रीय जल नीति-1987, के अनुसार राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर नदी बेसिन/उप बेसिन को एक जल वैज्ञानिक यूनिट के रूप में लेते हुए एकीकृत जल संसाधन विकास योजनाएं तैयार करें। किसी एक परियोजना अथवा कुल मिलाकर किसी संपूर्ण बेसिन में सिंचाई आयोजना करते समय जल की उपलब्धता, भूमि की सिंचाई क्षमता, जल के सभी उपलब्ध स्रोतों से संभव लागत प्रभावी सिंचाई विकल्पों तथा उपयुक्त सिंचाई तकनीकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तद्नुसार, राज्य सरकारें योजनाएं तैयार करती हैं और अपने स्वयं के योजना आबंटनों में से तथा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई परियोजनाएं शुरू करती हैं।

विवरण

वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई से राज्यवार चरम सिंचाई क्षमता

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चरम सिंचाई क्षमता				कुल
		वृहद एवं मध्यम सिंचाई	लघु सिंचाई			
			सतही जल	भू जल	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	5000.00	2300.00	3960.00	6260.00	11260.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	150.00	18.00	168.00	168.00
3.	असम	970.00	1000.00	900.00	1900.00	2870.00
4.	बिहार*	6500.00	1900.00	4947.00	6847.00	13347.00
5.	गोवा	62.00	25.00	29.00	54.00	116.00
6.	गुजरात	3000.00	347.00	2756.00	3103.00	6103.00
7.	हरियाणा	3000.00	50.00	1462.00	1512.00	4512.00
8.	हिमाचल प्रदेश	50.00	235.00	68.00	303.00	353.00
9.	जम्मू व कश्मीर	250.00	400.00	708.00	1108.00	1358.00
10.	कर्नाटक	2500.00	900.00	2574.00	3474.00	5974.00
11.	केरल	1000.00	800.00	879.00	1679.00	2679.00
12.	मध्य प्रदेश*	6000.00	2200.00	9732.00	11932.00	17932.00
13.	महाराष्ट्र	4100.00	1200.00	3652.00	4852.00	8952.00
14.	मणिपुर	135.00	100.00	369.00	469.00	604.00
15.	मेघालय	20.00	85.00	63.00	148.00	168.00
16.	मिजोरम	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00
17.	नागालैंड	10.00	75.00	0.00	75.00	85.00
18.	उड़ीसा	3600.00	1000.00	4203.00	5203.00	8803.00
19.	पंजाब	3000.00	50.00	2917.00	2967.00	5967.00
20.	राजस्थान	2750.00	600.00	1778.00	2378.00	5128.00
21.	सिक्किम	20.00	50.00	0.00	50.00	70.00

1	2	3	4	5	6	7
22.	तमिलनाडु	1500.00	1200.00	2832.00	4032.00	5532.00
23.	त्रिपुरा	100.00	100.00	81.00	181.00	281.00
24.	उत्तर प्रदेश*	12500.00	1200.00	16799.00	17999.00	30499.00
25.	पश्चिम बंगाल	2300.00	1300.00	3318.00	4618.00	6918.00
	कुल राज्य	58367.00	17337.00	64045.00	81382.00	139749.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	98.00	41.00	5.00	46.00	144.00
	कुल जोड़	58465.00	17378.00	64050.00	81428.00	139893.00

टिप्पणी: *क्रमश: बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की चरम सिंचाई क्षमता के आंकड़ों में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल के चरम सिंचाई क्षमता के आंकड़े शामिल हैं।

इस्पात संयंत्रों में भ्रष्टाचार

145. डा. बलिराम: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में गत दो वर्षों के दौरान जानकारी में आये भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक मामले में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस्पात संयंत्रों से भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान जानकारी में आए भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या निम्न प्रकार है:

(1) सेल के इस्पात संयंत्र/इकाइयां 340 मामले

(2) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)/विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी एस पी) 8 मामले

(ख) सेल के इस्पात संयंत्रों/इकाइयों में भ्रष्टाचार के 340 मामलों में 150 अधिकारियों को बड़ी शास्ति और 247 कर्मचारियों की छोटी शास्ति दी गई।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड/विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में भ्रष्टाचार के 8 मामलों में 4 कर्मचारियों को बड़ी शास्ति और 4 कर्मचारियों को छोटी शास्ति दी गई।

(ग) इस्पात संयंत्रों से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, इनमें से कुछ मोटे तौर पर निम्न प्रकार हैं:

(1) क्षेत्र/संगठन का पता लगाने तथा मौजूदा नियमों और पद्धतियों को सरल बनाने के उद्देश्य से अध्ययन करने के लिए इस्पात संयंत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं।

(2) संयंत्र के मुख्य सतर्कता अधिकारी, जो भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाते हैं, के स्तर पर नियमित/औचक निरीक्षण किये जा रहे हैं तथा उपचारात्मक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

(3) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों के आवर्तन की योजना तैयार करने तथा उन्हें बारी-बारी से तैनात करने के लिए इस्पात संयंत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं।

(4) स्वीकृत सूची तथा संदेहास्पद निष्ठा वाले अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है तथा इन सूचियों में शामिल अधिकारियों के आचरण पर उपयुक्त निगरानी रखी जा रही है।

(5) इस्पात संयंत्रों के सतर्कता मामलों/कार्यकलापों की समीक्षा हर तिमाही में सचिव (इस्पात) स्तर पर की जा रही है।

(6) अधिकारियों द्वारा दी गई सम्पत्ति विवरणी की नियमित तौर पर जांच की जा रही है।

(7) केन्द्रीय सतर्कता आयोग/कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों को इस्पात संयंत्रों को कठोर अनुपालन हेतु परिचालित किया जा रहा है।

(8) दोषी कर्मचारियों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्रवाई को शीघ्रता से पूरा करने पर बल दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

कृषि निर्यात जोन की स्थापना

146. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात जोनों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) सरकार निर्यात क्षमता वाले विभिन्न राज्यों में कृषि निर्यात जोनों की स्थापना हेतु राज्यों को मदद देने की प्रक्रिया में है। कृषि निर्यात क्षेत्र की धारणा के लिए कच्चे माल के विकास एवं उत्पादन, उनका प्रसंस्करण/पैकेजिंग, अंतिम रूप से निर्यात के उद्देश्य से भौगोलिक रूप से निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित किसी विशेष उत्पाद/उत्पादन को व्यापक रूप से देखा जाता है। पूरा प्रयास क्षमतायुक्त उत्पादों, भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें ये उगाये जाते हैं, की पहचान तथा उत्पादन की धरातल से शुरू करके खपत की स्थिति तक पहुंचने तक के सम्पूर्ण क्रियाओं के समन्वयन के इर्द-गिर्द केन्द्रित होता है। कृषि निर्यात जोन के विचार के पीछे इन क्षेत्रों के सघन कार्य हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की सभी प्रोत्साहक स्कीमों का केन्द्रीयकरण और सभी राज्य सरकार अभिकरणों तथा कृषि विश्वविद्यालयों तथा केन्द्र सरकार के सभी संस्थानों एवं अभिकरणों की सेवा के समेकित पैकेज का क्रियान्वयन करना है। इस प्रकार की सेवाएं राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित तथा समन्वित की जाएंगी। राज्य सरकार उन उत्पादों की पहचान करेंगे जिनको निर्यात के लिए विकसित किया जाना है तथा जिनमें तुलनात्मक दृष्टि से अधिक लाभ हो तथा विदेशी बाजार में ठहरने की क्षमता हो, और भारत सरकार की मंजूरी हेतु प्रस्ताव भेजेंगे। इसके बाद यह प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु अपेडा के साथ एक समझौता ज्ञापन करेंगे।

(ग) सरकार ने सिद्धांत रूप में विभिन्न राज्यों में छह कृषि निर्यात जोनों की स्थापना की मंजूरी दे दी है। ये क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्था में हैं तथा इनमें से कुछ जोनों से इस वित्तीय वर्ष के अंत तक निर्यात शुरू हो जाएगा।

इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया को घाटा

147. श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री अधीर चौधरी:
डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:
श्री अम्बरीश:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार हुए घाटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारी घाटे के बावजूद इंडियन एयरलाइन्स ने हाल ही में एक पांच सितारा होटल में फैशन शो प्रायोजित किया;

(ग) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई;

(घ) क्या इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया का विचार भविष्य में ऐसे कुछ और फैशन शो प्रायोजित करने का है;

(ङ) इंडियन एयरलाइन्स के संचार क्षेत्र के साथ ऐसे प्रायोजन का औचित्य क्या है; और

(च) सरकार द्वारा एयरलाइन्स को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) पिछले तीन वर्षों में इंडियन एयरलाइन्स का निवल लाभ/निवल घाटा निम्नवत् है:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	निवल लाभ (कर पूर्व)
1998-99	14.17
1999-2000	51.42
2000-01	(159.17)

पिछले तीन वर्षों में एअर इंडिया को हुए घाटे का ब्यौरा निम्नवत् है:

(करोड़ रुपयों में)

1998-99	(117.48)
1999-2000	(37.63)
2000-01	(44.40)

(ख) से (ङ) इंडियन एयरलाइन्स रीतु बेरी और रीतु कुमार के दो फैशन डिजाइनरों के फैशन शो से जुड़ा रहा है चूंकि इसके लक्षित श्रोताओं में से अधिकांश हवाई-यात्रा करने वाले हैं। निम्नांकित प्रति मील व्यय/प्रचार प्रसार के दृष्टिगत यह संबंध परिवर्तनीय आधार (बार्टर बेसिस) पर था।

- कार्य स्थल पर ब्रैन्ड दिया जाना
- आमंत्रण आदि जैसे संवर्धन करने वाली चीजों को इंडियन एयरलाइन्स के जनसंपर्क माध्यम में प्रिन्ट और दूरदर्शन दोनों में शामिल किया गया। जनसंपर्क माध्यम द्वारा आमंत्रित पत्रकारों में दैनिक समाचार पत्रों तथा राष्ट्रीय पत्रिकाओं के फीचर-आलेख लिखने वाले लेखक शामिल थे।
- रंगमंच पर इंडियन एयरलाइन्स की साख।
- सामाजिक गतिविधियों को समाहित करते हुए अधिकतम ब्रांड को फिर से प्रदर्शित करना।

संबद्ध सक्रियताओं के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

रीतु कुमार शो (14.12.2000)

1. दिल्ली-चेन्नै-दिल्ली सैक्टर के लिए दस टिकट
2. दिल्ली-मुम्बई-दिल्ली सैक्टर के लिए दस विकट
3. दिल्ली-कोलकाता-दिल्ली सैक्टर के लिए दस टिकट
4. दिल्ली-कोलम्बो-दिल्ली सैक्टर के लिए दस टिकट

रीतु बेरी शो (25.8.2000)

1. दिल्ली-मुम्बई-दिल्ली सैक्टर के लिए आठ टिकट
2. दिल्ली या मुम्बई-कोलकाता-दिल्ली या मुम्बई सैक्टर के लिए आठ टिकट

सरकार द्वारा लगाए गए सभी करों की अदायगी संबंधित पक्ष द्वारा की गई।

प्रति मील दूरी/लक्षित श्रोता और प्रचार-प्रसार के प्रकार को आधार मानकर इंडियन एयरलाइन्स को इस कार्य (शो) से मुनाफा होने की संभावना है।

फैशन शो को प्रायोजित करने संबंधी एअर इंडिया की कोई योजना नहीं है।

(च) इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी लाभप्रदता में सुधार लाने के लिए निम्नांकित उपाय किये हैं/और करने का प्रस्ताव किया है:

- मौजूदा बाजार आवश्यकता के आधार पर विमानों को लगाना।
- सिर्फ प्रचालन के लिए आवश्यक पदों को छोड़कर अन्य पदों की भर्ती पर रोक
- लागत नियंत्रण
- विमानों की क्षमता बढ़ाने/विमानों को बदलने के लिए पट्टे पर विमान लिया जाना
- विपणन अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर लचीला किराया निर्धारण नीति।
- सख्त बजटीय नियंत्रण
- उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार
- अन्वेषणकारी विपणन रणनीतियां

एअर इंडिया ने इन्हें व्यवहार्य बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं जो इस प्रकार हैं:

(1) घाटे वाले मार्गों पर से विमानों को हटाकर इन्हें अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद मार्गों पर लगाया जाना।

(2) विमान चालकों की उपलब्धता की सीमाओं के भीतर विमान बेड़े का अधिकतम उपयोग।

(3) वैमानिक क्षमता बढ़ाने के लिए विमानों को ड्राई लीज पर लिया जाना।

(4) उड़ानगत यात्री सेवा की गुणवत्ता में सुधार

(5) यात्रियों को इन्टरनेट के जरिये औन लाइन बुकिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनवरी, 2002 से ई-मार्केटिंग की व्यवस्था आरंभ किया जाना

(6) भारत और विदेशों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती

(7) विदेश स्थित विभिन्न विभागों में भारतीय मूल के अधिकारियों के कई पदों की समाप्ति।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस द्वारा एयरबसों को पट्टे पर लिया जाना

148. श्री पदमसेन चौधरी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार ए-320 एयर बसों को पट्टे पर लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) जी. हां। इंडियन एयरलाइन्स ने आरिक्स एविएशन सिस्टम लि. के साथ मिलकर प्रति विमान 244000 अमेरिकी डालर (48 रु. प्रति डालर के हिसाब से 1.17 करोड़ रुपये) के मासिक पट्टा किराए के अनुसार पांच साल की अवधि के लिए चार ए-320 विमानों को ड्राई लीज पर लेने संबंधी सौदे को अंतिम रूप दे दिया है। नवम्बर, 2001 में दो ए-320 विमान जबकि मार्च, 2002 में भी दो ए-320 विमान बेड़े में शामिल किए जाएंगे। ऐसा विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित करके किया गया।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण

149. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री एन.टी. षणमुगम:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव व्यावसायिक प्रशिक्षण में निजी क्षेत्र द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को सुविधाएं देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना में राष्ट्रीय आधार पर नीतियां, प्रशिक्षण मानक, संबंधन मानदंड तैयार करने वाली तथा शिल्पकारों की अंतिम रूप से व्यवसाय परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के साथ निजी संस्थानों सहित अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे व्यवसायों के संबंध का प्रावधान है।

[हिन्दी]

वन अधिकारियों को प्रशिक्षण

150. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए चल रही संस्थाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संस्थानों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान संस्थान-वार कितने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) क्या इन संस्थानों में प्रशिक्षुओं को नामित करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन विभिन्न राज्यों में स्थित और वन अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे संस्थानों संबंधी राज्यवार ब्यौरा इन संस्थानों में पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की संख्या सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय वन सेवा के अधिकारी पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षण देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये जाने के बाद ही नामित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह अकादमी उन आई एफ एस अधिकारियों को अग्रिम वन प्रबंध प्रशिक्षण भी प्रदान करती है जिनकी सेवा 10, 17 और 21 वर्ष की हो चुकी हो। राज्य वन सेवा महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये राज्य वन अधिकारियों को प्रशिक्षण एस एफ एस अधिकारियों के लिए 2 वर्षीय वानिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संशोधित नियमों की शर्तों के अनुसार प्रदान करती है। राज्य सरकारों द्वारा वन रेंजरों का प्रशिक्षण के लिए नामांकन ''वानिकी में वन रेंजर्स पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश और प्रशिक्षण नियम (1992 में संशोधित)'' के अनुसार किया जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय वन सर्वेक्षण भी क्रमश: वन्यजीव प्रबंधन और रिमोट सेसिंग विषयों पर विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

विवरण

क्र.सं.	संस्थानों का नाम	राज्य	पिछले तीन वर्षों में प्रशिक्षुओं की संख्या
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून	उत्तरांचल	766
2.	राज्य वन सेवा महाविद्यालय, बर्निहाट	असम	79
3.	राज्य वन सेवा महाविद्यालय, कोयम्बटूर	तमिलनाडु	191
4.	राज्य वन सेवा महाविद्यालय, देहरादून	उत्तरांचल	358
5.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	उत्तरांचल	198
6.	ईस्टर्न वन रेंजर्स कॉलेज, कुर्सियांग	पश्चिम बंगाल	50
7.	भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून	उत्तरांचल	62

[अनुवाद]

आरक्षित पदों की बकाया संख्या

151. श्री रामदास आठवले: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनित रिक्त पदों को ''एक अलग और विशेष समूह'' के रूप में माना जाना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात् (1) अनुसूचित जातियों, (2) अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर उनके मंत्रालय में समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में निर्धारित बकाया आरक्षित रिक्त/अग्रेनित पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनित कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए बने नए रिक्त पदों/दिए गए पदों का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

केरल में सिंचाई सुविधायें

152. श्री के. मुरलीधरन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है; और

(ग) राज्य सरकार को इस संबंध में कितनी धनराशि जारी की गई है/किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केरल सरकार ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए 7 परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग को भेजी हैं। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत, वार्षिक सिंचाई लाभों एवं स्वीकृति की स्थिति सहित उनका विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	वार्षिक सिंचाई लाभ (हजार हे.)	स्वीकृति की स्थिति
1.	इदमलमार	107	27.51	शर्तों के अधीन सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत
2.	अट्टापदी	110	8.38	कावेरी अधिकरण पंचाट से संबद्ध
3.	नेय्यार सिंचाई का आधुनिकीकरण	17.25	20	मुख्य कमियों के कारण राज्य सरकार को वापस भेज दी गई।
4.	कुरियारकुट्टी करापारा	231.03	39.64	
5.	कुट्टीयाडी को बढ़ाना	17.98	4.80	
6.	चमरावट्टाम पर नियामक सह सेतु	70	8.11	
7.	मीनाचेल घाटी	89.5	9.96	

परियोजनाओं की स्वीकृति केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के शीघ्र प्रस्तुत करने/बकाया प्रेषणों के अनुपालन पर निर्भर करती है।

(ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, उपर्युक्त स्कीमों सहित सभी प्रकार के सिंचाई एवं जल निकास स्कीमों की आयोजना एवं निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपनी निधियों से की जाती है। इसके अलावा, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के तहत, दो वृहद सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के वास्ते अभी तक केरल सरकार की 41.15 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की जा चुकी है। इसके अलावा, चालू केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी ए डी पी) के तहत सृजित सिंचाई क्षमता की उपयोगिता एवं कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के वास्ते वर्ष 1974-75 तक इस कार्यक्रम के तहत शामिल 16 परियोजनाओं के लिए जून, 2001 तक 9366.20 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई है।

कानपुर के समीप विमान दुर्घटना

153. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने अपनी वह जांच पूरी कर ली है, जिसमें कानपुर के समीप हुई त्रासद विमान दुर्घटना में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और पत्रकारों की मौत हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ग) इस जांच रिपोर्ट के प्रकाश में देश में निजी छोटे विमानों के उड़ान संबंधी पहलू की समीक्षा हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) विमान दुर्घटना की जांच विमान नियम 1937 के नियम 74 के तहत गठित जांच समिति के द्वारा की जा रही है। समिति ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं दी है।

फसल क्षेत्र परियोजना

154. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फसल क्षेत्र परियोजना से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ने से भारतीय कृषि में क्रांति आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं और इससे अब तक क्या लाभप्रद नतीजे प्राप्त हुये हैं;

(ग) क्या यह फसल क्षेत्र परियोजना अब देश के केवल 12 जिलों में चल रही है; और

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत देश के सभी जिलों को कब तक शामिल किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) जी, नहीं, ऐसी कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों का विलय

155. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) और इसकी प्रत्येक सहायक कंपनी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सी.आई.एल. की सभी सहायक कंपनियों को एक कंपनी में विलय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) तथा इसकी सहायक कम्पनियों की उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

कम्पनी	1998-99		1999-2000		2000-01	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
ईसीएल	32.00	27.16	29.00	25.12	28.00	28.03
बीसीसीएल	32.30	27.17	27.50	27.90	29.50	25.97
सीसीएल	35.00	32.17	33.50	32.40	34.00	31.75
एनसीएल	37.00	36.52	37.50	38.43	39.00	41.40
डब्ल्यूसीएल	32.00	31.75	32.00	33.86	33.00	35.20
एसईसीएल	58.70	57.56	58.00	58.75	60.00	60.33
एमसीएल	41.00	43.51	41.00	43.55	43.00	44.80
एनईसी	00.85	00.64	00.60	00.57	00.50	0.66
सीआईएल	268.85	256.48	259.10	260.58	267.00	268.14

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) तथा इसकी सहायक कम्पनियों को इनके मौजूदा होल्डिंग कम्पनी सहायक कम्पनी वाले स्वरूप को एकात्मक (यूनीटेरी) स्वरूप में पुनर्गठित करने के प्रस्ताव की सरकार जांच कर रही है और सभी पक्ष-विपक्ष का गहराई से विश्लेषण करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र

156. श्री शिवाजी माने:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री ए. कृष्णास्वामी:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य विशेषकर तमिलनाडु को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) प्रत्येक केन्द्र को उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि ज़ारी की गई;

(घ) क्या इन प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र समय से प्रस्तुत किये जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या खाद्य प्ररंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा निधियों की भारी हेराफेरी सरकार की जानकारी में आई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या निकला और उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्र नहीं चलता। ये केन्द्र, राज्य सरकारों, संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों आदि के द्वारा चलाये जाते हैं। इस स्कीम के शुरू होने से लेकर अब तक इस मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 326 खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता दी जा चुकी है। राज्यवार सूची विवरण-I पर संलग्न है।

(ख) पिछले 3 सालों के दौरान राज्यवार (तमिलनाडु समेत) खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को जारी सहायता की मात्रा संलग्न विवरण-II में दी गई है। इससे संबंधित राज्य के सभी सरकारी विभाग, संस्थान, गैर सरकारी संगठन शामिल हैं।

(ग) एकल उत्पाद लाइन खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्र के लिए उपकरणों के वास्ते 2 लाख रुपये और कच्चे माल के वास्ते 1 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। बहुल उत्पाद लाइन खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्र के मामले में उपकरणों हेतु साढ़े सात लाख रुपये और कच्चे माल के वास्ते 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है।

(घ) और (ङ) जारी की गई सहायता में से केवल 18% को छोड़कर सभी मामलों में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुके हैं अथवा संगठन को दी गई निधि वापिस मिल गई है। इनमें से, जारी की गई 10 प्रतिशत सहायता के उपयोग प्रमाणपत्र सरकारी विभागों/संस्थानों से प्राप्त होने बाकी है।

(च) से (झ) जी, नहीं। वैसे इस मंत्रालय द्वारा किये गये अध्ययन के एक अंश के रूप में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने पता लगाया है कि कुछ केन्द्रों में वाणिज्यिक उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए धनराशि मंजूर करने तथा खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्र परियोजनाओं की निगरानी-प्रक्रिया हाल ही में संशोधित की गई है। सभी संबंधितों को अक्तूबर, 2001 में निदेश जारी कर दिए गए हैं।

विवरण I

1992-93 से 2000-2001 की अवधि के दौरान सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त खा. प्र. तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की सं.	स्थान
1	2	3	4
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	डिगलीपुर (उत्तरी अंडमान)
2.	आंध्र प्रदेश	5	हैदराबाद, जडेचेरला (जिला महबूबनगर), गांधीनगर (हैदराबाद), करीमनगर, नगरकुरनूल (जिला महबूबनगर)
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	जिला पश्चिमी सियांग

1	2	3	4
4.	असम	25	उलूबारी (जिला गुवाहाटी), नौगांव, जोरहाट, शिवसागर, तिनसुकिया, सिल्चर, कोकराझार, मंगलदोई, बोंडा, चन्द्रपुर, बगीचा (जिला कामरूप), तेजपुर, जगी रोड, नालबाड़ी, रांगिया, धुबरी, हाउली (जिला बेरपेट), बेलटोला (सेजनगर, जिला गुवाहाटी) मजगांव (जिला नवगांव) तोपाटोली (जिला कामरूप), सोनापुर (जिला कामरूप चमटा जि. नलबारी), मोरीगांव, मंगलदोई (जि. दर्रांगा) खकपारा या जलुकबाडी।
5.	बिहार	28	बारियातू, अंगारा, गुमला, गोत्रा, तोरपा, दुमका, गमला, साहिबगंज तोरपा, लुम्बई (जि. बंदगांव) बारद्वारी (जि. जमशेदपुर), चांदिल (जि. पूर्वी सिंहभूम), भांद्रा (जि. लोहारडगा), चक्रधरपुर (जि. पश्चिमी सिंहभूम), आसनसोल (जि. डुमका), दानापुर रोड (जि. पटना), रामगढ़ कैंट दानापुर, देवघर, सुतिहार-नवादा (जि. सरन-छपरा) आराका जयप्रकाश नगर (जि. भोजपुर), तिताउथर (जि. रोहतास), रघुनाथपुर का सिरीधरनगर (जि. मुजफ्फरपुर), बख्तियारपुर (जि. पटना), नायाटोला (जि. पटना) गुलजारबाग (जि. पटना), बेहाट, मंझौली (पटना)
6.	दिल्ली	7	दिल्ली कैंट, बुराडी (दिल्ली का उत्तरी जि.), हस्तसल (प. दिल्ली) बपरौला (प. दिल्ली) पडपडगंज (पूर्वी दिल्ली), कंझावला (उ. दिल्ली), लाडपुर (जि.उ. दिल्ली)
7.	गुजरात	3	गंडवी, जूनागढ़, बरदोलाई (जि. सूरत)
8.	हरियाणा	9	करनाल, मुरथल (जि. सोनीपत), ताडरू (गुडगांव), अम्बाला, सिरसा नारनौल, सोनीपत, भुवनेश्वरी (जि. गुड़गांव), फारूखनगर (जि. गुडगांव)
9.	हिमाचल प्रदेश	7	शोगी, कतरेल (जि. कुल्लू), कल्पा (जि. किन्नौर), फागु (जि. शिमला सुबापू (शिमला हिल्स), तारादेवी, उदयपुर (जि. चम्बा)
10.	जम्मू और कश्मीर	8	कठुआ, कुपवाड़ा, श्रीनगर, रजौरी, अनंतनाग, फुलवामा, ए. उदयवाला (जम्मू शहर), शालीमार कैम्पस)।
11.	कर्नाटक	11	हब्बल, हलकोटी (जि. धारवाड़) गुलवर्गी, बिदार, गोनीकोप्पल (जि. कुर्ग), मुदीगेरे (जि. चिकमगलूर) आरभावी (जि. बेलगांव), बेलगंव, बंगलौर का कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, हुदली (जि. बेलगांव) बेलगांव
12.	केरल	6	वेल्लानी, वेल्लानीकश, अल्यूवा (जि. कोचीन), चंगाचैरी, नरीकुन्नी (जि. कोडीकोड), मटूटनूर (जि. कन्नूर)।
13.	महाराष्ट्र	17	धानू, नासिक, वर्धा, लातूर, वर्धा, इंदिरानगर (लातूर), चक्कन (जि. पुणे), उमरी, खडगांव रोड (जि. लातूर) बम्बई विश्वविद्यालय (उपकेन्द्र रत्नागिरिथीबा पैलेस रोड रत्नागिरि) बुधोदा (जि. लातूर) गुलेबाड़ी

1	2	3	4
			(जि. अहमदनगर) कंधार (जि. नांदेड) कस्तूरबा बाडी (पुणे), अष्टविनायक नगर (जि. नांदेड), औरंगाबाद, बाभालेश्वर (औरंगाबाद) नंदूरबाद, (जि. धुले)
14.	मध्य प्रदेश	5	सतपुडा, सागौर, जबलपुर, इंदौर, जबलपुर
15.	मणिपुर	3	पोरम्पट (जि. इम्फाल), ताऊसेम, तमई
16.	मिजोरम	6	सौरंग, लांगेट-लाई, वेरंगेटा, खवाहज्वल, चियांगचिप, लंगलेई
17.	मेघालय	1	शिलांग (हैप्पी वेली)
18.	नागालैंड	2	दीमापुर, कोहिया
19.	उड़ीसा	62	नायागढ़, भुवनेश्वर, सुंदरगढ़, पुरी, किशोर नगर, (कटक), नयागढ़ पोटलमपुर (गंजम), पाडालेखमुडी गजपति, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकनाल, कटक, केओंझार, बेकाला (खेनधर), नरला रोड (कालाहांडी), आश्रमगढ़ (गजपति), सबोलोंग (केन्द्रपाडा), डेलांग (पुरी) ढेंकानाल, जे.एस. पुर, ढेंकनाल, कोरापुर, मयूरभंज, भापुर (जि. ढेंकनाल), ढेंकनाल, भुवनेश्वर, टिगरिआ (कटक) डेअलासाही (कटक) सनकुमारी (जि. बालासौर), देवीडार (जि. जाजपुर) महिमागडी (जि. ढेंकानाल), देवगांव (जि. ढेंकनाल), बारिकपुर (जि. भद्रक), सनकुमारी (जि. बालासोर), किशोर नगर (कटक), बालाशाही (जि. जगदीशपुर), जटनी (जि. खर्दा) ओडेगांव(जि. नयागढ़), चांदीपुर (जि. बालासौर), राऊरकेला, बालीशाही, नवपाडा, (जि. कटक), गांधीनगर (जि. कोरापुर), प्रधानपाली (जि. राउरकेला), होसंगा (जि. कटक), विरासत (जि. ढेंकनाल), नीलगिरि (जि. बालासोर), वैधकेतनी (जि. ढेंकनाल), अनकोली बरहामपुर (जि. गंजम), बोरिदा कवि सूर्यनगर (जि. गंजम), कान्यू जमपोशी (जिय जाजपुर) सुकिंडा अरूहन, चिरौली (जि. ढेंकनाल), बेलापाडा-पटना (जि. नयागढ़), मंचेश्वर, रसूलगढ़ (जि. खुर्दा), सरिओन (जि. ढेंकनाल), रघुनाथपुर, बारीपाडा (जि. मयूरभंज) छतरपुर (जि. गंजम) दयाविहार कालेज, कनास (जि. पुरी) खलारी (जि. अंगुल), बालभद्रप डाकघर ढेंकानाल, बनताला (जि. अंगुल), बालीपटना (जि. खुर्दा)
20.	पंजाब	2	चोनीकलां (होशियारपुर), पटियाला
21.	राजस्थान	3	उदयपुर, भरतपुर, उदयपुर
22.	तमिलनाडु	33	तिरुपतूर, समथुवापुरम गांव (जि. पुड्डूकोट्टई), पलानीअप्पानगर (जि. पुड्डूकोट्टई), त्रिची, गोमबुम वैली (जि. मदुरै), वेलिंगटन (जि.

1	2	3	4
			नीलगिरि ओमाचिकुलम (जि. मदुरै), तिरूमुल्लाईवायल (जि. चेंगई एम. जी.आर.), शिव-मंगल (जि. मुथ्यूरामलिंगम थेवर), वर्धापल्ली (जि. कोयम्बटूर), वलायाथूर (जि. उत्तरी आरकोट अम्बेडकर, जवाहरपुरम (जि. मदुरै), वेल्लूथारेड्डी (जि. विल्लुपुरम (जि. पुजहल), टी. कुलपति, मदुरै, तिरूचनगोड्डू (जि. सलेम), नल्लामनार कोट्टई (जि. ठडीगल अन्ना), टूटीकोरिन, पन्नूथू, पन्नीमडाई गांव के पास (जि. कोयम्बटूर), रामेश्वरम (जि. चैन्नई), विक्कीराममंगलम (जि. मदुरै), ओक्कूपट्टी (जि. शिवगंगई), तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, कोविलंगुलम (जि. विरुदनगर), केलमबकम् (जि. काशीपुरम), के.के. नगर (जि. त्रिची) करमगम (जि. कोयम्बटूर), कृष्णा नगरी (जि. धरमपुरी), कोयम्बटूर, नटराजपुरम (जि. शिवनगरी), थानक्सडिओमबू (जि. डंडीगुल), राजापल राजापलायम
23.	त्रिपुरा	1	अगरतला
24.	उत्तर प्रदेश	67	देवरिया, इलाहाबाद, रामगढ़, रामनगर, अमेठी, हल्द्वानी, गाजीपुर, हरदोइ इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, लखनऊ, शारनपुर, लखनऊ, सराहनपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती, सीतापुर, पलिया (जि. अमेठी), सुलतानपुर, मधुपुर (जि. मिर्जापुर), इलिया (जि. वाराणसी), चैल (जि. इलाहाबाद), औतारपुर (जि. प्रतापगढ़), लैंसडाउन, रानीखेत, बरेली, फतेहगढ़, लखनऊ, फैजाबाद, लखनऊ, दहोलामऊ (जि. प्रतापगढ़), अशोकपुर (जि. गोंडा), फाफामहू (जि. इलाहाबाद), बैरवा (जि. सोनभद्र), लाल गोपालगंज (जि. प्रतापगढ़), तनखुईराज (जि. पदरौना, कालाकांक जि. प्रतापगढ़) बारी (जि. सीतापुर), सिरदौ (जि. भीमताल), लोचनगंज (जि. इलाहाबाद), गोहनिया (जि. इलाहाबाद), आदर्शनगर (जि. उन्नाव), कपसेथी (जि. बनारस), कोंधिआरा (जि. इलाहाबाद), प्रतापगढ़, रायबरेली, मऊ (जि. शानोजी), आश्रम बिहार (जि. प्रतापगढ़), देवकाली (जि. फैजाबाद जमालपुर (जि. सुल्तानपुर), देदौर (जि. रायबरेली), हलद्वानी, वाराणसी, लखनऊ, साओरा-भरोसा (जि. लखनऊ), रायबरेली, विकासपुरम (जि. फैजाबाद), मोहदपुर, मलीहाबाद (जि. लखनऊ), सदरपुर-सादत (जि. गाजीपुर), लोरहन (जि. वारामसी), बीर-काजी, फूलपुर (जि. इलाहाबाद गुलेरिया, अमरोहा (जि. ज्योतिबा फुले नगर), हल्दिया (जि. इलाहाबाद), लकावली (जि. आगरा), भोपरा (जि. मुजफ्फरनगर)
25.	प. बंगाल	13	बरूईपुर (जि. दक्षिणी 24 परगना), मालदा, हाबड़ा, बर्दवान, हट्टूबा ग्राम (जि. उत्तरी 24 परगना), झारग्राम, बेलपहाड़ी दक्षिणी 24 परगना इच्छापुर, कल्याण; विवेकानन्द नगर (जि. पुरुलिया), कलगढ़छिया (जि. दक्षिणी 24 परगना), सूजापुर (जि. मालदा), कृष्णनगर (जि. सियालदा)
	कुल	326	

विवरण II

पिछले 3 सालों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए जारी सहायता अनुदान की मात्रा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष			कुल
		1998-99	1999-2000	2000-2001	
1.	उड़ीसा	68.90	25.475	0.998	95.373
2.	तमिलनाडु	22.43	20.983	6.60	50.013
3.	उत्तर प्रदेश	17.14	14.716	3.119	34.975
4.	महाराष्ट्र	30.00	57.90	4.00	91.90
5.	हरियाणा	–	7.50	–	7.50
6.	असम	–	3.96	–	3.96
7.	आंध्र प्रदेश	2.00	12.50	0.30	14.80
8.	पश्चिम बंगाल	4.00	0.54	–	4.54
9.	बिहार	19.00	9.78	5.00	33.78
10.	जम्मू एवं कश्मीर	7.50	7.565	–	15.065
11.	अंडमान एवं निकोबार	7.50	–	–	7.50
12.	दिल्ली	6.00	0.065	1.00	7.065
13.	कर्नाटक	–	0.065	–	0.065
14.	मध्य प्रदेश	–	0.065	–	0.065
	कुल	184.47	161.114	21.02	366.60

लकड़ी से लदे वैगनों का रोका जाना

157. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार अक्तूबर 99 से जनवरी 2000 के दौरान सार्वजनिक नीलामी में बेचे गए साल की लकड़ी से लदे 200 वैगनों को रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या पूरे मामले की गहन जांच करायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्रों से वैध इमारती लकड़ी के रूप में अवैध इमारती लकड़ी के परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर इमारती लकड़ी से भरी 200 वैगनों की वास्तविक जांच की गई। वास्तविक जांच और बाद की छानबीन के दौरान अत्यधिक अनियमितताएं और अवैधताएं पाई गई। विस्तृत जांच और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक विशेष जांच दल (एस आई टी) गठित किया गया है। जांच से पता चला है कि वैध इमारती लकड़ी के रूप में बड़ी मात्रा में अवैध इमारती लकड़ी का परिवहन किया गया था। आवश्यक जांच के पश्चात् अवैध इमारती लकड़ी के जब्त करने और अनियमितताओं/अवैधताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दण्ड देने और उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने, व्यक्तिगत सुनवाई करने तथा इस

संबंध में अंतिम निर्णय लेने संबंधी मामले में विशेष जांच दल द्वारा अब तक लगभग 198 वैगनों के संबंध में कार्यवाही की गई है।

एअर इंडिया की उड़ानों में यात्रियों की संख्या

158. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमेरिका पर हुये आतंकवादी हमलों के पहले और बाद एअर इंडिया की उड़ानों में यात्रियों की संख्या कितनी रही है;

(ख) क्या सरकार ने नागर विमानन के क्षेत्र पर आतंकवादी हमलों के प्रभाव का आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) 1 सिम्बर से 11 सितम्बर, 2001 की अवधि में सीट फैक्टर 63 प्रतिशत था जो 12 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2001 के दौरान घटकर 59 प्रतिशत हो गया।

अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले के पश्चात सीट फैक्टर (यात्री दर) में लगभग 4 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।

(ख) और (ग) यद्यपि, हाल ही में अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले का विमानन व्यवसाय पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के मूल्यांकन हेतु अभी तक कोई वृहत अध्ययन नहीं किया गया है। अन्तरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (आयटा) ने पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में लगभग 7 अरब अमेरिकी डालर (35,000 करोड़ रुपये) घाटे का अनुमान लगाया है। इस हमले के पश्चात उपभोक्ताओं का भरोसा उठ सा गया, नतीजन, सितम्बर के महीने में ही पिछले साल की तुलना में यात्रियों की संख्या में लगभग 17 प्रतिशत की कमी हुई। यात्री लोड फैक्टर अगस्त महीने में 78 प्रतिशत था जो माह सितम्बर में घटकर 69 प्रतिशत हो गया। आयटा ने यह भी अनुमान लगाया है कि सदस्य एयरलाइनों ने 1,20,000 कर्मचारियों (कुल कर्मचारी के 7 प्रतिशत) की छंटनी की है। इसके अतिरिक्त, विमान विनिर्माताओं ने लगभग 56000 कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की है। विमान कंपनियों ने विभिन्न सैक्टरों में क्षमता में भी 10 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत के बीच कटौती की है। बीमा कंपनियां ने युद्ध और आतंकवाद तथा संबद्ध गतिविधियों जैसे हालात में 1 अमेरिकी डालर तक की तीसरे पक्ष की संभाव्यता कवर को भी सीमित किया है और 1.25 अमेरिकी डालर प्रति यात्री की दर से अतिरिक्त युद्ध जोखिम बीमा प्रभार भी लगाया है।

जहां तक भारत की बात है, सितम्बर, 2001 के बाद अमेरिकी और पश्चिमी यूरोप के यात्रियों और व्यापारियों ने अपनी यात्रा कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर निरस्त किया है जिसके फलस्वरूप यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। अमेरिकी विमानन क्षेत्र के बंद होने के कारण एअर इंडिया को बाध्य होकर 4 दिनों तक अमेरिका जाने वाली अपनी उड़ानों को रद्द करना पड़ा जिससे इसे 8.5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक का नुकसान सहना पड़ा। अन्तरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में गिरावट आने से यूनाइटेड एयरलाइन्स ने भारत से उड़ान भरने वाली/भारत तक आने वाली वैमानिक प्रचालन को रोक दिया है, नार्थ वेस्ट एयरलाइन्स ने दिल्ली तक की अपनी उड़ानों का प्रचालन रोक दिया है, गल्फ एयर ने बहरीन और मुम्बई के बीच चलने वाली 3 वैमानिक आवृत्तियों को हटा लिया है, स्विस एयर ने अपना वैमानिक प्रचालन रोक दिया है, एस.ए.एस. ने फरवरी, 2001 से अपना प्रचालन रोक दिया है, कैडा 3000 ने अपने वैमानिक प्रचालन की योजना आस्थगित कर दी है और अब यह पूर्णत: बंद हो गई है और एअर इंडिया ने यू.के./यू.एस.ए. जापान, सिंगापुर, हांगकांग और मस्कट तक जाने वाली अपनी उड़ानों की संख्या में कटौती की है। एअर इंडिया ने अक्तूबर, 2001-मार्च, 2002 की अवधि के दौरान 1894.75 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने की योजना बनाई थी।

किन्तु 11 सितम्बर, 2001 की त्रासदी के परिणामस्वरूप एअर इंडिया को मात्र लगभग 1644.62 करोड़ रुपए की राजस्व-आय होने का अनुमान है जो मूल बजटीय राजस्व का 86 प्रतिशत है। इस तरह, आतंकवादी हमले के फलस्वरूप कुल 250.12 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी को बंद किया जाना

159. **श्री प्रबोध पण्डा:**
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (आई आई एस सी ओ) को बंद करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और इसके कर्मचारियों ने कंपनी के लिए अलग-अलग पुनरुद्धार योजनायें बनाई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) को बन्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

(ख) और (ग) सेल/इस्को ने इस्को के लिए 1081 करोड़ रुपये का पुनरुद्धार प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है, जिसमें इसकी नकद हानि को पूरा करने के प्रावधानों के अलावा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी आर एस) और बर्नपुर वर्क्स और इसकी खानों एवं कोयला खानों में निवेश हेतु धनराशि शामिल है। इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कपास की फसलों को नुकसान

160. श्री साहिब सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चालू मौसम के दौरान कपास की फसल को हुये भारी नुकसान के कारण किसानों को भारी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) किसानों को राज्य-वार और संघ क्षेत्र-वार कितना वित्तीय घाटा हुआ;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में अमेरिकी बाल वार्म के प्रकोप के कारण कपास की फसल को हानि हुई है। मई और जून 2001 के महीनों में वर्षा के जल्दी आने के कारण कीटों का पनपना जल्दी शुरू हो गया। बाद में बीच-बीच में हुई वर्षा और बादलों वाला मौसम कृमियों के और अधिक बहुलीकरण होने में सहायक हुआ और इससे छिड़काव कार्यों में रुकावट आई जिससे कपास को क्षति पहुंची।

(ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर इन राज्यों को हुई वित्तीय हानि का अनुमान इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय हानि (रुपये करोड़ में)
1.	पंजाब	380.88
2.	हरियाणा	684.13
3.	राजस्थान	298.60
	योग	1363.61

(घ) से (च) किसानों को फसल हानि के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन क्षतिपूर्ति दी जाती है। वैसे नियमों/मानदण्डों के अनुसार केवल उन्हीं किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाती है। जिन्होंने अपनी फसल का बीमा कराया है। तथापि, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है क्योंकि इस राज्यों ने बीमा योजना का विकल्प नहीं चुना हुआ है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का निर्यात

161. श्री बीर सिह महतो: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कुछ कृषि उत्पादों तथा कृषि से संबंधित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) कृषि उत्पादों के निर्यात की नीति देश की निर्यात-आयात नीति का एक अभिन्न अंग है और यह भारत की खाद्य सुरक्षा, कृषि आय को अधिकतम बनाने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने की चिन्ताओं द्वारा शासित हैं। कृषि उत्पादों के निर्यात के कार्य निष्पादन की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। कुछेक को छोड़कर अधिकांश कृषि निर्यात अब निर्बाध रूप से निर्यात किये जा सकते हैं। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-छोटी और बड़ी नर्सरियां उगाने के लिए सहायता देना, उन्नत पैकेजिंग के लिए वित्तीय सहायता देना, गुणवत्ता सुधार और आधुनिकीकरण, क्रेता-

विक्रेता बैठकों जैसे संवर्धक अभियानों की व्यवस्था करना और डाटा-बेस तैयार करने तथा मंडी सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए सहायता देना।

(ग) पिछले वर्ष का कार्य-निष्पादन कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए मानक लक्ष्य का काम करता है। चूंकि कृषि जिंसों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्वदेशी पूर्ति और उसके मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय मांग, व्याप्त उपभोक्ता पसंद, व्यापार अधीन किस्मों और संबंधित गुणस्तर पर निर्भर करता है इसलिए निर्धारित लक्ष्य निश्चित रूप से इच्छा का एक संकेत होते हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड में प्रशासनिक परिवर्तन

162. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के मद्देनजर उसमें व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सी.आई.एल. तथा उसकी सहायक कम्पनियों के काफी अधिकारियों के विरुद्ध रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सी.आई.एल. और इसकी सहायक कम्पनियों में पारदर्शिता लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोल इंडिया लि. ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. संवेदनशील पदों/विभागों की पहचान करना।
2. सहमति सूची में आए तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र के अनुसार संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची में आये अधिकारियों का स्थानान्तरण करना।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, संवेदनशील विभागों में अधिकारियों को बारी-बारी से बदलना।
4. सी.बी.आई. की सलाह पर, सी.बी.आई. की प्राथमिक जांच/नियमित मामले में ग्रस्त अधिकारियों का स्थानान्तरण/निलम्बन।
5. कोयले की स्टाक स्थिति की प्रतिवर्ष जांच करना।

(ग) और (घ) सी.आई.एल. तथा सहायक कंपनियों के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, कदाचार तथा कार्यविधिक अनियमितताओं में लिप्त होने संबंधी शिकायतें कोल इंडिया लि. में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। ऐसी शिकायतों में से, जिन शिकायतों में विशिष्ट आक्षेप होते हैं, उनकी कंपनी के सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जाती है और जिन मामलों में आक्षेप जांच के दौरान प्रथम द्रष्टया सिद्ध होते हैं, उनमें संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है। अप्रैल, 2000 से सितम्बर, 2001 की अवधि के दौरान, जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी, उनके विरुद्ध सी.आई.एल. तथा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा 279 मामलों में जांच की गई थी।

(ङ) सी.आई.एल. द्वारा अपने कार्यचालन तथा सहायक कंपनियों के कार्यचालन में पारदर्शिता लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:

1. विविध प्रचालन नियम पुस्तिकाओं का सरलीकरण तथा अद्यतनीकरण।
2. उपयोगकर्ताओं के मध्य कंपनी के कार्यचालन संबंधी नियमों तथा कार्यविधियों का व्यापक प्रसार।
3. सी.वी.सी. के निर्देशानुसार अनुवर्ती कार्यवाही के लिए सतर्कता विभाग को लेखा परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराना।

[हिन्दी]

विमान अपहरण के मामलों में वृद्धि

163. श्री रामशकल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमान अपहरण के मामलों में हो रही वृद्धि को रोकने हेतु एक दीर्घावधि नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) नागर विमानन प्रचालनों में अपहरण और अन्य अवैध हस्तक्षेप से बचाव के लिए एयरपोर्टों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किये गये:

(1) अनुसूचित एयरलाइनों पर रेंडम आधार पर स्काई मार्शलों को तैनात करना।

(2) सभी प्रचालन एयरपोर्टों पर समयबद्ध तरीके से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को तैनात करना।

(3) मुख्य एयरपोर्टों पर क्विक रिएक्शन टीम को तैनात करना।

(4) सख्त एक्सेस कंट्रोल और लैडर प्वाइंट पर यात्रियों की और उनके सामानों की जांच।

[अनुवाद]

एअर इंडिया द्वारा विदेशों में कार्यालय बंद करना

164. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री शिवाजी माने:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया ने विदेशों में अपने बीस कार्यालयों को बंद करने तथा अन्य स्टेशनों पर तैनात स्टाफ को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और इसके क्या प्रभाव हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप छंटनी किये जाने वाले कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जी, हाँ। एअर इंडिया ने अपने बीस ऑफ लाइन स्टेशनों को बंद करने का निर्णय लिया है और वह विश्व भर में विमानन परिदृश्य को देखते हुए अन्य स्टेशनों पर नियुक्त स्टाफ में कटौती की समीक्षा कर रही है। निम्नलिखित स्टेशनों को बंद किये जाने हैं:

यू.एस.ए. और कनाडा स्थित-बोस्टन/मोन्ट्रीअल

यू.के. तथा यूरोप स्थित-मनचेस्टर/स्टॉकहोम/बारसीलोना/बुडापेस्ट/पराग्यू/वारसा/बेलग्रेड/लायंज/नीस अफ्रीका के-एनटीबी/जोहन्सबर्ग/बलैन्टायर/गाबारोन

गल्फ और पूर्वी मध्य क्षेत्र के-काइरो/तेहरान/बेरूत

पूर्वी क्षेत्र के परे-नागोया/मनीला

(ग) वेतन के रूप में बचत प्रभावित होगी जो कि ऑफलाइन स्टेशनों पर लगभग 470.25 लाख रु. प्रतिवर्ष है और ऑनलाइनों स्टेशनों पर लगभग 1438.40 लाख रुपए प्रति वर्ष है, आंकलित की गई है।

(घ) कर्मचारियों की छंटनी किये जाने से इस पर लगभग 29 करोड़ रुपये का व्यय होने की संभावना है। तथापि, इसमें सभी वीआरएस के मामले की तरह ही एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी को व्यय की पांच वर्ष की अवधि होने पर गणना की जाती है। दिए गए आंकड़े अनुमानित हैं।

विमानपत्तनों पर ए.वी.आर.ए. लगाना

165. श्रीमती मिनाती सेन:
श्री सुनील खां:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्पूर्ण देश में सभी बारह स्थानों पर विमान यात्रियों की सुरक्षा हेतु ए.वी.आर.ए. लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसे कार्यरत बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना हेतु कुल कितनी निधियां आबंटित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) आटोमेटिक विजुअल रेंज एसैस (एवीआरए) एक मौसम संबंधी उपकरण है जो रनवे के साथ दृश्यता (विजिविलिटी) के बारे में बताता है। यह उपस्कर भारतीय मौसम विभाग द्वारा संस्थापित है। एवीआरए इस समय भारत में आठ हवाई अड्डों पर उपलब्ध है जिनमें दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, गुवाहाटी, नागपुर, अहमदाबाद, बंगलौर तथा हैदराबाद के हवाई अड्डे शामिल हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है जो सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि संबंधी राज-सहायता

166. **श्री सुनील खां:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज-सहायता में कमी करने की वचनबद्धता के बावजूद भी यूरोपीय संघ के देश किसी न किसी रूप में अपनी कृषि संबंधी राजसहायता जारी रख रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि क्षेत्र को ऐसी राज-सहायता से वंचित रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य में कृषि क्षेत्र प्रभावित हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी तथा भारतीय कृषकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पलायन को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) यूरोपीय संघ के देशों द्वारा कृषि समझौते के अंतर्गत सब्सिडियों की कटौती संबंधी वचनबद्धता के उल्लंघन की कोई सूचना नहीं है।

(ख) कृषि समझौते के अनुसार वे सभी देश जो कृषि समझौंते से पूर्व निर्यात सब्सिडियां नहीं दे रहे थे उन्हें नई निर्यात सब्सिडियां देने की अनुमति नहीं है। तथापि, विकासशील देशों को परिवहन, पैकेजिंग इत्यादि की लागत पूरी करने के लिए अपने निर्यात कार्यक्रमों में कुछ सब्सिडियां देने की अनुमति दी जाती है।

(ग) विकसित देशों द्वारा निर्यात सब्सिडियों के बने रहने से विकासशील देशों के कृषि निर्यात की प्रतियोगितात्मकता बुरी तरह प्रभावित होती है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) सहित रोजगार सृजन के विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त कृषि का समग्र विकास करने के लिए सरकार ने राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए परम्परागत स्कीमों वाले दृष्टिकोण को छोड़कर मैक्रो प्रबंधन पद्धति अपना लिया है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.) द्वारा कोयले की ढुलाई

167. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला उद्योग में कोयले के उत्पादन और ढुलाई के लिए निजी ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों तथा श्रमिकों को लगाने पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने इन पर लगे प्रतिबंध के बावजूद भी इस उद्देश्य के लिए निजी ठेकेदारों तथा श्रमिकों को लगाया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा निजी श्रमिकों तथा ट्रांसपोर्टरों को कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत कोयला उठाने तथा ओवर बर्डन ठेका श्रमिकों को लगाने की मनाही है।

कोयले के परिवहन के लिए ठेका मजदूर लगाने के संबंध में कोई ऐसा निषेध नहीं है। जैसाकि कानून के अंतर्गत अनुमत्य है, साइडिंग तथा पिटहैड तक कोयले के परिवहन के लिए डब्ल्यू.सी.एल. प्राइवेट पार्टियों से उपकरण (पे लोडर्स तथा टिपर्स) किराए पर ले रहा है। ओ.बी. रिमूवल के लिए भी डब्ल्यू.सी.एल. प्राइवेट एजेंसियों से एक्सकेवेटर्स, ट्रिपर्स, ड्रिल्स, डोजर्स इत्यादि जैसे उपकरण किराए पर ले रहा है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

बेरोजगारी की दर में वृद्धि

168. **श्री वी. वेत्रिसेलवन :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्यवार कुल बेरोजगार स्नातकों, स्नातकोत्तर व्यक्तियों, इंजीनियरिंग स्नातकों और डिप्लोमाधारियों की कुल संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): 30.6.1999 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरी स्नातक एवं उससे अधिक तथा डिप्लोमाधारी अर्हता वाले जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, रोजगार चाहने वालों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	30.6.99 की स्थिति के अनुसार अर्हताओं सहित चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या (हजार में)			
		स्नातक	स्नातकोत्तर	इंजीनियरी स्नातक व उससे अधिक	डिप्लोमाधारी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	427.39	50.83	39.94	63.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.16	0.09	0.02	0.04
3.	असम	115.01	3.44	4.97	4.52
4.	बिहार	357.53	17.67	7.89	28.28
5.	गोवा	12.09	1.04	0.38	1.97
6.	गुजरात	112.62	17.45	6.78	9.99
7.	हरियाणा	82.23	11.75	0.95	6.39
8.	हिमाचल प्रदेश	50.81	19.91	16.2	4.18
9.	जम्मू और कश्मीर	18.98	6.21	1.37	4.14
10.	कर्नाटक	232.60	22.75	17.63	39.55
11.	केरल	221.25	28.77	16.68	42.18
12.	मध्य प्रदेश	297.47	87.99	3.90	24.57
13.	महाराष्ट्र	345.68	38.21	21.03	46.89
14.	मणिपुर	38.50	5.27	1.06	2.85
15.	मेघालय	3.88	0.26	0.13	0.26
16.	मिजोरम	6.64	0.52	0.19	
17.	नागालैण्ड	2.99	0.17	0.10	0.45
18.	उड़ीसा	171.78	6.24	2.68	33.98
19.	पंजाब	69.88	11.65	1.01	8.21
20.	राजस्थान	165.46	25.92	0.78	6.80
21.	सिक्किम*				
22.	तमिलनाडु	492.05	96.47	24.20	136.98
23.	त्रिपुरा	35.13	3.39	0.75	0.43

1	2	3	4	5	6
24.	उत्तर प्रदेश	363.20	100.54	5.09	38.87
25.	पश्चिम बंगाल	638.50	47.05	8.27	32.43
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.56	0.24	0.13	0.18
27.	चंडीगढ़	6.87	5.08	0.56	5.15
28.	दादर व नगर हवेली	0.18	0.019	0.012	0.02
29.	दिल्ली	150.33	36.64	3.98	23.12
30.	दमन व दीव	1.01	0.09	0.071	0.10
31.	लक्षद्वीप	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
32.	पांडिचेरी	10.86	2.26	0.92	2.88
	अखिल भारत	4432.68	647.94	173.67	569.34

टिप्पणी: *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।
छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल से संबंधित सूचना क्रमशः मध्य प्रदेश, बिहार, और उत्तर प्रदेश में शामिल की गई हैं।
उ.न.-उपलब्ध नहीं।

अधिकारियों को विदेशी सहायता

169. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में अधिकारियों की शैक्षणिक, प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं को सुधारने के लिए प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु इनको चयनित/प्रयोजित/प्रतिनियुक्त करती है, जहां ऐसे प्रशिक्षण की लागत द्विपक्षीय/अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत प्रायोजक देशों/एजेंसियों द्वारा वहन की जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत कितने व्यक्तियों ने ऐसे अल्प/दीर्घकालिक पाठ्यक्रम किए हैं;

(ग) उनमें कितने व्यक्ति अ.जा., अ.ज.जा. और अन्य पिछड़े वर्ग के थे और उनका प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या विदेशों में प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों के चयन में अ. जातियों, अ. जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:

वर्ष	विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों की कुल संख्या	उनमें से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति	प्रतिशत
1998	22	2	9.00
1999	48	3	6.25
2000	14	2	14.29

(घ) और (ङ) जल संसाधन मंत्रालय ने कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग तथा आर्थिक कार्य विभाग से प्राप्त परिपत्र में निर्धारित मानदंडों के अनुसार विदेश में प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त अधिकारियों के नामांकन की सिफारिश की है। ऐसे नामांकन की सिफारिश

करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला अधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर यथोचित ध्यान दिया जाता है। आवेदकों में से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए अधिकारियों का नामांकन वरिष्ठता, तकनीकी अर्हता, आयु सीमा तथा पाठ्यक्रम आयोजित करने वाले प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित संबंधित अनुभव के आधार पर किया जाता है। अंत में उम्मीदवारों का चयन पाठ्यक्रम प्रायोजित करने वाले/आयोजित करने वाले संस्थानों द्वारा उनके अपने मानदंड के अनुसार किया जाता है।

तमिलनाडु में पर्यटन विकास

170. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के वेल्लोर किले को पर्यटन होटल में परिवर्तित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का तमिलनाडु के वेल्लौर जिले में पर्यटन की संभावनाओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वेल्लोर जिले में पर्यटन की संभावनाएं स्थापित करने के उद्देश्य से तमिलनाडु राज्य सरकार ने, एलागिरी के प्राकृतिक मार्गों के उन्नयन, यात्रीनिवासों का निर्माण, बागवानी/भू-दृश्य निर्माण, पर्यटक सूचना केन्द्र और प्रकाश उपलब्ध करवाकर वेल्लोर किले के एकीकृत विकास और सुन्दरीकरण का कार्य हाथ में लिया है।

[हिन्दी]

विमान किराये में वृद्धि

171. योगी आदित्यनाथ:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विमान किराये में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यात्री किराये में कितने प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) बीमा प्रीमियम में वृद्धि को देखते हुए, इंडियन एयरलाइंस ने अब अपनी घरेलू/अंतरराष्ट्रीय सेवाओं पर निम्नानुसार बीमा प्रभार लागू किया है:

घरेलू सेवाएं

- आईएनआर-पहली अक्तूबर, 2001 से प्रभावी रूपया किराए पर प्रति सेक्टर 100 से बढ़ाकर पहली नवम्बर, 2001 से प्रति सेक्टर 250 रुपये कर दिया गया है।
- पहली अक्तूबर, 2001 से प्रभावी अमेरिकी डालर किराए पर प्रति सेक्टर 2 अमेरिकी डालर से बढ़ाकर पहली नवम्बर, 2001 से प्रति सेक्टर 5 अमेरीकी डालर कर दिया गया है।

अंतरराष्ट्रीय सेवाएं

- भारत से होकर यात्रा के लिए पहली अक्तूबर, 2001 से प्रभावी प्रति सेक्टर 2 अमेरिकी डालर से बढ़ाकर पहली नवम्बर, 2001 से प्रति सेक्टर 5 अमेरिकी डालर कर दिया है।
- अन्य देशों से भारत में यात्रा हेतु, संबंधित देश की राष्ट्रीय विमान कंपनियों की प्रेक्टिस का अनुसरण किया जा रहा है।
- इंडियन एयरलाइंस ने सरकार के अनुमोदन से 25 मई, 2001 से फ्लेक्सिबल फेयर पालिसी अपनाई है। फ्लेक्सिबल फेयर पालिसी से इंडियन एयरलाइंस को यह मदद मिलेगी कि वह मार्किट सांइज, शेयर प्राइस सेंसिटिविटी और अन्य मार्किट सम्बद्ध फैक्टरों सहित फैक्टरों की भिन्नता पर निर्भर होते हुए सेक्टर से सेक्टर तथा सीजन से सीजन किराया भिन्नता (वृद्धि अथवा कमी) पर विचार कर सके। फ्लेक्सी फेयर पालिसी की वजह से किराए को बाजार आधार वाला बनाने की दिशा में एक प्रयास किया गया है।

[अनुवाद]

कश्मीर में शिव मंदिर का विकास

172. मोहम्मद शहाबुद्दीन:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ जैसा एक महत्वपूर्ण हिन्दू तीर्थ का एक और प्राचीन शिव मंदिर पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने कश्मीर में इस तीर्थ स्थान के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) श्री अमरनाथ मंदिर बोर्ड में मंदिर के निकट एक हवाई पट्टी का निर्माण किया है, और समाचार-पत्रों व दूरदर्शन के माध्यम से जनता में इसका विस्तृत प्रचार किया गया है।

तमिलनाडु में सिंचाई परियोजनाएं

173. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में कार्यान्वयनाधीन प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु राज्य सरकार को कितनी राशि आवंटित, वितरित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) तमिलनाडु में कोई चालू वृहद सिंचाई परियोजना नहीं है।

(ख) तमिलनाडु सरकार से कोई भी प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जल राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास सहित सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों की अपने स्वयं के संसाधनों तथा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार आयोजना, वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन आदि करने की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य को केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों/ऋणों के रूप में दी जाती है और यह किसी स्कीम अथवा विकास के किसी क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती है।

आपदा प्रबंधन संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति

174. श्री वाई.वी. राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपदा प्रबंधन संबंधी एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने आपदा प्रबंधन के बारे में एक पूर्ण मंत्रालय के गठन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) समिति द्वारा कोई ढांचागत ब्यौरा नहीं दिया गया है।

(ग) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ दीर्घकालिक संस्थागत प्रबंध सुझाने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंध समिति का गठन भी किया है। अब उच्च शक्ति प्राप्त समिति राष्ट्रीय समिति के एक कार्य दल के रूप में कार्य कर रही है। इस संबंध में कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

175. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपने निर्यात में भविष्य की प्रगति हेतु कुछ ताजे फूलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने आर्किडो (सिम्बिडियम्स), एल्सट्रोमेरिया, ओरियन्टल एण्ड एशियाटिक रिलीज, स्प्रे कार्नेशन्स, स्प्रे रोजेज, जिप्सोफिला, फ्रीसीया, आरनीथोगेलम, जेन्टेडेरशिया, पाइओनिया, नेरीन, ट्रोपिकल ग्रीन्स (फिलर्स) और अन्य मौसमी फूलों को भविष्य में निर्यात हेतु विकास करने के लिए चिन्हित किया है।

(ग) भारत सरकार ने बंगलौर में पुष्प नीलामी केन्द्र स्थापित करने की पहल की है। मुम्बई तथा नोएडा (उत्तर प्रदेश) में भी ऐसे ही केन्द्रों की स्थापना के बारे में विचार किया जा रहा है। इनसे पुष्पकृषि क्षेत्र के निर्यात और स्वदेशी विकास में सहायता मिलेगी।

कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अमस्टरडम, हालैन्ड में भी एक विपणन केन्द्र स्थापित किया है ताकि बेहतर मूल्य वसूली के लिए आपूर्तियों में अविरोध बनाए रखा जा सके।

[हिन्दी]

चने की खेती

176. श्री रामानन्द सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में चने की खेती पर अक्तूबर में अचानक भारी वर्षा से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप हजारों टन चना नष्ट हो गया;

(ग) यदि हां, तो अनुमानत: तत्संबंधी जिला-वार कितना नुकसान हुआ है;

(घ) राज्य सरकार द्वारा किसानों को कितना और किस दर पर चना प्रदान किया गया;

(ङ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उक्त हानि तथा इसके कारण मांगी गई राहत के बारे में केन्द्र सरकार को सूचित कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अक्तूबर में हुई भारी वर्षा के कारण कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है और चने के बीज को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार ने 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 16690 क्विंटल चने का बीज किसानों को वितरित किया है।

(ङ) और (च) कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) को ऐसी कोई जानकारी मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

दुग्ध उत्पादन

177. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपूर्ति किये जा रहे दुग्ध के उपभोग से लगभग 5 प्रतिशत लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार देश में प्रति पशु प्रति वर्ष 1000 लीटर दुग्ध उत्पादित करने के लक्ष्य को अभी तक हासिल नहीं कर पा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अभी तक इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सस्ती दरों पर आसानी से दुग्ध की आपूर्ति करने हेतु क्या नीति बनाई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। सहकारी दुग्ध संघों, परिसंघों, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की डेयरियों जैसी संगठित एजेंसियों के माध्यम से आपूर्तित दूध के उपभोग से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) और (घ) दुधारू पशु (दूध में) का औसत वार्षिक उत्पादन 1985-86 में लगभग 858 लीटर प्रतिवर्ष से बढ़कर 1998-99 में 1291 लीटर प्रतिवर्ष हो गया है।

(ङ) देश में सहकारी नेटवर्क उचित दर पर अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का विपणन करता है।

डल्ली राजहरा रनघाट बस्तर लाइन को स्वीकृति

178. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण और राज्य सरकार का डल्ली राजहरा रनघाट बस्तर रेल लाइन से संबंधित संयुक्त प्रस्ताव पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) ने रेल लाइन को अनुमोदित नहीं किया है क्योंकि ये वनस्पति और जीव-जंतुओं से समृद्ध बस्तर के जंगल से होकर गुजरती है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) ने इस मामले को पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ पुन: उठाने का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का संयुक्त उड़ान उद्यम

179. श्री ई. अहमद: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कालीकट से मस्कट, दुबई और आबूधाबी के लिए एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का संयुक्त उड़ान उद्यम अपने सिद्धांतविहीन किराये ढांचे के कारण भारी घाटा उठा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त उड़ान उद्यम के लिए निर्धारित किराया इन विमान कंपनियों द्वारा इन्हीं गंतव्य स्थानों के लिए निर्धारित अपने-अपने किराये की तुलना में बहुत अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अनुचित किराया प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

180. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने न्यायाधिकरण संबधी सभी अवार्डों का कार्यान्वयन कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उन अवार्डों का ब्यौरा क्या है जिनमें भारत कोकिंग कोल लिमिटेड उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हार गया है;

(घ) उन पर आगे क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड न्यायालयों में मुकदमों का सामना कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) अधिकरणों के निर्णयों को क्रियान्वित किया जा चुका है सिवाय उनके जिन्हें उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई हैं।

(ग) और (घ) निम्नलिखित मामलों में उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में हार हुई है। प्रत्येक के संबंध में उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:

मामले	उठाए गए कदम
1	2
दामोदर कोलियरी जिसमें 137 व्यक्ति बी.सी.सी.एल. के कर्मचारी होने का दावा कर रहे थे, के रोजगार का मामला था। ये मामले 1982-84 की अवधि के हैं।	झारखंड उच्च न्यायालय, रांची ने दिनांक 28.2.2001 के आदेश द्वारा प्रबंधन को मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष रखने की छूट दी है। बी.आई.एफ.आर. के समक्ष रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 22 (3) के अंतर्गत राहत हेतु याचिका प्रस्तुत की जा चुकी है।

1	2
भूरूंगिया परियोजना जिसमें 105 श्रमिक बी.सी.सी.एल. के कर्मचारी होने का दावा कर रहे थे, के रोजगार का मामला था। मामला 1982 की अवधि से पूर्व का है।	उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 19.7.2000 के आदेश द्वारा यह आदेश पारित किया कि श्रमिकों को अपनी पहचान हेतु प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा भरना आवश्यक होगा। प्रारूप जारी किये जा चुके हैं।
सी.आई.एस.एफ. के सुरक्षा अनुरक्षकों द्वारा बीसीसीएल में रोजगार हेतु दावा जिमसें 39 व्यक्ति शामिल है। मामला 1982-84 की अवधि का है।	एस.आई.सी.ए. की धारा 22(3) के अंतर्गत राहत हेतु आवेदन बी.आई.एफ.आर. के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

(ङ) और (च) जी, हां। बी.सी.सी.एल. के विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत 46 अभियोग लंबित हैं। ये विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीन हैं।

विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के लिए कल्याण निधि

181. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेष इंडियन ओवरसीज वर्कस वेलफेयर फंड के सृजन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश और विदेशों में अप्रवासी श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या देश में कुल श्रमिकों में से 92 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा नेट प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) इंडियन ओवरसीज वर्कस वेलफेयर फंड के गठन पर फिलहाल सरकार विचार कर रही है।

(ग) से (ङ) जहां तक भारत में प्रवासी कर्मकारों का संबंध है, अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 में प्रत्येक अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार के लिए एक पासबुक देने, समान मजदूरी के भुगतान, विस्थापन भत्ते के भुगतान, यात्रा भत्ता और समुचित आवासीय स्थल, चिकित्सा सुविधाओं आदि का प्रावधान है। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत ठेकागत आधार पर रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए उपाय करने की व्यवस्था है। मजदूरी का विलम्ब से भुगतान होने/भुगतान न होने, कार्य के अधिक घंटे होने के बारे में छुट-पुट शिकायतें प्राप्त होती हैं। जब-कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, भारतीय मिशनों और भर्ती एजेंटों से अनुरोध/निर्देश जारी किये जाते हैं कि मामलों को संबंधित सरकार/नियोक्ता के साथ उठाकर विवाद का समाधान कराया जाए। यदि भर्ती एजेंट निर्देशों का अनुपालन नहीं करता तो उसे एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और उसका उत्तर न्यायोचित न पाये जाने की स्थिति में उस भर्ती एजेंट का लाइसेंस निलंबित/निरस्त कर दिया जाता है।

1999-2000 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुल श्रमबल का लगभग 92% असंगठित क्षेत्र में नियोजित है। असंगठित क्षेत्र का एक बड़ा वर्ग कृषि कार्य में नियोजित है। उनके लिए सामाजिक सुरक्षा-सह-पेन्शन संबंधी लाभों की व्यवस्था करने के लिए जुलाई, 2001 में कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है जो कि वर्तमान में देश के 50 चुनिंदा जिलों में कार्यान्वित की जा रही है और तीन वर्षों की अवधि के अन्दर इसके अंतर्गत लगभग 10 लाख कृषि श्रमिकों को शामिल किये जाने का अनुमान है। दिये जाने वाले लाभों में जीवन-सह-दुर्घटना बीमा, धन वापसी और पेंशन-सह-अधिवर्षिता लाभ

शामिल हैं। असंगठित क्षेत्र में लगे कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने वाले अन्य कार्यक्रमों में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शामिल है जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय प्रसूति प्रसुविधा योजना, जनश्री बीमा योजना, रोजगार आश्वासन योजना आदि शामिल हैं। सरकार बीड़ी कर्मकारों और खान कर्मकारों के लिए उपकर की उगाही करके पांच कल्याण निधियां भी चला रही है जिनके द्वारा कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य देख-रेख, आवास, शिक्षा आदि के क्षेत्र में तरह-तरह की कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही इन योजनाओं के अतिरिक्त केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें भी असंगठित क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों/कार्यकलापों में लगे कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों की व्यवस्था करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं।

आगमन पर वीजा योजना

182. श्री किरीट सोमैया: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटकों के लिए आगमन पर वीजा योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके अंतर्गत किन-किन देशों के लाभान्वित होने की सम्भावना है; और

(घ) इस संबंध में क्या प्रक्रिया और अन्य रूपरेखाएं अपनाए जाने की सम्भावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) पर्यटक आगमन को बढ़ावा देने तथा इसे सुगम बनाने की दृष्टि से पर्यटकों को आगमन पर वीजा दिए जाने के प्रस्ताव को पर्यटन मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के साथ उठाया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि इस योजना की शुरुआत कुछ चुनिंदा देशों के पर्यटकों के लिए की जानी चाहिए। वे देश हैं:

बेल्जियम, नीदरलैण्ड, लक्जमबर्ग, स्वीडन, फिनलैंड, नार्वे, जापान, जर्मनी, अर्जेंटीना, चिली, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, स्पेन

इस संदर्भ में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया तथा औपचारिकताओं पर, अन्य मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श कर कार्रवाई की जा रही है।

फसलों को खतरा

183. डा. वी. सरोजा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जैनेटिक रूप से तैयार की गई फसलों की नई किस्मों में निहित भारी खतरों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या अन्य कृषि विश्वविद्यालय फसलों की नई किस्मों में जैव-प्रौद्योगिकीय खतरों के प्रयासों को लेकर कोई अनुसंधान कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों पर अनुसंधान करने वाला प्रमुख विभाग है। आनुवंशिक रूप से निर्मित फसलों और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से संभावित जोखिम का मूल्यांकन मुख्यत: जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई में मछली पर; राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल तथा गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में भैसों में बी.टी. कपास के प्रभाव पर अध्ययन किये जा रहे हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में टमाटर, बंदगोभी, फूलगोभी, बैंगन और धान पर बी.टी. टॉक्सिन जीनों के कार्यान्तरण पर; केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री में बी.टी. तम्बाकू पर; केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में बी.टी. आलू पर; केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर तथा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड में कपास पर अनुसंधान किये जा रहे हैं। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर में संस्थान की जैव सुरक्षा समितियों के पर्यवेक्षण के अंतर्गत तरबूज में रेबीज प्रतिजन उत्पन्न करने के लिए परीक्षण किये जा रहे हैं।

(घ) जी, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्न उत्पादन

184. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997-98 की तुलना में वर्ष 2001-2002 के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के दौरान कितना खाद्यान्न उत्पादन दर्ज किया गंया और वर्ष 2001-02 में कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 और 2000-01 के दौरान प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता का ब्यौरा क्या है और उन खाद्यान्नों के नाम क्या है जिनकी उपलब्धता न्यूनतम है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1997-98 में दर्ज खाद्यान्न उत्पादन और 2001-02 में संभावित उत्पादन इस प्रकार है:

(मिलियन मी. टन)

मौसम	1997-98	2001-02
खरीफ	101.58	105.59*
रबी	90.68	107.87@
योग	192.26	213.46

*28.9.2001 को स्थिति अनुसार अग्रिम अनुमान।

@लक्ष्य।

(ग) और (घ) वर्ष 1997 और 2000 के दौरान महत्वपूर्ण खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता का ब्यौरा इस प्रकार है:

(किग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)

मद	1997	2000
चावल	78.5	75.1
गेहूं	65.7	58.4
अन्य अनाज	26.7	21.9
चना	4.5	4.0
दाल	13.6	11.7
खाद्यान्न	184.5	167.2

ऊपर दी गयी प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता देश में खपत के वास्तविक स्तर को ठीक से नहीं दर्शाती क्योंकि इसमें व्यापारियों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के कब्जे में पड़े भंडार के किसी परिवर्तन को हिसाब में नहीं रखा गया है। इसलिए समय की अलग-अलग दो अवस्थाओं पर प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता की तुलना करना वैज्ञानिक नहीं है।

[अनुवाद]

कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान

185. श्री जी.जे. जावीया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान दिये जाने के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों को दी गई सहायता अनुदान का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए अपनाया गया मानदण्ड डॉ. वी.एल. चोपड़ा समिति की सिफारिश पर आधारित है, जिसका गठन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/कैम्पसों की विकासात्मक स्थितियों, शैक्षिक कार्यक्रमों, विश्वविद्यालय की भर्ती क्षमता के अंतर्गत महाविद्यालयों/कैम्पसों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पर आधारित सहायता मुहैया कराने के लिए किया गया था। राज्य में अकेले विश्वविद्यालय को ज्यादा सहायता मिलती है, क्योंकि उनका अधिकार-क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की "विकास एवं सुदृढ़ीकरण" स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान सहायता का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	असम	100.00	100.00	–
2.	आंध्र प्रदेश	90.00	90.00	69.48
3.	बिहार	182.00	153.33	82.54
4.	पश्चिम बंगाल	215.00	189.25	80.00
5.	उत्तर प्रदेश	268.00	286.61	144.98
6.	गुजरात	100.00	94.50	51.00
7.	हरियाणा	96.00	95.00	51.00
8.	हिमाचल प्रदेश	172.00	145.00	73.58
9.	मध्य प्रदेश	250.00	150.00	68.00
10.	केरल	95.00	60.00	55.00
11.	महाराष्ट्र	321.00	305.00	193.18
12.	उड़ीसा	100.00	170.00	55.00
13.	पंजाब	100.00	96.00	60.00
14.	राजस्थान	140.00	190.00	128.00
15.	जम्मू व कश्मीर	110.00	425.00	56.20
16.	तमिलनाडु	150.00	120.00	80.00
17.	कर्नाटक	204.17	159.34	130.37

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों में ढील

186. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी सिंचाई परियोजनाओं या अन्य परियोजनाओं के विस्थापितों के लिए पुनर्वास कालोनियों का निर्माण करने, उन आदिवासियों, जो पिछले कई दशकों से अपनी वास भूमि के बदले जमीन पर कब्जा किए हुए है, की जमीनों के निपटान और विद्युत कनेक्शनों आदि की अनुमति देने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंध में कोई ढील देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मंत्रालय में अधिकारों को निहित करने के बजाय उसे प्रत्येक राज्य में नियुक्त केन्द्रीय मुख्य संरक्षणों को प्रत्यायोजित करने तथा उसे बढ़ाने का है ताकि वर्तमान में प्रदत्त वन भूमि की तुलना में अधिकाधिक वन भूमि क्षेत्र पर संबंधित कार्य किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, नहीं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत

सामान्यतया किसी भी वन भूमि को आवासों अथवा आवासीय इकाइयों जिसमें सिंचाई अथवा अन्य परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा बेदखल लोगों के लिए पुनर्वास कालोनियों के निर्माण जैसे किसी गैर स्थल विशिष्ट कार्यों के लिए प्रदान नहीं किया जाता है। यद्यपि वर्ष 1980 से पूर्व के ऐसे अवैध कब्जों को नियमित करने का उपबंध है जिसके संबंध में राज्य सरकारों ने अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए अधिनियम को लागू करने से पूर्व पहले ही उस समय निर्धारित विभिन्न पात्रता मानदण्ड के आधार पर निर्णय लिया था परन्तु वन (संरक्षण) अधिनियम के लागू होने से पूर्व पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वे इन्हें लागू नहीं कर सके थे।

विद्युत कनैक्शनों सहित अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के संबंध में प्रत्येक प्रस्ताव पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है और यदि वनेतर आवश्यक एवं अपरिहार्य है तो क्षेत्र की पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वनेतर प्रयोग ऐसे कार्यों के पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सावधानीपूर्वक किए जाने की आवश्यकता है। जिसमें विशेषज्ञता और निष्पक्ष छानबीन की आवश्यकता है। इस मंत्रालय के छह क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात् चंडीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र), भोपाल (पश्चिमी क्षेत्र), बंगलौर (दक्षिण क्षेत्र), भुवनेश्वर (पूर्वी क्षेत्र), शिलांग (उत्तर पूर्व क्षेत्र) और लखनऊ (मध्य क्षेत्र) में हैं न कि सभी राज्यों में।

उड़ीसा में निजी खनन कम्पनियां

187. श्री अनन्त नायक: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में खनिजों की खोज, खनन और अन्य खनन कार्यकलापों में लगी निजी खनन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी द्वारा उन जिलों के केन्द्रीय विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जहां वे कार्य संचालन कर रही है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी द्वारा उन सड़कों के पुनरुद्धार जिनका वे प्रयोग कर रही है और उनके खानों में कार्यरत श्रमिकों को स्वास्थ्य परिचर्चा उपलब्ध करवाने के लिए क्या कार्य किया गया है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उड़ीसा में निजी क्षेत्र में खानों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि खनन पट्टा धारियों द्वारा जिलों के परिधीय विकास, सड़कों के नवीकरण, स्वास्थ्य परिचर्या आदि उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सूचना का रख-रखाव केन्द्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

विवरण

खनिज का नाम	पट्टा स्वामी का नाम
1	2
बॉक्साइट	उड़ीसा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
क्रोमाइट	बी सी मोहन्ती एंड सन्स प्रा. लिमिटेड
	फैरो ऐलॉय कॉरपोरेशन लिमिटेड
	इंडियन चार्ज क्रोम लिमिटेड
	इंडियन मैटल एंड फैरो ऐलॉयज लिमिटेड
	मिश्री लाल माइन्स (प्रा.) लिमिटेड
	टाटा ऑयरन एंड स्टील कम्पनी लि.
डोलोमाइट	ए. एन. पटनायक
	टाटा ऑयरन एंड स्टील कम्पनी लि.
	विजय किशन लाल
फायरक्ले	इपिटाटा रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड
	जे.के. एंड के.पी. झुनझुनवाला
	के.सी. प्रधान
	कोणार्क मिनरल्स लिमिटेड
	रूंगटा सन्स (प्रा.) लिमिटेड
	टाटा रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड
ग्रेफाइट	वृद्धिचन्द्र अग्रवाल
	डायमंड ग्रेफाइट इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि.
	गिरधारी लाल अग्रवाल
	एच के साहू
	हिमांशु कुमार साहू
	मोहम्मद जफर उल्ला
	नटवर लाल अग्रवाल
	ओम प्रकाश अग्रवाल

1	2
	पी पी व्यास
	प्रभास चन्द्र अग्रवाल
	प्रभास चन्द्र अग्रवाल
	प्रधान इंडस्ट्रीज
	प्रमोद कुमार अग्रवाल
	रमेश कुमार अग्रवाल
	श्री एल पी देवी
	टी.पी. मिनरल इंडस्ट्रीज
	टी.आर. मेडिरल्ला
	तिलक राज मेडिरत्ता
लौह अयस्क	श्रीमती सरोजिनी प्रधान
	आर्यन माइनिंग एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लि.
	बी.डी. अग्रवाल
	वी रॉय एंड ए राय
	भंजा मिनरल्स (प्रा.) लिमिटेड
	बिराट चन्द्र डागरा
	बोनाई इंडस्ट्रियल कंपनी लि.
	डी आर पटनायक
	द्रुपद चन्द्र डागरा
	एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड
	फीग्रेड एंड क. (प्रा.) लि.
	गंडामर्धन स्पंज इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि.
	गीता रानी मोहन्ति
	घनश्याम मिश्रा एंड सन्स प्रा. लि.
	एच जी पांडया एंड अदर्स
	जे. एन. पटनायक
	जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड
	के. सी. प्रधान
	कलिंगा माइनिंग कारपोरेशन लि.
	कमलजीत सिंह अहलूवालिया
	के पी इन्टरप्राइजिज
	एम जी मोहन्ती
	एम एस मैत्री शुक्ला
	नारायणी सन्स
	नेशनल इन्टरप्राइजिज
	पार्था दास
	पटनायक मिनरल्स प्रा. लि.
	पैंग्युन ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड
	रूंगटा माइन्स (प्रा.) लिमिटेड
	रूंगटा सन्स (प्रा.) लिमिटेड

1	2
	एस.ए. करीम
	एस.सी. पाधी
	एन एन मोहन्ती
	सेराजुद्दीन
	शिवदत्त शर्मा
	श्रीमती कविता अग्रवाल
	टी बी लाल एंड कम्पनी
	तरिणी मिनरल्स
	टाटा ऑयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड
कॉओलिन	अजीत सामन्त रॉय
	जगदीश माइन्स एंड मैटल्स (प्रा.) लि.
	पी के साहू
चूना पत्थर	जी एस शर्मा एंड अदर्स
	ओ सी एल इंडिया लिमिटेड
	आर ए जालान
	रूंगटा सन्स (प्रा.) लिमिटेड
	एस सी पाधी
	सदाशिव त्रिपाठी
	शिवा सीमेंट लिमिटेड
	युनाइटिड मिनरल्स
	विजय किशन लाल
मैंगनीज अयस्क	आर्यन माइनिंग एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
	भंजा मिनरल्स (प्रा.) लिमिटेड
	डी. आर. पटनायक
	के.सी. प्रधान
	कमलजीत अहलुवालिया
	मांगीलाल रूंगटा
	मातादीन शारदा
	उड़ीसा मैंगनीज एंड मिनरल्स प्रा. लि.
	पटनायक मिनरल्स (प्रा.) लिमिटेड
	रूंगटा माइन्स (प्रा.) लिमिटेड
	एस.सी. पाधी
	एस. एन. मोहन्ती
	एस. एन. पॉल
	श्रीमती डी.के. बाई पाडया
	एन ऐलॉयज एंड मिनरल्स लि.
	तरिणी मिनरल्स
	टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड

1	2
पायरोफिलाइट	बनवारी लाल नेवतिया क्योंझर मिनरल्स (प्रा.) लिमिटेड संजय प्रताप
क्वार्टर्ज	बी.डी. पटनायक दिनेश चन्द्र दास द्रुपद चन्द्र डागरा इंडियन मैटल्स एंड कारबाइड लि. के.यु. रघुवा राव एन.सी. दास
स्टीटाइट	क्षण रंजन त्रपाटी कमलेन्दु कुमार दास प्रभास चन्द्र अग्रवाल शिव दत्त शर्मा

[हिन्दी]

कृषि वैज्ञानिकों को पुरस्कार

188. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 16 जुलाई, 2001 को कृषि में उत्कृष्ट योगदान हेतु वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थानवार और पुरस्कारवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पुरस्कारों की धनराशि में ह्रास होने के बावजूद भी इन्हें आकर्षक कहा जा सकता है;

(घ) विभिन्न पुरस्कारों में अलग-अलग कितनी राशि दी गई है;

(ङ) क्या ये पुरस्कार अन्य देशों के वैज्ञानिकों को दिये जाने वाले पुरस्कारों के समकक्ष हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार भविष्य में आकर्षक पुरस्कार देने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1999 से अधिकतम मौजूदा पुरस्कारों की राशि को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उसमें काफी बढ़ोत्तरी की है। नये पुरस्कार जैसे कृषि अनुसंधान तथा विकास पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए चौ. चरण सिंह पुरस्कार तथा विशिष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के लिए चौ. देवी लाल पुरस्कार हाल ही में शुरू किए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विभिन्न पुरस्कारों के लिए मौजूदा पुरस्कार राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) पुरस्कारों/राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) ये पुरस्कार उन पुरस्कारों के समतुल्य हैं जो अन्य देशों में वहां के वैज्ञानिकों/संस्थानों को उनके योगदानों को सम्मानित करने के लिए दिये जाते हैं।

(च) जी, हां।

विवरण I

पुरस्कार का नाम	राशि
1	2
(1) सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार, 2000	
1. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	रु. 1,00,000
2. केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन	रु. 1,00,000
3. विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	रु. 1,00,000
कुल	रु. 3,00,000

1	2
(2) जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार, 2000	
1. डा. राजीव श्रीवास्तव (जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर)	रु. 20,000
2. डा. गिरीश कुमार के. (जे.-के. कृषि-आनुवंशिकी, सिकन्दराबाद)	रु. 20,000
3. डा. (सुश्री) अम्बिका बलदेव (एन बी पी जी आर, नई दिल्ली)	रु. 20,000
4. डा. प्रभुराज ए. (कृषि महाविद्यालय, रायचूर)	रु. 20,000
5. डा. (कु.) शर्मीष्ठा बरठाकुर (भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली)	रु. 20,000
6. डा. (श्रीमती) उमा भागवती अम्माल (जवाहर लाल नेहरू कृषि एवं अनुसंधान संस्थान कालेज, पांडिचेरी)	रु. 20,000
7. डा. वी.के. भोउसेकर (कृषि महाविद्यालय, हैदराबाद)	रु. 20,000
8. डा. (श्रीमती) अर्चना मुखर्जी (सी टी सी आर आई, भुवनेश्वर का क्षेत्रीय केन्द्र)	रु. 20,000
9. डा. गन्द्रा वी.एस. साईप्रसाद (आई आई एच आर, बंगलौर)	रु. 20,000
10. डा. आर. राजेन्द्र कुमार (कृषि महाविद्यालय, त्रिशुर)	रु. 20,000
11. डा. आशुतोष उपाध्याय (डी डब्ल्यू एम आर, वालमी कैम्पस, पटना)	रु. 20,000
12. डा. राजेन्द्र कुमार (एन आर सी सी, बीकानेर)	रु. 20,000
13. डा. मीनाक्षी (एच ए यू, हिसार)	रु. 20,000
14. डा. यू.के. मुखोपाध्याय (एन डी आर आई, करनाल)	रु. 20,000
15. डा. लीला एडविन (सी आई एफ टी, कोच्चि)	रु. 20,000
16. डा. भुवनेश्वरी जी. (यू ए एस, धारवाड़)	रु. 20,000

1	2
17. डा. के. एन. रमन्ना (यू ए एस, बंगलौर)	रु. 10,000
18. डा. एम.ए. षण्मुघम (एस आई एम ए कपास विकास एवं अनु. संघ, कोयम्बटूर)	रु. 10,000
कुल	रु. 3,40,000

(3) लाल बहादुर शास्त्री युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, 1999-2000

1. डा. सुप्रिया चक्रवर्ती (आई आई वी आर, वाराणसी)	रु. 12,500
2. डा. सुमन गुप्ता (भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली)	रु. 12,500
3. डा. एस. के नाग (आई जी एफ आर आई, झांसी)	रु. 12,500
4. डा. डी दामोदर रेड्डी (आई आई आई एस, भोपाल)	रु. 12,500
5. डा. देवाशीष पटनायक (सी पी आर आई, शिमला)	रु. 12,500
6. डा. आशुतोष उपाध्याय (डी डब्ल्यू एम आर, वालमी पटना)	रु. 12,500
7. डा. श्रीकृष्ण इस्लूर (पी डी -ए डी एम ए एस, बंगलौर)	रु. 12,500
8. डा. यू.के. मुखोपाध्याय (एन डी आर आई, करनाल)	रु. 12,500
9. डा. बी.के. दास (सी आई एफ ए, भुवनेश्वर)	रु. 12,500
10. डा. सीमा जग्गी (भा.कृ.सा.अ.सं., नई दिल्ली)	रु. 12,500
कुल	रु. 1,25,000

(4) स्वामी शहजानन्द सरस्वती विस्तार वैज्ञानिक/कार्यकर्त्ता पुरस्कार, 2000

1. डा. जे.सी. मारकण्डेय (के वी के, एन डी आर आई, करनाल)	रु. 25,000
2. डा. यू.एस. गौतम (डी डब्ल्यू एम आर, वालमी, पटना)	रु. 25,000

1	2
3. डा. (श्रीमती) मंजू दत्ता दास (ए ए यू, जोरहाट)	रु. 25,000
कुल	रु. 75,000
(5) रफी अहमद किदवई पुरस्कार, 1999-2000	
1. डा. जी.एस. नन्दा (पी ए यू, लुधियाना)	रु. 3,00,000
2. डा. आर. साई कुमार (ए आर एस, हैदराबाद)	रु. 3,00,000
3. डा. बलराज एस. परमार (भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली)	रु. 1,50,000
4. डा. एस.के. गुप्ता (सी एस एस आर आई, करनाल)	रु. 1,50,000
5. डा. एस.आर. सिंह (डी डब्ल्यू एम आर, वालमी, पटना)	रु. 3,00,000
6. डा. जी.एस. शेखावत (सी पी आर आई, शिमला)	रु. 3,00,000
7. डा. पी.पी. गुप्ता (पी ए यू, लुधियाना)	रु. 3,00,000
8. डा. जगमोहन (सी ए आर आई, इज्जतनगर)	रु. 3,00,000
9. डा. के जे राव (सी आई एफ ए, भुवनेश्वर)	रु. 3,00,000
कुल	रु. 24,00,000
(6) जगजीवन राम किसान पुरस्कार, 2000	
1. श्री रणधीर सिंह शोयकण्ड गांव, जाजनपुर, जिला-कैथल, हरियाणा	रु. 1,00,000
कुल	रु. 1,00,000
(7) हरि ओम आश्रम ट्रस्ट पुरस्कार, 1999-2000	
1. डा. बी.एन. नारखेडे	रु. 20,000
डा. सी.बी. सालुंखे	रु. 10,000
श्री एम एस शिंदे (एम पी के वी, राहुरी)	रु. 10,000

1	2
2. डा. पुरण स्वरूप सिरोही (भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली)	रु. 40,000
3. डा. गीता माहले	रु. 20,000
डा. सुनन्दा कालकन्नावर	रु. 10,000
डा. साक्षी (यू ए एस, धारवाड़)	रु. 10,000
4. डा. पी.के. विज	रु. 20,000
श्री अवनीश कुमार	रु. 10,000
डा. ए. ई. नीवसारकर (एन बी ए जी आर, करनाल)	रु. 10,000
कुल	रु. 1,60,000
(8) एन जी रंगा किसान पुरस्कार, 2000	
1. श्री प्रदीप जे पाटिल,	रु. 1,00,000
गांव-बौरदी थाणे, महाराष्ट्र	
कुल	रु. 1,00,000
(9) वसंतराव नायक पुरस्कार, 2000	
1. डा. जे.एस. सामर्रा	रु. 50,000
भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली	
डा. वी. एन. शारदा	रु. 12,500
डा. ए.के. सिक्का	रु. 12,500
डा. पी. सामराज	रु. 12,500
डा. वी. लक्ष्मणन	रु. 12,500
कुल	रु. 1,00,000
(10) पंजाबराव देशमुख महिला वैज्ञानिक पुरस्कार, 2000	
1. डा. अकिला वानी (आई आई एच आर, बंगलौर)	रु. 50,000
2. डा. के.वी. भाग्यालक्ष्मी (एस बी आई, कोयम्बटूर)	रु. 25,000
3. डा. (सुश्री) मीरा चक्रवर्ती (क्लैरिस लाइफ साइंस लिमिटेड, अमहदाबाद)	रु. 25,000
कुल	रु. 1,00,000

1	2
(11) चौधरी चरण सिंह पुरस्कार, 2000	
1. देवेन्द्र शर्मा (नई दिल्ली)	रु. 50,000
2. जी. वेंकटरमानी (श्रीनिवासपुरम, चेन्नई)	रु. 50,000
कुल	रु. 1,00,000
(12) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, 1995-96	
1. डा. एस. मोहनकुमार (टी एन ए यू, कोयम्बटूर)	रु. 5,000
2. डा. राजेन्द्र हेगड़े (आी आई एस आर, माडीकेरी, कर्नाटक)	रु. 5,000
3. डा. देवब्रत सरकार (सी पी सी आर आई, शिमला)	रु. 5,000
4. डा. राजेन्द्र सिंह (आई आई टी, खडगपुर)	रु. 5,000
5. डा. एन. के प्रहाराज (मुर्गीपालन परियोजना निदेशालय, हैदराबाद)	रु. 5,000
कुल	रु. 25,000
कुल योग	
1. सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार, 2000	रु. 3,00,000
2. जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार, 2000	रु. 3,40,000
3. लाल बहादुर शास्त्री युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, 1999-2000	रु. 1,25,000
4. स्वामी शहजानन्द सरस्वती विस्तार वैज्ञानिक/कार्यकर्त्ता पुरस्कार, 2000	रु. 75,000
5. रफी अहमद किदवई पुरस्कार, 1999-2000	रु. 24,00,000
6. जगजीवन राम किसान पुरस्कार, 2000	रु. 1,00,000
7. हरि ओम आश्रम ट्रस्ट पुरस्कार, 1999-2000	रु. 1,60,000
8. एन. जी. रंगा किसान पुरस्कार, 2000	रु. 1,00,000
9. वसंतराव नायक पुरस्कार, 2000	रु. 1,00,000
10. पंजाबराव देशमुख महिला वैज्ञानिक पुरस्कार, 2000	रु. 1,00,00

1	2
11. चौधरी चरण सिंह पुरस्कार, 2000	रु. 1,00,000
12. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, 1995-96	रु. 25,000
एकमुश्त विशेष पुरस्कार	
1. डा. एस.के. बन्द्योपाध्याय 2. डा. आर.पी. सिंह 3. डा. बी.पी. श्रीनिवास 4. डा. पी. धर 5. डा. एन राय (आई वी आर आई), मुक्तेश्वर)	रु. 2,00,000.00
1. डा. ऋषेन्द्र वर्मा 2. डा. टी.एन. जायसवाल (आई वी आर आई, इज्जतनगर)	रु. 1,00,000.00

विवरण II

पुरस्कार का नाम	राशि
1	2
1. सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार (3 वार्षिक पुरस्कार)	रु. 1,00,000.00 प्रत्येक
2. उत्कृष्ट स्नातकोत्तर कृषि अनुसंधान के लिए जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार, 2000 (आठ विभिन्न श्रेणियों पर 16 वार्षिक पुरस्कार)	रु. 20,000.00 प्रत्येक
3. लाल बहादुर शास्त्री युवा वैज्ञानिक पुरस्कार (7 अलग-अलग श्रेणियों में 10 द्विवार्षिक पुरस्कार)	रु. 25,000.00 प्रत्येक
4. पंजाबराव देशमुख महिला कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार (2 वार्षिक पुरस्कार)	रु. 50,000.00 प्रत्येक
5. हरि ओम आश्रम ट्रस्ट पुरस्कार (4 अलग-अलग श्रेणियों में 4 वार्षिक पुरस्कार)	रु. 40,000.00 प्रत्येक
6. स्वामी शहजानन्द सरस्वती विस्तार वैज्ञानिक/कार्यकर्त्ता पुरस्कार (4 अलग-अलग विस्तार क्षेत्रों में 4 वार्षिक पुरस्कार)	रु. 25,000.00 प्रत्येक

1		2
7.	कृषि में अनुसंधान आवेदनों पर वसंतराव नायक पुरस्कार (जल संरक्षण और बारानी खेती में उत्कृष्ट अनुसंधान सहयोग पर 1 वार्षिक पुरस्कार)	रु. 1,00,000.00 प्रत्येक
8.	रफी अहमद किदवई पुरस्कार (7 अलग-अलग श्रेणियों में द्विवार्षिक पुरस्कार)	रु. 3,00,000.00 प्रत्येक
9.	जगजीवन राम किसान पुरस्कार (नवीनतम फार्मिंग के लिए 1 वार्षिक पुरस्कार)	रु. 1,00,000.00 प्रत्येक
10.	विविध, कृषि पर एन जी रंगा किसान पुरस्कार (1 वार्षिक पुरस्कार)	रु. 1,00,000.00 प्रत्येक
11.	कृषि अनुसंधान और विकास में पत्रकारिता में उत्कृष्टता पर चौधरी चरण सिंह पुरस्कार (1 वार्षिक पुरस्कार)	रु. 1,00,000.00 प्रत्येक
12.	जनजातीय क्षेत्रों में उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान के लिए फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार (2 अलग-अलग श्रेणियों में 2 वार्षिक पुरस्कार)	रु. 50,000.00 प्रत्येक
13.	बहु विषयक टीम अनुसंधान के लिए भा.कृ.अ.प. पुरस्कार (7 अलग-अलग श्रेणियों में 9 वार्षिक पुरस्कार)	रु. 1,00,000.00 प्रत्येक
14.	उत्कृष्ट अध्यापक के लिए भा.कृ.अ.प. पुरस्कार (7 अलग-अलग श्रेणियों में 8 द्विवार्षिक पुरस्कार)	रु. 1,00,000.00 प्रत्येक
15.	सर्वोत्तम कृषि विज्ञान केन्द्र पुरस्कार (फार्म पर अनुसंधान, प्रशिक्षण आदि जैसे उत्कृष्ट विस्तार कार्यों के लिए 2 द्विवार्षिक पुरस्कार)	रु. 20,000.00 प्रत्येक
16.	हिन्दी में कृषि और संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी पुस्तकों के लिए डा. राजेन्द्र प्रसाद पुरस्कार (8 अलग-अलग श्रेणियों में 8 द्विवार्षिक पुरस्कार)	रु. 50,000.00 प्रत्येक
17.	उत्कृष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना पर चौ. देवी लाल पुरस्कार (ए आई सी आर पी पुरस्कार) (अखिल भरातीय समन्वित अनुसंधान परियोजना में उत्कृष्टता के लिए 1 वार्षिक पुरस्कार)	रु. 1,00,000.00 प्रत्येक

[अनुवाद]

नारियल मिशन का कार्यान्वयन

189. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पिछले वर्ष कुमाराकोम, कोट्टायम, केरल में घोषित नारियल मिशन के कार्यान्वयन हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रौद्योगिकी मिशन के कार्यान्वयन के लिए कुल कितनी राशि का व्यय किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) नारियल विकास बोर्ड ने नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की मसौदा रिपोर्ट तैयार की है जिस पर नारियल का उत्पादन करने वाले राज्यों के प्रतिनिधियों सहित नारियल उद्योग में सभी पणधारियों के साथ एक बैठक में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इसमें भाग लेने वाली राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे और अधिक संशोधन के लिए यदि कोई अपने सुझाव देना चाहते हों तो दे दें। केवल केरल सरकार से सुझाव प्राप्त हुए थे। विभिन्न संगठनों के प्रयासों के समन्वयन के लिए और उनमें सब तरह से एकीकरण के माध्यम से सहक्रिया तैयार करने तथा नए कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के अन्तर को कम करने के लिए नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें मुख्यतया उन मुद्दों की ओर ध्यान दिया जाएगा जिन पर अभी चल रहे कार्यक्रमों में कार्रवाई नहीं हुई है और यह प्रस्ताव वर्ष 2001-2002 की शेष अवधि में कार्यान्वित किया जायेगा जो नौवीं योजना के आखिरी वर्ष हैं। इस प्रस्ताव को योजना आयोग को सिद्धांत रूप में उनकी स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इस मिशन की संरचना कीट, कृमि और रोगों से प्रभावित उद्यानों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास; उत्पाद विविधीकरण तथा मण्डी संवर्धन और संकेन्द्रित ध्यान के साथ प्रौद्यगिकियों के प्रदर्शन और अपनाए जाने से संबंधित मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए की गई है।

उड़ीसा में भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण द्वारा खनिज सर्वेक्षण

190. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण द्वारा उड़ीसा में कोई खनिज सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में कोयले के दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, हां। खान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ संगठन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में खनन सर्वेक्षण किया है।

(ख) क्योंझर जिले के बोला नशाही क्षेत्र में पी.जी.ई. (प्लेटिनम समूह) मयूरभंज और मलकानगिरी जिलों में स्वर्ण, बोलनगीर और सुन्दरगढ़ जिलों में मैंगनीज, बोलनगीर, बारगढ़, सोनपुर, कालाहाण्डी, झरसुगुढ़ा, कोरापुट और नवरंगपुर जिलों में हीरे, कोरापुट और रायगड़ा जिलों में आयामी पत्थर, सुन्दरगढ़ और क्योंझर जिलों में लौह अयस्क, जाजपुर और धेंकनाल जिलों में क्रोमाइट तथा तलचेर और इब नदी कोयला क्षेत्रों में कोयले के लिए अनवेषण कार्य किये गये थे।

इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप निम्न खनिज भंडारों का अनुमान लगाया गया है:

1. बोलनगीर जिले में 2.06 मिलियन टन मैगनीज अयस्क।
2. बौला-नौशाही क्षेत्र, क्योंझर जिले में प्लेटिनम तत्व समूह (प्लेटिनम और पल्लाडियम) अयस्क के 14.2 मिलियन टन के निदर्शित संसाधन।
3. तलचेर और इब नदी कोयला क्षेत्रों में कोयले के 2274.08 मिलियन टन के समग्र भंडार।

(ग) खनिजों/भंडारों का गवेषण कार्य जी.एस.आई. के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तथापि, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उप धारा (1) में परिभाषित कोई भी भारतीय नागरिक अथवा कम्पनी खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टा प्राप्त करने के पश्चात खनिज भंडारों के दोहन के लिए स्वतंत्र है।

कृषि उत्पादों के आयात का प्रभाव

191. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के उदार आयात का भारतीय कृषि पर प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे अध्ययन को कब तक कराये जाने की संभावना है;

(घ) सरकार का विचार भारतीय किसानों के हितों की सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाने का है; और

(ङ) भारतीय किसानों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ताकि वे कृषि आयातों की चुनौती का मुकाबला प्रभावी ढंग से कर सकें?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सरकार ने भारतीय कृषि उत्पादों के उदारीकृत आयात के प्रभाव के बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है। लेकिन सरकार कृषि सहित सभी संवेदनशील मदों के आयात की लगातार मानीटरिंग कर रही है। वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति कृषि उत्पादों सहित सभी संवेदनशील मदों के आयात की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग करती है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के किसानों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े सरकार ने संवेदनशील मदों के आयात की मानीटरिंग के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया है और विश्व व्यापार संगठन के अनुसार विभिन्न उपाय करके स्वदेशी उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित स्तरों के भीतर व्यावहारिक टैरिफ का उचित अंशाकन, माल जमा करने से रोकना, समतुल्य ड्यूटियों लगाना और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में रक्षात्मक कार्यवाही करना इन उपायों में सम्मिलित हैं।

इन उपायों के सिलसिले के रूप में वर्ष 2001-02 के दौरान खाद्य तेलों (कच्चे और परिष्कृत दोनों), चाय, काफी, खोपरा और नारियल तथा कुछ अन्य कृषि जिंसों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। इस समय, दुग्ध पाउडर और मुर्गी मांस तथा चिकन लैग्स पर क्रमश: 60 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की बढ़ी हुई आयात ड्यूटी लगती है।

(ङ) सरकार की नयी निर्यात-आयात नीति में देश में कृषि जिंसों के अन्धाधुन्ध आयात से स्वदेशी किसानों को बचाने के लिए सुरक्षा उपाय प्रतिपादित हैं। इन सुरक्षा उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित है:

* गेहूं, चावल, मक्का और अन्य मोटे अनाजों, खोपरा तथा नारियल जैसे कृषि उत्पादों के आयात को राज्य व्यापार के वर्ग में रखा गया है। इन मदों का आयात नामजद राज्य व्यापार उधम द्वारा पूर्णतया वाणिज्यिक विचारणीय बातों के अनुसार किया जायेगा।

* सभी खाद्य उत्पादों का आयात खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के सभी प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर होगा।

* मांस और मुर्गी उत्पादों का आयात मांस खाद्य उत्पाद आदेश के सभी प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर होगा।

* चाय के व्यर्थ पदार्थ (टी-वेस्ट) का आयात टी-वेस्ट (नियंत्रण आदेश), के अनुपालन की शर्त पर होगा।

* स्वदेशी उत्पादकों और आयात के मामले में समान स्थितियां सुनिश्चित करने की ओर ध्यान रखा गया है। गैट के ''राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धान्त'' के अनुरूप आयात पर निम्नलिखित स्वदेशी विनियमों की शर्त भी लगा दी गयी है:

  - ऐजो रंग जैसे प्रतिबंधित रंग के इस्तेमाल वाली किसी कपड़ा सामग्री के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए एक शिपमेंट पूर्व निरीक्षण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

  - यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि उत्पादों के आयात से देश में अनचाहे विदेशी रोग और कृमि न आ जाएं। यह निर्णय लिया गया है कि पौध और पशु मूल के प्राथमिक उत्पादों के आयात पर ''कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले'' जैव सुरक्षा और सैनेटरी तथा फाइटोसैनेटरी परमिट'' की शर्त लगाई जाए। यह परमिट वैज्ञानिक सिद्धांतों पर किये जाने वाले उत्पाद के आयात जोखिम विश्लेषण पर आधारित होगा तथा यह सैनेटरी और फाइटोसैनेटरी उपायों को लागू करने संबंधी विश्व व्यापार संगठन करार के अनुसार होगा।

कर्नाटक में बाढ़ प्रवण क्षेत्र

192. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में बाढ़ प्रवण और जल जमाव के क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या कर्नाटक ने बरसात में जल प्रभाव और बाढ़ प्रवण गांवों को अन्यत्र बसाने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है:

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार 0.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ के प्रति प्रवण है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने संबंधी कार्य

193. श्री वी.एम. सुधीरन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव की रोकने संबंधी कार्यों के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केरल सरकार ने केरल राज्य में समुद्री कटावरोधी कर्यों के लिए दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में शामिल करने के लिए केरल सरकार से दिसम्बर, 2000 में प्राप्त 3.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के एक प्रस्ताव अर्थात ''तटीय और गंगा बेसिन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में महत्वपूर्ण कटावरोधी कार्यों'' को पूरे योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त होना रहता है। इस प्रस्ताव की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई है और टिप्पणियां जनवरी, 2001 में राज्य सरकार को भेजी गई हैं। राज्यों से जुलाई, 2001 में प्राप्त टिप्पणियों की अनुपालना को केन्द्रीय जल आयोग में पुन: जांच की गई थी और अगस्त, 2001 में राज्य सरकार को आगे टिप्पणियां भेजी गई थी जिनका अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल सरकार से 267.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को दूसरा प्रस्ताव मार्च, 2001 में प्राप्त हुआ था जिसमें 76 कि.मी. लम्बी नई समुद्री दीवार का निर्माण करना, 58 कि.मी. की लम्बाई में सुधार कार्य करना तथा 23 अवरोधक (ग्राइन्स) बनाना राष्ट्रीय तट सुरक्षा परियोजना में शामिल करना सम्मिलित है। इस प्रसातव की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई थी और प्रस्ताव में और संशोधन करने के लिए जुलाई, 2001 में राज्य सरकार की टिप्पणियां भेजी गई थी जिन पर राज्य से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

प्राकृतिक रबड़, कॉफी आदि के मूल्यों में गिरावट

194. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्राकृतिक रबड़ सहित रबड़, कॉफी इलायची और नारियल आदि के मूल्य दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं;

(ख) क्या रबड़ उत्पादकों को रबड़ के मूल्य में गिरावट के कारण गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) बाजार में उपलब्ध इन वस्तुओं की अलग-अलग कुल मात्रा कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने बाजार से इन वस्तुओं की खरीद करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में प्राधिकृत एजेन्सियों के नाम क्या हैं और अब तक इन वस्तुओं की कितनी मात्रा में खरीद की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। हाल ही में रबर, काफी और नारियल के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति पाई गई है जबकि इलायची के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति पाई गई है।

(ख) देश में रबर के मूल्यों में विगत चार वर्षों के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति पाई गई है किन्तु ये मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में अभी भी अधिक हैं।

(ग) प्रासंगिक जिंसों के अद्यतन उपलब्ध उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	जिंस	यूनिट	उत्पादन
2000-2001	रबर	लाख मी. टन	6.30
1999-2000	नारियल	मिलियन गिरी	14084.1
2000-2001	काफी	लाख मी. टन	3.01
1999-2000	इलायची	हजार मी. टन	10.40

(घ) और (ङ) नारियल के किसानों को संकटकालीन बिक्री से बचाने के लिए सरकार कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी स्कीम क्रियान्वित कर रही है जिसके तहत 2000-01 के दौरान केन्द्रीय नोडल एजेंसी, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन

संघ लि. (नैफेड) द्वारा 2.32 लाख मी. टन कोपरा की खरीद की गई। रबर उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने अगस्त, 1997 से चार चरणों में मण्डी हस्तक्षेप की योजना बनाई है और राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कुल 53687 मी. टन प्राकृतिक रबर की खरीद की है।

निर्यात योग्य मद होने की वजह से काफी के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति के कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से मण्डी से काफी की अधिप्राप्ति करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, जहां तक इलायची का संबंध है, प्रचुरता की स्थिति में इसे मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के तहत शामिल किया जा सकता है।

गंगा जल संधि की समीक्षा

195. श्री जे.एस. बराड़: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश में नई सरकार ने गंगा जल संधि की समीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी वित्त पोषण

196. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी क्षेत्र के वित्तपोषण को शामिल करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फिक्की ने हाल ही में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में भारत-फ्रांस संगोष्ठी और क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया था;

(घ) यदि हां, तो निजी क्षेत्र को किस सीमा तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शामिल होने हेतु आकर्षित किया गया है; और

(ङ) इससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को किस सीमा तक प्रोत्साहन मिलने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा निधि का उपलब्ध कराया जाना साथ-साथ चल रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना नहीं करता। यह योजना स्कीमों के तहत उद्योग को केवल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अधिकांश निवेश निजी क्षेत्रों द्वारा किया गया है।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए जुलाई 1991 से मार्च 2001 के दौरान 53,868 करोड़ रु. के पूंजी निवेश वाले 6,587 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पेश किए गए हैं। इसके अलावा, उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना, विदेशी सहयोग आदि के लिए 9,942 करोड़ रु. के पूंजी निवेश वाले 680 अनुमोदनों को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) डेरी क्षेत्र, खाद्य पार्कों, मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण में विदेशी रणनीतिक साझेदारी तथा संयक्त उद्यम पहल में रुचि रखने के इच्छुक भारतीय और फ्रांसिसी दोनों कंपनियों ने इस बैठक में उत्साह से भाग लिया। प्राप्त सूचना के अनुसार बहुत सी फ्रांसिसी कंपनियों ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समेत संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त की।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में विमानपत्तनों का विस्तार

197. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा यात्री विमानों को उतारने के लिए कितने विमानपत्तनों को उपयुक्त पाया गया है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उनमें से कितने विमानपत्तनों को उनके विस्तार हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) उनके विस्तार कार्य में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) महाराष्ट्र में औरंगाबाद, मुम्बई, जुहू, कोल्हापुर, नागपुर, पुणे तथा शोलापुर स्थित हवाई अड्डे इस समय प्रचालनात्मक है।

(ख) भारत सरकार ने बड़े निर्माण कार्यों की पूर्ति के लिए केवल औरंगाबाद हवाई अड्डे पर 100 प्रतिशत इक्विटी के बतौर 12.37 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता मुहैया की है।

(ग) औरंगाबाद हवाई अड्डे के रनवे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण कर दिया गया है जिस पर 18.15 करोड़ रुपये की लागत आई है।

[अनुवाद]

नागार्जुन सागर जलाशय से पानी निकालना

198. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अन्तरराज्यीय कृष्णा नदी पर बने नागार्जुनसागर जलाशय, जिसे विश्व बैंक से वित्तपोषण हेतु केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति लेने की आवश्यकता है, के तट से 16.5 टी एम सी जल निकालने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को अप्रैल, 1998 में एक परियोजना रिपोर्ट भेजी थी इसमें कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर जलाशय से 16.5 टी एम सी जल निकाले जाने की योजना है। चूंकि इसमें 3.30 टी एम सी का खपतकारी उपयोग शामिल है इसलिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह नागार्जुन सागर परियोजना से इस आवश्यकता को पूरा करने संबंधी ब्यौरे भेज दें। राज्य सरकार ने अगस्त, 2001 में अपने उत्तर में श्री सैलम जलाशय के लिए वाष्पन से होने वाली हानियों से 3.30 टी एम सी जल की बचत को पूरा करने का प्रस्ताव किया है। केन्द्रीय जल आयोग में अक्तूबर, 2001 में प्राप्त श्री सैलम, नागार्जुन सागर परियोजना और प्रकाश बराज की समेकित कार्य तालिकाएं अन्तर्राज्यीय पहलुओं से मूल्यांकनाधीन हैं। यही कारण है कि इस परियोजना को अब तक केन्द्रीय जल आयोग का अनुमोदन नहीं मिल पाया है।

[हिन्दी]

अंडमान और निकोबार में वृक्षारोपण

199. श्री विष्णु पद राय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में लगभग 27890 हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण के अंतर्गत लाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या इन वृक्षारोपणों के उत्पादनों को बाजार में लाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में पौधरोपणों वाला क्षेत्र लगभग 29681 हैक्टेयर है जिसमें नारियल (25000 हैक्टेयर), सुपारी (3600 हैक्टेयर) और काजू (1081 हैक्टेयर) क्षेत्र शामिल है। नारियल विकास बोर्ड की क्षेत्र विस्तार स्कीम के अंतर्गत 5562 किसान लाभ प्राप्त कर चुके हैं। सुपारी के लिए क्षेत्र विस्तार का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(घ) से (च) सरकार द्वारा संघ शासित क्षेत्र में कटाई पश्चात रख रखाव और प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे उत्पाद के विपणन में सहायता मिलती है। अण्डमान निकोबार सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड और अन्य सहकारी समितियों/संगठनों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) मूल्य समर्थन स्कीम के कार्यान्वयन द्वारा नारियल के विपणन का समर्थन कर रहा है जिसके अंतर्गत अभिकरण ने वर्ष 2000 के फसल मौसम में अण्डमान एवं निकोबार में 11430 मी. टन कोपरा प्राप्त किया है।

[अनुवाद]

श्रम आयोग की रिपोर्ट

200. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का अत्यधिक खनन

201. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक खानों में कोयले का अत्यधिक खनन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक कोयला खानों और इसके आस-पास के क्षेत्रों में दरारें आ गई हैं जिससे खानों और आवासीय क्षेत्रों को खतरा उत्पन्न हो गया है और बरसात के मौसम में यह स्थिति और खतरनाक हो सकती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, नहीं। कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों की खानों में तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. की खानों में, जो मुख्य कोयला उत्पादक कंपनियां हैं, कोयले का अत्यधिक खनन नहीं हो रहा है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केविंग पद्धति द्वारा कोयले का निष्कर्षण सतह पर दरारें/धंसाव पैदा कर देता है। तथापि, इनकी योजना तथा कार्यान्वयन वहां किया जाता है जहां सतही आकृति नहीं हैं। ऐसे केविंग प्रचालन के लिए डीजीएमएस से पूर्व अनुमति ली जाती है। इस प्रकार ऐसे नियोजित धंसाव खानों या मकानों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करते हैं।

इन दरारों को भरा जाता है तथा नियमित रूप से कूडेकरकट/मिट्टी से ढका जाता है, जोकि कोयला खनन क्षेत्रों में नियमित कार्य है। इससे सतह से हवा अंदर जाने में रुकावट आती है तथा कोयले के स्वत: गर्म होने के अवसर कम हो जाते हैं।

जहां तक इन दरारों से जल के प्रवेश होने का संबंध है, उस क्षेत्र के चारों और गारलैंड नालियां बनायी जाती हैं तो डिपिलरिंग प्रचालनों के कारण प्रभावित हो सकता है। कुछ मामलों में, इन दरारों के माध्यम से जल के प्रवेश को रोकने के लिए बांध भी बनाए जाते हैं।

विगत काल की (तत्कालीन स्वामी) बहुत सी उथली पुरानी भूमिगत खानें हैं जो अब अगम्य, जलाप्लावित तथा अस्थिर हैं। ऐसे पुरानी खानों में स्तम्भों के गिरने के कारण दरारें/धंसाव उत्पन्न होता है। अवैध खनन से दरारें/धंसाव भी उत्पन्न हो सकता है। अवैध खनन से दरारें/धंसाव भी उत्पन्न हो सकता है।

रानीगंज तथा झरिया कोलफील्ड्स में आग तथा धंसाव प्रवण क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। उपर्युक्त उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें कार्यान्वयनाधीन हैं।

झूठी फोन कालों के कारण उड़ानों में विलंब

202. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत सी उड़ानों में झूठी फोन कालों के कारण विलम्ब हो जाता है;

(ख) देश में कितने विमानपत्तनों फोन कालों का पता लगाने वाली सुविधाओं से सुसज्जित नहीं है;

(ग) भारतीय अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विमानपत्तनों द्वारा विमानपत्तनों पर सभी टेलीफोनों पर ऐसी सुविधाएं संस्थापित न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत विमानपत्तनों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम का प्रस्ताव है, और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) धमकी भरी कॉल के प्राप्त होने पर विस्तृत खोज की जाती है जिससे उड़ानों में देरी हो जाती है।

(ख) और (ग) सभी मुख्य एयरपोर्ट पर कॉलर आईडेंटिफिकेशन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

(घ) और (ङ) सभी प्रचालनात्मक एयरपोर्टों पर सी.आई.एस.एफ. की तैनाती के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ताकि सुरक्षा मानक में एकरूपता बनी रहे। मुख्य एयरपोर्ट पर क्विक रियेक्शन टीम को लगाया गया है सख्त एक्सेस कंट्रोल की कार्रवाई की जा रही है। एयरपोर्ट निदेशक को एयरपोर्ट सुरक्षा का इंचार्ज बनाया गया है और एयरपोर्ट सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

सुपारी उत्पादक

203. श्री पी.सी. थामस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने सुपारी उत्पादक हैं;

(ख) क्या ये उत्पादक सुपारी मूल्य कम होने के कारण संकट का सामना कर रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सुपारी के प्रचलित मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सुपारी के उत्पादकों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) प्रत्येक फसल की खेती करने वाले किसानों की संख्या के अनुमान नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) हाल ही के महीनों में सुपारी के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति पाई गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान चयनित बाजारों में वार्षिक औसत मासान्त थोक मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सुपारी की खेती करने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने:-

(1) 2001-2002 के दौरान आयात शुल्क को 35% से बढ़ाकर 100% कर दिया है।

(2) कस्टम अधिकारियों को सख्ती से निगरानी करने के लिए निर्देश जारी किये हैं ताकि देश में जिंस के अवैध प्रवेश पर रोक लगाई जा सके।

(3) मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के तहत 2001-02 के दौरान सरकारी प्राधिकारियों द्वारा सुपारी की अधिप्राप्ति की गई है तकि मूल्यों का स्थिरीकरण किया जा सके; और

(4) उत्पादन प्रौद्योगिकी, मांग, शुल्क संरचना, मूल्यों और अन्य संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के अधीन एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान सुपारी के मासान्त थोक मूल्यों का वार्षिक औसत

(रु. प्रति क्विंटल)

राज्य/मण्डी	किस्म	वर्ष	मूल्य
केरल			
अलेप्पी	राइप (1000 सुपारी दाने)		
		1999	1033
		2000	617
		2001	485*
कर्नाटक			
शिमोगा	बेट्टी		
		1999	14470
		2000	14505
		2001	13625
मंगलौर	न्यू		
		1999	13795
		2000	9212
		2001	4911*

*दस महीने की औसत।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विविधीकरण

204. श्री के. येरननायडू: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने कार्यों का प्रबंधन, रेलवे खान-पान और फूड प्लाजा आदि से संबंधित व्यापार की ओर विविधीकृत करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उद्यमों के कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

205. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में कितनी सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें नौवीं योजना के दौरान राज्य-वार आधुनिकीकरण के लिए लिया गया है; और

(ग) नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में किन अन्य परियोजनाओं का आधुनिकीकरण किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) मूल्य क्षमता नहर प्रणाली की स्थिति, अंतिम छोर पर स्थित खेत को जल आपूर्ति में समानता तथा जल उपयोग क्षमता की तुलना में वर्तमान में उपयोग की जा रही सिंचाई क्षमता को ध्यान में रखते हुए विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के वास्ते मूल्यांकन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। अभिज्ञात परियोजनाओं के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के वास्ते केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया जाता है।

(ख) नौवीं योजना के दौरान आधुनिकीकरण के वास्ते विभिन्न राज्यों में 35 सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, ऐसी स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण तथा निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

विवरण

नौवीं योजना की नई ई.आर.एम. परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	ई.आर.एम.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	3
4.	बिहार	–
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	6
7.	हरियाणा	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–
9.	जम्मू व कश्मीर	–
10.	कर्नाटक	2
11.	केरल	2
12.	मध्य प्रदेश	–
13.	महाराष्ट्र	–
14.	मणिपुर	–
15.	मेघालय	–
16.	मिजोरम	–
17.	नागालैंड	–
18.	उड़ीसा	9
19.	पंजाब	3
20.	राजस्थान	1
21.	सिक्किम	–
22.	तमिलनाडु	–
23.	त्रिपुरा	–
24.	उत्तर प्रदेश	2
25.	पश्चिम बंगाल	3
26.	संघ राज्य क्षेत्र	–
	कुल	35

कृषक संगठन द्वारा आंदोलन

206. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसान बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उन्हें टर्मिनेटर बीजों पर निर्भर बनाने के लिए लगातार तंग किये जाने के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या पर्यावरण मंत्रालय ने गैर-मंजूरशुदा बी.टी. जीन सीड्स द्वारा उगाई गई फसलों को नष्ट करने का आदेश दिया है;

(घ) क्या कीटनाशक लाबी अपने आर्थिक हित के लिए नए बीज का विरोध कर रही है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारत में विधिक माध्यमों से टर्मिनेटर बीज के प्रवेश की कोई आशंका नहीं है। सरकार ने टर्मिनेटर जीन वाले बीजों के किसी भी सम्भावित आयात पर सख्ती से निगरानी रखने के लिए अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। इन प्राधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी स्थिति में टर्मिनेटर जीन वाली बीज सामग्री का आयात न हो। पादप किस्म व कृषक अधिकार संरक्षण बिल, 2001 में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी किसी भी किस्म का इस अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं किया जायेगा जिसमें टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी शामिल है।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आनुवंशिकीय अभियंत्रण अनुमोदन समिति ने गुजरात राज्य जैव-प्रौद्योगिकी समन्वय समिति को गुजरात में जैव-प्रौद्योगिकी (बी.टी.) कपास के अनुमोदित बीजों की खेती के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही करने का निर्देश दिया है:

- किसानों से उचित समर्थन मूल्य पर नवभारत 151 फसल के कपास के गोलों की खरीद करना।
- छिलके और बीज को अलग करना।
- बीज को नष्ट करना और छिलके का सुरक्षित स्थान पर भण्डारण करना; और
- खेतों में जड़ को उखाड़कर तथा जलाकर और खेतों की सफाई के द्वारा फसल अवशेष को नष्ट करने का काम पूरा करना।

(घ) और (ङ) इस विभाग को आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना केन्द्र

207. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बाल श्रम बहुल राज्यों में बच्चों का पुनर्वास करने के लिए अब तक कुल कितने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों के कुल जिलों में ऐसे केन्द्र पर्याप्त धन की कमी के कारण नहीं खोले जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) भारत सरकार, कार्य से हटाए गए बच्चों के लाभ के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की स्कीम क्रियान्वित कर रही है। अब तक बाल श्रम की बहुलता वाले 13 राज्यों में कार्य से हटाए गए 2.11 लाख बच्चों को शामिल करने हेतु 3967 केन्द्रों के लिए 100 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मिथुन परियोजना

208. श्री के.ए. सांगतम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागालैंड में अक्तूबर, 2000 में अनुमोदित "मिथुन" परियोजना अभी शुरू की जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र वर्ष 1988 से मिथुन से संबद्ध अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है।

(ग) लागू नहीं।

सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाएं

209. श्री भीम दाहाल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के पास स्वीकृति हेतु लम्बित सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके लम्बित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी लम्बित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) सिक्किम राज्य सरकार के अनुरोध पर, भारतीय विमानपत्तन के अधिकारियों की एक टीम ने सिक्किम में एक हवाई अड्डे के विकास की साध्यता के अध्ययन हेतु सिक्किम का दौरा किया था और उसने पाकयोंग नामक एक उपयुक्त स्थल की पहचान की है। पाकयोंग में हवाई अड्डे की परियोजना प्रारंभिक स्तर पर है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास इस समय किसी पूर्वोत्तर राज्य के संबंध में कोई अन्य परियोजना लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि को तकनीकी दर्जा

210. श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि विषय को तकनीकी दर्जा प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो कृषि को अब तक तकनीकी दर्जा प्रदान न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा कृषि विषय को कब तक तकनीकी दर्जा प्रदान किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

कृषि योग्य भूमि में कमी

211. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि योग्य भूमि में कमी आई है;

(ख) क्या अन्य उद्देश्यों हेतु कृषि योग्य भूमि के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो कृषि योग्य भूमि के विस्तार हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान कृष्य भूमि जिसमें बुवाई का निवल क्षेत्र, परती भूमि, कृष्य व्यर्थ भूमि और विविध वृक्ष फसलों के अंतर्गत क्षेत्र सम्मिलित हैं, 183.6 मिलियन है. के स्तर पर स्थिर बनी रही है।

(ख) और (ग) भूमि राज्यों का विषय है और इसलिए एक 19 सूत्री राष्ट्रीय भू-उपयोग नीति रूप रेखा सभी राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए परिचालित कर दी गयी है। राष्ट्रीय भू-उपयोग नीति रूपरेखा में कृष्य भूमि के अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल को रोकने की आवश्यकता पर बल देने हेतु भी एक बिन्दु सम्मिलित है। भारत सरकार ने वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, झुम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना, क्षारीय मृदा (ऊसर भूमि) के सुधार और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से निम्नीकृत भूमि को उत्पादक उपयोग हेतु विकसित करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

सहायक इकाइयों की संख्या में वृद्धि करना

212. श्री सुबोध मोहिते: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स (डब्ल्यू.सी.एल.) का विचार, जैसी कि विदर्भ का विकास से संबंधित हाल की रिपोर्ट में सिफारिश की गयी है, सहायक इकाइयों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या डब्ल्यू.सी.एल. ने कोयला के उत्खनन और वितरण क्षेत्र में गैर-सरकारी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. सहायक एककों के विकास के कार्यक्रमों को लगातार चलाती है। मौजूदा तथा आरंभ की जाने वाली सहायक एककों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

1.	सहायक एककों की संख्या	26
2.	अतिरिक्त एककों के लिए अनुषंगी हेतु पहचान किए गए मदों की संख्या	21
3.	उपुर्यक्त (2) के अनुसार मदों की प्रत्याशित वार्षिक उठान	845 लाख रुपए

(ग) ऊपर (क) और (ख) भागों में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) कोयले के खनन और वितरण के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने से सम्बद्ध नीतिगत मामलों पर कार्यवाही केन्द्र सरकार करती है। कोयला खनन क्षेत्र में और अधिक निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने, कोयला उद्योग में निजी निवेशों की अनुमति देने के लिए, राज्य सभा में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया है। विधेयक को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है:

(1) भारतीय कंपनियों को देश में, कैपटिव माइनिंग की मौजूदा प्रतिबंध के बगैर कोयले और लिग्नाइट का खनन करने की अनुमति देना। दूसरे शब्दों में, इसका उद्देश्य सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को कोयले तथा लिग्नाइट का खनन करने की अनुमति देना तथा कोयले और लिग्नाइट को देश में बेचने की भी अनुमति देना है।

(2) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को देश में कोयले और लिग्नाइट के संसाधनों के अन्वेषण कार्य में लगाने की अनुमति प्रदान करना।

[हिन्दी]

राजस्थान में संगमरमर की खानें

213. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राजस्थान के अलवर जिले में संगमरमर की खानों के भू-क्षेत्र की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्खनन कार्य को कब तक आरंभ कर दिये जाने की संभाबना है; और

(घ) इससे संगमरमर उद्योग को कितना अपेक्षित लाभ प्राप्त होगा?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) संगमरमर खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ङ) के अधीन परिभाषित एक गौण खनिज है और राज्य सरकारों को गौण खनिज के लिए खनिज रियायतें देने हेतु अधिनियम की धारा 15 के तहत नियम बनाने की पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं। राजस्थान राज्य सरकार ने सूचित किया है कि हाल ही में अलवर जिले में प्रति 4.00 हैक्टेयर के 18 संगमरमर प्लाटों का पता लगाया गया है। इन प्लाटों की रूपरेखा तैयार करने के बाद राज्य सरकारों द्वारा इन्हें खनन पट्टे पर दिया जाएगा और खनन कार्य, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरंभ किया जाएगा।

(घ) राजस्थान राज्य सरकार ने सूचित किया है कि संगमरमर उद्योग को अलवर जिले में खनन से प्रतिमाह लगभग 2500 टन अतिरिक्त कच्ची सामग्री मिलने की संभावना है।

[अनुवाद]

कर्नाटक की लंबित टैंक सुधार परियोजना

214. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ समय के दौरान कर्नाटक सरकार ने टैंक सुधार परियोजना का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास अब भी लंबित पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के इतने अधिक समय तक लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) टैंक सुधार सहित लघु सिंचाई स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले प्रस्तावों को छोड़ कर ऐसी अन्य स्कीमों के केन्द्र सरकार को भेजने की आवश्यकता नहीं है। कर्नाटक सरकार द्वारा 996.47 करोड़ रुपये की लागत से कर्नाटक टैंक सुधार परियोजना विश्व बैंक की सहायता के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव की सिफारिश करके इसे 5.10.2001 को विश्व बैंक को भेज दिया है। इस समय इस परियोजना का विश्व बैंक मूल्यांकन कर रहा है।

व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

215. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) ने व्यय सुधार आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सी.आई.एल. की सभी सहायक कंपनियों के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों की बैठक हाल में आयोजित हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ङ) व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) की सिफारिशों की मंत्रालय में जांच कर ली गई है। मंत्रालय की विधिवत-टिप्पणी वित्त मंत्रालय को भेज दी गई है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

यात्री सुरक्षा

216. श्री मोहन रावले: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के बराबर लाने और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) ऐसी किसी स्कीम पर विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि, यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें पिछली विमान दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के संबंध में जांच से निकली सिफारिशों का क्रियान्वयन; डी एफ डी आर तथा काकपिट वायस रिकार्डर (सीवीआर) की मानिटरिंग; हवाई अड्डों का निरीक्षण; आपरेटरों का सेफ्टी आडिट; एयर सेफ्टी सर्कुलरों के जरिए सेफ्टी सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार; सेफ्टी सेमिनार तथा वर्कशॉप शामिल हैं। यह सुनिश्चित है कि इकाओं के मानदंडों और सिफारिश-शुदा प्रेक्टिसों का एयरलाइनों द्वारा अनुपालन किया जाता है।

उड़ीसा में नदियों के जल का बेहतर उपयोग

217. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) ने उड़ीसा की महानदी, वंशधारा और अन्य बड़ी नदियों के जल के बेहतर उपयोग के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में बाढ़ से प्रभावित हुई सिंचाई परियोजनाएं

218. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के कई जिलों में हाल की बाढ़ से कितनी सिंचाई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की किस सीमा तक क्षति हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार महाराष्ट्र में विभिन्न जिलों में हाल में बाढ़ से प्रभावित सिंचाई परियोजनाओं की संख्या के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का कार्यकरण

219. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में जोधपुर में स्थित शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का वास्तविक और आर्थिक संदर्भों में क्या कार्यकरण रहा;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान वहां कार्यरत वैज्ञानिकों ने किसी नई तकनीक का आविष्कार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) राजस्थान में जोधपुर स्थित शुष्क वन अुसंधान संस्थान (ए एफ आर आई) का पिछले 5 वर्षों के दौरान वास्तविक एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) उक्त अवधि के दौरान संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिकों की उपलब्धियों संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले पांच वर्षों के दौरान शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (ए.एफ.आर.आई.) जोधपुर के वास्तविक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन

क्र.सं.	वर्ष	पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या	चालू परियोजनाओं की संख्या	नई शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय खर्च (लाख रुपए में)
1.	1996-97	शून्य	31	12	290.09
2.	1997-98	2	39	2	263.53
3.	1998-99	9	32	शून्य	321.14
4.	1999-00	14	15	3	329.59
5.	2000-01	4	14	4	294.08

विवरण-II

ए.एफ.आर.आई., जोधपुर में पिछले पांच वर्षों के दौरान वैज्ञानिकों द्वारा की गई कुछ मुख्य उपलब्धियां

1. पत्तों के गिरने का कारण बनने वाले विभिन्न कीटों पर बायोसाइडिल गतिविधियों के संबंध में शुष्क क्षेत्र की 3 पौधा प्रजातियों की पहचान की गई।
2. रेत अपसरण को नियंत्रित करने संबंधी उनकी योग्यता के लिए केरसिया अंगस्टीफोलिया के साथ कैल्लिगोनम और सेनचरस प्रजातियों की पहचान की गई है।
3. शुष्क क्षेत्र में पौधरोपण की एकल पर्वतमाला टीला विधि।
4. अकेसिया एम्पलीसेप्स में केन्कर बीमारी और खनिजों की कमी के द्वारा मृत्यु दर के कारण की पहचान की गई।
5. शुष्क क्षेत्रों के विशेष संदर्भ के साथ वन पौधशालाओं के कीटों की ग्रंथ सूची तैयार की गई।
6. जीजीफाइस माउरीशियाना, अलिआंथस एक्सेलसा, अकेसिया निलोटिका, अजाडिराचटा इंडिका तथा इंटरक्राप के रूप में सेन्चर्स सिलियारिस के साथ डाइक्रोस्टाकाइस

नुतन्स के लिए सिल्वी पेस्टोरल तकनीकों का मानकीकरण किया गया।

7. भारतीय मरूस्थल में वानिकी पोधरोपण की स्थापना और बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की सर्वाधिक सक्षम विधियां विकसित की गई। जल एकत्रण तकनीकों ने अरावली पारि-पुनरुद्धार में प्रभावशाली प्रतिक्रिया दर्शायी है।

8. नीम संबंधी कार्य को 1996 में आई.सी.एफ.आर.ई. द्वारा दिए गए ''अवार्ड ऑन नीम रिसर्च'' तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1998 में दिए गए विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से पहचान मिली।

बिहार के लिए धनराशि

220. श्री राजो सिंह : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार से खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार से धन प्राप्त करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए अपने परिव्यय में वृद्धि करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केन्द्र सरकार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार को सहायता मुहैया करा रही है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए, योजना आयोग, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 200 करोड़ रुपए की एक सांकेतिक सीमा का निर्धारण किया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सीमा को बढ़ाने के लिए न तो बिहार सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है। और न ही केन्द्र सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के वास्ते परिव्यय बढ़ाने के लिए बिहार सरकार को कहा है। बिहार में सात परियोजनाओं के लिए अभी तक 333 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की जा चुकी है।

[अनुवाद]

हांगकांग के साथ एअर इंडिया का द्विपक्षीय समझौता

221. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका के लिए एअर इंडिया की विस्तार योजना जो लॉस एजेंलिस, सेन फ्रांसिस्को इत्यादि जैसे स्थानों के लिए हांगकांग से यात्रियों को लेने के लिए एयरलाइंस को अनुमति नहीं देता है, से हांगकांग के साथ द्विपक्षीय समझौते के न होने से प्रभावित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो हांगकांग के तेजी से बढ़ने वाले यातायात मार्ग को शामिल न करने के पश्चात् भी यह सेवा कितनी लाभप्रद है; और

(ग) हांगकांग के साथ द्विपक्षीय समझौते को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) जी, नहीं। भारत और हांगकांग के बीच मौजूदा विमान सेवा करार के अनुसार, एअर इंडिया हांगकांग के लिए वाया थाईलैंड और वियतनाम के अवतरण स्थलों से तथा यातायात अधिकारों के अनुसार जापान और सियोल के परे के अवतरण स्थलों से होकर विमान सेवा प्रचालित कर सकती है। जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध है, एअर इंडिया न्यूयार्क, शिकागो, सेन-फ्रांसिस्को, लांस एजेंलस के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा यथा चयनित 4 अतिरिक्त अवतरण-स्थलों के लिए किसी भी प्रकार के विमानों से कितनी भी विमान सेवाएं प्रचालित कर सकती है।

विभिन्न सरकारी विभागों में अपव्यय

222. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कितने अपव्यय की पहचान कर ली गयी है; और

(ख) मंत्रालय द्वारा भविष्य में ऐसे अपव्यय को नियंत्रित करने/रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अपव्यय में कटौती

223. श्री अमर राय प्रधान : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने मंत्रालय/विभागों के ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर ली है जिनमें अपव्यय सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें कितना अपव्यय पाया गया; और

(घ) मंत्रालय ने ऐसे अपव्यय में कमी करने/रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) इस विभाग का ऐसा कोई क्षेत्र/योजना नहीं है जिसमें अपव्यय खर्च किया जाता है। गैर-योजना/गैर-विकास व्यय में सरकार के मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन

224. **श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व में इस समय कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व में गेहूं, चावल, कपास और दालों आदि के उत्पादन में भारत की क्या स्थिति है; और

(ग) सरकार द्वारा अगले दो वर्षों के दौरान भारत को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देश बनाने के लिये उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) विश्व में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत की स्थिति संबंधी नवीनतम ब्यौरे वर्ष 1999 के लिए उपलब्ध है। कुछ प्रमुख फसलों के संबंध में इन ब्यौरों को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) देश के विभिन्न भागों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सरकार ने राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए नवम्बर, 2000 से परम्परागत योजनाबद्ध दृष्टिकोण के स्थान पर वृहत प्रबन्धन प्रणाली को अपनाया है। इस स्कीम में 27 स्कीमों का समेकन करके एक वृहत प्रबन्धन स्कीम लागू की गई है ताकि कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण किया जा सके, जिससे राज्यों को उनके सामने आ रही विशिष्ट समस्याओं से निपटने में लचीलापन मिलता है। विभिन्न स्कीमों की अन्तर्वस्तु में परस्पर व्यापन से बचा जा सकता है और इसका उद्देश्य कृषि का चहुंमुखी विकास करना है। इससे विश्व में भारतीय कृषि की स्थिति में और अधिक सुधार होने की आशा है।

विवरण

1999 के दौरान खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में विश्व में भारत की स्थिति

मद		उत्पादन मिलियन मीट्रिक टन में		भारत की स्थिति		
		भारत	विश्व	% हिस्सा	स्थान	के बाद
1		2	3	4	5	6
1.	कुल अनाज	230	2064	11.1	तीसरा	चीन, अमरीका
	1.1 गेहूं	71	584	12.2	दूसरा	चीन
	1.2 चावल (धान)	131	596	22.0	दूसरा	चीन
	1.3 मोटे अनाज	28	884	3.2	चौथा	अमरीका, चीन, ब्राजील
2.	कुल दलहन	16	59	27.1	पहला	–
3.	तोरिया	6	43	14.0	तीसरा	चीन, कनाडा
4.	फल तथा सब्जियां					
	4.1 सब्जियां तथा मेलन	59	629	9.4	दूसरा	चीन

1		2	3	4	5	6
	4.2 मेलन छोड़कर फल	39	445	8.8	दूसरा	चीन
	4.3 आलू	23	294	7.8	तीसरा	चीन, रूसी संघ
	4.4 प्याज (सूखा)	5	44	11.4	दूसरा	चीन
5.	वाणिज्यिक फसलें					
	5.1 गन्ना	282	1275	22.1	दूसरा	ब्राजील
	5.2 चाय	0.75	2.87	26.1	पहला	–
	5.3 काफी (हरी)	0.27	6.48	4.2	सातवां	ब्राजील, कोलम्बिया, वियतनाम, इन्डोनेशिया, कोट डाइवोएरी, मैक्सिको
	5.4 तम्बाकू (पत्ती)	0.70	7.09	9.9	दूसरा	चीन

स्रोत : एफ.ए.ओ. उत्पादन ईयर बुक, 1999

खाद्यान्न उत्पादन

225. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-01 के दौरान देश में रबी फसल के दौरान राज्यवार कितने खाद्यान्न का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या खाद्यान्नों की मांग की तुलना में इसका उत्पादन कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2000-01 के रबी मौसम के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन 92.96 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है। रबी खाद्यान्नों के उत्पादन के राज्य-वार नवीनतम अन्तिम अनुमान रबी 1999-2000 के लिए उपलब्ध हैं। ये ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) और (ग) खाद्यान्नों की नियामक आवश्यकता के अनुसार, देश में खाद्यान्नों की कुल आवश्यकता वर्ष 1999 में 192.39 मिलियन मीटरी टन और वर्ष 2000 में 195.42 मिलियन मीटरी टन आंकलित की गई है। इसकी तुलना में, खाद्यान्नों का उत्पादन 1998-99 में 203.61 मिलियन मीटरी टन और 1999-2000 में 208.87 मिलियन मीटरी टन था। इस प्रकार, खाद्यान्नों की नियामक जरूरत के आधार पर खाद्यान्नों का उत्पादन इसकी मांग की तुलना में कम नहीं है।

(घ) देश के विभिन्न भागों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने और इसका विकास करने के लिए सरकार ने राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए नवम्बर, 2000 से परम्परागत योजनाबद्ध दृष्टिकोण के स्थान पर वृहत प्रबन्धन प्रणाली को अपनाया है। इस स्कीम में 27 स्कीमों का समेकन करके एक वृहत प्रबन्धन स्कीम लागू की गई है ताकि कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण किया जा सके, जिससे राज्यों को उनके सामने आ रही विशिष्ट समस्याओं से निपटने में लचीलापन मिलता है, विभिन्न स्कीमों की अन्तर्वस्तु में परस्पर व्यापन से बचा जा सकता है और इसका उद्देश्य कृषि का चहुंमुखी विकास करना है। इस स्कीम के कार्यान्वयन से कृषि उत्पादन में और अधिक वृद्धि होगी।

विवरण

रबी खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान

(हजार मीटरी टन)

राज्य	उत्पादन 1999-2000
1	2
आन्ध्र प्रदेश	4412.5
अरुणाचल प्रदेश	6.6
असम	811.0
बिहार	6212.0
गोआ	8.4
गुजरात	1122.6
हरियाणा	9805.0
हिमाचल प्रदेश	515.0
जम्मू और कश्मीर	389.0
कर्नाटक	2787.2
केरल	154.1
मध्य प्रदेश	11774.0
महाराष्ट्र	4362.8
मेघालय	8.8
मिजोरम	3.5
नागालैण्ड	20.7
उड़ीसा	1006.9
पंजाब	16028.9
राजस्थान	7867.9
सिक्किम	19.7
तमिलनाडु	2110.5
त्रिपुरा	93.5
उत्तर प्रदेश	28599.1
पश्चिम बंगाल	5652.0
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.5
दादरा और नगर हवेली*	0.6
दमन और दीव	1.3
दिल्ली	28.8
पाण्डिचेरी	17.0
अखिल भारत	104019.9

बाढ़ के कारण क्षति

226. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री बृजलाल खाबरी :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हाल ही में आई बाढ़ के कारण जान-माल और पशुधन की क्षति का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत छः महीनों के दौरान प्रभावित हुए प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गयी और इसका आधार क्या था;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस बाढ़ के कारण हुई क्षति को रोकने के लिए राज्य सरकार से कोई कार्य योजना प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में उक्त क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2001-2002 में सूचित की गई जन और धन की हानि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ग) बाढ़ों सहित प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राज्यों को तत्काल आपदा राहत उपाय करने के लिए आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) की केन्द्रीय अंशपूंजी उपलब्ध कराई गई। वर्ष

2001-2002 में सी.आर.एफ. की केन्द्रीय अंशपूंजी को निर्मुक्त करने के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़ों के आने पर राष्ट्रीय आपदा राहत आकस्मिक कोष से छत्तीसगढ़ को 23.94 करोड़ रुपये और उड़ीसा को 100 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जल संसाधन मंत्रालय इस संबंध में पहले से ही स्कीमों का क्रियान्वयन कर रहा है।

विवरण-I

वर्ष 2001-02 में बाढ़ों/अचानक आने वाली बाढ़ों के कारण हुई क्षति का राज्यवार विवरण

राज्य	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	मृतकों की संख्या	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
आन्ध्र प्रदेश	नगण्य	108	1.14
अरूणाचल प्रदेश	नगण्य	1	नगण्य
असम	1.94	नगण्य	0.13
बिहार	81.21	202	5.32
छत्तीसगढ़	4.12	36	0.89
हिमाचल प्रदेश	0.32	24	नगण्य
केरल	0.59	शून्य	सूचित नहीं की गई
मिजोरम	शून्य	शून्य	नगण्य
उड़ीसा	96.78	99	9.0
पंजाब	सूचित नहीं की गई	10	0.58
त्रिपुरा	0.56	3	0.14
उत्तरांचल	नगण्य	18	सूचित नहीं की गई
उत्तर प्रदेश	23.73	148	1.57

विवरण-II

वर्ष 2001-2002 में आपदा राहत कोष की केन्द्रीय अंशपूंजी की निर्मुक्ति

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आपदा राहत कोष से निर्मुक्त की गई केन्द्रीय अंशपूंजी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	15597.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	947.00
3.	असम	3996.00
4.	बिहार	2636.50
5.	छत्तीसगढ़	2163.00
6.	गोवा	–
7.	गुजरात	11701.49
8.	हरियाणा	3201.50
9.	हिमाचल प्रदेश	3424.00

1	2	3
10.	जम्मू और कश्मीर	–
11.	झारखण्ड	–
12.	कर्नाटक	5872.00
13.	केरल	8603.61
14.	मध्य प्रदेश	4932.00
15.	महाराष्ट्र	12380.00
16.	मणिपुर	–
17.	मेघालय	155.00
18.	मिजोरम	–
19.	नागालैण्ड	–
20.	उड़ीसा	6465.75
21.	पंजाब	4832.00
22.	राजस्थान	12225.75
23.	सिक्किम	495.34
24.	तमिलनाडु	4041.50
25.	त्रिपुरा	–
26.	उत्तर प्रदेश	13521.06
27.	उत्तरांचल	2992.59
28.	पश्चिम बंगाल	3981.00
	कुल	124164.09

विमानन अभिकरणों द्वारा सुरक्षोपायों में लापरवाही

227. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 नवम्बर, 2001 के दैनिक समाचार पत्र, ''हिन्दुस्तान'' में ''हवाई अड्डे पर पर्याप्त लाभ सुरक्षा नहीं'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अप्रवास विभाग के अधिकारियों ने विमानन अभिकरणों द्वारा सुरक्षोपायों में लापरवाही का आरोप लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो सुरक्षोपायों में लापरवाही बरतने के लिए इन विमानन अभिकरणों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एअर इंडिया के पास नए विमान

228. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी लंबे समय से एअर इंडिया के बेड़े में एक भी विमान शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण इसके राजस्व आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो एअर इंडिया की वर्तमान वित्तीय स्थिति कैसी है; और

(घ) सरकार द्वारा एअर इंडिया को लाभप्रद बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) एअर इंडिया ने हाल ही में अपने मार्गों और यात्री वहन क्षमता में वृद्धि लाने की दृष्टि से ड्राई लीज पर चार ए-310-300 विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान एअर इंडिया द्वारा उठाया गया शुद्ध घाटा 44.40 करोड़ रुपए का था। वर्ष 2001-2002 के लिए बजट प्राक्कलन के अनुसार, एअर इंडिया द्वारा 21.50 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित करने की आशा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान, एअर इंडिया ने 12 करोड़ रुपए का शुद्ध कमाया है जो बजटित लाभ की पूर्ति के अनुरूप है।

(घ) एअर इंडिया ने बजट प्राक्कलनों को व्यवहार्य बनाने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए है जिनमें ये शामिल है:- (1) घाटे

वाले मार्गों से क्षमता हटाकर उसे अधिक लाभकर मार्गों पर पुन: तैनात किया गया; (2) पायलेट उपलब्धता की तंगी के भीतर ही विमान-बेड़े का अधिकतम उपयोग किया गया; (3) क्षमता में वृद्धि के लिए विमान ड्राई लीज पर लिए गए; (4) विमानगत सेवा में सुधार; (5) नेट के जरिए आन-लाइन पर बुकिंग व्यवस्था करने के लिए यात्रियों की सहायता हेतु जनवरी, 2002 से ई-मार्किटिंग शुरू की जाएगी; (6) भारत और विदेश में स्टाफ की संख्या में कमी लाना; तथा (7) विदेश स्थित विभिन्न विभागों में भारत बेस के अधिकारियों के अनेक पदों को समाप्त करना।

निजी विमानन कम्पनियों द्वारा एअर टेक्सी का संचालन

229. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री पवन कुमार बंसल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृ पा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी निजी विमानन कम्पनियां एअर टैक्सियों का संचालन कर रही है और उनके द्वारा संचालित विमानों की श्रेणी/वर्ग/प्रकार क्या-क्या है तथा प्रत्येक क्रमश: कितना पुराना है;

(ख) क्या सरकार नागर विमानन महानिदेशक द्वारा इनकी सुरक्षा, संचालन तथा अनुरक्षण के लिए कोई मार्गनिदेश जारी और लागू किए गए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) हवाई उड़ान की उपयुक्तता के बारे में प्रमाणन कि स अवधि के बाद अपेक्षित होता है;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ निरीक्षक गैर-सरकारी व्यक्ति है या सरकारी पदाधिकारी है;

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी छोटे निजी विमान संबंधी दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(छ) उनके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) कुल 37 निजी विमानकंपनियां है जिन्हें गैर-अनुसूचित प्रचालन परमिट दिया गया है। विमानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) नागर विमानन अपेक्षाओं (सी.ए.आर.) खंड-3, श्रृंखला-ग भाग-III के अंतर्गत नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) ने संरक्षा, प्रचालन और अनुरक्षण के बारे में विमानों की दिशा-निर्देश जारी किए है। नागर विमानन महानिदेशक इन दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। नागर विमानन महानिदेशालय, वायुयान नियम 1937 के नियम 50 में किए गए उपबंध के तहत उड़न योग्यता प्रमाण पत्र को जारी/नवीकरण करता है।

(घ) आमतौर पर उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र एक वर्ष तक मान्य होता है। नागर विमानन महानिदेशक ने विनियमन निर्धारित किया है कि सभी सिविल विमान जो 20 वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के लिए पंजीकृत हैं की उड़न योग्यता प्रमाण पत्र की समय सीमा एक साल के बजाय 6 महीने तक ही सीमित कर दी जाए जिससे नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों को विनिर्माता तथा नागर विमानन महानिदेशालय की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विमानों का निरीक्षण करने अपेक्षाकृत अधिक तेजी से करने का अवसर मिल पाएगा।

(ङ) उपर्युक्त उदेद्श्यों के निरीक्षण करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय भारत सरकार के अधिकारियों को बतौर निरीक्षक नियुक्त किया जाता है।

(च) पिछले तीन साल में हुई दुर्घटनाओं के ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
1999	शून्य
2000	3
2001	4 (सितम्बर, 2001)

(छ) 5 मामलों में अन्वेषकों से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और आम जनता में इसको जारी करने के लिए स्वीकार करने से पूर्व नागर विमानन महानिदेशालय/नागर विमानन मंत्रालय में इसकी जांच की जा रही है। मैनपुरी में हुई विमान दुर्घटना सहित दो मामले का अन्वेषण एक जांच समिति द्वारा किया जा रहा है। रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

विवरण

गैर अनुसूचित प्रचालकों का परमिट होल्डर

क्र.सं.	नाम	विमान किस्म	विमान सं.	प्रचालन विधि
1	2	3	4	5
1.	एसी एयरवेज प्रा. लिमिटेड	एएस 350 बी (एच)	1	19
2.	एरियल सर्विसेज प्रा.	बीच जेट-400	1	-
3.	अहमदाबाद एविएशन एकेडमी	सेसना 172	1	26
		पाइपर एजटेक	1	21
		सेसना 172 पी	1	20
4.	एयरवर्क इंडिया (प्रा.) लिमिटेड	किंग एयर सी-90	1	23
5.	एशिया एविएशन लिमिटेड	सेसना सिट II	1	19
6.	एजल इंडिया प्रा. लिमिटेड	बेल 412 एचपी(एल)	6	12
				08
				04
				13
				10
				15
7.	ब्लू डार्ट	बी-737-200	3	26
				26
				21
8.	सेन्चुरी टैक्सटाइल एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	सेसना कारावन II	1	12
9.	दिल्ली फ्लाइंग क्लब	सेसना 152	1	16
				16
		किंग एयर सी 90		10
10.	डेक्कन एविएशन	बेल 206 एल 3 (एच)	2	04
				03
				11
		बेल 206 बी3 (एच)	2	10
		बेल 212 (एच)	1	20
		बेल 407 (एच)	1	05

1	2	3	4	5
		एकुरिएल एएस 355 (एच)	1	17
		पाईलेटस पीसी-12	2	02
11.	द्वारका एयर टैक्सी	सेसना 404 टाइटन	1	20
12.	एस्कोर्ट्स लिमिटेड	बेल-407 (एच)	1	03
13.	ईस्ट इंडिया होटल्स	एचएस-125-700	1	16
		सी-90ए	1	16
14.	राजस्थान सरकार	एलउटे III (एच)	1	-
15.	ग्रेट ईस्टर्न शीपिंग कं. लि.	बेल 212 (एच)	2	21
				21
16.	हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	सेसना 172 एल	1	29
17.	इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज	बेल 222 यूटी (एच)	1	12
		एचएस-125 बी	1	-
18.	इंडो पैसिफीक एविएशन	बेल 206 एल 4 (एच)	1	07
19.	जैग्सन एयरलाइंस	डीओ-228	2	-
20.	जे.के. कॉरपोरेशन	किंग एयर बी-200	1	17
21.	जिंदल एयरलाइंस	किंग एयर सी-90	1	24
22.	कुद्रेमुख आयरल ओर कं. लि.	उलाउटे III (एच)	1	25
23.	मलहोत्रा हेलीकॉप्टर्स	बेल-47 जी5 (एच)	1	32
24.	मेगापोड़ एयरलाइंस	एचएस-125-700 बी	1	-
		फाल्कन 2000	1	3
25.	ओरिएंट फ्लाइंग स्कूल	सेसना-152	3	20
				18
				16
		सेसना III	1	20
26.	पवन हंस	डॉफिन 2(एच)	20	15
				15
				-
				15

1	2	3	4	5
				15
				15
				15
				15
				-
				15
				15
				14
				14
				14
				-
				14
				14
		बेल 206 एल 4(एच)	3	14
				08
				06
		रोबिन्सन (एच)	2	05
		एमआई 172(एच)	3	07
				-
				-
		बेल 407 (एच)	2	-
				04
				03
27.	राजपुताना एविएशन एकेडमी (प्रा.) लि.	सेसना-172 पी	1	20
		सेसना 152	2	05
				20
28.	रेमंड लिमिटेड	एएस 355 एन (एच)	1	07
		बेल 206 एल3 (एच)	2	09
				11
		सेसना सीट-II	1	20
29.	रिलायंस ट्रांसपोर्ट ट्रेवल्स लि.	गल्फस्ट्रीम-(IV)	1	13
30.	सहारा इंडिया एयरलाइंस	बी-737-200	1	-

1	2	3	4	5
		बी-737-400	1	-
		एक्यूरिएल एएस 355 एन (एच)	3	04
				04
				04
		डॉफिन 365 एन2 (एच)	1	04
31.	सराया एविएशन (प्रा.) लि.	डॉफिन बी-58	1	24
32.	स्पैन एयर प्रा. लि.	बेल 206 एल4(एच)	1	06
		बेल 407 (एच)	1	05
		सुपर किंग 200	1	18
33.	तनेजा एयरोस्पेस एविएशन लि.	पीसी 68-टीसी	1	05
		पी 68 सी	4	05
				05
				04
				03
				03
34.	टाटा टी लिमिटेड	एमडी 600 एन (एच)	1	03
		(प्रतावित)		
35.	ट्रांस भारत एविएशन	बीच 99	2	32
				33
		बेल-206 बी3(एच)	2	09
				02
		बेल-407 (एच) 01	1	05
		पाइपर सेनेका		06
36.	यू.बी.एयर	चेतक (एच)	1	12
		बेल 212 (एच)	3	23
				21
				22
37.	विद्युत ट्रेवल सर्विसेज	किंग एयर सी 90	1	07

नोट:- सीट क्षमता में विमान चालकों के सीट को छोड़कर यात्रियों की सीट क्षमता को दर्शाया गया है।
एच-हेलिकॉप्टर

कृषि उत्पादन

230. **श्री हरिभाई चौधरी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए विकास कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) नौंवी योजना के दौरान कृषि फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा नौवीं योजना के दौरान चलाए जा रहे प्रमुख विकासात्मक कार्यों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है;

(1) चावल, गेहूं, मोटे अनाजों के बारे में समेकित विकास कार्यक्रम;

(2) तिलहनों तथा दलहनों संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन;

(3) पनधारा विकास कार्यक्रम;

(4) उर्वरकों का सन्तुलित तथा समेकित उपयोग;

(5) पूर्वोत्तर भारत में बागवानी के विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन;

(6) गुणवत्ता प्राप्त/संकर बीज उपलब्ध कराना;

(7) वृहत प्रबन्धन स्कीम; और

(8) विस्तार सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।

इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सरकार के सामने आ रही मुश्किलों के बारे में राज्यों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलनों, जोनल सम्मेलनों, क्षेत्रीय अधिकारियों के फील्ड दौरों आदि के समय विचार-विमर्श किया जाता है और समस्याएं, यदि कोई हों, तो इन का समाधान कर दिया जाता

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मंगलवार, 20 नवम्बर, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होता।

पूर्वाह्न 11.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 20 नवम्बर, 2001/29 कार्तिक 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/20/1/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

सोमवार,19 नवम्बर, 2001/ 28 कार्तिक ,1923 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
72	31	(ख)	(ग)
79	3	(ख) और (घ)	(ख) और (ग)
138	12	(घ)	(ड.)